भारत में बाल विवाह : एक अध्ययन
तीन राज्यों का परिस्थितिजन्य विश्लेषण

भारत में बाल विवाह : एक अध्ययन
तीन राज्यों का परिस्थितिजन्य विश्लेषण

सामाजिक अनुसंधान केन्द्र

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं
बाल विकास संस्थान

प्रकाशन वर्ष – 2008
प्रतियां – 500

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, 5 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित और पावर प्रिन्टर्स, 2/8ए, दरियागंज, नई दिल्ली–2 द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

बाल विवाह एक मुख्य समाज वैज्ञानिक समस्या है जो भारत में सदियों से चली आ रही है। भारत के उत्तरी राज्यों में इसका बाहुल्य है। इस कुप्रथा के शाश्वत रूप से जारी रहने का मुद्दा ऐसा है जिस पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है भले ही इस प्रथा की शुरुआत कहीं से हुई हो या इसके पीछे कुछ भी कारण रहे हों। आज की परिस्थितियों में, जहां महिलाओं की मुक्ति की गूंज है, यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत सरकार स्वतन्त्रता के समय से ही इस कुप्रथा को रोकने के लिए कानूनों के प्रावधानों को कड़ा बनाती रही है। यह अवांछित प्रथा न केवल बच्चों के लिए उत्पीड़न का सबब है बल्कि लड़कियों के लिए विशेष रूप से क्रूर है, क्योंकि यह प्रथा बच्चों को विशेष रूप से बालिकाओं को अपने अधिकारों से वंचित करती है। मौजूदा अध्ययन उत्तर भारत के उन राज्यों में किया गया है जो राजनीति की दृष्टि से जागरूक हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि बाल विवाह के समर्थकों का आज भी समुदाय के बुद्धिजीवी लोगों द्वारा खासा विरोध क्यों नहीं किया जाता है और बाल विवाह के विरोध में उठे स्वर क्यों दबा दिए जाते हैं। इसके साथ साथ इस अध्ययन का उद्देश्य बाल विवाह को रोकने में मौजूदा कानूनों की क्षमता का जायजा लेना तथा प्रवर्तन तंत्र की भूमिका का पता लगाना भी है।

अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर किया गया यह अध्ययन केवल उन तीन राज्यों तक सीमित है जहां बालिकाओं की विवाह योग्य आयु कानूनन निर्धारित आयु से बहुत कम है। अध्ययन से यह पुष्ट हुआ है कि इन राज्यों के कुछ इलाकों में बाल विवाह प्रथा का कोई विरोध नहीं किया जाता है। इस प्रथा का उद्भव जो उभर कर सामने आया है, वह समाज के साामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक जटिल ताने बाने का परिणाम है और यही ताना बना समुदाय के सदस्यों के निर्णय को लगातार प्रभावित कर रहा है। हालांकि अध्ययन में यह पाया गया है कि उस समुदाय में, जिसमें यह प्रथा प्रचलित है, उसके लोगों में कानूनी बाध्यताओं की जानकारी है लेकिन इसके बावजूद वे लोग इसका विरोध करने या इसकी अवहेलना करने की स्थिति में नहीं हैं। जन प्रतिनिधि इस प्रथा के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होने में कठिनाई महसूस करते हैं जबकि प्रशासक इस मुद्दे का इस प्रकार समाधान देखते है कि जैसे इस मुद्दे से निपटने के लिए एक और कानून लागू करने के लिए उपलब्ध हो गया हो।

एकत्र आंकड़े और उनके विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है कि इस समस्या का एकमात्र हल गरीबी उन्मूलन और लड़कियों के लिए सार्वभौतिक शिक्षा की व्यवस्था करना है। हालांकि यह मुद्दा बहस का हो सकता है कि केवल इसी साधन से बाल विवाह की घटनाओं में कमी लाने में सहायता मिल सकती है।

यह अध्ययन, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान और सामाजिक अनुसंधान केन्द्र के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। सामाजिक अनुसंधान केन्द्र द्वारा अनुसंधान के साधन तैयार करने, दो राज्यों से आंकड़े एकत्र करने और रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए किए हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, विशेष रूप से केन्द्र की निदेशक डॉ. रंजना कुमारी के प्रति। निपसिड की टीम का संचालन, संयुक्त निदेशक डॉ. सुलोचना वासुदेवन और सहायक निदेशक डॉ. संध्या गुप्ता द्वारा किया गया है। ये दोनों अधिकारी अध्ययन के साथ आरम्भ से जुड़ी रही हैं, चाहे वह इस अध्ययन का डिजाइन हो, साधनों में संशोधन हो, राज्य में आंकड़ों का एकत्रीकरण हो, रिपोर्ट का संपादन हो या समय समय पर अनुसंधान केन्द्र के साथ संपर्क बनाना हो, इन सभी कार्यों में इन दोनों अधिकारियों की भूमिका रही है। यह अध्ययन इनके अथक प्रयासों के बिना पूरा नहीं हो सकता था। इस रिपोर्ट पर सुश्री रजिया सुलतान इसमाइल अब्बासी तथा डॉ. ज्योत्सना चटर्जी द्वारा दी गई टिप्पणियों के लिए उनका हार्दिक आभार है। इन टिप्पणियों से हमें रिपोर्ट की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिली।

मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन इस विषय में रुचि रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, योजनाकारों, समाज वैज्ञानिकों आदि के लिए उपयोगी होगा।

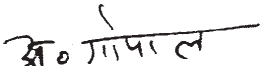

(ए.के. गोपाल)
निदेशक

आभार

परियोजना दल

मार्गदर्शन एवं सहयोग – डॉ. ए.के. गोपाल
डॉ. निदेश पॉल

राष्ट्रीय जन सहयोग
एवं बाल विकास संस्थान
नई दिल्ली

डॉ. सुलोचना वासुदेवन
परियोजना निदेशक

डॉ. संध्या गुप्ता
परियोजना सहायक

सामाजिक अनुसंधान केंद्र
नई दिल्ली

डॉ. एन. हमसा
परियोजना समन्वयक

डॉ. संगीता भट्टाचार्य
वरिष्ठ अनुसंधान सहायक

सुश्री के. कनारिनधना
अनुसंधान सहायक

अनुसंधान सहयोग दल

श्री चंदन कुमार

डॉ. अरविंद अग्रवाल

डॉ. हेमा अग्रवाल

डॉ. आलोक कुमार

प्रशासनिक सहयोग

लेआउट एंड प्रोडक्शन

श्री ए जे कौल
श्रीमती ज्योति सेठी

विषय सूची

सारिणी सूची xi
चित्र सूची xiii
संक्षिप्तियों की सूची xv

1: परिचय **1**
1.1. भारत में बाल विवाह की प्रथा 1
1.2. अध्ययन में शामिल राज्यों की स्थिति : राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 4
1.3. बाल विवाह प्रथा के जारी रहने के लिए जिम्मेदार कारक 5
1.4. बाल विवाह के परिणाम 6
1.5. बाल विवाह संबंधी कानून और नीतियां 8

2: भारत में बाल विवाह की स्थिति का विश्लेषण **13**
2.1 साहित्य की समीक्षा 13
2.1.1 बाल विवाह : एक विधिक संदर्श 15
2.1.2 बाल विवाह : आंकड़ों की दृष्टि से 16
2.1.3 बाल विवाह के निर्धारक 18
2.1.4 बाल विवाह के दुष्परिणाम 20
2.1.5 सरकारी नीतियां और कार्यक्रम 26

3: अध्ययन **31**
3.1 अध्ययन की जरूरत 31
3.2 उद्देश्य 32
3.3 अध्ययन क्षेत्र 32
3.4 परामर्श बैठकें 32
3.5 अनुसंधान प्रक्रिया 32
3.5.1 आंकड़ों के स्रोत 32
3.5.2 नमूनों का चयन 33
3.5.3 अनुसंधान परिकल्पना और वर्गीकरण 36

4: अध्ययन क्षेत्रों में बाल विवाह की स्थिति **39**
4.1 बाल विवाह के कारण (सामाजिक, सांस्कृतिक एतिहासिक) 39
4.2 अध्ययन क्षेत्रों में बाल विवाह की व्यापकता और प्रवृत्तियां 40
4.3 राज्यों की पहल 46
4.3.1 उत्तर प्रदेश 46
4.3.2 मध्य प्रदेश 47

5: अध्ययन क्षेत्रों पर विहंगम दृष्टि और अध्ययन किए गए नमूनों की रूपरेखा **49**
5.1 राजस्थान 49
5.2 उत्तर प्रदेश 49
5.3 मध्य प्रदेश 50
5.4 सामाजिक आर्थिक रूप रेखा 50

5.4.1 परिवारों और मुखियाओं की रूप रेखा (परिवार के सदस्य) 50
5.4.2 18 वर्ष से कम की आयु में विवाहित दम्पतियों की रूपरेखा 53
5.4.3 पंचायत सदस्यों की रूप रेखा 55
5.4.4 गैर–सरकारी संगठनों की रूप रेखा 57

6: अध्ययन का विश्लेषण और परिणाम 59
6.1 परिवारों की मुखियाओं के उत्तर 59
6.2 लोगों के उत्तर जिनके विवाह 18 वर्ष की आयु में हुए थे 61
6.3 पंचायत सदस्यों के उत्तर 66
6.4 गैर–सरकारी संगठनों के उत्तर 67
6.5 जिला मजिस्ट्रेट्स के उत्तर 68
6.6 केन्द्रित समूह चर्चाएं (एफजीडी) 68
6.6.1 राजस्थान (जयपुर टोंक) के केन्द्रित समूह चर्चाओं का निष्कर्ष 69
6.6.2 उत्तर प्रदेश (वाराणसी और मेरठ) के केन्द्रित समूह चर्चाओं का निष्कर्ष 70
6.6.3 मध्य प्रदेश (भोपाल और शाजापुर) के केन्द्रित समूह चर्चाओं का निष्कर्ष 71
6.7 केन्द्रित समूह चर्चाओं पर चर्चा और उसका विश्लेषण 73

7: कानूनी जागरूकता और उपाय 75
7.1 सामुदायिक पहलें–पंचायत और परिवार के मुखिया 75
7.1.1 परिवार के मुखियाओं के उत्तर 75
7.1.2 पंचायत सदस्यों के उत्तर 78
7.2 उन लोगों के उत्तर जिनका 18 वर्ष से कम आयु में हुआ है 80
7.3 सिविल समान का हस्तक्षेप गैर–सरकारी संगठन 81
7.4 बाल विवाह के विरुद्ध सरकारी पहलें 83
7.4.1 पुलिस के उत्तर 83
7.4.2 जिला मजिस्ट्रेट के उत्तर 83

8: निष्कर्ष और सिफारियों 85
8.1 बाल विवाह प्रथा के बरकरार रहने के कारण 85
(क) अध्ययन क्षेत्रों में बाल विवाह की मौजूदा स्थिति 87
(ख) बाल विवाह को रोकने के बारे में जागरूकता की स्थिति 88
(ग) कानूनी पहलुओं की पर्याप्तता के बारे में विचार 88
(घ) स्थानीय नेताओं और प्रवर्तन अभिकारकों की भूमिका 89
8.2 सिफारिशें 90
(क) मुख्य सिफारिशें 90
(ख) सामान्य सिफारिशें 91

ग्रंथ सूची **93**

अनुबंध I **99**
प्रश्नावली

अनुबंध II **129**
तीन राज्यों के जिला वार आंकड़े

अनुबंध III **133**
तीन राज्यों की विश्लेषण सारिणी

अनुबंध IV
केन्द्रित समूह चर्चा के लिए मार्गदर्शन **207**

अनुबंध V
बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 **209**

अनुबंध VI
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 (जनवरी 2007) **213**

सारिणी सूची

2.1	आयु के अनुसार किशोर अवस्था में विवाहित हुई महिलाओं का अनुपात रा.पा.स्वा.सं. 2 (1998–99)	27
3.1	अध्ययन क्षेत्र में बाल विवाह का जिलावार प्रचलन	48
3.2	नमूना आकार	50
4.1	उत्तरदाता की जाति/समुदाय में बाल विवाह की प्रथा	58
5.1	परिवार मुखियाओं का शिक्षा स्तर के अनुसार प्रतिशत ब्यौरा	68
6.1	क्या वे छोटी आयु में विवाह करना चाहते थे?	82
7.1	बाल विवाह प्रतिषेध करने वाले कानून की जानकारी	104
7.2	क्या कानून बाल विवाह को रोकने के लिए प्रर्याप्त है?	109

चित्र सूची

1.1	18 वर्ष की आयु पर विवाहित हो गई महिलाएं, जिनकी मौजूदा उम्र 20–24 वर्ष है, का प्रतिशत	3
1.2	18 वर्ष की आयु में विवाहित हुई महिलाओं, जिनकी मौजूदा आयु 20 से 24 वर्ष है, के प्रतिशत में रुझान	3
1.3	15 से 19 वर्ष की आयु में विवाहित होने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2001	4
1.4	अध्ययन क्षेत्र में मौजूदा 20 से 24 वर्ष की महिलाओं, जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु में हो चुका था, के प्रतिशत का रुझान	4
3.1	अनुसंधान परिकल्पना	37
4.1	उत्तरदाताओं के बच्चों (लड़कों) की विवाह के समय आयु	41
4.2	उत्तरदाताओं के बच्चों (लड़कियों) की विवाह के समय आयु	41
4.3	बाल विवाह का समर्थन/विरोध करने वालों का प्रतिशत	42
4.4	प्रत्युत्तरदाताओं की जाति/समुदाय में बाल विवाह की प्रथा	45
5.1	परिवार के सदस्यों का साक्षरता स्तर	51
5.2	विवाह के समय की आयु (पुरुष)	54
5.3	विवाह के समय की आयु (महिलाएं)	55
5.4	पंचायत सदस्यों के बच्चों की वैवाहिक स्थिति	56
5.5	ऐसे जो कानूनी आयु में विवाह को तरहीज देने वाले पंचायत सदस्य	57
6.1	विवाह के लिए सही आयु (पुरुष)	59
6.2	विवाह के लिए सही आयु (महिलाएं)	60
6.3	छोटी आयु में विवाह के कारण	60
6.4	बाल विवाह का समर्थन/विरोध करने वालों का प्रतिशत	64
6.5	विवाह की सही आयु से संबंधित उत्तर (पुरुष)	64
6.6	विवाह की सही आयु से संबंधित उत्तर (महिलाएं)	65
6.7	पंचायत सदस्यों के अनुसार बाल विवाह के कारण	67
6.8	गैर–सरकारी संगठनों के अनुसार बाल विवाह के कारण	67
6.9	जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार बाल विवाह के कारण	68
7.1	विवाह के पंजीकरण के बारे में जानकारी	75
7.2	बाल विवाहों की अवैधता के बारे में जानकारी	76
7.3	सरकार द्वारा बाल विवाहों को रोकने के उपाय	77
7.4	समुदाय/जाति द्वारा बाल विवाहों को रोकने के तरीके	78
7.5	पंचायत द्वारा बाल विवाहों को रोकने के तरीके	78
7.6	जिलों में पंजीकृत विवाहों का प्रतिशत	79

संक्षिप्तियों की सूची

सीईडीएडब्ल्यू	महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन
सीएमपीओ	बाल विवाह रोकथाम अधिकारी
सीएमआरए	बाल विवाह अवरोध अधिनियम
सीआरसी	बाल अधिकार कन्वेंशन
सीएसआर	सामाजिक अनुसंधान केंद्र
एफजीडी	केंद्रित समूह चर्चा
आईसीआरडब्ल्यू	महिला अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र
आईएमआर	शिशु मृत्यु दर
एमएमआर	मातृ मृत्यु दर
एमपी	मध्य प्रदेश
एनसीडब्ल्यू	राष्ट्रीय महिला आयोग
एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
निपसिड	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
आरजीआई	भारत के महारजिस्ट्रार
एसएमएएम	मृत्यु माध्य आयु
एसटीडी	यौन संक्रमित रोग
यूनिसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल निधि
यूपी	उत्तर प्रदेश
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन

परिचय	1-12
भारत में बाल विवाह की स्थिति का विश्लेषण	13-30
अध्ययन	31-38
अध्ययन क्षेत्रों में बाल विवाह की स्थिति	39-48
अध्ययन क्षेत्रों पर विहंगम दृष्टि और अध्ययन किए गए नमूनों की रूप रेखा	49-58
अध्ययन का विश्लेषण और परिणाम	59-74
कानूनी जागरूकता और उपाय	75-84
निष्कर्ष और सिफारिशें	85-92

1

प्रस्तावना

1.1 भारत में बाल विवाह की प्रथाः

छोटी उम्र में बच्चों और खासतौर पर लड़कियों के विवाह की प्रथा का प्रचलन दुनिया के लगभग 40 देशों में असामान्य नहीं है, ऐसे देशों में मुख्यतः सब–सहारा अफ्रीका और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश भी हैं। इनमें ज्यादातर देश विभिन्न अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों के हस्ताक्षरी हैं और बच्चों एवं महिलाओं के विभिन्न अधिकारों, जिनमें विवाह के लिए कानूनी तौर पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया जाना भी शामिल है, के गारंटीदाता हैं। वास्तव में कैमरूम में तो एक कदम आगे जाकर लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके बावजूद महिलाओं की आबादी का चौंका देने वाला 62% हिस्सा 18 वर्ष की आयु तक विवाहित हो जाता है। हाल की यूनिसेफ रिपोर्ट (2005) के अनुसार विभिन्न देशों में 15 से 19 वर्ष की शादीशुदा लड़कियों का प्रतिशत इस प्रकार हैः कोंगो (51%), इराक (28%), जबकि नेपाल में 15 वर्ष की आयु से पहले 40% लड़कियां शादीशुदा हो जाती हैं। भारत के संबंध में अद्यतन अध्ययन के अनुसार 18 वर्ष की आयु से पहले 44% लड़कियां शादीशुदा हो जाती हैं।

बाल विवाह का प्रचलन उत्तर भारत के कुछ समुदायों में देखा गया है, यह प्रथा दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर के कुछ समुदायों में अधिक प्रचलित है। यह संभव है कि उत्तरी सीमाओं से तरह–तरह की संस्कृतियां भारत में आयी हों, जिनके प्रभाव से उत्तर भारत के इन्हीं समुदायों में बाल विवाह की प्रथा की शुरुआत हुई हो।

भारत में प्रचलित धार्मिक रूढ़ियों, सामाजिक प्रथाओं, आर्थिक परिस्थितियों और अंधविश्वासों के कारण बाल विवाह की समस्या बेहद जटिल है। चूंकि प्राचीन भारत में बाल विवाह के प्रचलित होने के कोई पुख्ता संदर्भ नहीं मिलते हैं, इसलिए इस प्रथा की शुरुआत के संबंध में कुछ भी कहना कठिन है। उत्तर भारत के कुछ समुदायों में दक्षिण भारत के मुकाबले बाल विवाह का प्रचलन अधिक है। हालांकि इस संबंध में लिखित संदर्भ उपलब्ध नहीं हैं कि बाल विवाह की प्रथा का उद्भव वास्तव में कहां हुआ, तथापि इस तथ्य के साक्ष्य मौजूद हैं कि प्राचीन धर्मग्रन्थों में बाल विवाह की मनाही थी (ब्रिडकर, सुधीर द्वारा लिखित बाल विवाह, वेबसाइट www.vivaaha.org/child.htm)। बाल विवाह पर किए गए अध्ययनों से यह विचारधारा सामने आती है कि बाल विवाह प्रथा का प्रादुर्भाव उत्तरी सीमा के रास्ते भारत आयी विभिन्न संस्कृतियों के कारण हुआ, इन्हीं संस्कृतियों के प्रभाव से विभिन्न समुदायों ने लड़कियों का विवाह कम उम्र में करने की प्रथा डाली होगी क्योंकि संभव है कि वे यह मानते हों कि इस प्रथा के माध्यम से ही वे अपनी लड़कियों की आततायियों के अपहरण/आक्रमण से रक्षा कर सकते थे।

बाल विवाह के विरोध में अपनाई गई कठोर नीतियों और कानूनों के बावजूद आज भी बाल विवाह की प्रथा बदस्तूर जारी है जिसके अनेक कारण बताए जाते हैं। सरसरी तौर पर अधिकांश उत्तर भारतीय समुदायों में अखा तीज, गणेश चतुर्थी, पीपल पुण्यो और फुलेरा दूज जैसे त्योहारों को बाल विवाह प्रथा के लिए शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त, शादीशुदा लड़कियां गैर–शादीशुदा लड़कियों की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं और उनके साथ यौन

प्रहार की घटनाएं बहुत कम होती हैं। इस प्रथा के बने रहने का एक मजबूत कारण आर्थिक पहलू है। विशेषज्ञों की अवधारणा है कि बाल विवाह एक तरह की सगाई है। इसके साथ ही शारीरिक संबंध नहीं शुरू होता। सगाई और बिदाई की रस्मों के बीच एक लम्बा अंतराल होता है। बिदाई को *गवना* या *मुकलावा* भी कहते हैं। चूंकि पूरा खर्च दो अलग–अलग अवसरों के लिए विभक्त होता है, इसलिए बाल विवाह के खर्चे की दृष्टि से बेहतर समझा जाता है।

इन कारणों के अतिरिक्त, बाल विवाह का एक और आधार 'समूह विवाह' की प्रथा है (क्लेड–लेवि–स्ट्रायस, 1969)। समाज में कुछ समुदाय सगाई करके राजनैतिक या आर्थिक संबंध जोड़ते हैं। परिवारों के बीच सामाजिक संबंधों का बने रहना भी महत्त्वपूर्ण है।

बाल विवाह बच्चों से संबंधित विभिन्न संयुक्त राष्ट्र मानकों का उल्लंघन है। यह सीईडीएडब्ल्यू और सीआरसी के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लंघन है।

बाल विवाह बाल और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है क्योंकि इससे बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर गहरा असर पड़ता है। यह प्रथा विवाह के समय न्यूनतम आयु और बच्चों की यौन उत्पीड़न से रक्षा संबंधी संयुक्त राष्ट्र करारों का भी उल्लंघन है। इन करारों के संबंध में 1948 से अधिनियम बनाए गए हैं। इनमें महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी स्वरूपों का कन्वेंशन, 1979 (सीईडीएडब्ल्यू, 1979) और बच्चे के अधिकारों संबंधी कन्वेंशन, 1989 (सीआरसी, 1989) शामिल हैं। सीआरसी, 1989 द्वारा कई अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (सूचना और विचार मांगना और प्राप्त करना, अनुच्छेद 13), उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने माता–पिता से पृथक न होने का अधिकार (अनुच्छेद 9), शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 28 और 29), आराम और विश्राम करने तथा खेलने और मनोरंजन कार्यकलापों में लगने के अधिकार (अनुच्छेद 31) और यौन उत्पीड़न तथा दुरुपयोग से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 14)। भारत इस महत्त्वपूर्ण कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है।

एनएफएचएस–3 (2005–06) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 44% महिलाएं 18 वर्ष की कानूनी आयु पूरी करने से पहले विवाहित हो गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 52% है।

इस पर भी भारत में लड़कियों की स्थिति खासतौर पर बाल विवाह के संदर्भ में निराशाजनक बनी हुई है। यह प्रथा पूरी तरह प्रचलित है और इसमें बहुत कम ही गिरावट आई है। यह आज भी ग्रामीण भारत के कई हिस्सों, खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश में प्रचलित है। तथापि, भारत में बाल विवाह की घटनाओं की दृष्टि से एकरूपता नहीं है। उत्तर भारत स्थित राजस्थान और बिहार, जहां 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह का प्रतिशत 71 है, की तुलना में दक्षिण भारत स्थित केरल और तमिलनाडु में यह प्रतिशत केवल क्रमशः 17 और 25 है (पुश जर्नल, 21 सितम्बर, 2004 में एजेंसी फ्रांस–प्रेस की रिपोर्ट)।

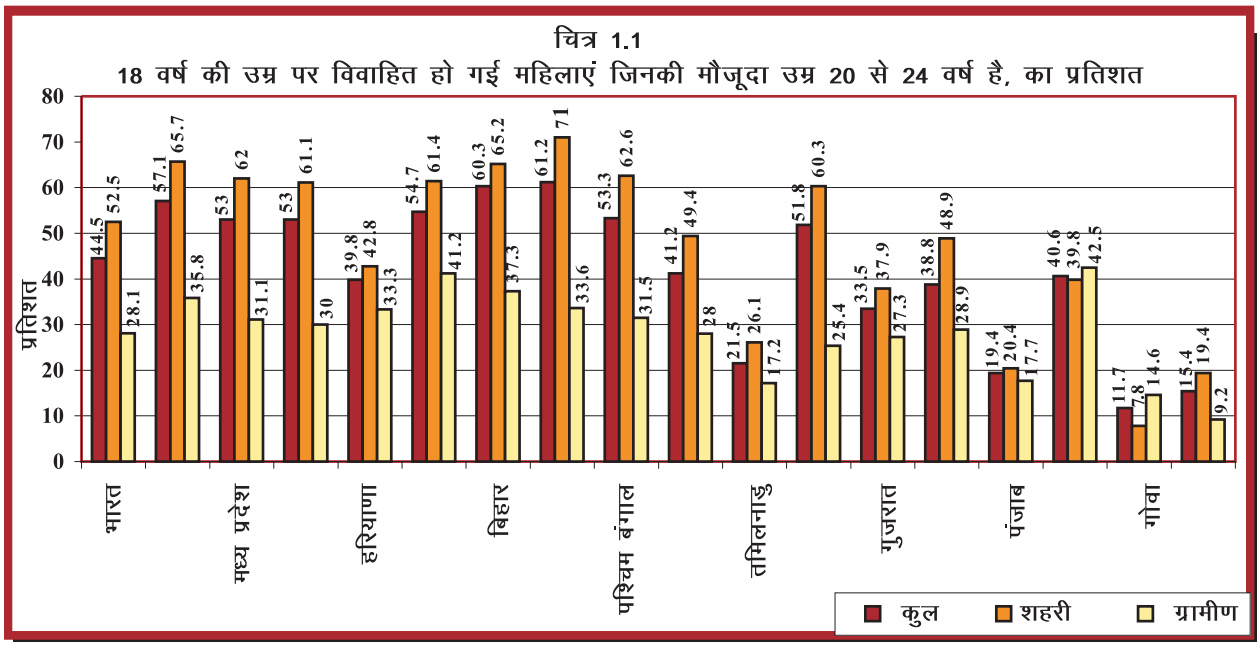

स्रोतः एनएफएचएस–3, 2005–06

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा किया गया राज्य–वार विश्लेषण चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। हाल ही में किए गए इस सर्वेक्षण द्वारा 18 वर्ष की आयु पर विवाहित हुई महिलाओं की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

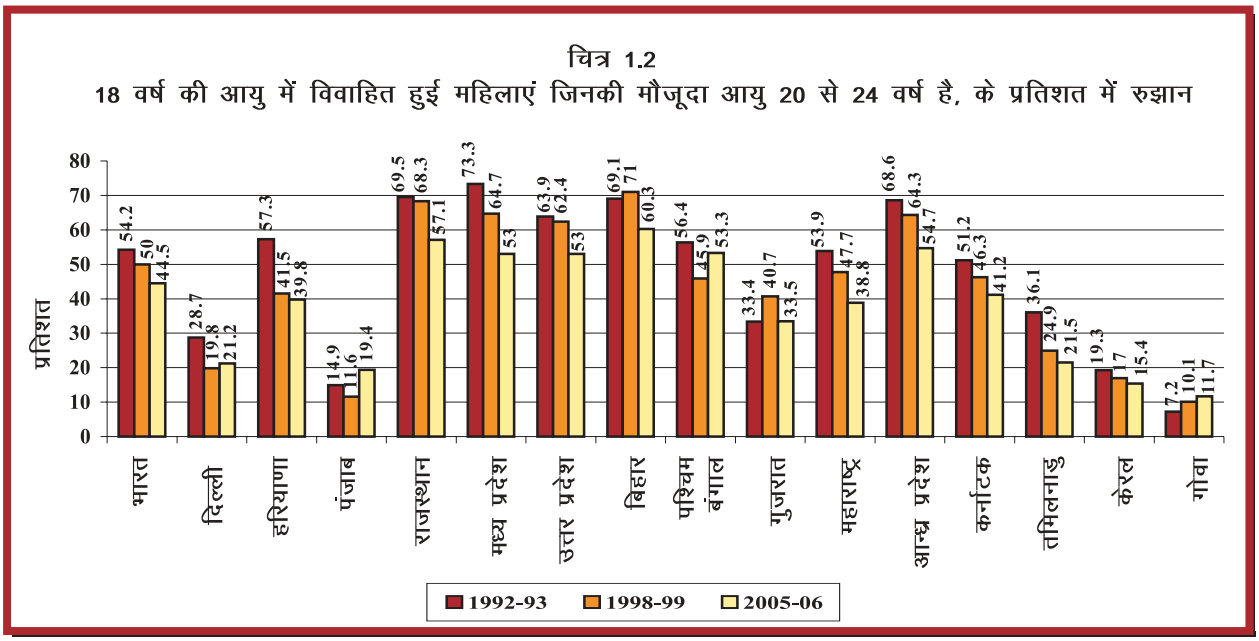

स्रोतः एनएफएचएस–1, एनएफएचएस–2 और एनएफएचएस–3

पिछले डेढ़ दशक में भारत में बाल विवाह के अनुपात में 10% की गिरावट देखी गई है। यह स्थिति प्रायः सभी राज्यों में एक जैसी है किन्तु पश्चिम बंगाल और पंजाब की स्थिति अलग हो सकती है।

चित्र 1.3
15 से 19 वर्ष की आयु में विवाहित होने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2001

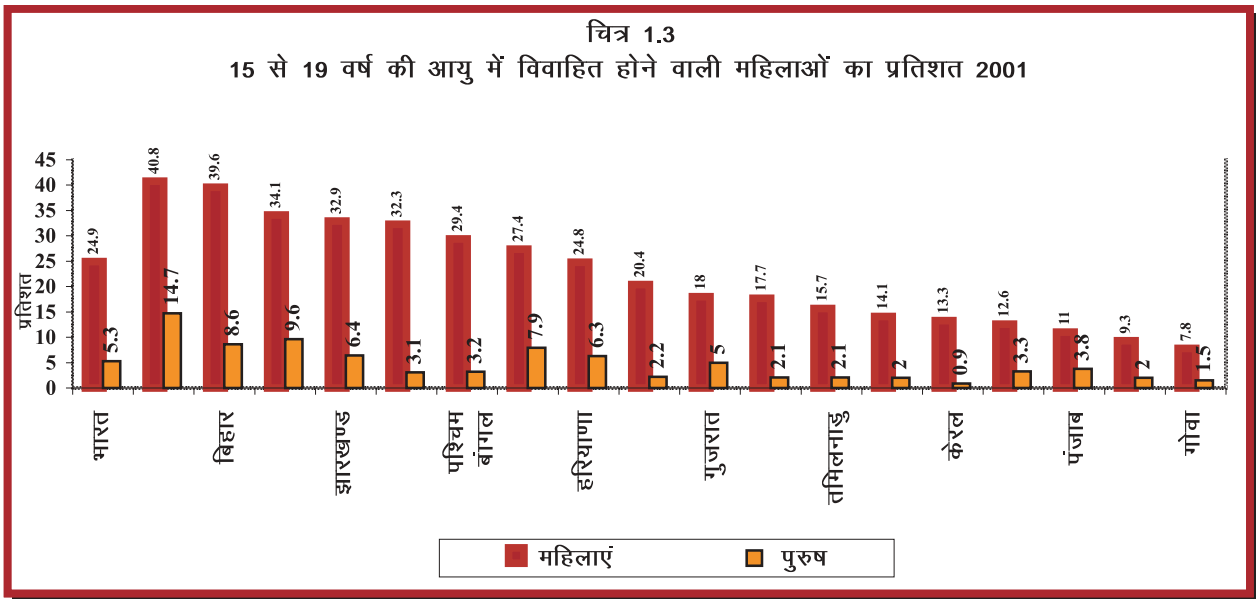

स्रोतः आरजीआई, 2001

बाल विवाह की घटनाओं में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति के अंतर को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 2001 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार 15 से 19 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों में 25 प्रतिशत लड़कियां पहले से विवाहित हैं जबकि लड़कों का यह प्रतिशत केवल 5. 3 प्रतिशत है। राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 35 प्रतिशत से अधिक लड़कियों का विवाह बहुत कम उम्र में हो जाता है।

चित्र 1.4
अध्ययन क्षेत्र में मौजूदा 20–24 आयु वर्ग की महिलाओं जिनका विवाह 18 वर्ष की उम्र में हो चुका था, के प्रतिशत का रुझान

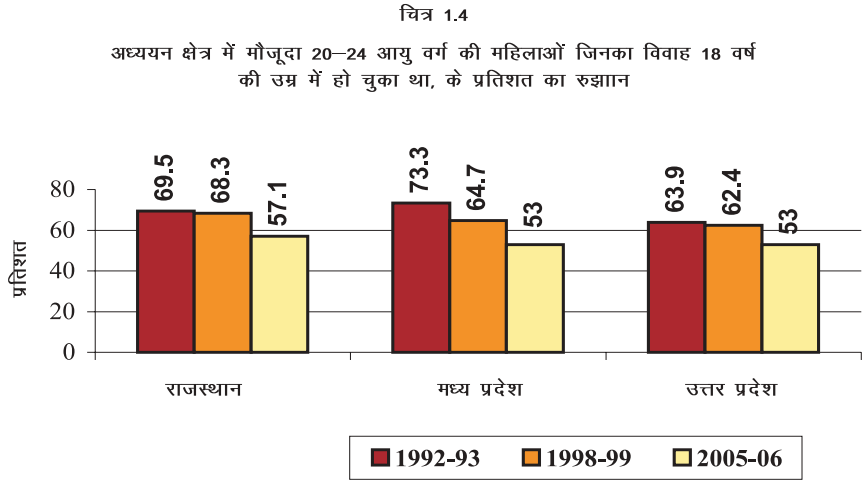

स्रोतः एन एफ एच एस 1, 2, 3

जब कम उम्र की लड़कियों का विवाह होता है, तब उन्हें आमतौर पर अपनी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। अपनी संवेदनशील स्थिति के कारण वे अपने माता–पिता से पूछताछ नहीं कर पाती हैं। विवाह के बाद बच्चों जैसी दुल्हन प्रायः अपने माता– पिता के घर रुक जाती है और 16 वर्ष की उम्र के बाद जब वह यौवन की दहलीज़ पार करती है, तभी उसका गवना होता है और वह पति के घर जाती है। कम उम्र के विवाह को सही ठहराने वालों की निगाह में इस व्यवस्था में बाल विवाह और लड़कियों की विवाह योग्य कानूनी तौर पर निर्धारित उम्र के बीच का टकराव नहीं है। किन्तु वास्तविकता यह है कि कानूनी उम्र और गवना दोनों अलग–अलग तथ्य हैं क्योंकि लड़की जब यौवन की दहलीज़ पार करती है, तब 18 वर्ष की आयु के पहले भी उसे अपने पति के घर भेजा जा सकता है। राज्य (राजस्थान) महिला और बाल विकास विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 30% लड़कियों की 13 वर्ष की उम्र में ही शादी हो चुकी थी और उनमें 50% लड़कियां 15 वर्ष

की आयु तक मां बन चुकी थीं। इस प्रकार कम उम्र के विवाह से उठने वाली समस्याओं का हल गवना प्रथा से नहीं हो सकता है।

1.2 अध्ययन में शामिल राज्यों की स्थितिः राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश

राजस्थान में प्रत्येक वर्ष बाल विवाह का प्रतिशत बहुत अधिक है। रा.प.स्वा.सर्वेक्षण–2 (1988–99) के अनुसार 15–19 वर्ष के आयु वर्ग में 49% का विवाह पहले से हो चुका था। इनमें 11% ऐसे बच्चे थे, जिनका विवाह हो चुका था, किन्तु गवना होना बाकी था। ग्रामीण–शहरी आंकड़े दर्शाते हैं कि इस आयु वर्ग में 57% ग्रामीण लड़कियों का विवाह पहले ही हो चुका है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 27% है। रा.प.स्वा.सर्वेक्षण–3(2005–06) से प्राप्त हाल के आंकड़ों (2005–06) से पता चलता है कि राजस्थान में 20 से 24 वर्ष के आयु–वर्ग की कुल महिलाओं का 57% 18 वर्ष की आयु तक विवाहित हो चुकी थीं। यदि इन आंकड़ों का विभाजन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग–अलग किया जाए तो यह क्रमशः 35.8% और 65.7% होगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति राजस्थान के सदृश है। पारंपरिक रूढ़ियों और प्रथाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के विवाह की उम्र कम रखी जाती है। रा.प.स्वा.स.(1998–99) के अनुसार 15 से 19 वर्ष की 32% लड़कियां पहले से विवाहित थीं और इसके ऊपर 8% लड़कियों का विवाह हो चुका था किन्तु उनका *गवना* होना अभी बाकी था। ग्रामीण क्षेत्रों में 15–19 वर्ष की आधे के आस–पास लड़कियों का विवाह पहले से हो चुका था। उत्तर प्रदेश में 20 से 24 की 62% लड़कियों ने 18 वर्ष की कानूनी न्यूनतम आयु से पहले विवाह किया (एनसीडब्ल्यू, 2004)। तथापि, रा.प.स्वा.स.–3 की हाल की रिपोर्ट में उ.प्र. के संबंध में यह इंगित किया गया है कि 20 से 24 वर्ष की 53% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष तक हो चुका था जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 61.1% का विवाह 18 वर्ष तक हो चुका था। यहां तक कि मध्य प्रदेश में बाल विवाह की संख्या काफी अधिक रही है, वहां 20–24 वर्ष की 53% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु तक हो चुका था, जबकि वहां शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 31.1% रहा और ग्रामीण क्षेत्रों में 62% रहा (रा.प.स्वा.स.–3)।

1.3 बाल विवाह प्रथा के जारी रहने के लिए जिम्मेदार कारक

बाल विवाह प्रथा आज भी मौजूद रहने के अनेक कारण हैं – लोगों की परम्परागत अवधारणा और परिवारों का यह गहरा विश्वास कि लड़की एक जिम्मेदारी और बोझ होती है, जिसका जल्दी से जल्दी विवाह किया जाना चाहिए और उसे अपने पति के घर भेज दिया जाना चाहिए। यह परम्परा सदियों से चली आ रही है, इसीलिए बच्चों की और खास करके लड़कियों की कम उम्र में ही शादी करने के लिए बहुत अधिक सामाजिक दबाव बना रहता है। अपने समुदाय का ही सामाजिक दबाव एक मुख्य कारण है जिससे माता–पिता अपने नन्हे बच्चों का विवाह करने के लिए विवश हो जाते हैं।

विवाह की मध्यस्थ आयु म.प्र., बिहार, उ.प्र., राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लगभग 15 है और गोवा में 23 है।
{एनएफएचएस–2(1998–99), तथ्य पत्रक– भारत}
महिला की विवाह के समय मध्यस्थ आयु म.प्र. में निम्नतम (17.4 वर्ष) और गोवा में उच्चतम (25.1 वर्ष) है। महिलाओं की विवाह के समय मध्यस्थ आयु म.प्र., बिहार, राजस्थान, उ.प्र., आं. प्र. और हरियाणा में 19 वर्ष से कम है। वर्तमान में 20 से 24 वर्ष की महिलाओं में लगभग 54% ने 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह किया, ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 63% और शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 33% रहा।
{एनएफएचएस–1(1992–93)}

बाल विवाह को रुकवाने की कोशिश करने वाली दो महिला सरकारी अधिकारियों पर हुए हमले को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि यह समस्या कितनी गंभीर है। 1992 में महिला समाख्या कार्यक्रम की एक 'साथिन' कार्यकर्ता ने राजस्थान के एक गांव में बाल विवाह की रिपोर्ट करने का साहस किया था। इसके विरोध में ऊंची जाति के पुरुषों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया और उसके पति के सामने उसका बलात्कार किया। 2005 में घटी एक अन्य घटना में एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के एक पर्यवेक्षक ने बाल विवाह रुकवाने के लिए दखल दिया था, जिसकी वजह से उसे डराया–धमकाया गया और कुछ लोगों

सदियों से चली आ रही परम्परा और स्वयं अपने समुदाय से उभरे सामाजिक दबाव से माता–पिता अपने नन्हे बच्चों की शादी करने के लिए विवश हो जाते हैं।

ने उसके ऊपर हमला कर दिया जिससे उसके हाथ बुरी तरह से जख़्मी हो गए। ऐसी घटनाओं से यह पता चलता है कि बाल विवाह को रोकने के लिए यदि कदम उठाए जाते हैं तो उनका बहुत विरोध होता है क्योंकि बाल विवाह की प्रथा भारतीय समाज की जड़ों के अंदर तक पहुंची हुई है।

इस प्रथा के जारी रहने का एक अन्य कारण कौमार्य को दिया गया महत्त्व है। ग्रामीण परिवारों की यह अवधारणा रही है कि लड़की का कौमार्य बना रहना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और वह परिवार के सम्मान का प्रतीक है। इसीलिए लड़की के कौमार्य को सुरक्षित रखने के प्रति अत्यधिक असुरक्षा और चिन्ता की भावना परिवार में रहती है। लड़की की अवांछित यौन सक्रियता से रक्षा के लिए विवाह को एक 'सुरक्षित' उपाय समझा जाता है। इस सुरक्षा के बगैर रहने पर यदि कोई लड़की अविवाहित होती है और उसका कौमार्य भंग होता है तो उसे परिवार में कलंक के रूप में देखा जाता है। यदि कोई लड़की स्वेच्छा से यौन–क्रिया के माध्यम से या बलात्कार के माध्यम से अपनी 'कौमार्य अवस्था' को खो देती है तो उसे विवाह के योग्य नहीं समझा जाता।

लड़की की उम्र जितनी अधिक होगी, उसके विवाह पर उतना अधिक दहेज माता–पिता को देना पड़ता है।

इस प्रथा के बने रहने का एक प्रमुख कारण दहेज प्रथा का होना है। कई मामलों में अधिक उम्र की लड़कियों के माता–पिता से दहेज की ज्यादा से ज्यादा रकम वसूली जाती है। इसलिए गरीबी से दबे माता–पिता अपनी बेटी का विवाह कम उम्र में करने के लिए विवश होते हैं ताकि भारी–भरकम दहेज से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, जिन परिवारों में बेटियों की संख्या अधिक होती है, उनमें माता–पिता ज्यादा खर्च से बचने के लिए उनका विवाह उसी दिन कर देते हैं। हालांकि कुछ लोगों को कानून की पूरी जानकारी रहती है, फिर भी वे बाल विवाह के लिए विवश होते हैं। इसके अतिरिक्त, राजनैतिक इच्छाशक्ति न होने के कारण भी यह प्रथा बेरोकटोक चल रही है।

1.4 बाल विवाह के परिणाम

'कम उम्र में गर्भधारण करना और मां बनना बाल विवाह के अपरिहार्य परिणाम हैं। 15 से 19 वर्ष की लगभग 14 मिलियन किशोरियां प्रत्येक वर्ष मां बनती हैं। यदि 15 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां मां बनती हैं तो गर्भधारण करने और बच्चे को जन्म देने के दौरान उनकी मृत्यु की संभावना 20 वर्ष या उससे अधिक की उम्र की महिलाओं की तुलना में पांच गुना अधिक होती है।

{दि स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रेनल 2007, यूनिसेफ}

बाल विवाह को समाज में कम उम्र की लड़कियों के लिए कई नकारात्मक परिणामों से जोड़ा जाता है। वास्तव में, 2001 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र की लगभग 300,000 लड़कियों ने कम से कम एक बच्चे को जन्म दिया। रिपोर्ट के अनुसार, नन्हीं दुल्हनों में बाल यौन शोषण और बाद के मानसिक तनाव के संकेत देखे गए। बाल विवाह से लड़कियों की शिक्षा भी बाधित होती है और उनके सामने स्वास्थ्य से जुड़े खतरे बढ़ जाते हैं क्योंकि यह देखा गया है कि 18 वर्ष के बाद विवाहित होने वाली लड़कियों की तुलना में उनकी मृत्यु दर अधिक रही और उनके एचआईवी/एड्स की बीमारियों से ग्रसित होने की संभावनाएं बढ़ी (अमरीकी राज्य विभाग, कण्ट्री रिपोर्ट, 2006)। बाल श्रम का लड़कियों के समूचे स्वास्थ्य और विकास पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में विवाह होने पर लड़कियों के सामने स्वास्थ्य संबंधी बड़े–बड़े खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा कम उम्र में गर्भधारण और बच्चे को जन्म देते समय होता है। इनसे प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बढ़ती है।

- **मातृ मृत्यु दर:** रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मातृ मृत्यु दर अभी भी अधिक है क्योंकि भारत में 100,000 से अधिक महिलाएं प्रत्येक वर्ष गर्भधारण और बच्चे को जन्म देते समय मरती हैं। गर्भधारण से उत्पन्न जटिलताओं से देश में प्रत्येक सात मिनट में एक महिला की मृत्यु होती है। भारत का मातृत्व मृत्यु अनुपात (2001–03) प्रति 100,000 जीवित बच्चे के जन्म पर 301 है (*रेडिफ न्यूज*, 7 मार्च 2007)।
- **बच्चे के जन्म के समय की जटिलताएं:** चूंकि कम उम्र की लड़कियां गर्भधारण के लिए शारीरिक तौर पर अपरिपक्व होती हैं, इसलिए बच्चे के जन्म के समय उनके स्वास्थ्य को बड़ा खतरा रहता है और उनके

जीवन की संभावना कम हो जाती है। पूरे विश्व में दो मिलियन महिलाएं प्रसव संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हैं जिससे प्रसव के समय तरह–तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं, खासतौर पर ये परेशानियां प्रसव के लिए शारीरिक रूप से अपरिपक्व लड़कियों के सामने उत्पन्न होती हैं (आईसीआरडब्ल्यू, 2006)। *दि स्टेट ऑफ दि वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन रिपोर्ट, 2007, दक्षिण एशिया संस्करण* के अनुसार, 'भारत में प्रत्येक तीन वयस्क महिलाओं में से एक का वजन कम है और इसलिए उसके सामने कम वजन के बच्चे को जन्म देने का खतरा होता है।

- **शिशु मृत्यु दर:** बाल विवाह से केवल लड़कियां ही नहीं अपितु कम उम्र में गर्भधारण से उत्पन्न बच्चे पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। मां की कम उम्र और उचित पोषणाहार की कमी से बच्चे का विकास भी उचित ढंग से नहीं हो पाता। स्रोतों से पता चलता है कि मां की शिक्षा बढ़ने के साथ ही शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है। जहां निरक्षर माताओं के मामले में 1000 जीवित शिशुओं पर 87 की मृत्यु होती है, वहां कम से कम हाई स्कूल तक की शिक्षा पूरी कर चुकी माताओं के मामले में 1000 जीवित शिशुओं पर केवल 33 की मृत्यु होती है (रा.प.स्वा.स.–2, भारत)।

- **यौन–जनित बीमारियों और एचआईवी/एड्स के मामलों में बढ़ोतरी:** कम उम्र की लड़कियों का विवाह उनसे उम्र में काफी बड़े युवकों के साथ कर दिया जाता है। ऐसे विवाह में महिलाओं के पास यौन व्यवहार और यौन क्रियाओं में निर्णय लेने की शक्ति कम होती है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और बलात्कार के संबंध में हाल ही में बनाए गए कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी मर्जी से या उसके बगैर संभोग करता है तो यहां तक कि यदि उसका उस लड़की के साथ विवाह हुआ है, तब भी यह कहा जाएगा कि उसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया। कम उम्र की लड़कियां गर्भनिरोधक उपायों के उपयोग और लाभों के बारे में जानकारी नहीं रखतीं जिससे उनके सामने एचआईवी/एड्स एवं अन्य बीमारियों का खतरा बना रहता है।

  यदि मां की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसके बच्चे की मृत्यु एक वर्ष की उम्र के भीतर होने की संभावना उस बच्चे से 60% अधिक होगी, जिसका जन्म 19 वर्ष से अधिक आयु की महिला से हुआ। यहां तक कि यदि वह बच्चा जीवित बच जाता है, तब भी यह संभावना बनी रहेगी कि वह कम वजन, कम पोषाहार और देर से शारीरिक और मानसिक विकास की समस्याओं से ग्रस्त रहे।

  {दि स्टेट ऑफ दि वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन, 2007, यूनिसेफ}

- **घरेलू हिंसा का खतरा:** यूनिसेफ के अध्ययन के अनुसार भारत में घरेलू हिंसा का स्तर सर्वाधिक है, इसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु में विवाहित होने वाली 67% महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। भारत में जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, कम्बोडिया आदि जैसे देशों की तुलना में महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा का स्तर सर्वोच्च है *(अर्ली मैरिज, 2005 यूनिसेफ)*। घरेलू हिंसा कम उम्र में विवाह करने वाली किशोरावस्था की लड़कियों के सामने एक बड़ी समस्या है। कम उम्र में विवाह करने वाली महिलाओं के साथ मार–पीट, डांट–डपट या यौन शोषण होने की संभावना अधिक होती है। उन्हें कई बार यह विश्वास भी दिलाया जाता है कि यदि पति अपनी पत्नी को पीटता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पति और पत्नी के बीच आयु का अंतर होने के कारण भी कम उम्र की लड़की ही घरेलू हिंसा की शिकार बनती है।

  18 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाली 67% महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है।

  (अर्ली मैरिज, 2005, यूनिसेफ)

- **लड़कियों का अनैतिक व्यापार और खरीद–फरोख्त:** बाल विवाह के कारण वेश्यावृत्ति, श्रम और यौन शोषण जैसे प्रयोजनों के लिए बच्चों का अनैतिक व्यापार होने की घटनाएं भी घटती हैं। कम उम्र की

लड़कियों को लालच देकर/डरा–धमकाकर उनके साथ विवाह किया जाता है और उसके बाद उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच दिया जाता है। 'प्रयास' के सचिव, राजीव हलधर के अनुसार 'विवाहशुदा लड़कियों' का अनैतिक व्यापार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहां तक कि केरल में धड़ल्ले से चल रहा है (*इन्फोचेंज,* फरवरी, 2007)। मानव अनैतिक व्यापार की शिकार बनी लड़कियों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल 71.8% लड़कियां विवाह के समय बच्ची थीं (अर्थात् उनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी)। इसका आशय यह है कि बाल विवाह ऐसे महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक है जिनके कारण महिलाएं और बच्चे मानव अनैतिक व्यापार का शिकार बनती हैं (*रिपोर्ट, ट्रैफिकिंग, 2002–2003; महिलाओं और बच्चों का मानव कुव्यापार पर कार्रवाई अनुसंधान की अंतिम रिपोर्ट)*।

लड़कियों का जब कम उम्र में विवाह होता है तब वे गर्भधारण, प्रसव और गर्भनिरोधक उपायों के बारे में चर्चा कर पाने में असमर्थ होती हैं। इससे वे अपने बुनियादी प्रजनन अधिकारों से वंचित रहती हैं।

- **लड़कियों में निरक्षरता:** बाल विवाह के कारण लड़कियां स्कूल जाने और अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती हैं, जो उनके वैयक्तिक विकास और समाज के भविष्य के प्रति प्रभावकारी ढंग से योगदान के लिए जरूरी है। कई बार लड़कियां यदि विवाह के बाद या उससे पहले स्कूल जाना चाहती हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित रखा जा सकता है। प्रायः उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है जिससे उनकी पढ़ाई रुक जाती है, उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है और उनकी स्थिति संवेदनशील हो जाती है। कई माता–पिता यह विश्वास करते हैं कि लड़की की शिक्षा में धन खर्च करना अपव्यय है क्योंकि अंततः उसका विवाह करके उसे अपने पति के घर भेजा जाएगा, जहां वह अपने पति की सेवा करेगी। उसे केवल विवाह कराने के लिए ही स्कूल से निकाला जाता है जिससे वह एक जागरूक और आत्म–निर्भर इंसान नहीं बन पाती। कई मामलों में इन लड़कियों को सामाजिक पहलुओं से जुड़ने और अपने परिवार से बाहर के लोगों के साथ मित्रता करने की भी अनुमति नहीं दी जाती है।

बाल विवाह के कारण लड़कियां स्कूल जाने और अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती हैं, जो उनके वैयक्तिक विकास और समाज के भविष्य के प्रति प्रभावकारी ढंग से योगदान के लिए जरूरी है।

- **निर्णय लेने की शक्ति की कमी:** जब लड़कियों का विवाह कम उम्र में होता है तो वे गर्भधारण, प्रसव और गर्भनिरोधक उपायों के बारे में चर्चा कर पाने की क्षमता नहीं रखती हैं जिससे वे अपने प्रजनन संबंधी अधिकारों से वंचित रह जाती हैं।

1.5 बाल विवाह संबंधी कानून और नीतियां

भारत में बाल विवाह की समस्या से निपटने के लिए तीन मुख्य कानून हैं:

- **बाल विवाह (अवरोध) अधिनियम, 1929, बाल विवाह निवारण अधिनियम, 2004 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006:** कानून के अनुसार 'बालक' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो यदि पुरुष है तो उसने अपनी उम्र के 21 वर्ष पूरे किए हों, और यदि महिला है, तो अपनी उम्र के 18 वर्ष पूरे न किए हों। बाल विवाह (अवरोध) अधिनियम, 1929 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह करवाता है, आयोजित करता है या उसका निर्देश देता है तो वह कानून के अंतर्गत अपराध करेगा। अपराधी में माता–पिता, सगे–संबंधी या यहां तक कि विवाह सम्पन्न करवाने वाला पंडित भी शामिल होगा। अपराधी को तीन माह तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है और यदि मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दी जाएगी तो वह विवाह को रुकवा सकता है। अवयस्क का कोई संगा–संबंधी या मित्र पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर बाल विवाह कराए जाने की सूचना दे सकता है।

बाल विवाह निवारण अधिनियम, 2006 की मुख्य–मुख्य विशेषताएं

1. बाल विवाह (अवरोध) अधिनियम, 1929
2. बाल विवाह निवारण अधिनियम, 2004
3. विवाह का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2006
4. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

बाल विवाह के विरुद्ध राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलें

1. हिमाचल प्रदेश विवाह का पंजीकरण अधिनियम, 1996
2. विवाह (पंजीकरण और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1976, कर्नाटक
3. राजस्थान विवाह का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2002
4. महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो का विनियमन और विवाह का पंजीकरण अधिनियम, 1998
5. त्रिपुरा विवाह को रिकार्ड किया जाना विधेयक, 2003

अन्य पहलें

1. बाल विवाह विरोध अभियान – राष्ट्रीय महिला आयोग, अप्रैल 2005

बाल विवाह निवारण अधिनियम, 2006 की मुख्य–मुख्य विशेषताएं

(i) **बाल विवाह के पक्षकारों के पास यह विकल्प होगा कि वे बाल्यावस्था में किए गए विवाह को निष्प्रभावी कर सकते हैं;**

(ii) **बाल विवाह के महिला पक्षकार के लिए निर्वाह और आवास की व्यवस्था;**

(iii) **बाल विवाह के बच्चों के लिए अभिरक्षा और अनुरक्षा;**

(iv) **बाल विवाह के परिणामस्वरूप उत्पन्न बच्चों को वैधता;**

(v) **बाल विवाह**

(vi) **धारा 4 या धारा 5 के अधीन आदेश में संशोधन करने की जिला न्यायालय को शक्ति;**

(vii) **बाल विवाह को महिमामंडित करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था;**

(viii) **बाल विवाह को महिमामंडित करने को बढ़ावा देने या उसकी अनुमति देने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था;**

(ix) **कतिपय परिस्थितियों में नाबालिग बच्चे के विवाह को अवैध माना जाएगा;**

(x) **बाल विवाह को निषिद्ध करने के लिए न्यायालय को व्यादेश जारी करने की शक्ति;**

(xi) **कानून के अंतर्गत अपराधों को संज्ञेय और गैर–जमानती माना जाना;**

(xii) **बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति।**

- **विवाह का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2006 और राज्य सरकारों की पहलें:** वर्ष 2006 के बाद भारत को विवाह का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकरण कराना जरूरी हो गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अपने विवाह को दस दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से विवाह का पंजीकरण कराएगा। देश में बाल विवाह को रोकने के लिए ऐसा अनिवार्य पंजीकरण बेहद महत्त्वपूर्ण उपाय है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार की राज्य सरकारों ने, जहां बाल विवाह का प्रचलन अत्यधिक है, विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए कोई पहल नहीं की है। केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को विवाह के अनिवार्य पंजीकरण को बाध्यकारी बनाने के लिए कहा है, क्योंकि राज्य सरकारें अपने–अपने राज्यों के सामाजिक ढांचे और स्थानीय परिस्थितियों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने की बेहतर स्थिति में हैं। इस कानून में लचीलापन रखा गया है क्योंकि राज्य सरकारों को इस संबंध में पहल करने के लिए छोड़ा गया है। दूसरे, यदि नाबालिग के विवाह का पंजीकरण नहीं कराया जाता तो वह स्वतः ही निष्प्रभावी नहीं होता। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय ने, जिसमें नाबालिग के विवाह को कानूनी तौर पर उचित ठहराया गया, बाल विवाह के खिलाफ सक्रियता की समस्या को और जटिल बना दिया है।

विवाह के पंजीकरण को भारत में कुछ राज्यों में अनिवार्य बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 को 2004 में प्रभाव में लाया गया, जिसके द्वारा राज्य में होने वाले सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक में विवाह (पंजीकरण और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1976 पारित करके सभी विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। राजस्थान में, राजस्थान विवाह का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2002 पेश किया गया है। राजस्थान सरकार ने विवाह के पंजीकरण को बाध्यकारी बनाया है ताकि उसे कानूनी मान्यता मिल सके। यह घोषणा की गई है कि ''... किसी विवाह को कानूनी तौर पर मान्यता तब तक नहीं दी जाएगी जब तक विवाह सूत्र में बंधने वाला जोड़ा संबंधित प्राधिकारियों के पास उसका पंजीकरण कराकर प्रमाणपत्र न प्राप्त कर ले। इससे अपने विवाह का पंजीकरण कराने वाले जोड़ों को भी लाभ मिलेगा क्योंकि विवाह के बाद वे और परिपक्व हो जाएंगे।'' (बीबीसी न्यूज, 24 अक्तूबर, 2001)। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो का विनियमन और विवाह का पंजीकरण अधिनियम बनाकर ग्राम सेवक को पंजीयक का ओहदा प्रदान कर दिया है। त्रिपुरा की विधान सभा ने त्रिपुरा विवाह को रिकार्ड किया जाना विधेयक, 2003 पारित किया है। गोवा में विवाह कानून के अनुसार सिविल पंजीकरण बाध्यकारी है और केवल पंजीकृत विवाहों को वैध माना जाता है।

- **बाल विवाह विरोध अभियानः** अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने बाल विवाह विरोध अभियान नामक बाल विवाह विरोध राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया, जिसके अंतर्गत राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को विशेष तौर पर केन्द्र पर रखा गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन राज्यों में स्थित उन ग्रामीण क्षेत्रों में, जिन्हें बाल विवाह के लिए जाना जाता है, जागरूकता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय समाचारपत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित कराया *(रा.म. आयोग वार्षिक रिपोर्ट, 05–06 अध्याय 10)*।

वर्तमान में इस संबंध में एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारत में लड़कियों के महत्त्व को बढ़ाया जाएगा और इस प्रकार उनके विवाह की उम्र अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाई जाएगी। राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा की राज्य सरकारों ने कम आय के परिवारों के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया है। हरियाणा में,

उदाहरण के तौर पर लड़की के जन्म पर उसके नाम से बचत खाते में धन (2500/– रुपये या 78 अमरीकी डालर) रख दिया जाता है। यदि 18 वर्ष की आयु पर भी उसका विवाह नहीं हुआ रहता तो वह अपनी संचित राशि 25000/– रुपये प्राप्त करने की पात्र होती है। लड़की को जीवित रखने और उसके विवाह की उम्र को आगे बढ़ाने के लिए चलाई गई इस आर्थिक प्रोत्साहन योजना के साथ–साथ उसकी शिक्षा में भी सहयोग किया जाता है। यह योजना माता–पिता को अपनी पुत्रियों के विवाह को उनके 18 वर्ष के होने तक टाले रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु चलाई गई है *(अर्ली मैरिज चाइल्ड स्पाउसेस 2001, यूनिसेफ)*।

2
भारत में बाल विवाह की स्थिति

2.1 साहित्य की समीक्षा

भारत में बाल विवाह की समस्या जटिल है क्योंकि यह परम्पराओं और धार्मिक रीति–रिवाज़ों और साथ ही दूसरी सामाजिक समस्याओं, जैसे दहेज प्रथा और बाल विधवापन से जुड़ी हुई है। तथापि इस प्रथा के उद्‌भव के संबंध में पूरी जानकारी नहीं है। बाल विवाह के संबंध में अनेक अध्ययन किए जा चुके हैं। अधिकांश अध्ययन जनसांख्यिकीय प्रकृति के हैं, जिनमें विवाह के समय की उम्र के माध्य को बाल विवाह की प्रतिनिधि आयु मानकर उसके आधार पर कतिपय समुदायों या परिवारों के आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन और उनके कतिपय सामाजिक और राजनैतिक सांस्कतिक विशिष्टताओं से जुड़े पहलुओं की समीक्षा की गई है। इन अध्ययनों में सामान्य सम्बद्ध पहलुओं पर ही बाल विवाह के बुनियादी कारकों की खोज के लिए चर्चा की गई है। इसके परिणामस्वरूप हमारे पास उन स्थितियों की पर्याप्त जानकारी नहीं है, जिनके कारण बाल विवाह की परम्परा डाली गई।

सारस्वत (2006) के अनुसार, 'बाल विवाह का प्रचलन सामन्ती समाजों में था, जिनमें नागनिक की अवधारणा प्रचलित थी। माता–पिता को यह विश्वास दिलाया जाता था कि यदि उन्होंने यौवन की अवस्था से पहले अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं किया तो नरक में जाना पड़ेगा। भारतीय परम्परा में विवाह से पहले कौमार्य को उच्च सम्मान दिया जाता है। यह बात महिलाओं के संबंध में और कुछ हद तक पुरुषों के संबंध में लागू है। विवाह–पूर्व कौमार्य को महत्त्व देने वाली संस्कृति में नन्ही लड़कियों की उनकी बाल्यावस्था में ही विवाह कर देना सर्वोत्तम उपाय माना गया है।' हालांकि अतीत में बाल विवाह का प्रचलन सभी समुदायों में रहा होगा किन्तु आधुनिकता के साथ–साथ शासक वर्ग ने धीरे–धीरे यह प्रथा छोड़ दी।

कम उम्र में विवाह अर्थात् 18 वर्ष की उम्र से पहले का विवाह चिंता का विषय है क्योंकि इससे लड़कियों के मानवीय अधिकार का हनन होता है, उनका बचपन अवरुद्ध होता है और प्रायः इस प्रथा के परिणामस्वरूप वे अपने जीवनसाथी के चुनाव के बारे में और अपने विवाह के समय के संबंध में अपना विचार प्रकट नहीं कर पाती हैं। बाल विवाह 'बालकों के अधिकारों संबंधी अभिसमय (सीआरसी, 1989)' का भी उल्लंघन है।

कम उम्र में विवाह से अनेक तरह की सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि मौजूदा आंकड़ों में इस संबंध में निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि क्या कम उम्र में विवाह अकेले ही इन प्रतिकूल परिणामों का कारण होता है, यह संभव है कि कम उम्र में विवाह, निर्धनता, कम शिक्षा और विभिन्न सामाजिक ढांचों से जुड़ी अन्य बातों के बीच संबंध स्थापित करने से यह देखा गया है कि विवाहित लड़कियों के साथ असुरक्षित यौन संबंध की संभावनाएं रहती हैं। मिलर और लेस्टर, 2003 के अनुसार, 'विवाह के परिणामस्वरूप नाटकीय ढंग से बच्चे उत्पन्न करने की संभावना और साथ ही उसके लिए सामाजिक दबाव बढ़ता है। 16 वर्ष से कम उम्र की पहली बार मां बनने वाली लड़की को बच्चे के जन्म से जुड़े सामान्य खतरों और जिम्मेदारियों के साथ–साथ जच्चा और बच्चा की मृत्यु के बढ़े हुए खतरे का सामना भी करना पड़ता है'।

इसके अतिरिक्त, अविवाहित लड़कियों की तुलना में विवाहित लड़की का शैक्षिक स्तर खासतौर पर कम होता है, उनका अपने हमजोलियों के साथ मित्रता का दायरा सीमित या यहां तक कि शून्य होता है, उनके बाहर आने–जाने पर प्रतिबंध होता है और उनके लिए टी.वी. , रेडियो और समाचारपत्रों जैसे मास मीडिया की सुविधाएं कम होती हैं (हेबरलैण्ड और ब्रेकन, 2004)।

जिन लड़कियों को शिक्षा के अवसर नहीं मिलते, उनका विवाह कम उम्र में होने की संभावना अधिक होती है। इसके उलटे जिन लड़कियों का बचपन में जबरन विवाह कर दिया जाता है, उनके लिए शिक्षा के अवसर छिन जाने की संभावना होती है।

शोधकर्ताओं की यह अवधारणा है कि विवाह के लिए उम्र को बढ़ाए जाने और इसके परिणामस्वरूप विवाहित महिलाओं के अनुपात में कमी आने के परिणामस्वरूप, विवाह के ढांचे में आए परिवर्तन से कई विकसित समाजों के जनसांख्यिकीय ढांचे में परिवर्तन देखने को मिला है। जनसांख्यिकीय ढांचे के परिवर्तन की शुरुआती अवस्था में कम उम्र में विवाह और सामूहिक विवाह का स्वरूप धीरे–धीरे बदला और लोग अधिक उम्र में विवाह करने लगे जिससे महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ा (कोले, 1974)।

भारत में कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि लड़कियों का विवाह थोड़ा ही अधिक उम्र में किया जाने लगा है। इसके बावजूद अभी भी विवाह की उम्र कानूनी तौर पर विवाह के लिए निर्धारित उम्र से काफी कम है (करकाल और राजन, 1989)।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के राष्ट्रीय और राज्य विशिष्ट अध्ययन (1993 और 1999) में भी संकेत है कि विवाह के समय की उम्र में परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा जातियों और कृषि कर्म करने वाली जातियों जैसे जाट, अहीर, गूजर और जनवा में कम उम्र विवाह का प्रचलन आज भी है। महिलाओं पर शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीआरडब्ल्यू) की सहायता से स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, पचोड़ (आईएचएमपी) द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चलता है कि जिन लड़कियों को शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाते, उनके कम उम्र में विवाह की संभावना अधिक होती है, तथापि यह भी देखा गया कि जीवन कौशल की जानकारी दिए जाने के फलस्वरूप कम उम्र में विवाह की प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हुआ। केवल इनमें से 9% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले हुआ जबकि नियंत्रण क्षेत्र में 33% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले हुआ (आईसीआरडब्ल्यू, 2006)।

कुछ समुदायों में बाल विवाह को धार्मिक रीतियों से जोड़ा गया है, वहां वास्तव में यह एक तरह की बाल वेश्यावृत्ति है। भारत में कम उम्र की उन लड़कियों को *देवदासी* कहा गया है जिनको हिन्दू देवताओं या देवालयों को समर्पित किया जाता है या उनके साथ विवाह किया जाता है और यह आशा की जाती है कि ईश्वर उनके परिवार को आशीर्वाद देगा और उनके भविष्य में खुशियां लाएगा। देवदासियों से आशा की जाती है कि वे मंदिर के पुजारियों और ऊंची जाति के लोगों को यौन सेवाएं देंगी। हालांकि वास्तव में देवदासी प्रथा को बाल विवाह के उस रूप में नहीं देखा जा सकता है, जिस रूप में आमतौर पर इसे देखा जाता है, यह प्रथा बाल विवाह को धार्मिक स्वीकृति नहीं देती।

बाल विवाह का वास्तव में प्रत्येक सामाजिक समस्या में योगदान है, जो भारत को महिलाओं के अधिकारों के मामले में पीछे रखी हुई हैं। इन समस्याओं में अत्यधिक जन्म दर, अत्यधिक निर्धनता और कुपोषण, उच्च निरक्षरता और शिशु मृत्यु दर, खासकर ग्रामीण महिलाओं के जीवन की कम संभाव्यता शामिल हैं।

बाल विवाह की प्रथा के जारी रहने से राष्ट्र के सामने अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। 'दशकों से किए गए अनुसंधानों के अनुसार बाल विवाह वास्तव में प्रत्येक सामाजिक समस्या में योगदान करता है जिससे भारत महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में पिछड़ रहा है। इन समस्याओं में अत्यधिक जन्म दर, अत्यधिक निर्धनता और कुपोषण, उच्च निरक्षरता और शिशु मृत्यु दर और कम जीवन संभाव्यता शामिल हैं। यह समस्या खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए है (बर्न्स, 1998)। बाल–कल्याण कार्यकर्ता और कठोर कानून बनाए जाने और उनका दृढ़ता से प्रवर्तन किए जाने की मांग कर रहे हैं। किन्तु यह कार्य भारत जैसे राष्ट्र के लिए दुष्कर है क्योंकि यहां अधिकांश आबादी ग्रामीण अथवा निर्धन है और यहां के सामाजिक मूल्यों का ढांचा अपर्याप्त संसाधनों पर आधारित है, महिलाओं के पास अवसरों की कमी है, यहां के समाज की परम्पराएं अन्य विश्वस्तरीय शहरी केन्द्रों की तुलना में धीमी गति से परिवर्तित हो पाती हैं। सरकार की ओर से इस प्रथा को रोकने की दिशा में हस्तक्षेप में हिचक दिखाने का कारण यह है कि वह यह समझती है कि उसे विभिन्न समुदायों, जिनमें खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय हैं, के वैयक्तिक कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 'सरकार की सदैव से यह नीति

रही है कि विभिन्न समुदायों द्वारा स्वयं अपनी ओर से ही पहल किए जाने पर उनके वैयक्तिक कानून में हस्तक्षेप किया जाए अन्यथा नहीं।' सरकार की ओर से यह वक्तव्य दिया गया है, 'सरकार की यह राय है कि केवल समाज के इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के माध्यम से इस प्रथा को समाप्त किया जा सकता है *(टाइम्स ऑफ इंडिया, अगस्त, 2006)*।

अध्ययन बताते हैं कि कम उम्र में विवाह से महिलाएं पुरुषों के नियंत्रण में रह जाती हैं, उनके पास गर्भ नियंत्रण, शिक्षा और स्वास्थ्य का विकल्प नहीं रह जाता और अंततः उन्हें घरेलू और आर्थिक परवशता से जीवन जीना पड़ता है। अनेक ऐसी जातियां हैं, जिनके बच्चे कम उम्र में ही रोटी कमाने के लिए विवश कर दिए जाते हैं। एक सीमा तक बाल श्रम का प्रचलन जिससे परिवार को आर्थिक मदद मिलती है, बाल विवाह के लिए एक सहायक कारक है।

'बाल विवाह से असंख्य सामाजिक बुराइयां जुड़ी हैं। नन्हें लड़के–लड़कियों की सगाई की जाती है, जिनमें कुछ तो सोते रहते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं, जिन्हें सगाई के बारे में पता तक नहीं होता। दो परिवारों के बीच यह भी समझौता हो जाता है कि यदि गर्भस्थ शिशु अलग–अलग लिंग के हुए तो आगे चलकर उनका विवाह कर दिया जाएगा। तेरह से उन्नीस वर्ष के लड़के–लड़कियां, जो विवाह–सूत्र में बंधे होते हैं, कुछ ही वर्षों में आपसी संबंधों में परपक्वता महसूस करने लगते हैं जबकि ठीक उम्र में विवाह करने वाले लड़के–लड़कियां आपसी संबंधों में प्रायः दस–पन्द्रह वर्षों के बाद परिपक्व होते हैं (श्रीवास्तव, 1983)। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में बाल विवाह पर किए गए कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ आर्थिक और सामाजिक विवशताएं इस प्रथा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। एक ओर 'सुधारक उपायों में निर्धनता उन्मूलन कार्यकलापों और उनके साथ ही कम उम्र में बच्चों के विवाह के कुछ दुष्प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु समुचित शैक्षिक रणनीतियों को सुनिश्चित किया जाना होगा' (दिघे, 2004), वहीं दूसरी ओर, बाल विवाह के बड़े तात्कालिक कारकों जैसे धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक दबावों, आर्थिक कारकों और बच्चियों को बाहरी प्रभावों से बचाने की जरूरत को जोरदार तरीके से हल करना होगा।

2.1.1 बाल विवाहः एक विधिक संदर्श

भारत में कम उम्र में होने वाले विवाहों की संख्या घटाने के लिए पिछली सदी के दौरान किए गए महत्त्वपूर्ण विधायी उपायों को रेखांकित करना जरूरी है। यह अवधारणा रखना पूरी तरह से सही नहीं है कि कम उम्र में विवाह और कम उम्र में गर्भधारण को स्वाधीनता से पहले पूरा सामाजिक समर्थन मिलता था। इस काल के दौरान बनाए गए विभिन्न सामाजिक विधानों से यह पता चलता है कि नीतियों में परिवर्तन की पहल पहले भी की जाती रही है। सर्वाधिक सराहनीय विधायी उपाय, जिसे लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप माना गया था, 1929 में पारित बाल विवाह निरोधक अधिनियम था, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना था।

- विशेष विवाह अधिनियम, 1954, जो भारतीय नागरिकों, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, पर लागू होता है, के अंतर्गत प्रत्येक विवाह का पंजीकरण विवाह अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें खासतौर पर इसी प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है।
- भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के अनुसार विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। विवाह कार्यक्रम के बाद ही चर्च में रखे विवाह रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है और उस पर दूल्हा, दुल्हन, पादरी और गवाहों से हस्ताक्षर लिए जाते हैं।
- पारसी विवाह और विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1936 द्वारा विवाह का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है।
- मुस्लिम कानून में विवाह को एक सिविल संविदा माना जाता है और काजी निकाहनामा में विवाह की शर्तें लेखबद्ध करके विवाहित जोड़ों को सौंप देता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 8 के अंतर्गत विवाह के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। तथापि, विवाह–सूत्र में बंधने वाले पक्षकारों को यह विकल्प दिया गया है कि वे या तो उप–रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के सामने विवाह कर सकते हैं या हिन्दू रीति–रिवाज़ के अनुसार विवाह करने के बाद उसका पंजीकरण करवा सकते हैं।

तथापि, अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि रजिस्टर में विवाह का इन्द्राज नहीं कराया जाता है तो इससे विवाह की वैधता किसी तरह से भी प्रभावित नहीं होगी। अतएव, केवल हिन्दू वैयक्तिक कानून के अनुसार विवाह का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।

वर्ष 2001 में 15 से 19 वर्ष के आयु–वर्ग की चार में से एक लड़की का विवाह पहले ही हो चुका था।

स्रोतः आरजीआई, 2001

वास्तव में, 2001 में ही 15 से 19 वर्ष के आयु–वर्ग की चार में से एक लड़की पहले से विवाहित थी (आरजीआई, 2001)।

2.1.2 बाल विवाह : आंकड़ों की दृष्टि से

आंकड़ों से यह भी संकेत मिलता कि 11.8% लड़कियां 13 वर्ष की आयु तक विवाहित होती हैं, 26.1% लड़कियां 15 वर्ष तक, 54.2% लड़कियां 18 वर्ष तक और 71.4% लड़कियां 20 वर्ष की उम्र तक विवाहित होती हैं। जबकि 20 से 24 वर्ष के आयु–वर्ग की 54.2% लड़कियां 18 वर्ष की उम्र से पहले विवाह–सूत्र में बंध जाती हैं, यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों (63%) की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 33% की तुलना में काफी अधिक है।

स्रोतः रा.प.स्वा.स. अध्ययन

वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ओर से विभिन्न राज्यों में बाल विवाह के प्रचलन की स्थिति पर सांख्यिकीय आंकड़े प्रकाशित किए गए (प्रस्तावना खण्ड में चित्र 1.1 से 1.3)। जब रा.प. स्वा.स. द्वारा 1992–93 में अपना पहला अध्ययन आयोजित किया गया था, तब से मामूली परिवर्तन हुए हैं। 1992–93 और 1998–99 में रा.प.स्वा.स. द्वारा किए गए अपने पूर्ववर्ती अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 15 से 19 वर्ष की आयु–वर्ग की लड़कियों के विवाह की स्थिति क्या थी। महिलाओं की विवाह के समय माध्य आयु (एसएमएएम) 1961 में 15.9 वर्ष से 3.4 वर्ष बढ़कर 1991 में 19.3 वर्ष हो गई। किन्तु इस पर भी इस आयु–वर्ग की औसतन 38.4% लड़कियां विवाहित होती हैं। यह प्रतिशत ग्रामीण आबादी में महत्त्वपूर्ण ढंग से बढ़ा हुआ है, जहां इस आयु–वर्ग की 44.7% लड़कियां विवाहित थीं, जो कि अपने शहरी समतुल्यों की तुलना में, जहां यह 21.3% थी, दोगुने से अधिक दर पर था। आंकड़े यह भी संकेत देते हैं कि 11.8% लड़कियां 13 वर्ष की आयु तक विवाहित होती हैं, 26.1% लड़कियां 15 वर्ष तक, 54.2% लड़कियां 18 वर्ष तक और 71.4% लड़कियां 20 वर्ष की उम्र तक विवाहित होती हैं। विवाह की माध्य उम्र के अनुसार, 20 से 24 वर्ष की लड़कियों का विवाह 17.4 वर्ष में होता है। इससे भी अधिक परेशान करने वाला तथ्य यह है कि 15 से 19 वर्ष के माध्य आयु–वर्ग में प्रायः 7% और 17% लड़कियों का विवाह क्रमशः 13 वर्ष और 15 वर्ष की उम्र के पहले होता है। वर्तमान में 20 से 24 वर्ष के आयु–वर्ग में 54.2% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले होता है, यह प्रतिशत शहरी क्षेत्रों (33%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (63%) में काफी अधिक है।

1998–99 में किए गए द्वितीय रा.प.स्वा.स. (रा.प.स्वा.स.–2) से विवाह के समय आयु में और वृद्धि की पृष्टि होती है। महिलाओं के लिए एसएमएएम 1991 में 19.3 वर्ष से बढ़कर 1998–99 में 19.7 वर्ष हो गया। किन्तु फिर भी 15 से 19 वर्ष के आयु–वर्ग में 34 प्रतिशत महिलाएं पहले से विवाहित थीं जबकि रा.प.स्वा.स.–1 के अनुसार यह अनुपात 38.4% था। यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक था। प्रथम विवाह की माध्य उम्र में विगत छह वर्षों में बढ़ोत्तरी हुई और यह 20 से 24 वर्ष के आयु–वर्ग में 17.4 वर्ष से बढ़कर 18 वर्ष हो गई। बहुत ही कम उम्र में विवाह का प्रचलन घट रहा है। रा.प.स्वा.स.–2 के अनुसार 4.7% (19% की तुलना में) महिलाएं 15 से 19 वर्ष के आयु–वर्ग में 13 और 15 वर्ष की उम्र से पहले विवाहित हुईं। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि मौजूदा 20 से 24 वर्ष की 50% महिलाएं 18 वर्ष की उम्र से पहले विवाहित हुईं जबकि रा.प.स्वा.स.–1 में यह अनुपात 54.2% था। अतएव, इस अनुपात में विगत छह वर्षों में 4% की गिरावट आई। तथापि, शहरी–ग्रामीण के बीच का अंतर

उसी तरह कायम रहा, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कम उम्र में विवाह का अनुपात 58.6% रहा, वहीं शहरी क्षेत्रों में 27.9% रहा।

आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मौजूदा 20 से 24 वर्ष के आयु–वर्ग की 23.5% और 8.9% महिलाएं क्रमशः 15 और 13 वर्ष की उम्र से पहले विवाहित हुईं। अतएव, मौजूदा संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि कम वय महिलाओं की तुलना में अधिक वय महिलाओं के कम उम्र में विवाहित हो जाने की संभावना अधिक है। हालांकि इससे यह संकेत मिलता है कि 20 से 24 वर्ष के आयु–वर्ग में 18 वर्ष की कानूनी न्यूनतम आयु से पहले विवाहित होने वाली महिलाओं का अनुपात घटकर आधा हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 40 वर्ष के आयु–वर्ग की महिलाओं के प्रथम विवाह की माध्य उम्र केवल 16 वर्ष है जोकि कानूनी तौर पर न्यूनतम आयु से बहुत कम है।

2005–06 में किए गए तीसरे रा.प.स्वा.स. के अनुसार 15 से 19 वर्ष के आयु–वर्ग की 27% महिलाएं मौजूदा स्थिति में विवाहित हैं (शहरी महिलाओं का अनुपात 15% है जबकि ग्रामीण महिलाओं का 33 है)। इस आयु–वर्ग में बहुत ही कम पुरुष विवाहित हैं (शहरी पुरुषों का केवल 1% और ग्रामीण पुरुषों का 4%)। नेशनल सेण्टर फॉर एडवोकेसी स्टडीज़, 2005 के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र में विवाहित माताओं की संख्या 2001 में भारत में घबराहट पैदा करने वाली 2.96 लाख थी।

एक और महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि बाल विवाह का प्रदर्शन भारत के सभी राज्यों में एक जैसा नहीं है। मध्य प्रदेश में 15 वर्ष की उम्र से पहले विवाहित हुई मौजूदा 25 से 29 वर्ष की लगभग आधी महिलाएं (52.6%) बिहार (51.0%), उत्तर प्रदेश (49.7%), आंध्र प्रदेश (48.9%) और राजस्थान (47.8%) में हैं। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों में लगभग पांच में से चार महिलाएं कानूनी तौर पर न्यूनतम आयु पर पहुंचने से पहले विवाहित हो चुकी थीं (मध्य प्रदेश में 79.8% और राजस्थान में 81.5% (रा.प.स्वा.स.–2)।

आईआईपीएस और ओआरसी मैक्रो (2000; 2001; 2001क) के अनुसार उत्तर प्रदेश में 15 से 19 वर्ष की 39.9% महिलाएं विवाहित थीं, जिनमें 8% लड़कियां 13 की उम्र तक और 19.8% लड़कियां 15 की उम्र तक विवाहित हो चुकी थीं। जबकि 20 से 24 वर्ष की 87% विवाहित महिलाओं में 16.8% का विवाह 13 वर्ष तक और 62.4% का विवाह 18 वर्ष की उम्र तक हुआ था। 25 से 29 वर्ष के आयु–वर्ग में 97.7% का विवाह हो चुका है। इनमें 20.8% का विवाह 13 की उम्र तक, 42.6% का 15 की उम्र तक और 73.7% का विवाह 18 वर्ष की उम्र तक हुआ था।

सारणी 2.1

आयु के अनुसार किशोरावस्था में विवाहित हुई महिलाओं का अनुपात, रा.प.स्वा.स.–2 (1998–99)

	15-19 वर्ष	20-24 वर्ष	25-29 वर्ष
भारत			
विवाहित महिलाओं का अनुपात	**33.6**	**78.8**	**94.5**
13 की उम्र तक विवाहित हुई का प्रतिशत	**4.7**	**8.9**	**12.1**
15 की उम्र तक विवाहित हुई का प्रतिशत	**14.3**	**23.5**	**29.2**
18 की उम्र तक विवाहित हुई का प्रतिशत	-	**50.0**	**58.9**
20 की उम्र तक विवाहित हुई का प्रतिशत	-	**67.1**	**74.9**
उत्तर प्रदेश			
विवाहित महिलाओं का अनुपात	**39.9**	**87.0**	**97.7**
13 की उम्र तक विवाहित हुई का प्रतिशत	**8.0**	**16.8**	**20.8**
15 की उम्र तक विवाहित हुई का प्रतिशत	**19.8**	**36.0**	**42.6**
18 की उम्र तक विवाहित हुई का प्रतिशत	-	**62.4**	**73.7**
20 की उम्र तक विवाहित हुई का प्रतिशत	-	**76.5**	**86.7**

स्रोतः भारतः आईआईपीएस और ओआरसी मैक्रो, 2000. 2001, 2001क

2.1.3 बाल विवाह के निर्धारक

- **सामाजिक परम्पराएं:** बाल विवाह के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के मैरले अबेले के अध्ययन में इस प्रथा के विकास की जड़ें तलाशने के लिए प्राचीन ग्रन्थों को परखा गया है, क्योंकि इस प्रथा से महिलाओं को अत्यधिक नुकसान हुआ है। बाल विवाह प्रथा के लिए धार्मिक कारकों को ही संभवतः इस प्रथा को बनाए रखने का आधार माना गया है। अबेले ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में इस प्रथा के बने रहने के तथ्य दिए हैं (नागी, 1993)।

सामाजिक मान्यताओं के अनुसार रहने का दबाव भी कम उम्र के विवाह का एक बड़ा कारण रहा है। जबकि माता–पिता स्पष्ट रूप से इन मान्यताओं को ध्यान में रखते थे, पड़ोसी और समुदाय के अन्य व्यक्ति भी माता–पिता पर सदैव दबाव डालते रहते थे कि वे अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दें।

अध्ययन क्षेत्र में, सामाजिक मान्यताओं के अनुसार रहने का दबाव भी कम उम्र में विवाह का एक बड़ा कारण रहा है। जबकि माता–पिता स्पष्ट रूप से इन मान्यताओं को ध्यान में रखते थे, पड़ोसी और समुदाय के अन्य व्यक्ति भी माता–पिता पर सदैव यह दबाव डालते रहते थे कि वे अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दें। इनमें कुछ दबाव इस प्रकार के होते थे, जैसे माता–पिता से बार–बार यह पूछना कि वे अपनी बेटियों का विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं, अविवाहित लड़कियों या उनके माता–पिता के बारे में भद्दी–भद्दी टिप्पणियां करना अथवा विवाह के लिए बिना बुलाए प्रस्ताव लेकर पहुंच जाना।

- **दहेज और आर्थिक निर्धारकः** धार्मिक मान्यताओं के अतिरिक्त ऊंची जातियों में बाल विवाह के प्रचलन का एक और कारण दहेज है। परम्परा के अनुसार दहेज की प्रथा निचली जातियों में प्रचलित नहीं थी, क्योंकि उनमें अधिकांश तो दुल्हन की कीमत मांगने की उलटी प्रथा को मानते थे। ब्राह्मणों में भी प्रायः यह प्रथा स्वयं ही ऊंची और नीची दोनों ही जातियों में प्रचलित हो चुकी है। यहां तक जो हिन्दू नहीं हैं, वे भी इसके गंदे प्रभाव से नहीं बच पाए। 'यह देखा गया है कि संभावित दुल्हन की उम्र और शिक्षा का स्तर जैसे–जैसे बढ़ता है, वैसे–वैसे दहेज का आकार भी बढ़ता है। ऊंची जाति के कुछ माता–पिता अपनी बेटियों को अशिक्षित रखकर कम उम्र में ही उनका विवाह करवाना अधिक अच्छा मानते हैं ताकि भारी दहेज की मांग से बचा जा सके (नागी, 1993)।

बाद की उम्र में विवाह के भारी खर्च से बचने के लिए माता–पिता अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही करना पसंद करते हैं। अतएव, दहेज प्रथा से बाल विवाह को शह मिलती है।

जिन गरीब माता–पिता के यहां एक से अधिक बेटियां होती हैं, वे प्रायः विवाह के खर्च को कम करने के लिए एक ही मण्डप में अपनी सभी बेटियों का विवाह एक साथ ही कर देते हैं। बाद की उम्र में विवाह के भारी खर्च से बचने के लिए माता–पिता अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही करना पसंद करते हैं। अतएव, दहेज प्रथा से बाल विवाह को शह मिलती है।

- **जनसांख्यिकी निर्धारकः** बाल विवाह पर किए गए अधिकांश अध्ययन जनसांख्यिकीय प्रकृति के हैं, जिनमें विवाह की माध्य उम्र को ध्यान में रखकर उससे जुड़े कारकों को खंगाला गया है, ऐसे कारकों में कतिपय समुदायों या परिवारों का आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन और उनकी कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टताएं शामिल हैं। यहां तक कि इन कारकों के होने के बावजूद बाल विवाह का प्रचलन कतिपय परिवारों या समुदायों में देखने को नहीं मिला। स्थान–विशेष और व्यक्ति–विशेष के आधार पर बाल विवाह की व्यापकता में अंतर देखा गया क्योंकि पूरे भारत में जनसांख्यिकी की दृष्टि से विभिन्नता है।

- **पितृसत्तात्मक व्यवस्थाः** यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था का बाल विवाह की प्रथा के प्रचलन में किस सीमा तक योगदान है। 'पितृसत्ता की भारतीय समाज पर मजबूत पकड़ रही है। यह लिंग, आयु और जाति के आधार पर सभी स्तरों पर कार्य कर रही है और प्रत्येक संभावित तरीके से महिलाओं का दर्जा घटाने में योगदान कर रही है। लिंग के आधार पर स्तरीकरण और विभेदीकरण भारत में प्रचलित पितृसत्ता के अहम पहलू हैं' (कोइंग और फू, 1992)।

  श्रम का लिंग के आधार पर उत्पादक प्रजनन कार्यकलापों के अनुरूप किए गए विभाजन में लिंग आधारित विभेद को देखा जा सकता है। पितृसत्ता का सामूहिक प्रभाव देखरेख, सुरक्षा और कल्याण के नाम पर महिलाओं में मातहती होने के भाव को और भी बल देता है और उन्हें पूरे जीवन पुरुषों पर आश्रित रहने के लिए विवश करता है। इस प्रकार महिलाओं का बाल विवाह, पतियों का तुलनात्मक बड़ापन और विवाह के बाद पितृसत्ता वाले समाज में रहने को विवश होना पितृसत्तात्मक व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण गुण हैं।

- **बाल विवाह के विकल्पों का अभावः** प्रायः यही समझा जाता रहा है कि बाल विवाह ही एक विकल्प है। जैसा कि यादव (2006) ने कहा है, 'यदि नन्हीं लड़कियों का विवाह नहीं कर दिया जाता तो उनके लिए वैकल्पिक अवसरों की व्यवस्था करनी होगी। सच यह है कि उनके लिए कोई सृजनात्मक अवसर नहीं है।'

  बचपन से ही लड़कियों को समाज में यह समझाया जाता है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल विवाह है, इसलिए उनकी भलाई इसी में है कि वे परिवार के लोगों के सामने झुककर रहें।

  प्रायः लड़कियों को विवाह के लिए ही स्कूल से निकाल लिया जाता है। उन्हें शिक्षा के अवसरों से वंचित रखा जाता है जिससे उन्हें अपने व्यक्तित्व, स्वायत्तता और रोज़गार कौशलों को विकसित करने में मदद मिल सकती है। लिंग के आधार पर किए गए काम के बंटवारे में महिलाओं के लिए घरेलू कामकाज रखा गया है जिसके कारण ही स्कूली शिक्षा को कम प्राथमिकता मिलती है। यदि विवाह के अलावा कुछ विकल्प है, तो भी वे किशोरावस्था की लड़कियों के लिए नहीं रखे गए हैं। बचपन से ही लड़कियों को समाज में यह समझाया जाता है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल विवाह है, इसलिए उनकी भलाई इसी में है कि वे परिवार के लोगों के साथ झुककर रहें।

- **कानून की जानकारी न होनाः** बाल विवाह का एक बड़ा कारण यह भी है कि बहुतेरे लोगों को कानून के प्रावधानों के बारे में जानकारी भी नहीं है। 1992–93 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्ष बताते हैं कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में व्यापक तौर पर महिलाओं को जानकारी नहीं है, इनमें खासतौर पर वे महिलाएं हैं जो भारतीय समाज के सुविधावंचित वर्गों की हैं। इस कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। ग्रामीणों में और खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं के बीच निरक्षरता और कानून के प्रति अनभिज्ञता बड़े पैमाने पर फैली हुई है। यदि लोगों के पास कानून की जानकारी ही नहीं होगी तो उनसे उसका पालन करवाने की आशा कैसे की जा सकेगी।

  भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में व्यापक तौर पर महिलाओं को जानकारी नहीं है, इनमें खासतौर पर वे महिलाएं हैं जो भारतीय समाज के सुविधावंचित वर्गों की हैं।

- **राजनैतिक प्रतिबद्धता की कमीः** बाल विवाह के संबंध में बनाए गए भारतीय कानूनों और अधिनियमों में संशोधन करने, उनका प्रवर्तन करने या लोगों में उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मजबूत राजनैतिक इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। राजनैतिक कार्यों में

  अभी तक न ही कानून के बेहतर क्रियान्वयन और न ही महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अभी तक गंभीर प्रयास किए गए हैं। सरकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय की माग पर महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी नीतियों में बार–बार परिवर्तन करती रही है। किन्तु इन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए बजट में जो भी प्रावधान किए जाते हैं, वे ही इन प्रयासों के लिए बाधक हैं।

महिलाओं के हितों को कम तरज़ीह दी जाती है जिससे उनकी स्थिति में आगे सुधार अवरुद्ध होता है। पिछले दो दशकों में सभी राजनैतिक दलों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है। तथापि, न ही कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए और न ही उनकी स्थिति में सुधार के लिए किसी तरह के गंभीर प्रयास किए गए हैं। सरकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय की माग पर महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी नीतियों में बार–बार परिवर्तन करती रही है। किन्तु इन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए बजट में जो भी प्रावधान किए जाते हैं, वे ही इन प्रयासों के लिए बाधक हैं।

- **विविध कारणः** बाल विवाह के लिए जिम्मेदार समझे जाने वाले अन्य कारकों में, जैसे कि यादव (2006) ने कहा है, 'भारतीय समाज के बड़े–बूढ़ों का माता–पिता पर अत्यधिक दबाव का होना है, जो उन्हें अपनी नन्हीं बेटियों का विवाह करने के लिए विवश करते हैं। यह भी भय होता है कि यदि विवाह को आगे के लिए टाला जाता रहा तो हो सकता है कि उचित वर न मिल पाए।'

2.1.4 बाल विवाह के दुष्परिणाम

बाल विवाह की प्रथा के प्रचलित होने के अनेक कारण हैं, तो यह भी स्पष्ट है कि उसके दुष्परिणाम भी अनेक और विविध हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार 'बाल विवाह के अनेक दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं, जिन्हें किशोरावस्था की लड़कियों के स्वास्थ्य और उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। कम उम्र में यौन क्रियाओं की शुरुआत करने और विवाह के बाद यथाशीघ्र मां बनने की क्षमता को दर्शाने के दबाव से उच्च मृत्यु दर का परिणाम देखने को मिलता है' (वि.स्वा.सं., 1999)।

वास्तव में, बाल विवाह के विविध दुष्परिणाम हैं। यह बच्चे की वैयक्तिक स्वतंत्रता और शारीरिक विकास के अधिकार और खासतौर पर उन्हें अपने विवाह की उम्र का निर्णय लेने के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। बाल विवाह के कारण बच्चों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक स्थिति पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है। अनेक अध्ययनों से यही निष्कर्ष निकाला गया है कि किशोरावस्था में व्यक्ति चाहे वह पहले से शादीशुदा हो अथवा नहीं, यौन संबंधी कार्य, कार्यकलापों और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े मसलों के बारे में बहुत कम ही जानकारी रखता है।

- **शिक्षा का स्तरः** शैक्षिक योग्यता के स्तर का भी बाल विवाह से संबंध है। रा.प.स्वा.स.–2 के निष्कर्ष बताते हैं कि 15 से 19 वर्ष के आयु–वर्ग की अधिकांश शादीशुदा महिलाएं निरक्षर हैं, उनका अनुपात 59 प्रतिशत है। विवाह के समय की उम्र जितनी कम होती है, निरक्षरता का स्तर उतना ही अधिक है, 45–49 वर्ष के आयु–वर्ग की महिलाओं के माले में यह 65% है, जो कि 20 से 24 वर्ष में 42% है किन्तु 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में यह बढ़कर 59% हो गई है (क्योंकि निरक्षर महिलाओं के कम उम्र में विवाहित हो जाने की संभावना साक्षर महिलाओं की तुलना में अधिक होती है)। हालांकि निरक्षरता के औसत आंकड़ों में गिरावट आ रही है, फिर भी सबसे कम उम्र की 50% से अधिक महिलाएं जो पहले विवाहित हुई थीं, अब भी निरक्षर हैं।

  हिन्दू और मुस्लिम महिलाओं का लगभग समान अनुपात जोकि क्रमशः 59% और 61% है, निरक्षर हैं किन्तु जैन महिलाओं में शिक्षा का स्तर बहुत कम (केवल 7%) है। इसाई और सिख महिलाओं में भी बहुत अधिक साक्षरता है और उनकी शिक्षा का स्तर भी हिन्दू और मुस्लिम महिलाओं की तुलना में काफी अधिक है।

  पहले विवाहित हो चुकी महिलाओं की साक्षरता दर मिजोरम में सर्वोच्च (90%) है। इसके ठीक बाद की स्थिति केरल (87%) की है और सबसे निचले स्थान पर बिहार (23%), राजस्थान (25%) और उत्तर प्रदेश (30%) के नाम है। उत्तर–पूर्व के राज्यों अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, उत्तरी राज्यों हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई। तथापि बिहार और राजस्थान में पहले से विवाहित महिलाओं में साक्षरता का स्तर बहुत कम बना हुआ है (रा.प.स्वा.स.–2)।

लड़कों और लड़कियों दोनों को स्कूल से निकाले जाने की दर को उपरोक्त से जोड़कर देखने पर बाल विवाह और निरक्षरता/ शिक्षा के निम्न स्तर के बीच के संबंध को समझने में मदद मिलेगी। अध्ययनों और सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकांश लड़कियां जब कक्षा IX या X तक पहुंचती हैं, तब उन्हें स्कूल से निकाल लिया जाता है। उचित और पूर्ण शिक्षा न मिलने से ये लड़कियां किसी तरह का कौशल प्राप्त नहीं कर पातीं जिससे वे अपने लिए स्थायी रोज़गार को सुनिश्चित कर सकें। शिक्षा की कमी का प्रभाव प्रजनन व्यवहार, गर्भनिरोधक उपायों के उपयोग, नवजात शिशु के स्वास्थ्य, उसकी उचित ढंग से देखभाल और स्वच्छता उपायों पर भी पड़ता है।

15 से 19 वर्ष के आयु–वर्ग में पहले से विवाहित हुई लगभग 59% महिलाएं निरक्षर हैं। अधिकांश लड़कियां कक्षा IX या X में पहुंचने के समय स्कूल से निकाल ली जाती हैं।

- **स्वास्थ्य पर प्रभावः** बाल विवाह जैसी पतनोन्मुखी प्रथा के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विगत वर्षों में कई अध्ययन हो चुके हैं, जिनके निष्कर्ष बेहद चौंकाने वाले हैं क्योंकि इसका लड़कियों के प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य पर पूरे जीवन दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसके संबंध में जानकारी का न होना बेहद चिन्ता का विषय है।

यह घटना राजस्थान के टोंक जिले के एक गांव की है। दो साल पहले अखा तीज के दिन एक लड़के का विवाह किया गया, हिन्दू रीति–रिवाज़ के अनुसार अखा तीज को बाल विवाह के लिए शुभ माना जाता है। इसी दिन कई बच्चों का सामूहिक विवाह होता है। इस लड़के के साथ ही इसके भाई का भी विवाह किया गया क्योंकि इसके माता–पिता खर्च बचाना चाहते थे। विवाह के समय यह लड़का इतना छोटा (6 वर्ष का) था कि वह विवाह का मतलब नहीं समझता था, इसलिए उसने इसका विरोध नहीं किया। विवाह का पूरा कार्यक्रम बच्चे के लिए खेल जैसा था। विवाह के बाद दुल्हन अपने माता–पिता के साथ चली गई और उसे अभी तक अपने ससुराल नहीं भेजा गया। अब उसकी उम्र 6 वर्ष की हो चुकी है।

विवाह के कुछ ही दिनों बाद, 6 वर्ष का वह लड़का 16 से 20 वर्ष के बड़े लड़कों के सम्पर्क में आया। वे उसे उसके विवाह को लेकर छेड़ने लगे और उसे यौन–क्रिया के बारे में थोड़ी–बहुत जानकारी देने लगे। लड़का शारीरिक और मानसिक रूप से अपरिपक्व था, इसलिए उसके साथ हुई इस तरह की छेड़छाड़ से उसके मस्तिष्क पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह अपनी पत्नी से, जो उतना ही अपरिपक्व थी, चोरी–छिपे यौन–क्रिया के लिए प्रयास करने लगा।

परिणाम यह रहा कि बच्चे का मानसिक बिखराव हो चुका है और वह अपने विवाह के बाद के दिनों की घटना से इतना घबरा गया है कि अपनी ही दुनिया में रहने लगा है। उसका मन पढ़ाई–लिखाई या दूसरे कार्यकलापों में नहीं लगता और उसका विकास रुक गया है।

स्रोतः अध्ययन क्षेत्र से एकत्र की गई जानकारी

- **स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जानकारी का अभावः** बाल विवाह का किशारोवस्था की लड़कियों के गर्भाधान, स्वास्थ्य और विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में विवाह जच्चा–बच्चा मृत्यु और विकृति की उच्च दर के लिए जिम्मेदार एक महत्त्वपूर्ण कारक है। तथापि, कम उम्र की लड़कियों के शीघ्र ही गर्भधारण करने और बच्चे को जन्म देने के जो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में परिवार के स्तर पर सबको ठीक ढंग से जानकारी नहीं होती (जेजीबाय, 1999)।

  'इसके विपरीत, कम उम्र की दुल्हन पर यह दबाव डाला जाता है कि विवाह के बाद यथाशीघ्र वह अपनी प्रजनन क्षमता को साबित करे और बच्चे, खासतौर पर पुत्र पैदा करे। बहुत कम पढ़ी–लिखी या अशिक्षित कम उम्र की लड़की, जिसे शुरू से ही सबके सामने झुकने और आज्ञाकारी बनने की सीख दी गई होती है, और जिसका विवाह अपने से अधिक उम्र के पुरुष के साथ हुआ है, यौन–क्रियाओं के बारे में ताल–मेल बिठाने की क्षमता भी नहीं रखती' (खान, 1996)।

इसका परिणाम यह होता है कि जब कभी वह स्त्री–रोग से पीड़ित होती है, या जल्दी गर्भधारण और बच्चे के जन्म के कारण उत्पन्न जटिलता के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो यह नहीं माना जाता कि उसकी मृत्यु उसकी कम उम्र के कारण हुई। इसे जीवन का यथार्थ या दैव इच्छा या दुर्भाग्य मान लिया जाता है।

15 से 19 वर्ष की लगभग 8 मिलियन लड़कियां मां बन चुकी हैं और लगभग 2 मिलियन लड़कियां पहले बच्चे के बाद गर्भधारण कर चुकी हैं। इससे भी दुःखद यह है कि लगभग 5 मिलियन लड़कियों ने 16 वर्ष की उम्र में ही गर्भधारण का अनुभव ले लिया है (जेजीभय 1999)।

- **उच्च जननक्षमता दरः** 'उच्च जननक्षमता का कारण कम उम्र का विवाह है। महिला का विवाह जितनी कम उम्र में होगा, उससे उतने ही अधिक बच्चों के जन्म की संभावना रहेगी, जिसका कहर उसके स्वास्थ्य पर भी उतना ही बरपेगा (भट्ट, 2005)।

  अतएव, कम उम्र में गर्भधारण से बड़े परिवारों के साथ रहने की आदत पड़ती है, जिसका मां और उसके बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। मां और बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ ही इस पूरी जनसंख्या पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

  'भारत में कम उम्र में गर्भधारण की समस्या मुख्यतः कम उम्र में विवाहित होने वाली लड़कियों के सामने उत्पन्न होती है। 13 से 16 वर्ष की 36% शादीशुदा लड़कियां और 17 से 19 वर्ष की 64% शादीशुदा लड़कियां मां बन चुकी हैं या अपने पहले बच्चे के बाद गर्भधारण कर चुकी हैं (जेजीभय, 1999)। यह आंकड़ा 13 से 19 वर्ष की सभी लड़कियों के संबंध में 57% है। इसके अतिरिक्त, कम उम्र की लड़कियां देश में कुल बच्चों के जन्म से महत्त्वपूर्ण योगदान करती हैं। देश में 15 से 19 वर्ष की महिलाओं का बच्चों के जन्म में आनुक्रमिक योगदान बढ़ा। यह 1971 में 11%, 1981 में 13% और 1992–93 में 17% रहा। इस तरह 13 से 19 वर्ष की लड़कियों की जननक्षमता का योगदान काफी बड़ा है। '15 से 19 वर्ष की लगभग आठ मिलियन लड़कियां पहले बच्चे के बाद गर्भधारण कर चुकी हैं। इससे भी दुःखद यह है कि लगभग 5 मिलियन लड़कियां 16 वर्ष की उम्र तक गर्भधारण का अनुभव ले चुकी हैं।" (जेजीभय, 1999)।

- **प्रजनन और यौन स्वास्थ्यः** बाल विवाह का नन्ही लड़कियों के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। ये लड़कियां प्रसूति संबंधी जटिलताओं, गर्भधारण से जुड़े अत्यधिक मानसिक तनाव, समय–पूर्व प्रसव, उच्चतर मृत्यु दर, गर्भ खराब होने (गर्भपात या निर्जीव बच्चे के जन्म) जैसे रोगों से ग्रस्त होती हैं, इनमें इन रोगों की उच्च दर देखी गई है। समय–पूर्व प्रसव की घटना के साथ ही नवजात शिशु और शिशु मृत्यु दर भी अधिक होती है और नवजात शिशु का वज़न कम होने की समस्या भी देखी गई है (भट्ट, 2005)।

घटना जयपुर के एक गांव की है। अब 16 वर्ष की हो चुकी एक लड़की का विवाह 6 साल की उम्र में अपने से 5 साल बड़े लड़के से हुआ था। उसका विवाह उसकी बड़ी बहन के साथ–साथ किया गया क्योंकि दो विवाहों के खर्च से बचने के लिए यही करना उचित समझा गया था। जब वह केवल 10 साल की थी, तब उसे अपने ससुराल भेज दिया गया, उस समय उसके पति की उम्र 15 साल थी। इस नाबालिग जोड़े की शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहद कमजोर थी जिससे बार–बार गर्भपात हुआ। आज लड़की 16 साल की है, उसका शरीर जर्जर है और उसके एक बीमार और कमजोर बेटी है।

बाल विवाह के इस मामले में लड़की को ही हर तरह से नुकसान उठाना पड़ा है। उसका शरीर टूटा, बचपन गया और वह अपने कौशल के विकास का अवसर भी नहीं पा सकी जिससे वह आर्थिक स्थिरता हासिल कर पाती। बाल विवाह के कारण ही वह अपने ससुराल में पूरी परवशता की स्थिति में पहुंच चुकी है।

स्रोतः स्थल पर अध्ययन के दौरान एकत्र की गई जानकारी

- **मातृ मृत्यु/विकृति दर (एमएमआर):** 'भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा 19 साल तक की लड़कियों का है, जो कम उम्र में विवाह की प्रथा के कारण संवेदनशील वर्ग की हैं, क्योंकि उनके सामने विकृति और मृत्यु के खतरे की संभावना भी काफी अधिक होती है' (वर्मा, 2004)।

राष्ट्रीय स्तर पर, 19 वर्ष तक की लड़कियों का मातृत्व दर में एक बड़ा अनुपात है। यादव (2006) ने ग्रामीण भारत से किए गए एक अध्ययन का हवाला दिया है जिससे यह पता चलता है कि कुल की 45% मातृत्व मृत्यु 24 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं की होती है और 15% मातृत्व मृत्यु बच्चे के जन्म और गर्भधारण से जुड़ी जटिलताओं के कारण होती है' (यादव, 2006)। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि मातृत्व मृत्यु अधिक उम्र की महिलाओं की तुलना में 19 वर्ष तक की लड़कियों में काफी अधिक होती है। 'उदाहरण के तौर पर, मुम्बई स्थित एक अस्पताल के रिकार्डों के आधार पर किए गए एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि जबकि 20 से 29 वर्ष की महिलाओं में मातृत्व मृत्यु अनुपात प्रति 1,00,000 जीवित बच्चों पर 138 है, 19 वर्ष तक लड़कियों के साथ यह अनुपात बहुत अधिक, अर्थात प्रति 1,00,000 जीवित बच्चों पर 206 है' (पचौरी और जमशेदजी, 1983)। आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए एक समुदाय–आधारित सर्वेक्षण से पता चलता है कि 19 वर्ष तक की माताओं की मृत्यु का अनुपात 25 से 29 वर्ष की माताओं की तुलना में लगभग दोगुना है (जोकि प्रति 1,00,000 जीवित बच्चों पर क्रमशः 1484 और 736 है)।

अध्ययनों से संकेत मिलता है कि मातृत्व विकृति का स्तर अधिक उम्र की महिलाओं की तुलना में 19 वर्ष तक की महिलाओं में काफी अधिक है। 19 वर्ष तक की महिलाएं खून की कमी, उच्च रक्त चाप और विषरक्तता, प्रसव–पीड़ा में विलम्ब या रुकावट, गर्भावस्था की जटिलता और स्तनपान के समय वज़न का घटना जैसी समस्याओं से ग्रस्त होती हैं।

'किशोरावस्था में लड़कों की तुलना में लड़कियों की स्थिति अधिक नाजुक होती है, यह तथ्य खासतौर पर विकासशील देशों में देखा गया है, जहां परम्परा से ही उनका विवाह कम उम्र में होता रहा है और वे प्रजनन संबंधी विकृति और प्रज्जनित मृत्यु के ज्यादा बड़े खतरे से जूझती हैं। विकासोन्मुखी परिप्रेक्ष्य में यह खासतौर पर प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण समय है। कम उम्र की लड़कियां जो अब स्त्रीत्व प्राप्त करने की कगार में हैं, हमारी भावी आबादी की गुणवत्ता की दृष्टि से हमारी जनसंख्या का बेहद महत्त्वपूर्ण अंग हैं। यह वह समय है, जब हमारे लड़के–लड़कियां आसमान की ऊंचाई छूने को तत्पर हैं। इस विकासोन्मुखी समय में भोजन और पोषक तत्त्वों की भी जरूरत उसी अनुपात में बहुत अधिक है (रावत, 2001)

15–24 वर्ष की ग्रामीण महिलाओं की लगभग 15% मृत्यु बाल प्रजनन और गर्भधारण के कारण होती है। मातृत्व विकृति का स्तर अधिक उम्र की महिलाओं की तुलना में किशोरियों में काफी अधिक है। वे खून की कमी, उच्च रक्त चाप और विषरक्तता, प्रसव–पीड़ा में विलम्ब या रुकावट, गर्भावस्था की जटिलता और स्तनपान के समय वज़न का घटना जैसी समस्याओं से ग्रस्त होती हैं।

प्रायः भारत में किशोरवय की लड़कियों को खराब सेहत के लिए जाना जाता है। यह देखा गया है कि 'किशोरवय में गर्भधारण मौजूदा समय की एक बड़ी लोक स्वास्थ्य समस्या है। गर्भधारण के साथ ही अनुपोषक तत्त्वों खासतौर पर कैल्शियम की मांग बहुत बढ़ जाती है क्योंकि कैल्शियम हड्डी के विकास के लिए जरूरी होती है। पहली बार गर्भधारण के समय कम उम्र होने की स्थिति को बाद की उम्र के दौरान कमजोर हो गई हड्डी और जांघ की हड्डी लगातार कमजोर होने से जोड़ा जाता है। इस प्रकार कम उम्र में गर्भधारण के कारण शारीरिक ढांचे का विकास सीमित हो जाता है' (ब्रीन, 2003)। उदाहरण के तौर पर, राजस्थान में 13–19 वर्ष की 54 गर्भवती आदिवासी महिलाओं के समुदाय–आधारित अध्ययन से पता चला कि 85% प्रतिशत का वज़न 42 किलोग्राम

से कम था और 94% के शरीर में खून की कमी थी। 13 से 18 वर्ष की 47 लड़कियों के एक दक्षिण भारतीय अध्ययन से पता चला कि सभी आयु–वर्गों में अल्प विकास हुआ है, जिनमें से 73.5% का वर्गीकरण खून की कमी के रूप में किया गया। गुजरात की झुग्गियों में रहने वाली 10 से 18 वर्ष की 105 लड़कियों पर किए गए एक और अध्ययन में 98% को रक्ताल्पता का शिकार पाया गया।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से पता चलता है कि 20 वर्ष से कम की 35% गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की मातृत्व–पूर्व देखभाल नहीं मिल सकी। इसके परिणामस्वरूप अन्य देशों के असदृश भारत में, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की कम उम्र लड़कियों की पुरुषों के मुकाबले थोड़ा अधिक मृत्यु दर है, जिसका बड़ा कारण उनका खराब प्रजनन स्वास्थ्य है (मुम्डानी, 1998)। 15 से 24 साल की ग्रामीण महिलाओं की कुल मृत्यु का लगभग 15% बच्चे के जन्म और गर्भधारण के कारण होती हैं – उनकी मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण दुर्घटनाएं और हिंसाएं हैं, जिनका अनुपात 34% है और इन दुर्घटनाओं और हिंसाओं को प्रायः बाल विवाह और गर्भधारण से जोड़कर देखा जाता है।

- **शिशु मृत्यु/विकृति दर (आईएमआर):** कम उम्र में विवाह का खतरा केवल लड़कियों तक सीमित नहीं है अपितु यह खतरा उस बच्चे को भी होता है, जो कम उम्र में गर्भधारण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। भारत में 15 में से एक बच्चे की मृत्यु उसके पहले जन्म दिन से पहले हो जाती है जबकि औद्योगिक देशों में 200 बच्चों में से केवल एक की ही मृत्यु होती है (अग्रवाल और मेहरा, 2004)।

  समय–पूर्व प्रसव कम उम्र में गर्भधारण के मामले में एक बड़ी चिंता होती है जिससे नवजात शिशु को पूरा अनुपोषण नहीं मिल पाता और वह जन्म के समय बहुत कम वज़न का होने के साथ ही बाद में बहुत कमजोर विकास करता है। रा.प.स्वा.स. के अनुसार, 19 वर्ष की माताओं के शिशुओं में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 70.8 की मृत्यु होती है जबकि 20 से 29 साल की माताओं के मामले में यह संख्या केवल 44.8 है।

- **यौनजन्य बीमारियां और एचआईवी/एड्सः** कम उम्र में विवाह से लड़के–लड़कियों के साथ यौनिक छेड़छाड़, यौनजन्य बीमारियों और एड्स जैसी बीमारियों की संभावना हो जाती है। लड़कियों के मामले में यह और भी घातक स्तर पर होता है क्योंकि उनके पास यौनिक क्रियाओं, प्रजनन और गर्भनिरोधक उपायों के मामले में निर्णय ले पाने की शक्ति नहीं होती। 'इस संबंध में बनाए कानून के बावजूद, यह देखा गया है कि कम उम्र में विवाह आज भी हो रहे हैं और विवाह के बाद नन्ही दुल्हनों में यह भारी दबाव होता है कि वे शीघ्र ही एक बच्चे को जन्म दें। कम उम्र में यौनिक क्रियाओं में संलग्न हो जाने से भी इन लड़कियों के सामने यौनजन्य बीमारियों, एचआईवी/एड्स के लग जाने का बड़ा खतरा हो जाता है। कम उम्र में विवाह और गर्भधारण भारत में मातृत्व मृत्यु का एक बड़ा कारण है' (यादव, 2006)।

  रा.प.स्वा.स.–2 से संकेत मिलता है कि 15 से 24 वर्ष के आयु–वर्ग की लड़कियों में यौनजन्य बीमारियों और एचआईवी/ एड्स के बारे में जानकारी बहुत कम होती है।

  19 वर्ष तक की लड़कियों के जीने, स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार को तब और आघात पहुंचता है जब वे यौनजन्य बीमारियों और एचआईवी/एड्स से पीड़ित होती हैं और उनका कायदे से इलाज नहीं कराया जाता। रा.प.स्वा.स.–2 से संकेत मिलता है कि 15 से 24 साल की लड़कियों में यौनजन्य बीमारियों और एचआईवी/एड्स के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। तथापि, एड्स–ग्रस्त रोगियों से संबंधित आंकड़े बताते हैं कि कई मामलों में एड्स का संक्रमण तब हुआ जब कम उम्र की लड़कियां और महिलाएं एड्स के खतरे से बड़ी उम्र की महिलाओं की तुलना में अधिक थीं।

- **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावः** बाल विवाह का कम उम्र की लड़कियों पर एक और गंभीर दुष्प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वास्थ्य से जुड़े अनुसंधान बताते हैं कि लिंग के आधार पर असमानता और नकारात्मक सोच ही इसके दुष्परिणाम का कारण होते हैं जिससे खासतौर पर मानसिक अवसाद और गहरी चिन्ता से ये लड़कियां ग्रस्त हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि इन मानसिक रोगियों में 11.5% मामले आजीवन मानसिक निःशक्तता के, 10.7% मामले हृदय रोगों के, 8.1% मामले मातृत्व और पितृत्व निःशक्तता के, 6.1% मामले यौन रोगों/एचआईवी के और 5.8% मामले कैंसर के थे। भारत में बाल विवाह और महिलाओं की भूमिका पर सांस्कृतिक प्रतिबंधों के कारण भी मानसिक अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है।

राजस्थान के टोंक जिले का रहने वाला 11 वर्षीय एक लड़का विवाहसूत्र में तब बंधा था जब उसकी उम्र केवल 6 माह की थी। जब वह 5 वर्ष का हुआ, तब उसे अपने सुसराल ले जाया गया, जहां उसे पैसा और उपहार दिया गया। अपने ससुराल में आदर–सम्मान पाकर वह बहुत खुश हुआ और उसे अपने विवाहित होने और रिश्तेदारी से काफी गर्व महसूस हुआ। जब वह 10 वर्ष का हुआ, तब वह एक बार फिर से अपने ससुराल गया। इस बार उसे वह सम्मान और आदर नहीं मिला, जिसकी वह आशा कर रहा था। इससे उसके अंदर बेहद अवसाद उत्पन्न हुआ और आज वह बालक बेहद मानसिक उथल–पुथल की स्थिति में है।

स्रोतः स्थल पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई जानकारी

- **सामाजिक प्रभावः** बाल विवाह का समाज के सभी बच्चों पर किसी न किसी तरह से प्रभाव पड़ता है किन्तु यह प्रभाव दुल्हे की तुलना में दुल्हन बनी नन्ही बच्ची पर कहीं अधिक पड़ता है। ये लड़कियां बहुत कम ही स्वच्छंदता से रह पाती हैं और प्रायः हिंसा और यौन उत्पीड़न का शिकार भी बनती रहती हैं।

रा.प.स्वा.स.–2 से पता चलता है कि 15 से 19 वर्ष की 24% लड़कियां 30 से अधिक की महिलाओं की तुलना में निर्णय लेने में अपना योगदान नहीं करतीं। उनके पास गर्भनिरोधक उपायों, प्रजनन स्वास्थ्य और देखभाल जैसी बेहद उपयोगी जानकारी भी नहीं होती। रा.प.स्वा.स.–2 के आंकड़े बताते हैं कि 15 से 19 वर्ष की शादीशुदा महिलाएं नियमित संचार माध्यमों से लाभान्वित नहीं हो पातीं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं किसी तरह के संचार माध्यमों से शहरी महिलाओं की तुलना में कम ही लाभान्वित हो पाती हैं।

रा.प.स्वा.स.–2 से पता चलता है कि 15 से 19 वर्ष की 24% लड़कियां 30 से अधिक की महिलाओं की तुलना में निर्णय लेने में अपना योगदान नहीं करतीं और 15 से 19 वर्ष की 45% महिलाएं नियमित संचार माध्यमों से लाभान्वित नहीं हो पातीं।जबकि 61.1 मामलों में तो पत्नी के साथ मारपीट को सही ठहराया गया, वहीं 15.4 ने शिकायत की कि 15 वर्ष की उम्र से ही उनको शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाले समाज में खासतौर पर 15 से 19 वर्ष के आयु–वर्ग की महिलाएं लिंग–आधारित हिंसा की शिकार अधिक बनती हैं। 15 से 19 वर्ष के आयु–वर्ग की जिन महिलाओं का रा.प.स्वा.स.–2 के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया, उनमें 61.1% ने पति द्वारा पिटाई के लिए कम से कम एक कारण को उचित बताया, जबकि 15.4% ने शिकायत की कि उनके साथ 15 वर्ष की उम्र से ही शारीरिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

कम उम्र की विवाहित लड़कियां अपने ससुराल में अपने से बड़ों के हाथों भी यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं। कम उम्र में ही उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी डाल दी जाती है और उसकी शिक्षा रोक दी जाती है। बाल विवाह से प्रभावित लड़कियां भावनात्मक उत्पीड़न का भी शिकार बनती हैं क्योंकि कम उम्र में जिन लड़कों का विवाह होता है, वे प्रायः चार से पांच बार विवाह करते हैं। पत्नी की पिटाई और यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या भी काफी अधिक होती है।

बाल विवाह लड़कियों की खरीद–परोख्त की घटनाओं में हो रही वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार है। बच्चों के खरीद–फरोख्त के बारे में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि बाल विवाह को अनैतिक देह व्यापार के लिए कानूनी औज़ार के रूप में प्रयोग किया जाता है। एचएक्यू द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की लड़कियों को कश्मीर जैसे दूर–दराज के क्षेत्रों में ले जाकर बेचा जाता है और मुख्यतः उनका विवाह अधिक उम्र के पुरुषों से किया जाता है या विवाह के बाद उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। इसी तरह दक्षिण भारत में भी देवदासी प्रथा का उपयोग महिलाओं की खरीद–फरोख्त के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है।

बच्चों के खरीद–फरोख्त पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि अनैतिक देह व्यापार के लिए बाल विवाह को एक वैध औज़ार के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2.1.5 सरकारी नीतियां और कार्यक्रम

बाल विवाह के संकट से जूझने के लिए सरकार ने अनेक निवारक और दण्डात्मक उपाय किए हैं। इन उपायों में विवाह की कानूनी उम्र के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1978 का प्रवर्तन और विवाह का पंजीकरण, प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं। इन्हीं उपायों में **बालिका समृद्धि योजना** भी शामिल है, जिसका उद्देश्य विवाह की उम्र को आगे बढ़ाना और लड़कियों के प्रति परिवार एवं समुदाय के दृष्टिकोण को बदलना है। विवाह की उम्र को प्रभावित कर सकने वाले अन्य उपायों में शिक्षा और जीवनकौशल के विकास संबंधी कार्यक्रम हैं जिससे समाज में विवाह के स्वीकार्य विकल्प प्राप्त हो सकते हैं और उनमें आत्म–सम्मान की भावना जगाकर समाज में उनके अवमूल्य को रोका जा सकता है।

सरकारी नीतियां और कार्यक्रम

1. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2002**
2. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986**
3. **राष्ट्रीय युवा नीति, 2003**
4. **जनसंख्या नीति, 1999**
5. **महिला नीति**
6. **प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम**
7. **एकीकृत जनसंख्या विकास कार्यक्रम**
8. **महिला विकास कार्यक्रम**
9. **किशोरी स्कीम**
10. **नेहरू युवक केन्द्र संगठन**
11. **राष्ट्रीय सेवा स्कीम**
12. **बालिका समृद्धि योजना**
13. **लड़कियों को मुफ्त शिक्षा**
14. **बेटी बचाओ योजना, 2005**

सरकार अभी तक इस समस्या को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 पर निर्भर रही किन्तु बाल विवाह प्रथा पूरे देश में और खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बदस्तूर जारी रही। एक अधिक कठोर कानून की आवश्यकता को महसूस करते हुए सरकार ने 2004 में राज्य सभा में बाल विवाह निवारण विधेयक पेश किया। बाद में इस विधेयक को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, जहां विभिन्न समूहों के प्रतिवेदनों की सुनवाई की गई। कई हितबद्ध समूहों ने तर्क दिया कि एक ऐसा विधेयक पेश किया जाना चाहिए, जो बाल विवाह पर रोक लगाने के बजाए इसे पूरी तरह समाप्त कर दे (*टेलीग्राफ,* मार्च 2008)।

भारत के कुछ राज्यों में लड़के–लड़कियों के विवाह की कानूनी तौर पर निर्धारित उम्र का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता। कुछ परस्पर–विरोधी कानूनी प्रावधान भी हैं। उदाहरण के तौर पर 1929 में बने बाल विवाह निषेध अधिनियम द्वारा राज्य को बाल विवाह रोकने के लिए अधिकृत किया गया है, इसका अपवाद यह है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 द्वारा 15 वर्ष की लड़की को 'पत्नी' बनने और 'गर्भधारण करने' की अनुमति दी गई है। कानून की इस विसंगति को ठीक किया जाना चाहिए ताकि बाल विवाह को कड़ाई से रोका जा सके (*टिब्यून,* अप्रैल 2006)।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार पति अपनी पहली पत्नी और बच्चों को गुजारे का भुगतान करने के लिए बाध्य है। यदि 18 वर्ष से कम की लड़की का विवाह उसकी मर्जी के बगैर किया जाता है, तो उसे अपने विवाह को अवैध घोषित करने का पहला विकल्प होगा।

अब पुजारी भी विवाह के उत्सव में मंत्रोच्चारण करके दक्षिणा लेकर नहीं निकल सकते हैं। उन्हें भी यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लड़के–लड़कियों का विवाह कराया जा रहा है, वे नाबालिग नहीं हैं। अब पुजारी को भी बाल विवाह कराने के लिए दो वर्ष की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सज़ा हो सकती है। वास्तव में, बाल विवाह में जो भी वयस्क शामिल होगा, उसकी भी गर्दन कानून पकड़ सकेगा।

चूंकि कम उम्र में विवाह और गर्भधारण का रिवाज़ देश में प्रचलित है, इसलिए यह उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण है कि राज्य और केन्द्रीय सरकारें न केवल इस संकट के प्रति सजग हैं अपितु उन्होंने विशिष्ट नीतिगत ढांचे और कार्यक्रम भी बनाए हैं, जो ऐसे विवाहों की संख्या कम करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक हैं। इसका प्रभाव देश में कम उम्र की पीढ़ी के प्रजनन स्वास्थ्य पर भी पड़ता हैं।

क्योंकि स्वास्थ्य की व्यवस्था राज्य का विषय है, तथा भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति से समृद्ध एक विशाल देश है अतएव, यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि राज्यों को ऐसे विशिष्ट मसलों के संबंध में पूरी सजगता बरतने के लिए समर्थ बनाया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकारों ने केन्द्र की नीति के समग्र दिशा–निर्देश के भीतर नीतियां विकसित की हैं और अनेक मामलों में उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी किया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सभी नीतियां और कार्यक्रम कार्यान्वयन किए जाने योग्य हों और वास्तविकता पर आधारित हों।

सरकार की संगत नीतियां निम्नवत् हैं:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986
- राष्ट्रीय युवा नीति, 2003,
- जनसंख्या नीति, 1999
- राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति

सरकार ने **राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003** बनाया है, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग न किया जाए और नागरिकों को आर्थिक जरूरतों के कारण उनके स्वास्थ्य अथवा शारीरिक क्षमता के प्रतिकूल व्यवसाय को ग्रहण करने के लिए विवश न किया जाए। भारतीय संविधान (अनुच्छेद 39ड.) और राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 के अनुसार, बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता एवं सम्मान की स्थिति में विकास करने के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की गई हैं। युवकों की शोषण एवं नैतिक और भौतिक शोषण से रक्षा की गई है (अनुच्छेद 39–च)। इस चार्टर का उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को उसका अधिकार मिले और वह एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन का आनंद ले सके, बच्चों के स्वस्थ विकास को रोकने वाले बुनियादी कारणों को समाप्त किया जाए और व्यापक सामाजिक संदर्भ में समुदाय की सजगता को जगाया जाए ताकि वे बच्चों की हर तरह की बुराइयों से रक्षा करें और परिवार, समाज एवं राष्ट्र की जड़ें मजबूत हों। इस चार्टर द्वारा राज्य और समुदायों को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि शिशु हत्या और भ्रूण हत्या खासतौर पर कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को दूर करने के लिए सभी तरह के यथोचित उपाय किए जाएं और ऐसी अन्य बुराइयों को भी समाप्त किया जाए, जो कन्याओं को सम्मानजनक ढंग से जीवनयापन के अधिकारों से वंचित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001** में बेटियों के साथ होने वाले हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने और उनके अधिकारों के हनन को रोकने के लिए कठोर उपाय किए जाने की बात कही गई है, जो निवारक और दण्डात्मक दोनों रूपों में होंगे और जिनका क्रियान्वयन परिवार के भीतर और बाहरी समाज में दोनों जगह किया जाएगा। ये उपाय खासतौर पर जन्म से पहले लिंग के चयन और कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, बाल विवाह, बच्चों की दुर्दशा और बाल वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए बने कानूनों के कठोर प्रवर्तन से संबंधित होंगे। परिवार के भीतर और बाहर समाज में बेटियों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव को रोका जाएगा और बेटियों की अच्छी छवि बनाने के लिए सक्रिय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

कई अन्य स्कीमें भी ऐसे उपायों को रेखांकित करती हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाल विवाह का विरोध करती हैं और कम उम्र की लड़कियों को आत्मसम्मान और अपने स्वयं के विकल्प के अनुसार जीवन जीने की शक्ति देती हैं।

बालिका समृद्धि योजना भी एक ऐसी ही स्कीम है, जिसके अंतर्गत सरकार का उद्देश्य जन्म के समय बेटियों और उनकी मां के प्रति परिवार और समुदाय के नकारात्मक रवैये में परिवर्तन लाना है, और बेटियों को स्कूल भेजने तथा उन्हें आगे पढ़ाने के लिए योगदान करना है और उनके विवाह की उम्र को बढ़ाना तथा साथ ही आयसृजक कार्यकलापों से जुड़ने के लिए लड़कियों की मदद करना है।

एक और स्कीम **किशोरी शक्ति योजना** है, जिसके अंतर्गत किशोरियों को अपने जीवन का प्रभार स्वयं लेने में सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के तहत हस्तक्षेप करके किशोरियों के जीवन में बदलाव लाने का उद्देश्य रखा गया है। इसके तहत उन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का अवसर दिया जाएगा ताकि उन्हें अपने सामाजिक परिवेश की बेहतर जानकारी मिल सके और वे समाज की लाभदायक सदस्य बनने का प्रयास कर सकें।

भारत सरकार ने 1998–99 में **चाइल्ड लाइन सर्विस** भी शुरू की है। यह 24 घण्टे मुफ्त दूरभाष सेवा है, जिसके अंतर्गत कोई भी बच्चा यदि किसी परेशानी में है तो वह या उसकी ओर से कोई वयस्क टेलीफोन पर 1098 डायल करके मदद की गुहार कर सकता है। चाइल्ड लाइन बच्चों को आपातकालिक सेवाएं प्रदान करती है और बाद में बच्चे की जरूरत के अनुसार उसे किसी अच्छे संगठन के पास भेज दिया जाता है, जो उसकी देखभाल करने के साथ ही आगे की कार्रवाई भी करता है।

यह देखा गया है कि कुछ राज्यों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की जनसंख्या घट रही है, यह एक गहरी चिंता का विषय है। महिलाओं को अपनी कन्याभ्रूण को गिरवाने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी स्थिति में, महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तीकरण के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने जीवन के संबंध में निर्णय के लिए तैयार हो सकें। इस चिन्ता को समझते हुए भारत सरकार ने 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए आरंभिक शिक्षा को उनका बुनियादी अधिकार बना दिया है। भारत की संघ सरकार ने **लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा** सहित अनेक योजनाएं चलाकर उनकी स्थिति में सुधार के कई कदम उठाए हैं।

लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जो परोक्ष रूप से उन्हें अपने बुनियादी अधिकारों के प्रति सजग करेगी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातकोत्तर इन्दिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत अकेली बेटी को छात्रवृत्ति दी जाएगी और उसे शिक्षा के सभी स्तरों पर होने वाले प्रत्यक्ष खर्च की भरपाई की जाएगी। यह योजना खासतौर पर उन लड़कियों के लिए चलाई गई है, जो अपने परिवार में इकलौती बेटी हैं।

बेटियों के स्वस्थ विकास के लिए बाधक सामाजिक बुराइयों से उन्हें बचाने की संकल्पना से बनाई गई एक अन्य योजना **बेटी बचाओ स्कीम, 2005** है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं: सरकार की ओर से सीधे निवेश के माध्यम से बेटियों के प्रति व्याप्त दुराग्रह को समाप्त करना, स्कूलों में बेटियों के दाखिले को प्रोत्साहित करना, उनके लिए कम से कम इण्टरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा सुनिश्चित करना; और उनका विवाह केवल 18 वर्ष की उम्र के बाद ही करने को प्रोत्साहित करना, जो कि विवाह के लिए कानूनी तौर पर नियत की गई उम्र है। इसका यह भी उद्देश्य है कि स्कूल से लड़कियों के नाम कटवाए जाने की घटनाएं कम हों और दो बेटियों वाले माता–पिता को परिवार नियोजन के मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

अन्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:

- बेटियों को सामाजिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करना;
- बेटियों के साथ हर तरह के भेदभाव को समाप्त करना;
- बेटियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से सशक्त बनाना;
- लड़कियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को समाप्त करना;
- बेटियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना और उसकी जरूरतों एवं संभावनाओं के प्रति सजगता बढ़ाना।

इस दिशा में सरकार द्वारा चलाए गए अन्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

- प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
- एकीकृत जनसंख्या विकास कार्यक्रम
- महिला विकास कार्यक्रम
- किशोरी स्कीम
- नेहरू युवा केन्द्र संगठन
- राष्ट्रीय सेवा स्कीम आदि

सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के साथ ही सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले गैर–सरकारी संगठन भी विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गैर–सरकारी संगठन जिन समुदायों के लिए कार्य करते हैं, वे उनके अधिक निकट होते हैं और इसलिए वे समुदाय की जरूरतों को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं और उनके लिए यथोचित उपाय कर सकते हैं।

3
अध्ययन

3.1 अध्ययन की जरूरत

भारत जैसे विविधताओं वाले देश में ऐसी अनेक प्रथाएं एवं विश्वास प्रचलित हैं, जिन्हें यहां की संस्कृति और सभ्यता की सीमाओं के रूप में समझना और स्वीकारना जरूरी है। बाल विवाह ऐसी ही एक प्रथा है, जो भारत की भावी युवा पीढ़ी के जीवन को प्रभावित कर सकने वाली एक अत्यंत गंभीर सामाजिक बुराई है।

लड़कों की तुलना में लड़कियां बाल विवाह की प्रथा से कहीं अधिक गहराई से प्रभावित होती हैं। समाज में व्याप्त लिंग–आधारित भेदभाव से लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता और उन्हें निरक्षर रखा जाता है, उन्हें घर पर घरेलू कार्यों को करने और अपने नन्हे भाई–बहनों की देखभाल करने के लिए विवश किया जाता है। लड़कों के मुकाबले उन्हें कहीं आने–जाने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। जिन लड़कियों का विवाह बहुत कम उम्र में कर दिया जाता है, वे छोटी उम्र में ही गर्भवती हो जाती हैं और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक बड़ी–बड़ी समस्याओं से जूझती हैं। बच्चे के जन्म के दौरान या उसके बाद कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यूनिसेफ द्वारा 2001 में किए गए अध्ययन के अनुसार, 'अपर्याप्त समाजीकरण, शिक्षा को रोके जाने और बार–बार गर्भवती होने, अत्यधिक शारीरिक और भावनात्मक आघात के कारण ये लड़कियां पूरी तरह टूट जाती हैं। यदि पति की मृत्यु हो जाती है, चाहे परिपक्व होने से पहले ही मृत्यु हो, तब भी दुल्हन को विधवा मान लिया जाता है और उसका नाता (विधवा विवाह) परिवार के ही किसी विधुर से कर दिया जाता है। उसके बाद तो वह सामाजिक दृष्टि से उस विधुर की पत्नी बन जाती है किन्तु वास्तविकता यह रहती है कि नाता प्रथा के अंतर्गत वह परिवार के सभी पुरुषों की साझा सम्पत्ति बन जाती है।' लड़कियों के लिए किसी तरह का सहयोग करने की प्रथा न होने के कारण उन्हें कष्ट उठाने के लिए विवश किया जाता है और इससे उनकी पहचान ही समाप्त हो जाती है।

यूनिसेफ की एक हाल की रिपोर्ट (2005) के अनुसार, भारत में 20 से 24 वर्ष की प्रायः 50% महिलाएं 18 वर्ष तक विवाहित हो चुकी थीं। माता–पिता खर्च से बचने के लिए अपनी बेटियों का कम उम्र में विवाह करके यह समझते हैं कि इससे उनका जीवन सुखद हो जाएगा। तथापि, वे यह भूल जाते हैं कि कम उम्र की ये लड़कियां नए जीवन से तालमेल बिठाने की जानकारी या परिपक्वता नहीं रखतीं, जहां उसे पत्नी बनकर अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कम उम्र में किए गए विवाह से संबंधित आंकड़ों की राज्य–वार तुलना करने से यह स्पष्ट पता चलता है कि इस पैरामीटर में हिन्दी–भाषी राज्यों की स्थिति सबसे खराब है। उदाहरण के तौर पर विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष से कम के 18 में से एक व्यक्ति विवाहशुदा है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड और हरियाणा में यह अनुपात 27 में एक और 37 में एक के बीच है। देश के दूसरे कोने दक्षिण स्थित केरल में कानूनी उम्र से कम के 123 में से केवल एक व्यक्ति विवाहशुदा है।

इस मसले पर अभी तक किए गए अनुसंधानों की संख्या अधिक नहीं है। अतएव बाल विवाह की प्रथा जहां अधिक प्रचलित है, ऐसे राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन से बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारणों में एकरूपता और विभिन्नता को पहचानने में मदद मिल सकती है। यह भी जरूरी है कि बाल विवाह को रोकने के लिए बने कानूनों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन न किए जाने के कौन–कौन से कारण हैं। इसी पृष्ठभूमि में, निपसिड और सीएसआर की ओर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त अध्ययन किया गया।

3.2 उद्देश्य

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं:

1. चुनिंदा राज्यों में बाल विवाह खासतौर पर नन्ही लड़कियों के विवाह के प्रचलन और घटनाओं का आकलन;
2. इन राज्यों में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों का विश्लेषण;
3. बाल विवाह के संबंध में कए गए मौजूदा संवैधानिक और विधिक उपायों और उनके क्रियान्वयन का विवेचनात्मक विश्लेषण;
4. बाल विवाह को रोकने के लिए बनाए गए मौजूदा तंत्र के प्रभावी उपयोग करने और वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करने के उपायों का सुझाव देना।

3.3 अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन के क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जहां बाल विवाह का प्रचलन अत्यधिक है, शामिल हैं।

3.4 परामर्शी बैठकें

अध्ययन के प्रयोजन से नमूने के चयन हेतु निर्णय लेने से पहले जुलाई, 2006 में निपसिड द्वारा 'भारत में बाल विवाहः सामाजिक–विधिक और मानवाधिकार आयाम' विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इससे मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से देश में बाल विवाह की स्थिति की व्यापक समझ बनाने में मदद मिली। इस तथ्य को देखते हुए कि इस क्षेत्र में इस आयाम के अंतर्गत किसी तरह का अनुसंधान नहीं किया गया, यह कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण था। अपनाया गया तरीका गतिशील था, जो कि समस्या और स्थल की मौजूदा स्थिति, दोनों अर्थों में उपयोगी था। विषय केन्द्रित समूह चर्चा अपनाए जाने से संख्या संबंधी शोध आंकड़ों के साथ–साथ गुणवत्ता संबंधी आंकड़े भी एकत्र किए गए। सहभागी संस्था के साथ शुरुआती परामर्श बैठकों से निपसिड को जमीनी सच्चाई को समझने का तरीका अख्तियार करने में मदद मिली।

3.5 अनुसंधान प्रक्रिया

3.5.1 आंकड़ों के स्रोत

अध्ययन से और विश्लेषण में आरंभिक और गौण, दोनों तरह के आंकड़ा स्रोतों का उपयोग किया गया। आरंभिक आंकड़े साक्षात्कारों, विषय केन्द्रित समूह चर्चाओं, विषय अध्ययनों और प्रेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए गए।

1. द्वितीयक सूचना

द्वितीयक सूचना स्रोत निम्नलिखित से प्राप्त हुए:

- सांख्यिकीय और नीति संबंधी सूचना के लिए सरकारी विभाग
- भारत की जनगणना
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (रा.प.स्वा.स.–1, 2 और 3)

- बाल विवाह संबंधी निर्णय/ अधिनियम
- अनुसंधान रिपोर्टें; पुस्तकें और लेख
- समाचारपत्रों के उद्धरण
- वेबसाइटें

2. आरंभिक आंकड़े

आरंभिक आंकड़े एकत्र करने के लिए साक्षात्कारों की अनुसूची ध्यानपूर्वक तैयार की गई, उनकी उपयोग से पहले पूरी तरह पड़ताल की गई, कोडबद्ध की गई और 870 पणधारियों पर उनका उपयोग किया गया, विवरण नीचे दिया गया है (सारणी 2.1 देखें)।

- पंचायत
- परिवार (परिवार के मुखिया)
- 18 वर्ष से कम उम्र में विवाहित स्त्री, पुरुष
- गैर–सरकारी संगठन
- पुलिस
- जिला मजिस्ट्रेट

3. विषय–केन्द्रित समूह चर्चा – जिन्हें शामिल किया गया

- माता/पिता
- सास/ससुर
- बड़े भाई/बहन
- दादा/दादी
- चाचा/चाची (या अन्य सगे संबंधी)

3.5.2 नमूने का चयन

तीनों राज्यों अर्थात राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश – प्रत्येक के दो–दो जिलों, जहां रा.प.स्वा.स.–2 आंकड़े के अनुसार बाल विवाह की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं, में यह अध्ययन किया गया। जिलों का चयन करने के लिए 1998–99 के त्वरित स्वास्थ्य सर्वेक्षण (आरसीएच–आरएचएस) के आंकड़ों को आधार बनाया गया, जो अध्ययन में शामिल सभी राज्यों के लिए उपलब्ध केवल एक भरोसेमंद जिला–वार आंकड़े हैं। जिलों के चयन हेतु बाल विवाह के प्रचलन को उतरते क्रम में रखने के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित किया गया।

चुने गए जिले निम्नलिखित थेः

- मध्य प्रदेश : शाजापुर, भोपाल
- उत्तर प्रदेश : वाराणसी, मेरठ
- राजस्थान : टोंक और जयपुर

शामिल आबादी के लिए सारणी 3.2 को देखें।

तालिका 3.1

अध्ययन क्षेत्र में बाल विवाह का जिला–वार प्रचलन

क्रम सं.	राज्य	जिले	बाल विवाह का प्रचलन
1.	मध्य प्रदेश	क) शाजापुर, ख) भोपाल	83.7% उच्च प्रचलन 34.6% निम्न प्रचलन
2.	राजस्थान	क) टोंक, ख) जयपुर	78.3% उच्च प्रचलन 44.0% निम्न प्रचलन
3.	उत्तर प्रदेश	क) वाराणसी ख) मेरठ	72.2% उच्च प्रचलन 14.4% निम्न प्रचलन

(अध्ययन में शामिल तीन राज्यों के कुल जिला–वार आंकड़े अनुबंध–II में देखें)

यह महसूस किया गया था कि उच्च प्रचलन जिलों और निम्न प्रचलन जिलों से बाल विवाह संबंधी आंकड़े एकत्र करने से उन कारकों की वास्तविक जानकारी मिलेगी, जो बाल विवाह प्रथा को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करते हैं।

अध्ययन में बाल विवाह के परिदृश्य का निर्धारण तीन स्तरों पर किया गया हैः पहला प्रशासनिक स्तर पर, दूसरा समुदाय स्तर पर, और तीसरा परिवार स्तर पर। आंकड़े एकत्र करने के लिए गहराई से साक्षात्कार, विषय–केन्द्रित समूह चर्चा और विषय अध्ययन को उपयोग में लाया गया।

प्रयोजनमूलक नमूना तरीके का प्रयोग करके प्रत्येक जिले से पांच–पांच गांवों का चयन किया गया। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि प्रत्येक गांव के सभी धर्मों और जातियों को पूरा प्रतिनिधित्व मिले। गांवों का चयन इस आधार पर भी किया गया कि जिले में उसकी भौगोलिक स्थिति विस्तृत हो। कुछ गांवों का चयन शहरी क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित गांवों से किया गया और कुछ का चयन जिले के दूर–दराज क्षेत्रों से किया गया। परिवारों के चयन के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण तरीके का प्रयोग किया गया। सर्वेक्षण में केवल उन्हीं परिवारों के मुखियों को शामिल किया गया, जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपना समय दे सकते थे। परिवारों के चयन में क्षेत्र में रहने वाली जातियों और धार्मिक समूहों का पूरा ध्यान रखा गया। विवाहित जोड़ों (जिनका विवाह कानूनी उम्र से पहले हुआ था), का चयन बेतरतीब तरीके से किया गया किन्तु यह ध्यान रखा गया कि केवल उन्हीं जोड़ों का चयन हो, जिनका विवाह हाल के वर्षों में हुआ है। अध्ययन में शामिल प्रत्येक गांव के पंचायत समिति के मुखिया का साक्षात्कार लिया गया। एक लम्बे समय से बाल विवाह के मसले पर काम करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को प्रत्येक राज्य में सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया। सर्वेक्षण में शामिल गांवों के निकटवर्ती थानों में कार्यरत पुलिस कर्मियों को नमूने में शामिल किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों, परिवारों के मुखियों, 18 वर्ष की उम्र से पहले विवाहित हुए जोड़ों, इस मसले पर काम करने वाले गैर–सरकारी संगठनों, पुलिस कर्मियों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ लम्बी चर्चा की गई। प्रत्येक विषय–केन्द्रित समूह चर्चा के लिए लगभग 30 सदस्यों वाले अलग समूह तैयार किए गए, जिनमें स्त्री–पुरुष दोनों थे। इन समूहों में माता/पिता, सास/ससुर, बड़े भाई/बहन, दादा/दादी, चाचा/चाची (या दूसरे सगे संबंधी) शामिल थे। तीन सर्वेक्षण राज्यों में कुल 30 विषय–केन्द्रित चर्चाएं और 870 गहरे साक्षात्कार आयोजित किए गए। यह अध्ययन सितम्बर–दिसम्बर 2006 के बीच किया गया।

सारणी 3.2
नमूना आकार

	मध्य प्रदेश		राजस्थान		उत्तर प्रदेश		कुल
जिले	**शाजपुर** *उच्च प्रचलन जिला*	**भोपाल** *निम्न प्रचलन जिला*	**टलोंक** *उच्च प्रचलन जिला*	**जयपुर** *निम्न प्रचलन जिला*	**वाराणसी** *उच्च प्रचलन जिला*	**मेरठ** *निम्न प्रचलन जिला*	**6**
गांव	• बेरक्षा • मुल्लाखेड़ी • तिलावत गोविंद • सुनेरा • सुन्दरारी	• मिसरोड • नीलबार • रतिबार • बरखेड़ा नाथू • बरखेड़ी	• कचोलिया मालपुरा • हथगी • गनवाड़ • राजपुरा • लम्बा हरिसिंह	• जमवा रामगढ़ • सैपुरा • इन्द्रगढ़ • लाली • सैवाड	• भगवानपुर • सिरगो–वर्द्धनपुर • शिवदासपुर • सुसुआही • छासी	• मतोर • दौराला • भूरबराल • उपलाहारा • छज्जूपुर	**30**
विषय केन्द्रित चर्चा			**प्रत्येक गांव में एक विषय–केन्द्रित चर्चा** उत्तरदाता के प्रकार: • माता / पिता • सास / ससुर • बड़े भाई / बहन • दादा / दादी • चाचा / चाची(या अन्य सगे संबंधी)				**30**
			गहन साक्षात्कार				
पंचायत			**5 (प्रत्येक गांव से एक सदस्य)**				**30**
परिवार (परिवार का मुखिया)	**125 (25 /गांव)**	**125 (25 / गांव)**	**125 (25 / गांव)**	**125 (25 / गांव)**	**125 (25 / गांव)**	**125 (25 / गांव)**	**750**
18 वर्ष की उम्र से पहले विवाह करने वाले			**प्रत्येक राज्य से 12**				**36**
गै.स.सं.			**प्रत्येक राज्य से 6**				**18**
पुलिस			**प्रत्येक राज्य से 10**				**30**
जिला मजिस्ट्रेट			**प्रत्येक राज्य से 2**				**6**
			कुल साक्षात्कार				**870**

3.5.3 अनुसंधान की परिकल्पना और वर्गीकरण

यह अध्ययन स्थल की स्थिति के विश्लेषण पर आधारित है, जिसके लिए विषय–केन्द्रित समूह चर्चा, ढांचाबद्ध प्रश्नावली और विषय अध्ययनों को आधार बनाया गया है। इसका उद्देश्य बाल विवाह के संबंध में मनोवृत्तियों और विश्वासों और साथ ही पुलिस, सरकारी विभागों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, गैर–सरकारी संगठनों और पंचायत के सदस्यों जैसे महत्त्वपूर्ण सांस्थानिक कार्यपालकों के प्रयासों की भी पड़ताल करना था। इस संदर्भ में, स्थितिपरक विश्लेषण को समुदाय के 'नैदानिक' हस्तक्षेप के रूप में देखा गया है, जिसके आधार पर ही सुधार के क्षेत्र की अंतःदृष्टि सूचना प्राप्त की गई है। गहराई से साक्षात्कार के लिए पूर्व नियोजित प्रश्नावली तैयार की गई थी। प्रतिभागियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक ढांचाबद्ध फारमेट में अंतिम प्रश्नावली तैयार की गई। प्रत्येक प्रतिभागी के लिए अलग से अनुसूची तैयार की गई। प्रत्येक अनुसूची में प्रतिभागियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े तथ्यों के अलावा, सर्वेक्षण क्षेत्र में बाल विवाह के प्रचलन और उसके कारणों को भी प्रश्नावली के केन्द्र में रखा गया। कानूनी प्रावधानों की जानकारी और बाल विवाह को रोकने के लिए बने कानून के क्रियान्वयन और इन कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव जैसे अन्य पहलुओं की भी पूरी पड़ताल की गई। बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए पंचायत के सदस्यों, पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट जैसे क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा अपने क्षेत्रों में दिए गए उपायों के बारे में भी उनसे विशिष्ट प्रश्न पूछे गए। विषय–केन्द्रित चर्चाओं के लिए पृथक मार्गनिर्देश भी तैयार किए गए थे, जिनमें बाल विवाह के कारणों, बाल विवाह के प्रति समुदाय के सदस्यों की मनोवृत्ति/विचार, बाल विवाह के संबंध में समुदाय में कानूनी जानकारी जैसे बिन्दुओं को रेखांकित किया गया (मार्गनिर्देशों को अनुबंध–IV में देखा जा सकता है)। साक्षात्कार कराने के लिए स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया और उन्हें साक्षाकार की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।

आंकड़ों के विश्लेषण और प्रतिपाद के चरण

- आंकड़ा–सांचा (डाटा मैट्रिक्स) का निरूपण
- एसपीएसएस जैसे सांख्यिकीय साफ्टवेयर के उपयोग से विभिन्न चरों की बारम्बारता का प्रदर्शन
- असंगतियों की जांच के लिए प्रति सारणीयन
- मूल उद्देश्यों की समीक्षा
- शुरुआती सारणियों की योजना
- उभरे परिणामों को लिखा जाना
- सारणियों और ग्राफों में परिणामों का चित्रण
- परिणामों की व्याख्या और विवेचना
- परिणामों को लिखित में संश्लेषित करना

चित्र 3.1
अनुसंधान परिकल्पना

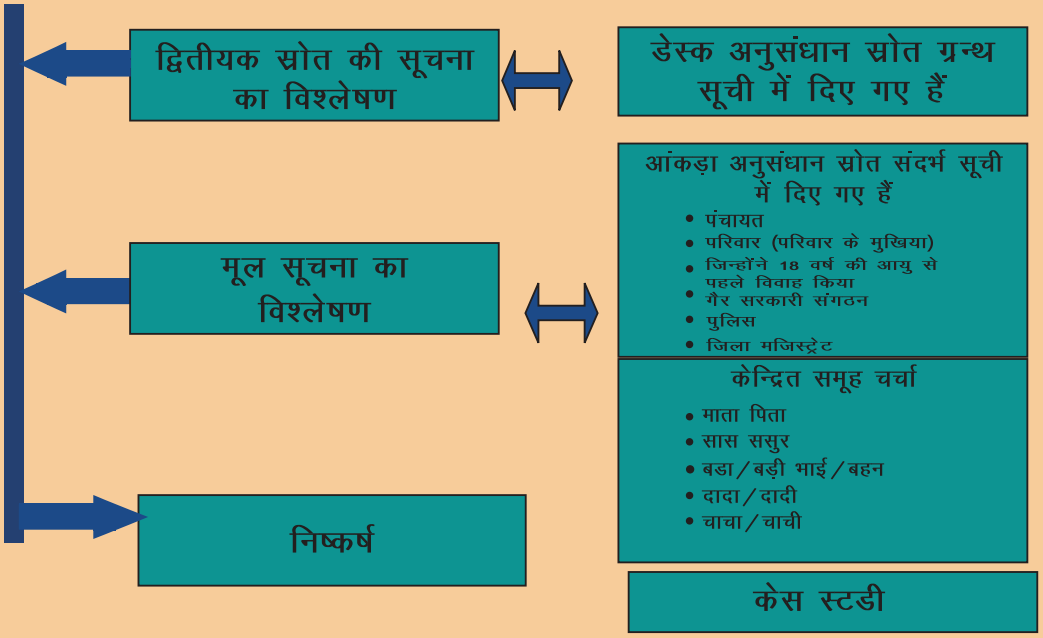

4

अध्ययन क्षेत्रों में बाल विवाह की स्थिति

4.1 बाल विवाह के कारण (सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक)

भारत के जिस क्षेत्र में यह अध्ययन किया गया है, वहां बाल विवाहों की विलक्षणता यह है कि इनमें दूल्हा और दुल्हन दोनों ही कम उम्र के थे जबकि इसके विपरीत, विश्व/ देश के अन्य हिस्सों में दोनों की उम्र के बीच काफी अंतर होता है और प्रायःदुल्हन छोटी बच्ची होती है। ऐसे विवाहों से, जिनमें दूल्हा और दुल्हन दोनों ही बच्चे होते हैं, दोनों के जीवन संबंधी अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें सर्वाधिक दुष्प्रभाव लड़की के जीवन पर पड़ता है। सरकारी तंत्र को इस प्रथा के खिलाफ और तेजी से काम करने के लिए निर्दिष्ट किए जाने और समय–समय पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों को चलाए जाने के बावजूद इस प्रथा को समुदाय के भीतर और लोगों का समर्थन आज भी मिल रहा है। राजस्थान में अखा तीज को विवाह के लिए शुभ माना जाता है और उसी दिन आज भी राज्य में बाल विवाह किए जाते हैं। कानूनी तौर पर अपराध के रूप में नियत इस प्रथा को प्रचलित रखने के प्रति लोगों की आस्था क्यों बनी हुई है? इस प्रथा के प्रचलन के लिए अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं।

स्थल पर किए गए निरीक्षणों और अन्य स्रोतों के अनुसार बाल विवाह का समर्थन करने वाले लोगों के दो वर्ग हैं, जो निम्नलिखित हैं:

- अध्ययन क्षेत्र में बाल विवाह की प्रथा का कारण सामूहिक सोच का होना हो सकता है। लोग इस प्रथा को इसलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा ही उनके परिवारों में होता चला आया है और इसलिए इसे वे उचित समझते हैं। इस प्रथा के कारण कानून से दण्ड मिल सकता है, इससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता।

- दूसरा वर्ग अपनी परिस्थितियों के कारण इस प्रथा को स्वीकारने के लिए विवश है, अर्थात् इस वर्ग में वे लोग आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। कल्पना करें लम्बा–चौड़ा परिवार, आय के सीमित साधन और उस पर भी घर पर बहुत सामान। उनका जीवन न्यूनतम स्तर पर ही चलता रहता है। उनके जीवन का तरीका पीढ़ियों से ऐसा ही है। ऐसे परिवार किसी तरह की औपचारिक शिक्षा के पक्ष में नहीं रहते (जिसके अनेक कारण हैं) और इसलिए जब उनके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनका विवाह महज़ एक नामकरण के रूप में होता है, जो उनके जीवन की शुरुआत होती है और बाहरी दुनिया से सरोकार के रूप में ही होता है। उन्हें हर दिन प्रकृति से अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है और एक कठिन वातावरण में रहना पड़ता है; ऐसे में विवाह से उन्हें जितना आराम और राहत मिलती है, उतना किसी अन्य वस्तु से नहीं क्योंकि इसे वे जीवन के आनन्द के रूप में लेते हैं, जो उन्हें हर दिन के संघर्ष की शिथिलता से राहत देता है। कम उम्र में विवाह का वे समर्थन करते हैं क्योंकि इससे उनके जीवन का कम से कम एक महत्त्वपूर्ण कार्य पूरा हो जाता है।

बाल विवाह प्रथा को बनाए रखने और उसका समर्थन करने वाले अन्य आम विश्वास और परिदृश्य

- बच्चों के विवाह को माता–पिता की एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उसे पूरा करने के बाद ही वे *मोक्ष* पाने के पात्र हो पाते हैं। लोगों को विश्वास है कि धार्मिक ग्रंथों में बच्चों की कम उम्र में विवाह करने की बात कही गई है और उन्हें इस कार्य को यथाशीघ्र करने का प्रयास करना चाहिए।

- कठोर जाति बंधनों और विवाह के गोत्र संबंधी नियमों के कारण अच्छे दूल्हा और दुल्हन का मिलना सीमित होता है। इसलिए, माता–पिता को जैसे ही उचित रिश्ते का पता चलता है, वे विवाह करने में देरी नहीं करते। वे इस प्रथा के दुष्प्रभावों को नहीं मानते क्योंकि उनका मानना है कि विवाह तभी पूर्ण माना जाता है, जब जोड़े 'बड़े' हो जाएं (जो कि प्रायः विवाह की कानूनी आयु से कम होती है)।

- आर्थिक कारणों का भी इस प्रथा को स्वीकार किए जाने और बनाए रखने में योगदान है। प्रायः जब सबसे बड़े बच्चे का विवाह तय हो जाता है, तब उसके भाई–बहनों का भी विवाह उसी समय किया जाता है ताकि दूसर बच्चों के लिए लोगों को बार–बार बुलाने के खर्च से बचा जा सके।

- सामंती पृष्ठभूमि के राज्यों में शिक्षा के अवसरों को प्रतिबंधित रखा गया है। इसमें लड़कियों के लिए शिक्षा पर खास प्रतिबंध होता है। लिंग के आधार पर प्रचलित भेदभाव के कारण बेटियों को उनकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप माने जाने वाले कौशलों की शिक्षा दी जाती है न कि कोई और कौशल। इस तरह के भेदभाव और लड़कियों के अवमूल्यन से बाल विवाह को बल मिलता है।

- बच्चों का विवाह कम उम्र में इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इससे उनके अंदर परिवार के प्रति आज्ञापालक और अधीनता की भावना बनी रहती है।

- बाल विवाह इसलिए भी किया जाता है क्योंकि लोगों का जननक्षमता और प्रसव के संबंध में अपना खुद का दृष्टिकोण है। कम उम्र में विवाह से इस पूरी क्षमता का उपयोग हो पाता है।

4.2 अध्ययन क्षेत्रों में बाल विवाह की व्यापकता और प्रवृत्तियां

जहां तक **उत्तर प्रदेश** में विवाह के समय की आयु का संबंध है, वाराणसी में 16.8% उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पुत्रों का विवाह उस समय हुआ था, जब उनकी आयु 21 वर्ष से कम थी। वाराणसी में 30.4% और मेरठ में 6.4% उत्तरदाताओं ने अपनी बेटियों का विवाह उस समय कर दिया था, जब वे 18 वर्ष से कम आयु की थीं।

मध्य प्रदेश में, राज्य के उत्तरदाताओं के अनुसार, 20.4% ने बताया कि विवाह के समय उनके पुत्रों की आयु 21 वर्ष से अधिक थी, जबकि भोपाल में 16.8% उत्तरदाताओं का कहना यह था कि उनकी पुत्रियों की शादी उस समय हुई थी, जब वे 18 वर्ष से कम की आयु की थीं। 6% बालकों का विवाह 3–12 वर्ष की आयु में हुआ था और 16.4% का विवाह उस समय हुआ था, जब वे 21 वर्ष से कम आयु के थे। बालिकाओं की शादी की आयु धक्का पहुंचाने वाली थी। लगभग 0.4% लड़कियों का विवाह उस समय कर दिया गया था, जब उनकी आयु 3 वर्ष से कम थी, 3.6% की शादी 3–8 वर्ष के बीच की आयु में कर दी गई थी, जबकि 6% लड़कियों का विवाह 8–13 की आयु में और 11.6% लड़कियों का विवाह उस समय कर दिया गया था, जब वे 18 वर्ष से कम आयु की थीं। भोपाल जिले में 4.8% और शाजापुर जिले में 2.4% लड़कियों की शादी 3–8 वर्ष की आयु में हो गई थी। भोपाल में 5.6% लड़किया और शाजापुर में 6.4% लड़कियों का विवाह 8–13 वर्ष की आयु में कर दिया गया था।

राजस्थान में, क्षेत्र में प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार, लगभग 60% लोगों ने और लगभग उतने ही प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने लड़कों और लड़कियों की शादी उस समय कर दी थी, जब उनकी आयु क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष से कम थी। इन आंकड़ों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विवाह के समय पर आयु उस आयु से कम थी, जो दोनों लिंगों के लिए कानूनी रूप से निर्धारित की गई है। राजस्थान के दोनों अध्ययन जिलों में इस प्रवृत्ति की जानकारी मिली है। टोंक जिले में सभी विवाहों में, 82.4% लड़कों और 76.2% लड़कियों का विवाह उस

समय कर दिया जाता है, जब उनकी आयु विवाह के लिए कानून द्वारा विहित आयु से कम होती है। जयपुर जिला इससे तनिक बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है, जहां लगभग 24% लड़कों और 29% लड़कियों की शादी कानून द्वारा विहित की गई आयु में हुई थी। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उपर्युक्त आंकड़े अध्ययन के नमूने से लिए गए हैं (उपाबंध III मद संख्या 18 देखें)।

चित्र 4.1

उत्तरदाताओं के बच्चों (लड़कों) की विवाह के समय आयु

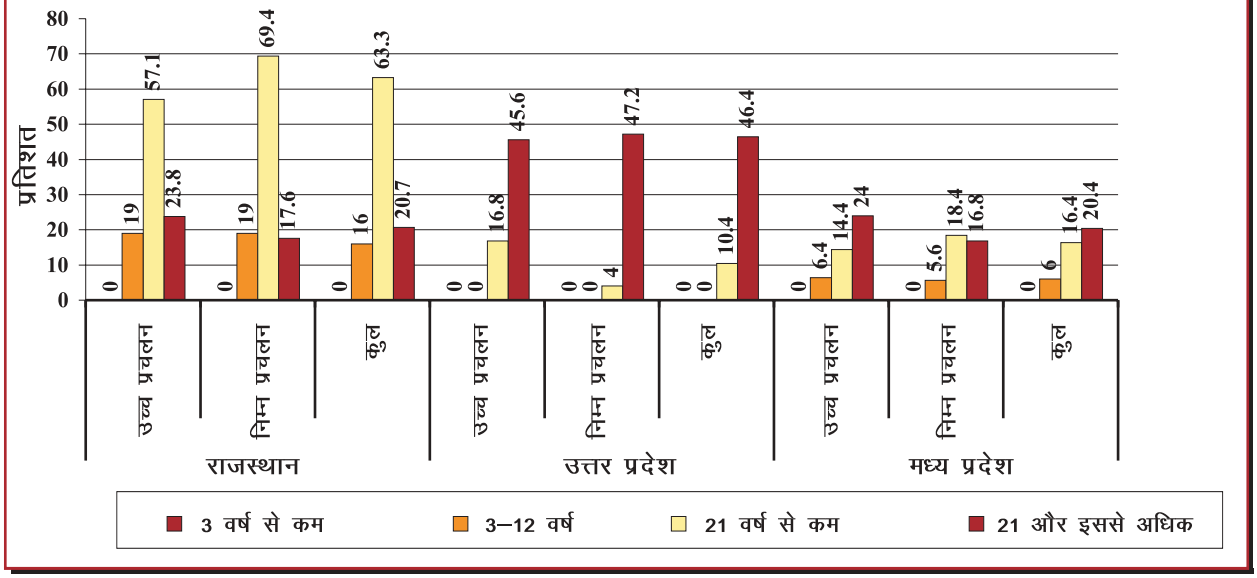

स्रोतः प्राथमिक आंकड़े

चित्र 4.2

उत्तरदाताओं के बच्चों (लड़कियों) की विवाह के समय आयु

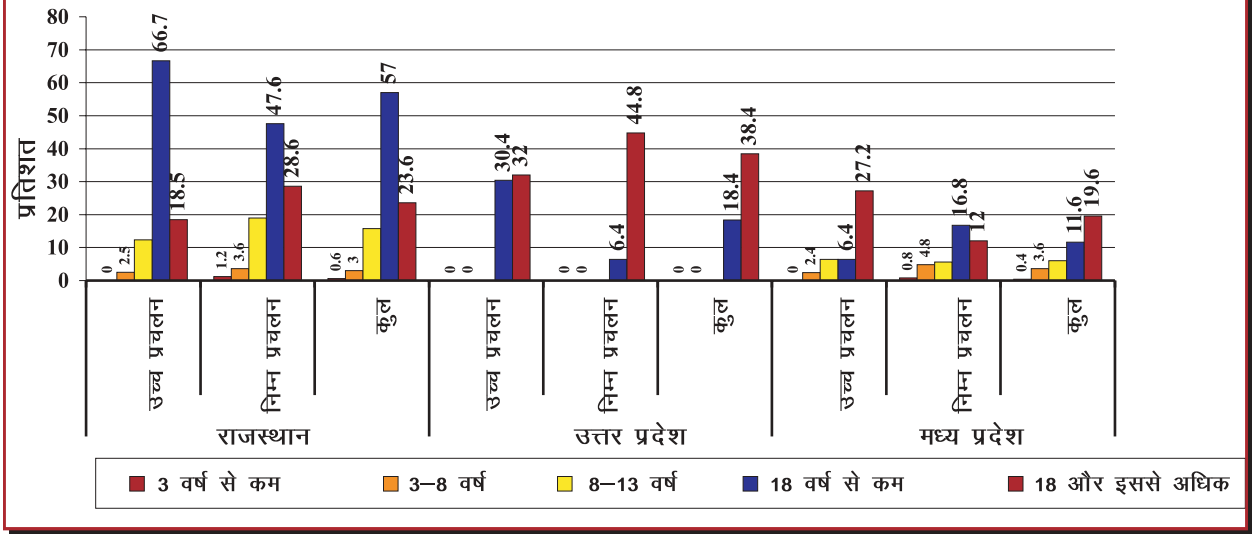

स्रोतः प्राथमिक आंकड़े

अधिकतर लोग विवाह संबंधी मामलों में अपने प्राथमिक अन्तर्समूहों की भावनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। विकास के सामान्य संकेतक जयपुर जिले के पक्ष में हैं और यह बात दोनों लिंगों की कम संख्या (नमूना) (जो टोंक की तुलना में अधिक है) में कुछ हद तक प्रतिबिम्बित होती है, जो विवाह करने में देश के कानून का पालन करने को तरजीह देते हैं।

मेरठ में 87.6% और वाराणसी में 68% बाल विवाह का विरोध करते हैं। वाराणसी में 32% टोंक में 29% जयपुर में 23% और शाजापुर में 24% लोग बाल विवाह का समर्थन करते हैं।

दो बातें कानून का परिहार करने में योगदान देती हैं: अज्ञान और किसी अन्य दबाव के प्रति झुकना। कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में एक प्रथा के रूप में बाल विवाह का प्रचलन अभी भी बना हुआ है, क्योंकि समुदाय के सामाजिक मानदंड व्यक्ति पर हावी हो जाते हैं। सामाजिक प्रथाएं, विशेष रूप से वे प्रथाएं, जो देश के कानून की भावना के विपरीत होती हैं, समुदाय के समर्थन के आधार पर फलती–फूलती हैं। लेकिन क्षेत्र से प्राप्त प्रत्युत्तर से यह पता चलता है कि लोगों से जब पूछा जाता है, तो वे प्रकट रूप से इस प्रथा का विरोध करते हैं। नीचे के रेखाचित्र में इस प्रथा के बारे में लोगों के रुख का ब्योरा दर्शाया गया है। आंकड़ों और इन प्रत्युत्तरों के बीच जो विसंगति है, वह यह दर्शाती है कि लोग जो कहते हैं, उसका आचरण नहीं करते, अथवा भावी विवाहों के संबंध में लोगों के सोच–विचार की प्रक्रियाओं में कहीं न कहीं परिवर्तन आ रहा है।

चित्र 4.3

बाल विवाह का समर्थन/विरोध करने वालों का प्रतिशत

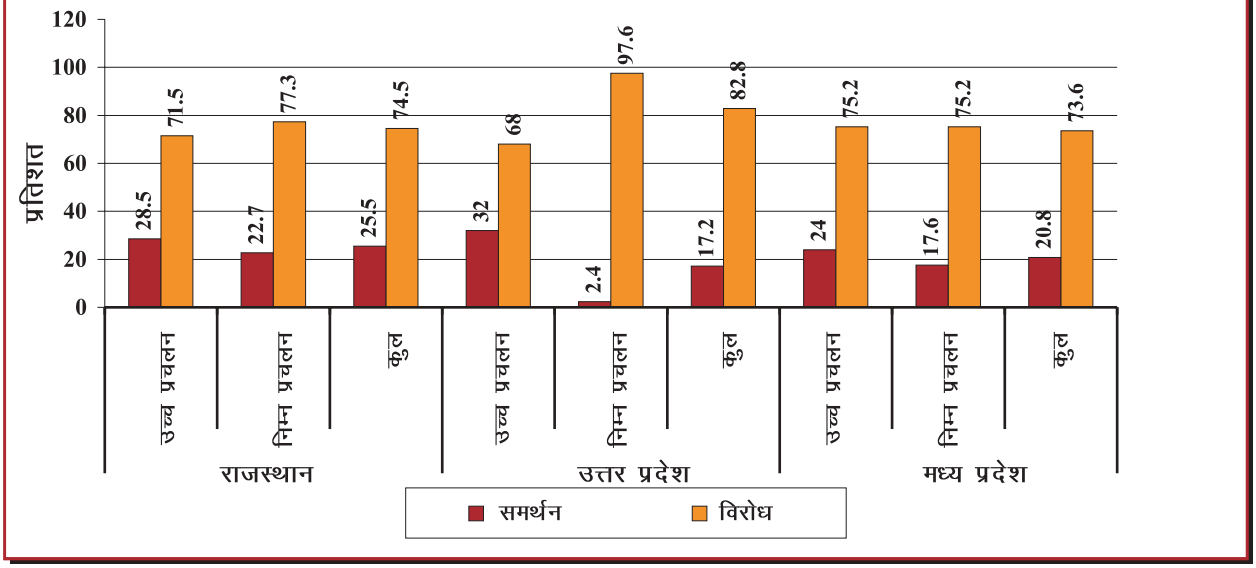

स्रोत: प्राथमिक आंकड़े

परिणामों ने यह दर्शाया है कि उत्तर प्रदेश में 82.8% लोग बाल विवाह का समर्थन नहीं करते। दो लक्ष्यगत जिलों के परिणामों से यह प्रकट होता है कि मेरठ में 97.6% और वाराणसी में 68% लोग बाल विवाह का समर्थन नहीं करते। राजस्थान में भी, दोनों जिलों में बाल विवाह के समर्थक लोग बहुत कम हैं। टोंक में लगभग 29% लोग बाल विवाह का समर्थन करते हैं, जबकि इसकी तुलना में जयपुर में ऐसे लोगों की संख्या 23% है। मध्य प्रदेश में अधिकतर उत्तरदाता (73.6%) इस प्रथा का विरोध करते हैं, लेकिन शाजापुर में 24% लोग इसका समर्थन करते हैं।

चूंकि इस कुप्रथा का समर्थन कम लोगों द्वारा किया जाता है, इसलिए इस बात की संभावना है कि भविष्य में व्यक्तियों को एक सार्थक और भरा–पूरा जीवन व्यतीत करने का एक बेहतर अवसर प्राप्त होगा। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि इस बात के बावजूद कि यह प्रथा अवैध है, ऐसे लोग भी हैं, जो इसका समर्थन करते हैं। विधियों और अधिनियमों के बनाए जाने से वे समाप्त नहीं हो जाते। कानून और अधिनियम इस समस्या का औपचारिक रूप से समाधान करने के लिए केवल पहला कदम है। कानून की व्याख्या और उसके कार्यान्वयन से उसकी प्रभावकारिता का मार्ग प्रशस्त होता है।

सारिणी 4.1

उत्तरदाता की जाति/समुदाय में बाल विवाह की प्रथा

राज्य	करते हैं		नहीं करते		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	**8**	**66.7%**	**4**	**33.3%**	**12**	**100.0%**
टोंक	4	66.7%	2	33.3%	6	100.0%
जयपुर	4	66.7%	2	33.3%	6	100.0%
उत्तर प्रदेश	**9**	**75.0%**	**3**	**25.0%**	**12**	**100.0%**
वाराणसी	7	87.5%	1	12.5%	8	100.0%
मेरठ	2	50.0%	2	50.0%	4	100.0%
मध्य प्रदेश	**28**	**84.8%**	**4**	**12.1%**	**32**	**97.0%**
भोपाल	11	100%	0	0.0%	11	100%
शाजापुर	17	77.3%	4	18.2%	21	95.5%

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में 75% उत्तरदाताओं की जाति/समुदाय बाल विवाह प्रथा का अनुसरण करती है/करता है। जिला–वार वाराणसी में 87.5% और मेरठ में 50% लोग इस प्रथा का पालन करते हैं। राजस्थान में ऐसे तीन–चौथाई उत्तरदाताओं ने, जिनका विवाह उस समय हो गया था, जब वे बच्चे थे, यह स्वीकार किया था कि उनका संबंध उस जाति/समुदाय से है, जो बाल विवाह प्रथा का अनुसरण करता है। मध्य प्रदेश में, भोपाल के सभी उत्तरदाताओं और शाजापुर के 77.3% उत्तरदाताओं ने यह कहा था कि उनकी जाति/उनके समुदाय में बाल विवाह प्रथा का पालन किया जाता है।

जब गैर–सरकारी संगठनों से यह पूछा गया कि एक वर्ष के दौरान कितने बाल विवाह होते हैं, तो राजस्थान के प्रत्येक जिले के गैर–सरकारी संगठन ने इस बात की पुष्टि की थी कि वर्ष में लगभग 1–10 मामले ऐसे होते हैं। किन्तु संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष अखा तीज के दिन हजारों विवाह सम्पन्न होते हैं।

मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में, 66.7% गैर–सरकारी संगठनों ने यह कहा था कि 1–10 मामलों की सूचना दी जाती है। उत्तर प्रदेश में चार गैर–सरकारी संगठनों (66.7%) ने यह कहा था कि एक वर्ष के दौरान होने वाले बाल विवाहों की संख्या 1–10 होती है, जबकि दो गैर–सरकारी संगठनों (33.3%) का कहना था कि प्रति वर्ष इनकी संख्या 11–20 के बीच होती है।

यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचित प्रतिनिधि उन लोगों के लिए, जिनका प्रतिनिधित्व वे करते हैं, आदर्श होंगे। तीन राज्यों के ऐसे प्रतिनिधियों से कहा गया था कि वे स्वयं अपने बच्चों के विवाह के समय की आयु के बारे में सूचना दें। जयपुर में, निर्वाचित प्रतिनिधि ने अपने पुत्र का विवाह कानूनी आयु से पहले कर दिया था, जबकि टोंक के निर्वाचित प्रतिनिधि ने इस बारे में कानून का पालन किया था। टोंक के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपनी लड़कियों का विवाह तब किया था, जब वे 18 वर्ष की कानूनी आयु की हो चुकी थीं। उत्तर प्रदेश में क्रमशः 90% पुरुष और महिला प्रतिनिधियों ने विवाह की कानूनी आयु प्राप्त होने के बाद विवाह किया था।

मध्य प्रदेश में, स्थिति इससे खराब थी। जहां तक लड़कों के विवाह की आयु का संबंध है, शाजापुर के पंचायत सदस्य ने यह बताया था कि उसके लड़के का विवाह उस समय हुआ था, जब वह 12 वर्ष से कम की आयु का था और भोपाल तथा शाजापुर में से प्रत्येक के 20 प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपने पुत्रों का विवाह तब किया था, जब उनकी आयु 21 वर्ष से कम थी। इसके अलावा, एक पंचायत सदस्य की लड़की का विवाह तब हुआ था, जब वह 13 वर्ष से कम आयु की थी, और भोपाल में एक सदस्य की लड़की का विवाह उस समय हो गया था, जब वह 18 वर्ष की नहीं हुई थी। पंचायत सदस्यों के उत्तर दर्शाते हैं कि यद्यपि वे बाह्य रूप से बाल विवाह का विरोध करते हैं, लेकिन वैयक्तिक रूप से उन्होंने अपने बच्चों का विवाह, उनके कानूनी आयु के प्राप्त करने से पहले ही कर दिया था।

जहां तक पिछले पांच वर्षों के दौरान बाल विवाह के विरुद्ध मासिक आधार पर दर्ज कराई गई रिपोर्टों की संख्या का संबंध है, राजस्थान में केवल कुछ पुलिस वालों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था। जिन्होंने उत्तर दिया था, उन्होंने बताया कि उन्हें एक महीने के दौरान औसत रूप से 1–5 शिकायतें प्राप्त होती हैं।

उत्तर प्रदेश में भी, 9 उत्तरदाताओं ने सूचित किया था कि उन्हें मासिक आधार पर 1–5 शिकायतें प्राप्त होती हैं। भोपाल में, 60% ने दावा किया था कि 1–5 शिकायतें दर्ज की गई थीं और शाजापुर में 40% ने कहा था कि वे हर महीने 11–15 शिकायतें दर्ज करते हैं। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या, इन जिलों में होने वाले बाल विवाहों की वास्तविक संख्या से तुलनात्मक रूप से कम है।

जब पुलिस से शिकायतों में होने वाली वृद्धि अथवा कमी के बारे में प्रश्न पूछे गए, तो राजस्थान ने सूचित किया कि दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। जयपुर में सभी पुलिस कार्मिकों ने यह स्वीकार किया था कि शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। टोंक में अधिक प्रतिशत पुलिस उत्तरदाताओं का विश्वास था कि बाल विवाह की शिकायतों की संख्या में समय पर कमी हुई है। आगामी अनुभागों में अध्ययन क्षेत्रों में शिकायतों की प्रतिशतता दर्शाई गई है।

जयपुर में पुलिस उत्तरदाताओं ने यह बताया है कि विवाह संबंधी शिकायतों में वृद्धि (100%) हुई है, जबकि टोंक में केवल 33.3% वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में 90% ने कहा है कि शिकायतों में कमी हुई है।

उत्तर प्रदेश में 90% पुलिस उत्तरदाताओं ने कहा कि बाल विवाह संबंधी शिकायतों की संख्या में गिरावट आई है। वाराणसी में 100% और मेरठ में 80% पुलिस उत्तरदाताओं ने कहा कि शिकायतें कम हो गई हैं। शाजापुर जिले में 100% और भोपाल में 80% पुलिस कार्मिकों ने, जिनके साथ साक्षात्कार किया गया था, कहा कि शिकायतों में कमी हुई है।

जैसा कि श्री विनय कुमार श्रीवास्तव (2006) ने कहा है, "बाल विवाह का एक महत्त्वपूर्ण समाजवैज्ञानिक तथ्य यह है कि कानूनी निषेधों के बावजूद, जिनके उल्लंघन पर सादा कारावास और जुर्माना होता है, बाल विवाहों में कोई गोपनीयता अथवा लुकाव–छिपाव नहीं होता। वे खुले, सार्वजनिक कार्य हैं, जैसा कि भारत में विवाह आमतौर पर

चित्र 4.4

प्रत्युत्तरदातों की जाति/समुदाय में बाल विवाह की प्रथा

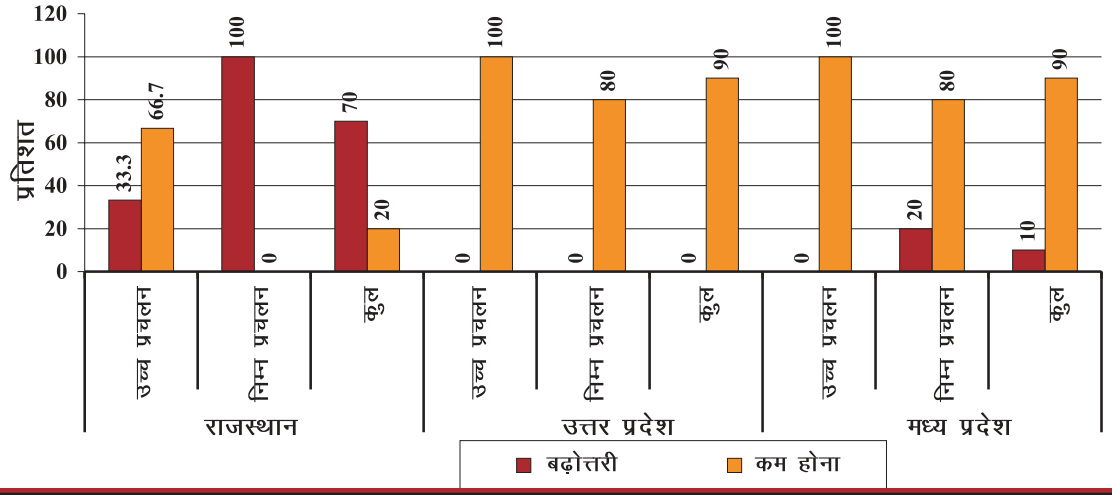

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

होते हैं। इस संदर्भ में, गत वर्षों में बाल विवाह के विरोध में दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या की व्याख्या निम्न तरीकों से की जा सकती है:

- बाल विवाह की प्रथा के कुप्रभावों के बारे में जन–सामान्य में बढ़ती हुई जागरूकता के संकेत के रूप में, और इसलिए औपचारिक शिकायतों की संख्या में वृद्धि।
- समस्या के समाधान के लिए पुलिस की तत्परता।
- जमीनी सचाई में अत्यल्प परिवर्तन, अर्थात औपचारिक निषेधों के बावजूद लोग अभी भी इस प्रथा का अनुसरण कर रहे हैं।

जयपुर में 100% और टोंक में 66.7% पुलिस उत्तरदाताओं ने कहा था कि जिले में विवाहों का पंजीकरण नहीं कराया जाता। भोपाल और शाजापुर में 80% ने कहा था कि विवाहों का पंजीकरण होता है।

पुलिस कार्मिकों से कहा गया था कि वे अपने क्षेत्रों में हुए विवाहों के पंजीकरण की घटनाओं के बारे में जानकारी दें। उत्तर प्रदेश में सभी पुलिस उत्तरदाताओं (100%) के अनुसार, जिले में विवाहों का पंजीकरण होता है। रुचि की बात यह है कि जयपुर के सभी पुलिस उत्तरदाताओं (100%) ने यह बताया था कि उनके क्षेत्रों में विवाहों का पंजीकरण नहीं होता। टोंक से एक–तिहाई (133.3%) पुलिस कार्मिकों ने कहा था कि उनके क्षेत्रों में विवाहों का पंजीकरण होता है। मध्य प्रदेश में, 80% पुलिस उत्तरदाताओं ने यह पाया था कि जिले में विवाहों का पंजीकरण किया जाता है। चूंकि विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग इसे कराते हैं। अधिकतर लोग विवाह के पंजीकरण के लिए तब आवेदन देते हैं, जब उनकी भारत से बाहर जाने की योजना होती है।

जब जिला मजिस्ट्रेटों से जिले में बाल विवाह की प्रथा और उसके प्रचलन के बारे में पूछा गया, तो राजस्थान में दोनों मजिस्ट्रेटों ने स्वीकार किया कि कानून के निर्माण और अन्य उपायों के बावजूद, बाल विवाह की प्रथा को स्थानीय लोगों द्वारा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वीकार किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में, दो जिला मजिस्ट्रेटों ने यह कहा कि जिले में बाल विवाह (100%) नहीं किए जाते। लेकिन तथ्य/आंकड़े इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति को प्रकट करते हैं। मध्य प्रदेश में, दोनों मजिस्टेटों (100 प्रतिशत) ने यह कहा था कि इस प्रथा का अनुसरण किया जाता है। राजस्थान के टोंक जिले में, मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसी कुछ विशिष्ट जातियां और समुदाय हैं, जो बाल विवाह की प्रथा का अनुसरण करते हैं, जबकि जयपुर के जिला मजिस्ट्रेट का कहना था कि बहुत से समुदाय और बहुत सी जातियां इस प्रथा का पालन करती हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई विशेष जाति/समुदाय नहीं है, जो बाल विवाह करती/करता है, जबकि मध्य प्रदेश में एक मजिस्ट्रेट ने यह कहा था कि बाल विवाह का चलन है, जबकि दूसरे मजिस्ट्रेट ने इस कथन का खंडन किया था।

टोंक के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि लड़कों के विवाह के लिए तरज़ीही आयु 21 वर्ष से कम की है और लड़कियों के लिए यह 18 वर्ष से कम की है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेटों ने यह कहा कि लड़कों के लिए प्रचलित आयु 21 वर्ष और उससे ऊपर की है तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक की है।

निष्कर्ष

- तीनों राज्यों में बाल विवाह का प्रचलन एक वास्तविकता है। अध्ययन किए गए क्षेत्रों में यथा–अभिज्ञात आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष से कम और लड़कियों के लिए 18 वर्ष से कम की है।
- वैयक्तिक रूप से, बहुत कम लोग बाल विवाह को अच्छा समझते हैं, किन्तु यह भी मानते हैं कि उनकी जाति/ उनका समुदाय इस प्रथा का पालन करता है। इससे यह बात बहुत बड़ी हद तक स्पष्ट हो जाती है कि यह प्रथा क्यों जारी है और सामूहिक चेतना किस प्रकार वैयक्तिक चेतना पर छा जाती है।
- बाल विवाह के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायतें बहुत कम हैं। इसका कारण यह है कि व्यक्ति सामूहिक मूल प्रवृत्ति द्वारा मार्गनिर्देशित होते हैं। वे इस प्रथा को रोकने के लिए अनौपचारिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक उपायों का उपयोग अतिशय दबाव के अंतर्गत किया जाता है।
- राजस्थान में विवाहों का पंजीकरण कोई मानदंड नहीं है, बल्कि एक अपवाद है।

4.3 राज्यों की पहलें

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। राजस्थान राज्य से इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी, जिसे इस भाग में जोड़ा जा सकता। इस प्रकार, निम्नलिखित भागों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में की गई कुछ सरकारी पहलों की जानकारी दी गई है और इस बात का विश्लेषण किया गया है कि क्या इन कार्रवाइयों से इस प्रथा पर अंकुश लगाने में कोई सफलता प्राप्त हुई है।

4.3.1 उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अत्याचारों संबंधी चिंताजनक स्थिति और इस बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या (किसी राज्य से प्राप्त शिकायतों की अधिकतम संख्या) ने राज्य सरकार को बाल अधिकारों की रक्षा के लिए और महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के क्षेत्र में अधिक कड़ाई से काम करने के लिए विवश कर दिया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी। आयोग ने बाल विवाह के मुद्दे को हाथ में लिया और सरकारी स्कीमों की सहायता से अभियान चलाए, कार्यशालाओं का आयोजन किया और इस अभियान को सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए चुनिन्दा बौद्धिक समूहों को संगठित करके क्षेत्रीय क्रियाकलापों का संचालन किया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल विवाह से संबंधित कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बाल विवाह उन्मूलन अधिकारियों की भर्ती करने का काम शुरू किया है। विधायी नीतियों के कार्यान्वयन और सुरक्षा के साधनों के रूप में विशेष प्रशासनिक उपाय किए गए। महिलाओं को बिना किसी डर के अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला थानों (समस्त महिला पुलिस स्टेशन) की स्थापना की गई है। सरकार ने ऐसे स्थानों पर, जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, सरलता से पहुंच–योग्य थाने स्थापित करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए हैं।

4.3.2 मध्य प्रदेश

बाल विवाह को रोकने के लिए विभिन्न कानूनों और विधानों को बनाए जाने के बावजूद, मध्य प्रदेश के शाजापुर और भोपाल जिलों की जनजातीय पट्टियों में यह प्रथा अक्षुण्ण रूप से जारी है। बाल विवाह के उन्मूलन की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार विभागों, जैसे जिला परिवीक्षा कार्यालय और पुलिस अधिकारियों का बिल्कुल सीमित प्रभाव पड़ा है।

इसके अलावा, संबंधित जिलों के राजनीतिज्ञ, विशेष रूप से जनजातीय समुदायों से संबंधित राजनीतिज्ञ मुख्य रूप से अपने निहित निर्वाचन लाभों के कारण, अपने आपको बाल विवाह के उन्मूलन के कार्य के साथ प्रभावशाली रूप से नहीं जोड़ते। किन्तु, इन सभी रुकावटों के बावजूद, मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने बाल विवाहों के बहुत से मामलों में हस्तक्षेप किया है और उन्हें सफलतापूर्वक रोक दिया है।

वर्ष 2005 में जिला परिवीक्षा अधिकारी, भोपाल के कार्यालय ने 128 बाल विवाहों को सम्पन्न होने से रोकने में सफलता प्राप्त की, और पुलिस के पास बाल विवाहों के संबंध में पांच एफ.आई.आर. दर्ज कराई गईं। यह कार्यालय 62 बाल विवाहों को बलपूर्वक रोकने में भी सफल रहा, जबकि 62 अन्य मामलों में संबंधित लड़कों और लड़कियों के माता–पिताओं को समझाने के बाद बाल विवाहों को रोक दिया गया।

वर्ष 2006 में, 13 बाल विवाहों को रोका गया, 4,999 माता–पिताओं को इन विवाहों की बुराइयों के बारे में समझाया–बुझाया गया और बाल विवाह की बुराइयों के बारे में जानकारी देने के लिए 218 जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया, जिनमें 7,773 माता–पिता ने भाग लिया।

भोपाल पुलिस थाने के एक निरीक्षक ने, अपना नाम प्रकट न किए जाने की शर्त पर, अपनी मर्जी से अपने वैयक्तिक अनुभव की जानकारी दी। उनके अनुसार, एक बार एक छापे के दौरान, एक दूरस्थ जनजातीय गांव में, जहां एक बाल विवाह सम्पन्न किया जा रहा था, ग्रामवासी सहयोग नहीं दे रहे थे और उन्होंने अपने तेज़ धार वाले शस्त्रों की सहायता से पुलिस दल को गांव से बाहर खदेड दिया। यहां तक कि स्थानीय लोक प्रतिनिधियों ने भी विवाह का विरोध नहीं किया।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने 10 अप्रैल, 2006 को एक परिपत्र जारी करके एक अभियान आरम्भ किया है, जिसके अंतर्गत सभी जिला पुलिस प्रमुखों को बाल विवाह रोधी अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह की घटनाओं के उन्मूलन के लिए कड़ी सतर्कता का अनुदेश दिया गया है।

5
अध्ययन क्षेत्रों पर एक विहंगम दृष्टि और अध्ययन किए गए नमूने की रूपरेखा

5.1 राजस्थान

राजस्थान में 10 गांवों में अध्ययन किया गया था। इनमें से पांच गांव अर्थात सैपुरा, लाली, सैवाड़, इन्द्रगढ़ और जामवा रामगढ़ जयपुर जिले से चुने गए थे और पांच अन्य गांव टोंक जिले से चुने गए थे, नामतः कचौलिया मालपुरा, राजपुरा, हथगी, गनवाड़ और लम्बा हरिसिंह। नमूना गांवों की औसत जनसंख्या 5000 से 8000 तक थी।

शहरी केन्द्र के निकट के गांवों, जैसे टोंक जिले के लाम्बा हरि सिंह और जयपुर जिले के साइपुरा और जामवा रामगढ़ में ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति, साक्षरता दर और विशेष रूप से बाल विवाह की अवैधता के संबंध में जागरूकता के स्तर के रूप में अधिक प्रगति दिखाई दी। इन गांवों में बाल विवाह की घटनाएं भी अपेक्षाकृत कम थीं। इन गांवों में व्यवसाय में हो रहा परिवर्तन भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था, क्योंकि इन गांवों के लोगों ने खेती करने के अपने पारम्परिक कार्य को छोड़ दिया था और तेजी से अपनी कृषि भूमि बेच रहे थे और वहां पर बस्तियों का विकास कर रहे थे। किन्तु, अंदरुनी भागों में गांव वालों का मुख्य व्यवसाय कृषि बना हुआ था।

जहां तक ग्रामीणों के धार्मिक मूल का संबंध है, 99.2% लोग हिन्दू थे और 0.8% लोग मुसलमान थे। गांवों के 48% लोग अनु.जा./अनु.ज.जा. के, 22.4% लोग अन्य पिछड़े वर्गों के और शेष लोग अन्य श्रेणियों के थे। नमूने के सभी गांवों में मीना, जाट, गुर्जर, राजपूत, बेरवा, चमार और माली जाति समूहों तक के लोग थे।

5.2 उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में अध्ययन 10 गांवों में किया गया था। इनमें से पांच गांव : भगवानपुर, सर गोवर्धनपुर, शिवदासपुर, सुसुआही और छासी वाराणसी जिले और मेरठ जिले के थे। पांच अन्य गांव : मेतोर, दौराला, भूरबराल, उपलाहारा और छज्जूपुर चुने गए थे। इन गांवों की औसत जनसंख्या 6000 से 8000 तक के बीच थी।

मेरठ जिले के दो गांवों दौराला और भूरबराल में आर्थिक स्थिति और ग्रामीणों के साक्षरता स्तरों के रूप में अधिक प्रगति दिखाई दी। अधिकांश लोगों को बाल विवाह के कुप्रभावों की जानकारी थी और बाल विवाह की बहुत कम घटनाएं देखने में आईं। लेकिन, यह स्पष्ट था कि ऊंचे साक्षरता स्तर के बावजूद, उन्हें बाल विवाह की अवैधता के बारे में जानकारी नहीं थी। व्यवसाय की दृष्टि से, अधिकतर ग्रामीण कृषि और उससे संबंधित काम–धंधों, दूध उत्पादन और पशुपालन के कामों में लगे हुए थे। वाराणसी के छासी जैसे अन्दरुनी गांवों में लोग कृषि और अन्य पारम्परिक काम करते थे। वे बाल विवाह के अर्थ और उसके परिणामों से अपरिचित थे। साक्षरता का स्तर नीचा था और समुदाय नई विचारधारा का सामना करने का प्रतिरोध करता था।

5.3 मध्य प्रदेश

राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह, भोपाल और शाजापुर के दो जिलों से दस गांव चुने गए थे। ये थेः मिसरोड, नीलबार, रतिबार, बरखेड़ा, नाथू और बेरखेड़ी गांव, जो भोपाल जिले के थे और बेरक्षा, मुल्लाखेड़ी, तिलावत गोविन्द, सुनेरा और सुन्दरारी गांव, जो शाजापुर जिले से थे। अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश का साक्षरता स्तर कुल मिला कर नीचा था, और पुरुष महिलाओं से अधिक साक्षर थे। जहां तक ग्रामीणों के धर्म का संबंध है, 90 प्रतिशत लोग हिन्दू, 9.6 प्रतिशत मुसलमान थे और शेष लोग अन्य धर्मों का पालन करते थे। मोटे रूप से, 34.4 प्रतिशत ग्रामीण लोग अनु.जा./अनु.ज.जा. के थे, 41.6 प्रतिशत लोग अन्य पिछड़े वर्गों और शेष 2.4 प्रतिशत लोग अन्य श्रेणियों के थे। सुनेरा गांव शाजापुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है और वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या बहुत अधिक है तथा दलित और पिछड़े वर्गों के लोग भी रहते हैं।

5.4 सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा

5.4.1 परिवारों के मुखियाओं की रूपरेखा (परिवार के सदस्य)

उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुध्य प्रदेश में क्रमशः 250, 254 और 225 परिवारों के मुखियाओं (परिवार सदस्यों) के साथ साक्षात्कार किए गए। जिन उत्तरदाताओं के साथ साक्षात्कार किया गया था, उनमें से राजस्थान में 92. 2%, उत्तर प्रदेश में 87.2% और मध्य प्रदेश में 90% व्यक्ति हिन्दू धर्म के अनुयायी थे। उत्तर प्रदेश (39.6%), मध्य प्रदेश (34.4%) और राजस्थान (48.8%) के तीन राज्यों में उत्तरदाताओं की बहुत बड़ी प्रतिशतता अनु.जा./ अनु. ज.जा. के लोगों की थी। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश में 41.6%, उत्तर प्रदेश में 19.6% और राजस्थान में 22.4% उत्तरदाता अन्य पिछड़े वर्गों के थे। अन्य श्रेणियों के उत्तरदाता उत्तर प्रदेश में 40.8%, मध्य प्रदेश में 24% और राजस्थान में 28.7% थे।

इस अध्ययन से पुरुषों का प्रभुत्व भी प्रतिबिंबित हुआ, जोकि भारतीय ग्रामीण समाज की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस अध्ययन में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष उत्तरदाता अधिक थे। इस अध्ययन में महिलाओं द्वारा कम भाग लिए जाने का एक कारण यह हो सकता है कि उन्हें अपनी बात कहने की कम स्वतंत्रता है। राजस्थान में दोनों जिलों में केवल 3.1% उत्तरदाता महिलाएं थीं, जबकि इसकी तुलना में पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या 96.9% थी। उत्तर प्रदेश में 83.6% उत्तरदाता पुरुष थे और शेष 16.4% महिलाएं थीं, जबकि मध्य प्रदेश में 88.4% पुरुषों से और 17.6 प्रतिशत महिलाओं से साक्षात्कार किया गया था।

राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अधिकतर उत्तरदाता 35–50 वर्ष के आयु–वर्ग के थे, और उनकी संख्या क्रमशः 56.3%, 50.5% और 54% थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्रमशः 90% , 94.4% और 96. 9% उत्तरदाता विवाहित थे।

इन सभी तीनों राज्यों में व्यावसायिक ढांचे में शहरीकरण की ओर प्रवृत्ति दिखाई दी, जो न केवल ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश का अतिक्रमण करता है, बल्कि ग्रामीण जीवन को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। गांवों के लोग पहले या तो प्रत्यक्ष रूप से कृषि और उससे सम्बद्ध क्रियाकलापों में संलग्न होते थे अथवा ऐसे काम–धंधे करते थे, जो गांव की आत्म–निर्भरता सुनिश्चित करते थे। किन्तु, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से, ग्रामीण लोग बहुत से कारणों से अब शहरी क्षेत्रों में प्रव्रजन कर रहे हैं, जैसे नकदी के रूप में बेहतर पारिश्रमिक, जाति और समुदाय की बेडियों को तोड़ने का अवसर, और आधुनिक रहन–सहन के अवसर। अध्ययन के प्रयोजन से, उत्तरदाताओं को उनके व्यवसाय के अनुसार वर्गीकृत किया गया था, जैसे किसान (खेती के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न व्यक्ति) और 'अन्य कर्मकार' (वे व्यक्ति जो शहरी क्षेत्रों में कारखाना कर्मचारियों और इमारती मजदूरों

के रूप में नियोजित हैं)। इस अध्ययन से प्रकट हुआ कि राजस्थान के दो जिलों में, टोंक से 55% उत्तरदाता और जयपुर से 48% उत्तरदाता किसान थे। यह भी देखा गया कि टोंक के 28% उत्तरदाता और जयपुर के 43% उत्तरदाता अन्य कर्मकार श्रेणी के थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी स्थिति लगभग वैसी ही थी। यहां क्रमशः 30.8% और 24.8% उत्तरदाता अन्य व्यवसायों में लगे थे। कम साक्षरता दर उत्तरी राज्यों के अधिकतर गांवों की आमतौर पर एक विशिष्ट विशेषता है।

काफी अधिक प्रतिशत, अर्थात 48.4% उत्तरदाता अनपढ़ों की श्रेणी में आते थे और केवल 2.5% उत्तरदाताओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश में, नमूने के शैक्षणिक स्तर के विश्लेषण से प्रकट हुआ था कि 26.8% उत्तरदाताओं ने माध्यमिक स्तर (श्रेणी 9–12) तक शिक्षा प्राप्त की है, जबकि 24% ने केवल प्राथमिक स्तर (श्रेणी 1–5) तक पढ़ाई की है। भोपाल जिले में 36.8 % उत्तरदाता अनपढ़ थे, जबकि 36% ने प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई की थी। शाजापुर जिले में 29.6% उत्तरदाता अनपढ़ थे और 24% ने प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई पूरी की है। उत्तरदाताओं के शिक्षा स्तर को नीचे दिखाए गए चित्र 5.1 और सारिणी में दर्शाया गया है।

चित्र 5.1
परिवार सदस्यों का साक्षरता स्तर

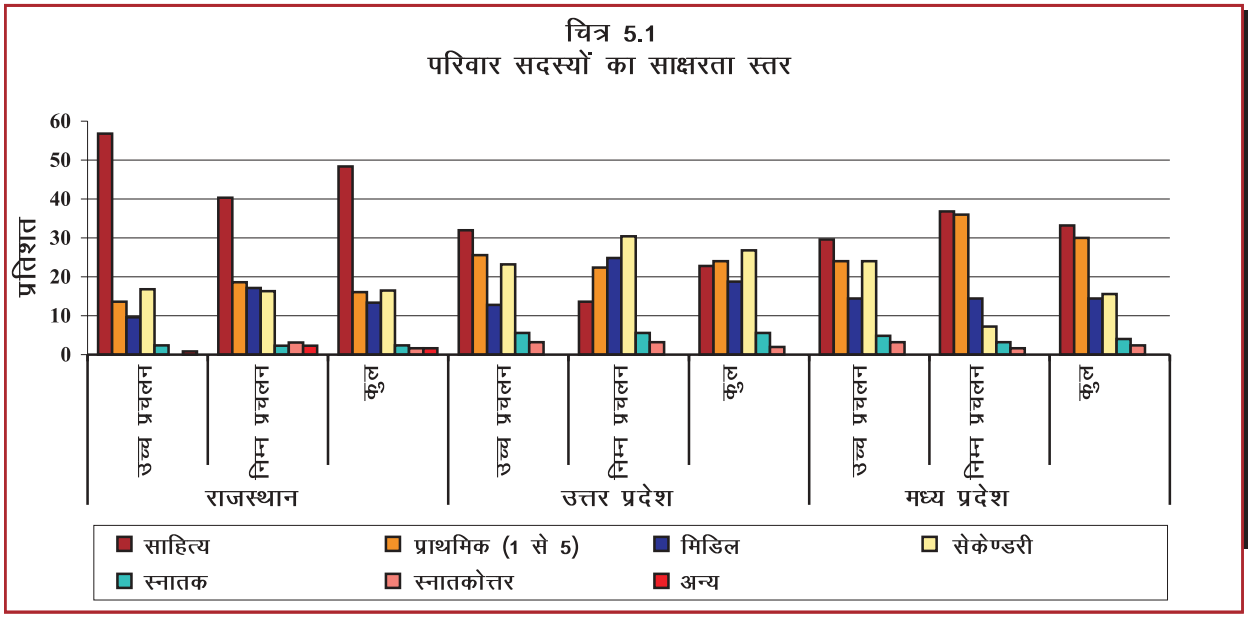

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

ग्राम अर्थव्यवस्थाएं ठेठ रूप से श्रम–प्रधान होती हैं और बड़े परिवारों के पक्ष में होती हैं। इसलिए, संयुक्त परिवार प्रणाली ग्रामीण समाज की एक सामान्य विशेषता है। पारम्परिक मूल्य प्रणाली परिवार के बड़ी आयु के सदस्यों, अशक्त रिश्तेदारों और परिवार के बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं परिवार पर डालती है। गांवों में यह देखना कोई असामान्य बात नहीं है कि कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे एक घर में इकट्ठे रहती हैं। राजस्थान में, लगभग तीन–चौथाई उत्तरदाता (टोंक जिले में 82 प्रतिशत और जयपुर जिले में 69 प्रतिशत) संयुक्त परिवारों के रूप में रहते थे।

सारिणी 5.1
परिवार मुखियाओं का शिक्षा स्तर के अनुसार प्रतिशत ब्योरा

राज्य / जिले	**राजस्थान**	टोंक	जयपुर	**उ.प्रदेश**	वाराणसी	मेरठ	**म.प्रदेश**	भोपाल	शाजापुर
अनपढ़	**123**	71	52	**57**	40	17	**83**	46	37
	48.4%	56.8%	40.3%	**22.8%**	32.0%	13.6%	**33.2%**	36.8%	29.6%
प्राथमिक (1-5)	**41**	17	24	**60**	32	28	**75**	45	30
	16.1%	13.6%	18.6%	**24%**	25.6%	22.4%	**30.0%**	36.0%	24.0%
मिडिल (6-8)	**34**	12	22	**47**	16	31	**36**	18	18
	13.4%	9.6%	17.1%	**18.8%**	12.8%	24.8%	**14.4%**	14.4%	14.4%
सैकंडरी (9-12)	**42**	21	21	**67**	29	38	**39**	9	30
	16.5%	16.8%	16.3%	**26.8%**	23.2%	30.4%	**15.6%**	7.2%	24.0%
स्नातक	**6**	3	3	**14**	7	7	**10**	4	6
	2.4%	2.4%	2.3%	**5.6%**	5.6%	5.6%	**4.0%**	3.2%	4.8%
स्नातकोत्तर	**4**	0	4	**5**	1	4	**6**	2	4
	1.6%	0.0%	3.1%	**2%**	0.8%	3.2%	**2.4%**	1.6%	3.2%
अन्य	**4**	1	3	**0**	0	0	**0**	0	0
	1.6%	0.8%	2.3%	**0.0%**	0.0%	0.0%	**0.0%**	0.0%	0.0%
प्राप्त उत्तर	254	125	129	250	125	125	249	124	125
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.6%	99.2%	100.0%

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

वाराणसी में 60% उत्तरदाता संयुक्त परिवारों में रहते थे, जबकि मेरठ जिले में 55.2% उत्तरदाता अति लघु (न्यूक्लियर) परिवारों में रहते थे। भोपाल में 68.4% उत्तरदाता संयुक्त परिवारों वाले थे, जबकि 41.6% उत्तरदाता अति लघु परिवार के थे। राजस्थान में, राज्य स्तर पर लगभग आधे उत्तरदाताओं के परिवारों का औसत आकार, बच्चों के रूप में, 4–6 व्यक्तियों का था। जयपुर जिले में, उत्तरदाताओं के मामले में बच्चों की प्रति परिवार संख्या अधिक थी, जबकि टोंक जिले में लगभग आधे उत्तरदाताओं के बच्चों की संख्या 3 से कम थी। उत्तर प्रदेश में 56.4% और मध्य प्रदेश में 44% उत्तरदाताओं के परिवारों में 4–6 बच्चे थे और उत्तर प्रदेश में 32% और मध्य प्रदेश में 44.4% उत्तरदाताओं के 3 से कम बच्चे थे।

ग्रामवासियों की आय की स्थिति से उनकी आर्थिक स्थिति की केवल एक आंशिक तस्वीर सामने आती है, क्योंकि ग्राम अर्थव्यवस्था हमेशा केवल मौद्रिक रूप में लेनदेन नहीं करती, बल्कि वस्तुओं के रूप में भी करती है। राजस्थान में, अधिकतर अर्थात 90% उत्तरदाता और उत्तर प्रदेश में 64% उत्तरदाता निम्न आय वर्ग के थे, जिनकी औसत मासिक पारिवारिक आय 5000 रुपये से कम अथवा उसके बराबर थी। राजस्थान के जयपुर जिले में 18% उत्तरदाता 5000–10000 रुपये के आय वर्ग के थे। मध्य प्रदेश में 51.6% उत्तरदाताओं की आय 1000–3000 रुपये के बीच थी।

गरीबी की रेखा से नीचे के कार्ड किसी परिवार की आर्थिक स्थिति के द्योतक हैं। वे कार्ड भारत सरकार द्वारा गरीबी से ग्रस्त परिवारों की पहचान के लिए जारी किए जाते हैं। राजस्थान में, उत्तरदाताओं की बहुत बड़ी संख्या के पास गरीबी की रेखा से नीचे के कार्ड नहीं थे, जबकि उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के 55.2% उत्तरदाताओं के पास गरीबी की रेखा से नीचे के कार्ड थे और मेरठ में 88.8% उत्तरदाताओं के पास गरीबी की रेखा से नीचे के कोई कार्ड नहीं थे। मध्य प्रदेश में 61.6% उत्तरदाताओं के पास गरीबी की रेखा से नीचे के कार्ड नहीं थे।

5.4.2 18 वर्ष से कम की आयु में विवाहित दम्पतियों की रूपरेखा

अध्ययन के लिए प्रत्येक राज्य से 12 दम्पती निर्धारित किए गए थे और उनका साक्षात्कार किया गया था। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 11 उत्तरदाता दम्पती चुने गए थे, जबकि मध्य प्रदेश में दस उत्तरदाता दम्पती, जो हिन्दू समुदाय के थे, निर्वाचित किए गए थे। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से दो दम्पती मुसलमान समुदाय के थे। राजस्थान राज्य स्तर के नमूने में अनु.जा./अनु.ज.जा. उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत था। एक–चौथाई उत्तरदाता अन्य पिछड़े वर्गों के थे। जयपुर में दो–तिहाई उत्तरदाता अनु.जा./अनु.ज.जा. श्रेणी के थे और एक–एक प्रतिनिधि अन्य पिछड़े वर्ग का और अन्य श्रेणी का था। टोंक में विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के दो–दो उत्तरदाता थे।

उत्तर प्रदेश में जिन विवाहित जोड़ों के साथ साक्षात्कार किया गया, उनमें 58.3% जोड़े अन्य पिछड़े वर्गों के और 33.3% दम्पती अनु.जा./अनु.ज.जा. के थे। मध्य प्रदेश में 41.6% उत्तरदाता अनु.जा./अनु.ज.जा. के, 16.6% अन्य पिछड़े वर्गों के और 41.6% उत्तरदाता अन्य श्रेणियों के थे। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 58% और 50% दम्पती 19–24 वर्ष के आयु वर्ग के थे। राजस्थान में 8% दम्पती 13–18 वर्ष के आयु–वर्ग के और एक–तिहाई उत्तरदाता 24 वर्ष से अधिक की आयु के थे, जबकि इसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में 50% दम्पती 24 वर्ष से अधिक की आयु के थे।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अध्ययन में उत्तरदाताओं में साक्षरता का स्तर निम्न पाया गया। राजस्थान में राज्य स्तर पर एक–तिहाई उत्तरदाता अनपढ़ थे और केवल 8 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक थे, जबकि एक–चौथाई उत्तरदाता की शिक्षा प्राथमिक स्तर तक थी। टोंक के उत्तरदाताओं ने अपने शिक्षा स्तर के रूप में एक बेहतर दृश्य प्रस्तुत किया; 17% उत्तरदाता स्नातक थे और लगभग 34% उत्तरदाता प्राथमिक स्तर से ऊपर पढ़े थे। जयपुर जिले में लगभग 50% उत्तरदाता अनपढ़ थे। शेष 50% उत्तरदाताओं में से एक–तिहाई प्राथमिक स्तर तक और एक–तिहाई उत्तरदाता मिडल स्तर तक और शेष उत्तरदाता माध्यमिक स्तर तक पढ़े हुए थे।

उत्तर प्रदेश में भी जिन लोगों से साक्षात्कार किया गया था, उनसे प्राप्त उत्तरों से साक्षरता के निम्न स्तर का पता चलता था। जिन लोगों ने 18 वर्ष से कम की आयु में विवाह किया था, उनमें से 50% के बराबर लोगों ने कहा था कि वे अनपढ़ हैं और 41.7% ने केवल प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5) तक पढ़ाई की थी। वाराणसी में 62.5% उत्तरदाताओं ने केवल प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई पूरी की थी।

मध्य प्रदेश में, शाजापुर जिले के 50% उत्तरदाताओं ने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि भोपाल में 25% उत्तरदाता मिडल स्तर (कक्षा 6–8) तक पढ़े हुए थे। मध्य प्रदेश में, किसी उत्तरदाता ने स्नातक स्तर तक पढ़ाई नहीं की थी और शिक्षा माध्यमिक स्तर (कक्षा 9–12) तक सीमित थी।

साक्षरता के निम्न स्तर और बाल विवाह की भारी व्यापकता को एक दुष्चक्र के रूप में देखा जा सकता है। कम आयु में होने वाला विवाह शिक्षा और आत्म–विकास के अवसरों को सीमित कर देता है, जबकि शिक्षा के अभाव का परिणाम होता है अड़ियल मानसिकता और बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी का अभाव।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संयुक्त ढांचा एक प्रमुख प्रवृत्ति थी। राजस्थान के टोंक जिले में केवल लगभग 17% उत्तरदाता अति लघु परिवार के ढांचे में रहते थे और जयपुर में सभी उत्तरदाता संयुक्त परिवारों में रहते थे। मध्य प्रदेश में 83.3% उत्तरदाताओं ने कहा था कि उनका संबंध संयुक्त परिवारों से है। शाजापुर जिले में सभी उत्तरदाता संयुक्त परिवारों के भाग थे।

जहां तक व्यावसायिक स्थिति का संबंध है, राजस्थान में लगभग 60% उत्तरदाता कृषि–भिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में लगे थे। एक–चौथाई उत्तरदाता गैर–मजदूर थे और 17% उत्तरदाता किसान थे। कुछ प्रतिशत उत्तरदाता घरेलू उद्योग में शामिल थे। टोंक में दो–तिहाई उत्तरदाता अन्य कर्मकार थे। जयपुर में, लगभग 50% उत्तरदाता काम नहीं करते थे।

उत्तर प्रदेश में अधिकतर अर्थात लगभग 66.7% उत्तरदाता कृषि मजदूरों के रूप में काम करते थे और 16.7% उत्तरदाता दुकानदार थे। मध्य प्रदेश में आधे से अधिक (58.3%) उत्तरदाता कृषि मजदूर थे, 25% किसान थे और 16.6% अन्य मजदूर थे।

राजस्थान में, 50% पुरुष उत्तरदाताओं का विवाह 21 वर्ष से कम की आयु में हो गया था और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्रमशः 100% और 58.3% पुरुष उत्तरदाताओं ने 21 वर्ष से कम की आयु में विवाह कर लिया था।

चित्र 5.2

विवाह के समय की आयु (पुरुष)

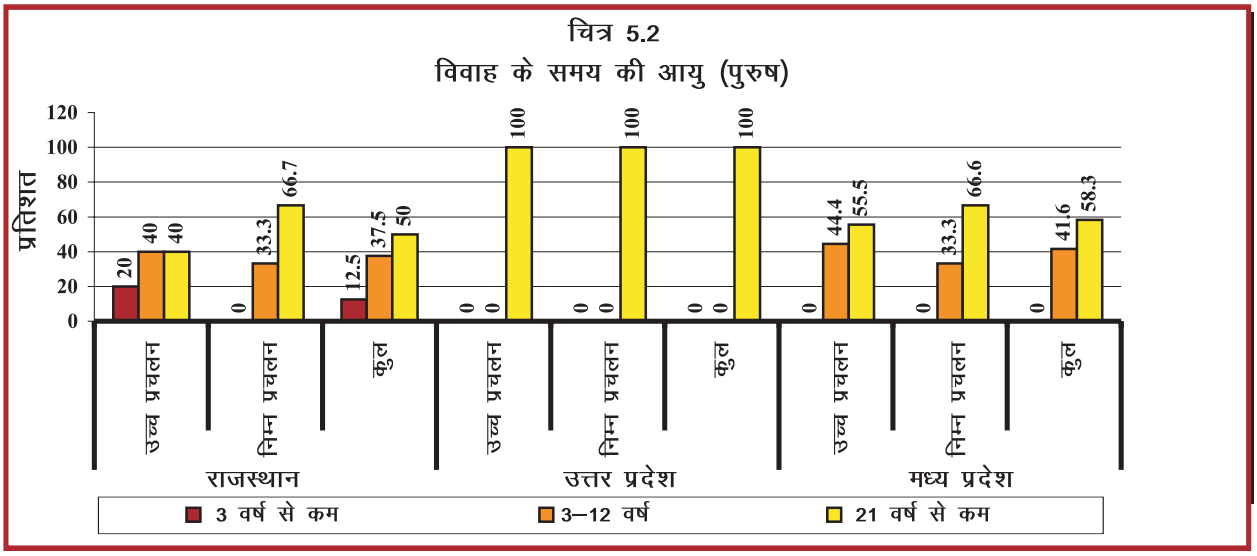

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

राजस्थान में, 37% पुरुष उत्तरदाताओं का विवाह उस समय हो गया था, जब उनकी आयु 12 वर्ष से कम की थी और एक का विवाह 3 वर्ष से कम की आयु में हो गया था (अनुलग्नक III, अनुसूची 2, मद 14 देखें)। सापेक्ष रूप से, टोंक के पुरुष उत्तरदाताओं का विवाह छोटी आयु में हो गया था। टोंक में ऐसे 60% पुरुष उत्तरदाता थे, जबकि जयपुर में एक–तिहाई पुरुष उत्तरदाताओं का विवाह 12 वर्ष से कम की आयु में हुआ था।

मध्य प्रदेश में 41.6% पुरुष उत्तरदाताओं का विवाह उस समय हुआ था, जब वे 3–12 वर्ष के आयु वर्ग में थे।

जहां तक महिला उत्तरदाताओं के विवाह के समय की आयु का संबंध है, राजस्थान में 50%, उत्तर प्रदेश में 91. 7% और मध्य प्रदेश में महिला उत्तरदाताओं ने 18 वर्ष से कम की आयु में विवाह किया था।

राजस्थान में, 50% महिला उत्तरदाताओं ने 8–13 वर्ष की आयु में विवाह किया था। टोंक में केवल एक ऐसी महिला उत्तरदाता थी, जिसने 18 वर्ष से कम की आयु में विवाह किया था। जयपुर की तीन महिला उत्तरदाताओं में से, दो का विवाह उस समय हुआ था, जब उनकी आयु 13 वर्ष से कम थी और एक की शादी उस समय हुई थी, जब वह 18 वर्ष से कम की आयु की थी। उत्तर प्रदेश में 8.3% महिला उत्तरदाताओं का विवाह उस समय हो गया था, जब वे 8–13 वर्ष के आयु–वर्ग में थीं। वाराणसी में, 12.5% महिला उत्तरदाताओं ने 8–13 वर्ष से कम की आयु में विवाह किया था। मेरठ में, सभी चारों उत्तरदाताओं (100%) ने उस समय विवाह किया था, जब वे 18 वर्ष से कम की आयु की थीं।

मध्य प्रदेश में, शाजापुर की 50% महिला उत्तरदाताओं का विवाह 3–8 वर्ष की आयु में हुआ था, 30% का 8–13 वर्ष के बीच, और 20% का विवाह उस समय हुआ था, जब उनकी आयु 18 वर्ष से कम की थी। इसी प्रकार, भोपाल में 50% महिला उत्तरदाताओं का विवाह उस समय हुआ था, जब वे 8–13 वर्ष की आयु की थीं, जबकि अन्य 50% महिला उत्तरदाताओं का विवाह 18 वर्ष से कम की आयु में हुआ था।

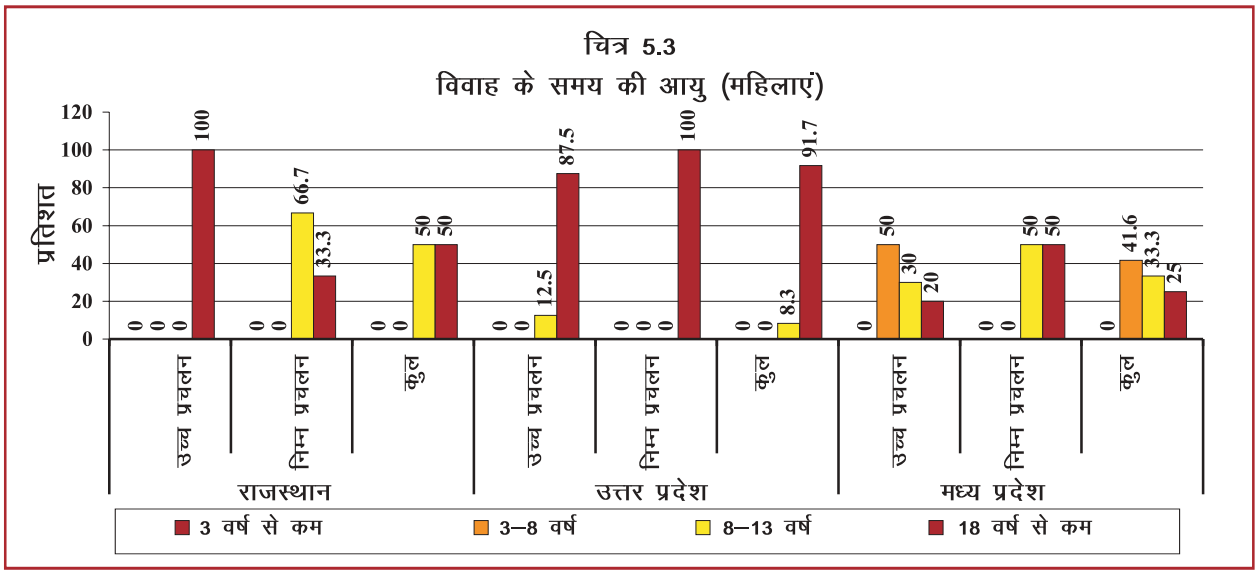

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

5.4.3 पंचायत सदस्यों की रूपरेखा

अध्ययन ने यह दर्शाया कि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में जितने पंचायत सदस्यों के साथ साक्षात्कार किया गया, उनमें से 80% और राजस्थान में ऐसे 100% पंचायत सदस्य हिन्दू थे। उत्तर प्रदेश में लगभग 60%, राजस्थान में 45%, और मध्य प्रदेश में 30% उत्तरदाता अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के थे।

राजस्थान में (45.5%) और मध्य प्रदेश में (80%) उत्तरदाता 40–50 वर्षों के आयु–वर्ग के थे। राजस्थान के टोंक जिले में दो–तिहाई उत्तरदाता 50 वर्ष से अधिक की आयु के थे, जबकि जयपुर में 37% उत्तरदाताओं की आयु 30 वर्ष से कम थी। उत्तर प्रदेश में 60% उत्तरदाता 50 वर्ष और उससे अधिक की आयु के थे और 40% उत्तरदाता मध्यम आयु–वर्ग, अर्थात 30–50 वर्ष के थे।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जितने पंचायत सदस्यों से साक्षात्कार किया गया था, वे सभी विवाहित थे, जबकि राजस्थान में एक–तिहाई पंचायत सदस्य अभी अविवाहित थे।

शिक्षा के अनुसार, राजस्थान में तीन उत्तरदाताओं ने स्नातक स्तर तक और उसके आगे की पढ़ाई की थी। लगभग 27% उत्तरदाताओं का शिक्षा कौशल निम्न स्तर का था, अर्थात प्राथमिक स्तर तक अथवा उससे भी कम था। टोंक जिले में तीन उत्तरदाताओं में से दो उत्तरदाताओं ने कक्षा 12 तक पढ़ाई की थी और एक उत्तरदाता कक्षा 5 तक पढ़ा था। जयपुर जिले में तीन ऐसे उत्तरदाता थे, जिनका शिक्षा कौशल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर से ऊपर का था। उत्तर प्रदेश में 60% उत्तरदाताओं ने माध्यमिक स्तर तक अध्ययन किया था, जबकि 3 उत्तरदाताओं (30%) ने केवल कक्षा 8 तक पढ़ाई की थी। मध्य प्रदेश में, 30% पंचायत सदस्य अनपढ़ थे, 30% ने माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई की थी और 30% ने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा पूरी की थी, जबकि एक उत्तरदाता (10%) स्नातक था।

राजस्थान में, नमूना गांवों के स्थानीय स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलापों में लगे थे। यह प्रवृत्ति दोनों जिलों के सभी गांवों से प्रदर्शित होती थी। उत्तर प्रदेश में (80%) और मध्य प्रदेश में (50%) में पंचायत सदस्य किसानों के रूप में काम करते थे, जबकि मध्य पदेश में 40% कृषि से भिन्न क्षेत्रों में काम करते थे।

जब निर्वाचित प्रतिनिधियों से उनके बच्चों की वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा गया तो राजस्थान में, अध्ययन किए गए क्षेत्र के लगभग एक–तिहाई निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपने बच्चों के विवाह किए हुए थे। दो जिलों के आंकड़े

भिन्न–भिन्न प्रवृत्तियां दर्शाते हैं। टोंक जिले के दो–तिहाई निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपने बच्चों के विवाह कर रखे थे, जबकि जयपुर में तीन–चौथाई से अधिक प्रतिनिधियों के बच्चे अविवाहित थे। चूंकि जयपुर में टोंक की तुलना में युवा निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रतिशत अधिक है, कदाचित इससे यह कारण स्पष्ट होता है कि जयपुर में अविवाहित बच्चों वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक क्यों है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सभी उत्तरदाताओं ने और मेरठ जिले में 80% उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके बच्चे विवाहित हैं। जबकि मध्य प्रदेश के भोपाल और शाजापुर जिलों में क्रमशः 80 प्रतिशत और 60 प्रतिशत ने यह सूचित किया कि उनके बच्चे अविवाहित हैं, और भोपाल में 20% और शाजापुर में 40% ने यह बताया कि उनके बच्चों के विवाह हो चुके हैं।

चित्र 5.4

पंचायत सदस्यों के बच्चों की वैवाहिक स्थिति

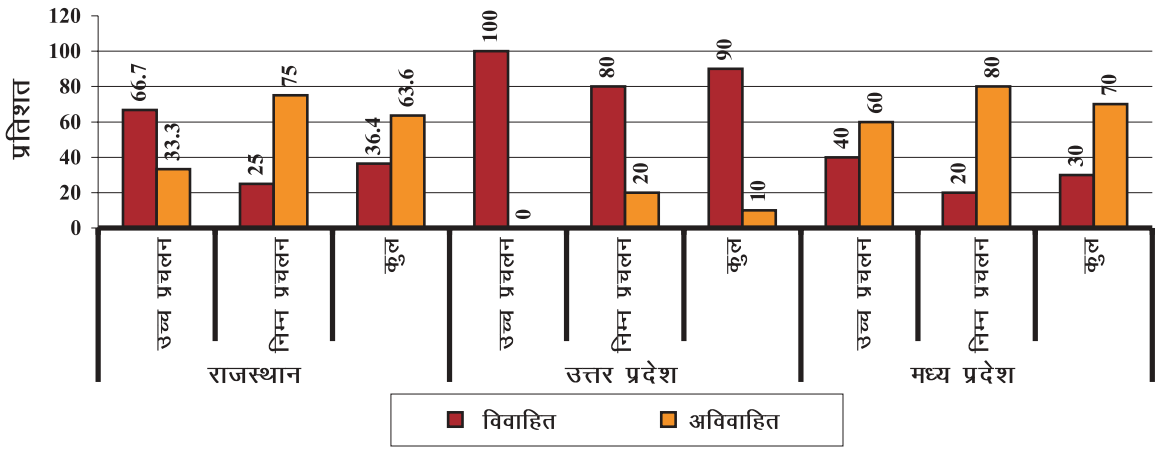

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

जब लड़कों के विवाह की सही आयु के बारे में पूछा गया, तो राजस्थान में बहुत सीमित मात्रा में उत्तर प्राप्त हुए। राजनैतिक नेता राजनैतिक रूप से कोई गलत बयाज देने से बचते रहे। केवल 18% उत्तरदाता इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करने के लिए सहमत हुए। प्राप्त उत्तरों से काफी दिलचस्प प्रवृत्तियों का पता चला। टोंक के सभी उत्तरदाताओं का विचार था कि सभी लड़कों को 20 वर्ष की कानूनी आयु के बाद विवाह करना चाहिए, इसके विपरीत जयपुर के सभी उत्तरदाताओं ने घोषित किया कि लड़कों को 21 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले विवाह करना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मामले में यह प्रकट था कि वे इस व्यवस्था में, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर, अपने अस्तित्व और अपनी उत्तरजीविता के लिए जाति, वर्ग और विश्वासों के संकीर्ण बंधनों से जुड़े थे अतः वे स्थानीय भावनाओं के विरुद्ध कोई दृढ़ विचार प्रकट करने को टालते थे।

जहां तक लड़कियों के विवाह के लिए सही आयु का संबंध है, राजस्थान से प्राप्त उत्तर यह दर्शाता था कि टोंक और जयपुर दोनों जिलों में, सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने (जो उत्तर देने के लिए राजी हो गए थे) यह कहा था कि लड़कियों के विवाह के लिए सही आयु 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए।

राजस्थान में प्राप्त उत्तरों के विपरीत, उत्तर प्रदेश में सभी पंचायत सदस्यों ने इस बात पर बल दिया कि लड़कों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वे यह पसंद करते हैं कि लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की कानूनी आयु के बाद हो।

चित्र 5.5

कानूनी आयु में विवाह को तरजीह देने वाले पंचायत सदस्य

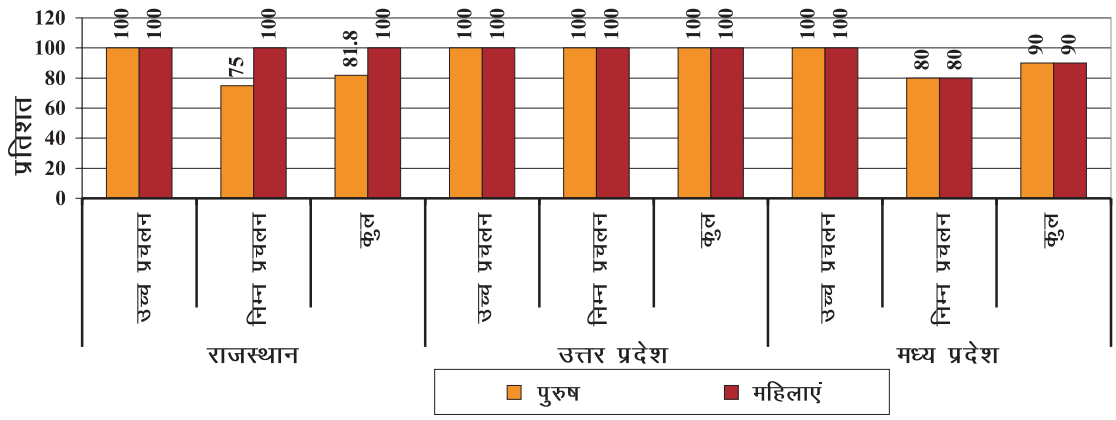

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

मध्य प्रदेश में शाजापुर में सभी 100% उत्तरदाताओं का विश्वास था कि लड़कों को तब विवाह करना चाहिए, जब वे 21 वर्ष से अधिक की आयु के हों और लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से अधिक की आयु में होना चाहिए। किन्तु, भोपाल में केवल 80% पंचायत सदस्य पसंद करते थे कि लड़कों और लड़कियों का विवाह कानूनी आयु में होना चाहिए। भोपाल में केवल एक उत्तरदाता ने यह कहा था कि लड़कों और लड़कियों को कानूनी रूप से अनुमोदित आयु से पहले विवाह करना चाहिए।

राजस्थान में, लगभग 45% और मध्य प्रदेश में 70% उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उनकी अपनी जातियों और समुदायों में बाल विवाह की घटनाएं हुई हैं। शाजापुर में, 80% ने कहा कि उनकी जाति/समुदाय बाल विवाह की प्रथा का अनुसरण नहीं करती/करता। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 60% पंचायत सदस्यों ने कहा कि उनकी अपनी जातियों और समुदयों में बाल विवाह किए जाते हैं और मेरठ में 20% ऐसा करते हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में किसी भी उत्तरदाता ने बाल विवाह का समर्थन नहीं किया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सभी उत्तरदाताओं ने यह कहा कि ग्राम पंचायतें केवल जिलों में मौजूद हैं और राजस्थान में केवल कुछ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने गांव में जाति पंचायत के विद्यमान होने की सूचना दी।

5.4.4 गैर–सरकारी संगठनों की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केवल 3 गैर–सरकारी संगठनों (प्रत्येक में 50 प्रतिशत) और राजस्थान में सभी गैर–सरकारी संगठनों ने स्वीकार किया कि वे 11 वर्षों से सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में सभी गैर–सरकारी संगठनों के उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके संगठन में 20 से अधिक स्टाफ सदस्य हैं, जबकि राजस्थान में एक–तिहाई संगठनों के स्टाफ में 5 से कम व्यक्ति हैं और शेष संगठनों के स्टाफ में 6–10 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में, 33.3% गैर–सरकारी संगठनों के स्टाफ में 6–10 व्यक्ति थे, जबकि अन्य शेष संगठनों में 10–20 कर्मचारी थे।

उत्तर प्रदेश में 83.3% गैर–सरकारी संगठन शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर काम करते थे और 83.3% संगठन महिला और बाल विकास के बारे में काम करते थे। राजस्थान में दोनों जिलों की प्रवृत्तियों से यह प्रकट हुआ कि नमूने के गैर–सरकारी संगठन महिला और बाल विकास, बाल अधिकारों, शिक्षा के संयुक्त मुद्दों और कुछ हद तक स्वास्थ्य के मुद्दों की ओर ध्यान देते थे।

मध्य प्रदेश में 66.7% गैर–सरकारी संगठन महिला और बाल विकास के मुद्दों पर और 50% गैर–सरकारी संगठन स्वास्थ्य के मुद्दों पर और 33.3% संगठन बाल अधिकारों के मुद्दों पर अपना अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं।

गैर–सरकारी संगठनों द्वारा अपने कार्य के क्षेत्रों में बाल विवाह की घटनाओं को संभालने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करना दिलचस्प था। उत्तर प्रदेश में, लगभग सभी गैर–सरकारी संगठन पूर्व–सक्रिय कार्रवाई में विश्वास करते थे और बाल विवाह से संबंधित मुद्दों के बारे में सलाह देने के सत्रों और जागरूकता अभियानों का आयोजन करते थे। राजस्थान के दो जिलों में, वे सभी गैर–सरकारी संगठन, जिनके साथ साक्षात्कार किया गया था, अपने क्षेत्रों में बाल विवाह की प्रथा और घटनाओं के खिलाफ काम करते थे और इसके लिए वे लोगों का मत बनाने वाले लोगों को प्रभावित करते थे और उन्हें इस बारे में संवेदनशील बनाते थे, और कानून लागू करने वाले अभिकरणों को संलग्न करते थे। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश में सभी उत्तरदाता गैर–सरकारी संगठन बच्चों के माता–पिता और परिवारों के अन्य सदस्यों से मिल कर और उन्हें मना कर बाल विवाह के मुद्दे पर काम करते हैं। इसके अलावा, प्रदेश में 66.7% गैर–सरकारी संगठन अपने क्षेत्र में बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के साथ समन्वय करते हैं और 16.7% गैर–सरकारी संगठन लोगों का मत बनाने वाले नेताओं के साथ बात करके इस प्रथा को रोकने का प्रयास करते हैं।

6
अध्ययन का विश्लेषण और परिणाम

6.1 परिवारों के मुखियाओं के उत्तर

बाल विवाह के पीछे की मुख्य पारिवारिक शक्ति का पता लगाने के प्रयास में, यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर उत्तरदाता, जिन्होंने बाल विवाह कराया था, या तो बच्चे के निकटतम परिवार के सदस्य थे अथवा उनके रिश्तेदार थे। लगभग 34.4% उत्तरदाताओं ने कहा कि बच्चे के रिश्तेदारों ने विवाह कराया है और 25.6% ने नोट किया कि आम तौर पर पुरोहित होता है जो बाल विवाह कराता है। उनमें से कुछ ने यह स्वीकार किया कि कभी–कभी परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भी यह अनुष्ठान करते हैं। मध्य प्रदेश में, अधिकतर मामलों में पुरोहित (34.8%) संबंधियों (30%) और पारिवारिक सदस्यों (28%) के साथ मिल कर ऐसे विवाह कराते हैं।

बाल विवाह की प्रथा को अभी भी आम लोगों द्वारा स्वीकृति दी जाती है, जैसाकि राजस्थान में उत्तरदाताओं की राय से प्रकट होता है। लगभग एक–तिहाई उत्तरदाता लड़कों के विवाह के निर्धारित कानूनी आयु से सहमत नहीं थे और इससे कुछ अधिक प्रतिशत उत्तरदाता लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी आयु को सही नहीं मानते थे। नमूने की कुल जनसंख्या में से लगभग 60% लोग यह स्वीकार करते थे कि विवाह के लिए कानूनी रूप से निर्धारित की गई आयु लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही आयु है।

चित्र 6.1
विवाह के लिए सही आयु (पुरुष)

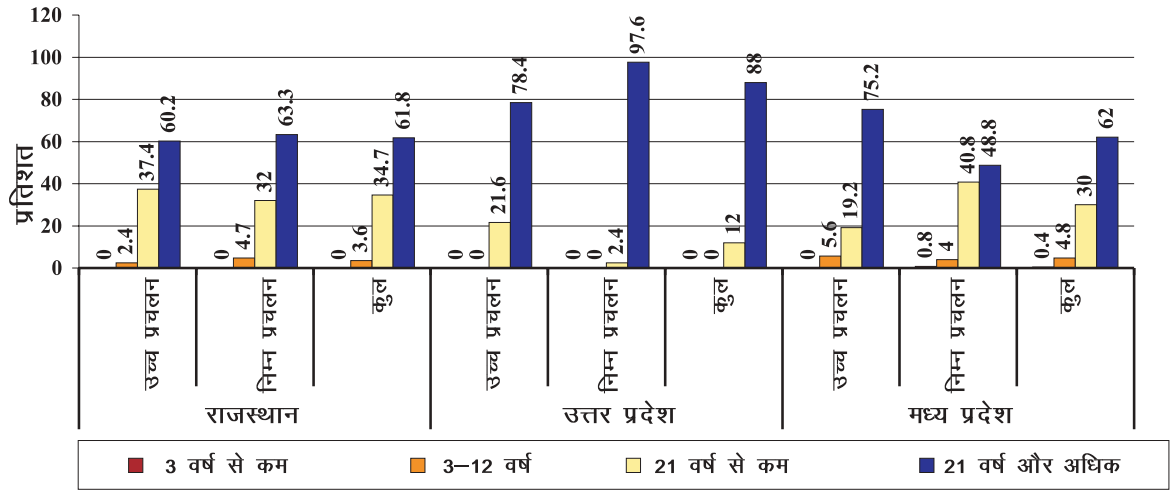

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

उत्तर प्रदेश में 88% उत्तरदाताओं (वाराणसी में 78.4% और मेरठ में 97.6%) का विश्वास था कि लड़कों को कानूनी आयु, अर्थात 21 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु में विवाह करना चाहिए। लेकिन, इसके साथ–साथ 12% (वाराणसी में 21.6%) का उत्तर था कि लड़कों को उस समय अवश्य विवाह कर लेना चाहिए, जब वे 21 वर्ष से कम के आयु के हों।

भोपाल में, केवल 48.8% उत्तरदाता यह पसंद करते थे कि लड़कों की शादी 21 वर्ष के बाद होनी चाहिए, जबकि शाजापुर में, जहां बाल विवाह का प्रचलन अधिक दिखाई देता है, 75.2% उत्तरदाता चाहते थे कि लड़कों की शादी

21 वर्ष से अधिक की आयु में हो। भोपाल में, 08% उत्तरदाता चाहते थे कि लड़कों का विवाह 3 वर्ष से कम की आयु में हो, 4% ने कहा था कि 3–12 वर्ष की आयु लड़कों के लिए सही आयु है और 40.8% यह पसंद करते थे कि लड़कों का विवाह 21 वर्ष से कम की आयु में हो। शाजापुर में, 5.6% उत्तरदाता यह पसंद करते थे कि लड़कों का विवाह 3–12 वर्षों की आयु में हो, जबकि 19.2% चाहते थे कि उनका विवाह 21 वर्ष से कम की आयु में हो। विवाह की सही आयु के बारे में लोगों के उत्तरों से यह प्रकट हुआ कि बहुत से लोग चाहते थे लड़कों और लड़कियों का विवाह उस समय हो जब वे विवाह की कानूनी आयु के हो जाएं। लेकिन वास्तव में लड़कों और विशेष रूप से लड़कियों को कम उम्र की अवस्था में विवाह करने के लिए विवश कर दिया जाता है।

चित्र 6.2
विवाह के लिए सही आयु (महिलाएं)

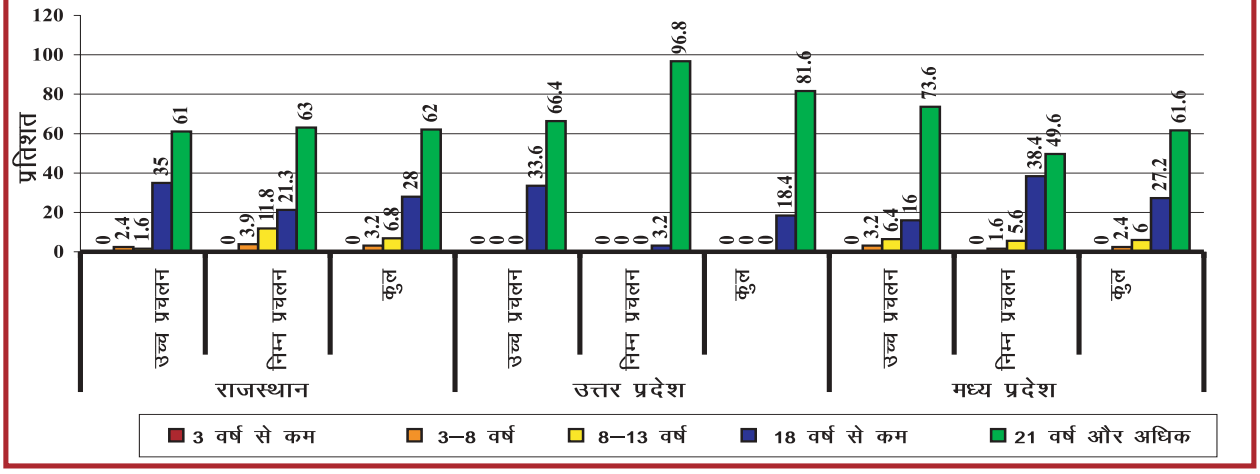

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

लड़कियों के लिए विवाह की सही आयु के बारे में दिए गए उत्तरों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 81.6% उत्तरदाता यह पसंद करते थे कि लड़कियों का विवाह 18 वर्ष और उससे अधिक आयु में हो।

भोपाल में, 38.4% ने यह कहा कि लड़कियों को 18 वर्ष से कम की आयु में विवाह करना चाहिए और शाजापुर में 16% इससे सहमत थे।

चित्र 6.3
छोटी आयु में विवाह के कारण

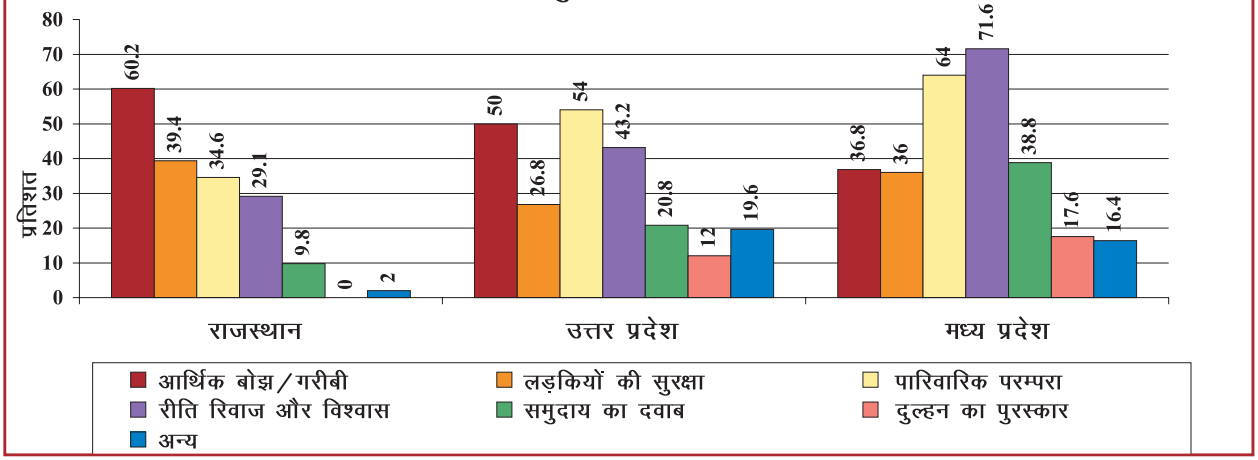

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

जैसाकि चित्र 6.3 में दिखाया गया है, गरीबी और पारिवारिक परम्पराएं सभी अध्ययन राज्यों में बाल विवाह प्रथा के जारी रहने के प्रमुख कारणों के रूप में उभर कर सामने आई हैं। राजस्थान में, आर्थिक बोझ अथवा गरीबी (60.2% उत्तरदाता) बाल विवाह की प्रथा का मुख्य कारण था। बालिका की सुरक्षा, रीति–रिवाज़, विश्वास और सामुदायिक दबाव को भी इस प्रथा के जारी रहने में योगदान देने वाले कारक समझा गया था। उत्तर प्रदेश में, परिवार की परम्परा (54%) बाल विवाह के चलन का मुख्य कारण थी और उसके बाद गरीबी (50%) का स्थान था। मध्य प्रदेश में, 71.6% उत्तरदाताओं ने राज्य में बाल विवाह की प्रथा के बने रहने का कारण प्रबल रूढ़ियों, विश्वासों और प्राचीन पारिवारिक परम्पराओं को ठहराया।

राजस्थान में, बाल विवाह की प्रथा विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में कतिपय जातियों और समुदायों की विशिष्ट विशेषता है। लगभग 40% लोगों का कहना था कि उनका संबंध जिस जाति/समुदाय से है, वह बाल विवाह प्रथा का पालन करता है। उत्तर प्रदेश में, 89.6% उत्तरदाताओं ने इस प्रथा के होने से इनकार किया, जबकि मध्य प्रदेश में 72. 2% अभी भी बाल विवाह करते हैं।

स्वयं अपने परिवारों में बाल विवाह की घटनाओं के बारे में बात करते हुए, राजस्थान में, औसत रूप से 44% उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके परिवारों में बाल विवाह की घटनाएं हुई हैं। टोंक जिले में ऐसे परिवारों की प्रतिशतता अधिक है।

उत्तर प्रदेश में, 37.2% उत्तरदाताओं ने स्वयं अपने परिवारों में बाल विवाह होने की घटनाओं की पुष्टि की। वाराणसी में इसकी प्रतिशतता अधिक थी, जहां 60.8% उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके परिवार में बाल विवाह की घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में 61.6% ने दावा किया कि उनके परिवार में बाल विवाह की घटनाएं हुई हैं।

6.2 उन लोगों के उत्तर, जिनके विवाह 18 वर्ष से कम की आयु में हुए थे

उन उत्तरदाताओं से, जो बाल विवाह की प्रथा के शिकार हुए थे, अनुरोध किया गया कि वे यह बताएं कि स्वयं अपने विवाह के समय 'विवाह' के बारे में उनकी समझ क्या थी। उनमें से लगभग दो–तिहाई ने कहा कि उनके लिए विवाह खुशियां मनाने का समय था। जब उनका विवाह हुआ था, तो उनको इस बात की समझ नहीं थी कि इसका मायने क्या है। उन्होंने विवाह के अनुष्ठान में यह समझते हुए भाग लिया कि यह एक समारोह है, आनंद मनाने का अवसर है। कुछ के लिए विवाह का अर्थ सबके आकर्षण का केन्द्र बनना था और विवाह के परिणामों को समझे बिना उस विशेष सुविधा वाली स्थिति का आनंद उठाना था।

उत्तर प्रदेश में, 18 वर्ष से कम आयु में विवाहित 66.7% के लिए विवाह का मायने 'उत्सव मनाना', जबकि 41.7% के लिए इसका अर्थ 'आकर्षण का केन्द्र बनना' और 25% के लिए यह नए कपड़े पहनने का अवसर था। जिला स्तर पर वाराणसी में, 87.5% के लिए विवाह का अर्थ 'उत्सव मनाना' और 62.5% के लिए 'आकर्षण का केंद्र बनना' था। उनके अपरिपक्वता के स्तर पर, वे इस बात को महसूस करने की स्थिति में नहीं थे कि उनके विवाह हो गए हैं, बल्कि वे इसे उत्सव और किसी अन्य अवसर के रूप में समझते थे। मध्य प्रदेश में, 58.3% उत्तरदाताओं के लिए विवाह का अर्थ नए कपड़े पहनना और 41.6% के लिए इसका अर्थ उत्सव मनाना था।

कमल किशोर (बदला हुआ नाम), जो शाजापुर जिले में अध्ययन वाले गांव का एक 12–वर्षीय अनपढ़ लड़का था, का विवाह तीन वर्ष पहले हो गया था। जैसाकि अन्वेषणकर्ता को बताया गया था, उसके विवाह का कारण यह था कि उसे नए कपड़े, बाजा और मिठाई अच्छे लगते थे और उसे अपने वे अन्य मित्र अच्छे लगते थे, जिनका उससे पिछले वर्ष अखा तीज़ को विवाह हो गया था। शुरू में, वह अन्वेषणकर्ता से बात करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बाद में, साइकिल पर घूम कर खुशी उठाने के बहाने से वह बात करने के लिए राज़ी हो गया।

उसने स्वीकार किया कि वह विवाह के बारे में कुछ नहीं जानता था और अभी तक वह अपनी पत्नी से मिला नहीं था। वह केवल यह जानता था कि उसकी पत्नी *गौने* के बाद उसके घर आएगी और *गौना* 2–3 और वर्षों के बाद होगा। उसने बताया कि उसकी मां उसकी पत्नी को घर लाना चाहती है ताकि वह उसके कामों में उसकी सहायता कर सके। यह उसके पिता और चाचा थे, जो उसे पास के कस्बे में ले गए थे और जहां से उन्होंने उसके लिए कुछ नए कपड़े, जूते और मिठाइयां खरीदी थीं। उन्होंने उसे बताया था कि कुछ दिन बाद उसका विवाह हो जाएगा और वे सब एक बारात लेकर पड़ोसी गांव में जाएंगे, जहां वे बहुत अधिक खाना खाएंगे। इस विचार से वह उत्साहित हुआ और उसने वही किया, जो उसे कहा जाता था। बाद में, वे उसे मंदिर में ले गए और उसे बताया कि यदि वह विवाह से भाग गया अथवा यदि वह उस दिन खेलने चला गया, तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तदनंतर, इससे पहले कि वह विवाह शब्द का अर्थ समझ सकता, वह एक विवाहित व्यक्ति बन गया।

जब अन्वेषणकर्ता कमल किशोर के माता–पिता से बात करना चाहता था, तो प्रारंभ में उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वे इस बात से परिचित थे कि आजकल लोग शहर से गांव में आते हैं और वे इन विवाहों की भर्त्सना करते हैं। काफी मनाए जाने के बाद, वह अन्वेषणकर्ता से बात करने के लिए राज़ी हो गए। जब छोटी आयु में किए जाने वाले विवाहों और बाल–विवाहों के दुर्गुणों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उनका विवाह भी बचपन में हो गया था। उन्होंने अन्वेषणकर्ता से पूछा कि "हमारे जीवन में क्या बुराई है? हम अपने बच्चों के साथ खुश हैं।" उन्होंने अन्वेषणकर्ता से पूछा कि वह उनके मामलों में क्यों शामिल है। उन्होंने उससे यह भी पूछा कि उसका अभी तक विवाह क्यों नहीं हुआ है।

जब और आगे खोज की गई तो अधिकतर उत्तरदाताओं ने, जिनका विवाह 18 वर्ष से कम की आयु में हो गया था, यह बताया कि वे इतनी जल्दी विवाह नहीं करना चाहते थे। राजस्थान में, 83.3% ने यह प्रकट किया कि इतनी छोटी आयु में विवाह करने में उनकी रुचि नहीं थी, जबकि वाराणसी में 50% उत्तरदाता छोटी आयु में विवाह करना चाहते थे। इसी प्रकार, मेरठ जिले में 50% उत्तरदाता कम उम्र में शादी करना चाहते थे। भोपाल में सभी उत्तरदाताओं ने बलपूर्वक कहा कि वे शीघ्र शादी नहीं करना चाहते, और शाजापुर में 71.4% इससे सहमत थे।

जिन लोगों का विवाह 18 वर्ष से कम की आयु में हो गया था, उनके उत्तरों को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए राज्य–वार और जिला–वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

सारिणी 6.1

क्या वे छोटी आयु में विवाह करना चाहते थे?

राज्य	हां		नहीं		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	2	**16.7%**	10	**83.3%**	12	100.0%
टोंक	0	0.0%	6	100.0%	6	100.0%
जयपुर	2	33.3%	4	66.7%	6	100.0%
उत्तर प्रदेश	6	**50.0%**	6	**50.0%**	12	100.0%
वाराणसी	4	50.0%	4	50.0%	8	100.0%
मेरठ	2	50.0%	2	50.0%	4	100.0%
मध्य प्रदेश	2	**16.6%**	10	**83.3%**	12	100.0%
भोपाल	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%
शाजापुर	2	28.5%	5	71.4%	7	100.0%

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

युवा और अपरिपक्व होने के कारण, उत्तरदाता अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकते थे। इन बच्चों के माता–पिता को अपने बच्चों के विवाहों के संबंध में निर्णय करने की शक्ति प्राप्त थी। ऐसी आयु में, जब बच्चों को स्कूल जाने और खेलने की आवश्यकता होती है, उन्हें पति की पदवी और पत्नी दे दी गई, जिसके परिणामस्वरूप उन बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, स्वतंत्रता और विकास का अभाव हो गया।

बाल विवाह छोटी आयु में संपन्न किए जाते हैं, जब बच्चे में सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता नहीं होती और जब वह इस अनुष्ठान के परिणामों से अपरिचित होता है। इसके अलावा, माता–पिता और बच्चे के बीच का संबंध ऐसा होता है कि बच्चा शायद ही कभी अपने जीवन के बारे में फैसला करने में अपने माता–पिता के अधिकार के बारे में प्रश्न पूछता है। भारतीय समाज व्यवस्था में यह एक सामान्य नियम अथवा मानदंड है कि जब तक बच्चा अपने माता–पिता की देख–रेख में होता है, तब तक अपने बच्चे के जीवन के बारे में महत्त्वपूर्ण फैसले करने का विशेषाधिकार माता–पिता का होता है। भारतीय संदर्भ में यह बात आम तौर पर देखी जाती है कि माता–पिता अपने बड़े हो चुके (कानूनी रूप से), शिक्षित बच्चों को अपनी (माता–पिता की) पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए दबाव डालते हैं। इसलिए, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि राजस्थान में 50% उत्तरदाताओं ने, जिनका बाल विवाह हुआ था, यह कहा कि उन्हें विवाह करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 75% उत्तरदाताओं ने जोर देकर कहा था कि उन्हें विवाह के लिए विवश नहीं किया गया था, जबकि वाराणसी में 50% उत्तरदाताओं ने इस बात की पुष्टि की थी कि उन्हें विवश किया गया था। यह बात आश्चर्यजनक है कि मध्य प्रदेश के दोनों जिलों में, सभी उत्तरदाताओं ने यह कहा था कि उन्हें विवाह करने के लिए मजबूर किया गया था।

माता–पिता में से, यह पिता था, जिसने परिवार पर अपनी मर्ज़ी थोंपी। कभी–कभी किन्हीं मामलों में माता ने भी बाल–विवाह की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में 41.7% उत्तरदाताओं ने कहा कि पिता ने विवाह में जोर–जबरदस्ती की थी, जबकि इतने ही प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह कहा था कि विवाह के लिए विवश करने में संबंधियों का भी उतना ही हाथ था। वाराणसी जिले में, सभी उत्तरदाताओं ने यह व्यक्त किया कि पिता ने शादी के लिए मजबूर किया था, जबकि मेरठ में 80% ने कहा था कि वह पिता था, लेकिन 20% का कहना यह था कि रिश्तेदारों ने विवाह के लिए विवश किया था।

राजस्थान में बाल विवाह प्रथा की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि विवाह के अनुष्ठान के पश्चात दुल्हन को आम तौर पर उसके ससुराल वालों के घर तत्काल नहीं भेजा जाता। टोंक के केवल एक उत्तरदाता ने कहा था कि दुल्हन को उसके ससुराल के घर विवाह वाले दिन ही भेज दिया गया था। अन्य उत्तरदाताओं का कहना था कि यह विवाह के कुछ समय बाद होता है – सामान्य रूप से उस समय जब यह समझा जाता है कि लड़की इतनी परिपक्व हो गई है कि वह घर के काम–काज को संभाल सकती हो, जो आम तौर पर वह समय होता है, जब लड़की वयःसंधि की अवस्था पर पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश में, वाराणसी और मेरठ दोनों जिलों के 75% उत्तरदाताओं को विवाह वाले दिन ही ससुराल भेज दिया गया था। मध्य प्रदेश में 83.3% उत्तरदाताओं ने कहा था कि उन्हें सुसराल में विवाह के कुछ दिन/महीने बाद भेज दिया गया था और 16.6% को विवाह के दिन भेज दिया गया था।

राजस्थान में 50% से अधिक उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि उनके परिवारों में बाल विवाह प्रथा का अनुसरण किया गया था। जयपुर जिले में 66.7% और टोंक जिले में 50% ने यह बात दुहराई। उत्तर प्रदेश में सभी उत्तरदाताओं ने यह कहा कि उनके परिवारों में बाल विवाह किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी उन सभी लोगों ने, जिनके साथ साक्षात्कार किया गया था, इस बात को स्वीकार किया।

उन उत्तरदाताओं का बहुत बड़ा अनुपात, जिनका बाल विवाह हुआ था, बाल विवाह के विचार के खिलाफ था। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे, जो इस विचार का समर्थन करते थे। जयपुर की तुलना में टोंक के अधिक उत्तरदाता इस विचार का समर्थन करते हैं। जो इस प्रथा के विरोधी हैं, वे यह महसूस करते थे कि छोटी आयु में विवाह

ने उनके जीवन के अवसरों को बिगाड़ दिया है। वाराणसी और मेरठ दोनों जिलों में, आधे लोगों ने, जिनके साथ साक्षात्कार किया गया था, कहा कि वे बाल विवाह का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य लोग इसका समर्थन नहीं करते थे। मध्य प्रदेश में दोनों जिलों के सभी उत्तरदाताओं (पुरुष और महिला) ने कहा था कि वे बाल विवाह का समर्थन करते हैं।

चित्र 6.4
बाल विवाह का समर्थन/विरोध करने वालों का प्रतिशत

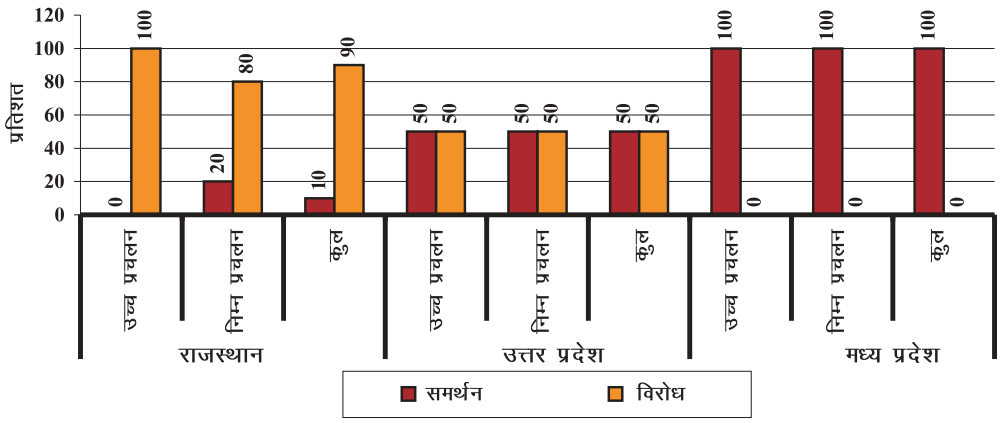

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

राजस्थान में, अधिकतर पुरुष उत्तरदाता यह स्वीकार करते थे कि किसी पुरुष के विवाह के लिए निर्धारित कानूनी आयु सही आयु है, लेकिन कुछ यह महसूस करते थे कि कम आयु में शादी करना उपयुक्त है। उनमें से लगभग एक–चौथाई पुरुष, जिनका अपना विवाह छोटी आयु में हो गया था, यह विचार रखते थे। दिलचस्प बात यह है कि सभी महिला उत्तरदाता विश्वास करती थीं कि पुरुषों को केवल तब विवाह करना चाहिए, जब वे 21 वर्ष के हो जाएं। लगभग तीन–चौथाई पुरुष उत्तरदाताओं का विचार था कि लड़कियों को कानूनी आयु का हो जाने के बाद विवाह करना चाहिए। राजस्थान के टोंक जिले से, 40% पुरुष उत्तरदाताओं का विश्वास था कि लड़कियों को जल्दी विवाह करना चाहिए। दोनों जिलों की सभी महिला उत्तरदाता मानती थीं कि लड़कियों को कानूनी आयु की हो जाने के बाद विवाह करना चाहिए। लड़कों और लड़कियों के विवाह की सही आयु के बारे में उत्तरदाताओं के बोध से संबंधित ये विशेष तालिकाएं एक विशिष्ट लैंगिक प्रवृत्ति (जैंडर ट्रेंड) का संकेत देती है। महिला उत्तरदाताओं ने विवाह की आयु के संबंध में एक प्रगतिशील रवैया प्रदर्शित किया है।

चित्र 6.5
विवाह के समय की सही आयु के बारे में उत्तर (पुरुष)

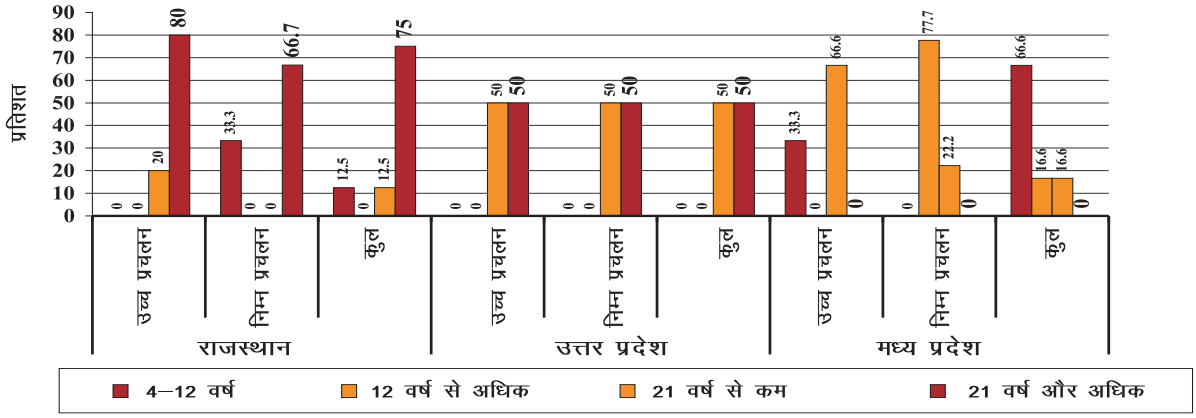

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

चित्र 6.6

विवाह के समय की सही आयु के बारे में उत्तर (महिलाएं)

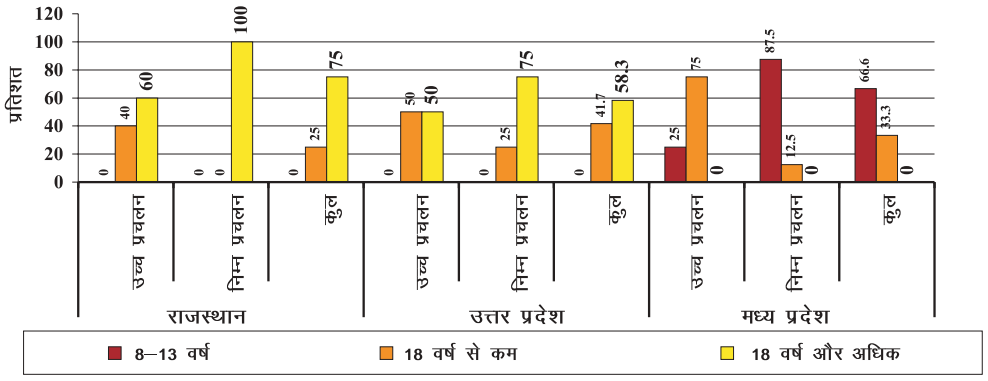

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मेरठ जिलों में, 50% उत्तरदाता इस बात को तरजीह देते हैं कि लड़कों का विवाह 21 वर्ष से पहले की आयु में हो, जबकि 50% चाहते थे कि उनका विवाह तब हो जब उनकी आयु 21 वर्ष से अधिक की हो। वाराणसी में, 50% उत्तरदाताओं ने यह कहा था कि वे यह पसंद करते हैं कि लड़कियों को 18 वर्ष से कम की आयु में विवाह करना चाहिए। जिले–वार, मेरठ में 87.5% उत्तरदाता चाहते थे कि लड़कियों का विवाह 8–13 वर्ष की आयु में हो और वाराणसी में 25% उत्तरदाता इससे सहमत थे। मेरठ में 55% यह पसंद करते थे कि लड़कियां 18 वर्ष से कम की आयु में विवाह करें। मध्य प्रदेश में उत्तरदाताओं का मत इससे भिन्न था और वे लड़कों की विवाह–योग्य आयु 4–12 वर्ष की मानते थे, जबकि 16% उत्तरदाता चाहते थे कि वे 12 वर्ष की आयु के बाद विवाह करें और 16.6% 21 वर्षों से कम की आयु को सही मानते थे। जहां तक लड़कियों के विवाह की सही आयु का संबंध है, 66.6% उनके विवाह के लिए 8–13 वर्ष की आयु को तरज़ीह देते थे।

जल्दी विवाह जरूरी नहीं : केस अध्ययन

वाराणसी के अध्ययन क्षेत्र में 16–वर्षीय संगीता की वास्तविक जीवन–कथा उन बहुत लड़कियों के रोष को उज़ागर करती है, जिन्हें छोटी आयु में विवाह करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। 'मैं उस परिवार की हूं, जिसमें पांच बेटियां हैं और मैं सबसे बड़ी बेटी हूं। इस घटना के समय, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारे एक रिश्तेदार मेरे अभिभावकों के पास मेरे विवाह का एक प्रस्ताव लेकर आए। दूल्हा 29 वर्ष का था और यह उसका दूसरा विवाह था। उसकी पहली पत्नी का देहान्त किसी गंभीर रोग के कारण दो वर्ष पहले हो गया था। चूंकि वे दहेज नहीं मांग रहे थे, इसलिए मेरी मर्जी जाने बिना यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। मैं इसका प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थी और मैं अपने आपको असहाय समझती थी, क्योंकि मेरी मां ने भी मेरा समर्थन नहीं किया। मैं दसवीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और 18–19 वर्ष की आयु में विवाह करना चाहती थी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता चाहती थी, जो मेरे माता–पिता को मेरी सोच से अवगत करा सकता हो।

सौभाग्यवश, हमारे समुदाय के एक व्यक्ति ने एक संगठन को मेरी दुर्दशा की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस की सहायता से पूछताछ की, लेकिन मेरे माता–पिता द्वारा इनकार कर दिए जाने के कारण वे मुझसे नहीं मिल पाए। मेरी शादी से एक दिन पहले, जो 2 जून 2006 को हुई थी, वे लोग आए और उन्होंने इसका विरोध किया। चूंकि यह विवाह स्थानीय मंदिर में हो रहा था, इसलिए हमारे समुदाय के लोगों ने मेरे माता–पिता का समर्थन किया और विवाह जल्दी–जल्दी संपन्न कर दिया गया।

विवाह के बाद, स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों ने पुलिस की सहायता से पूछताछ की। मेरे माता–पिता द्वारा मेरी वास्तविक आयु को छिपाया गया, लेकिन जब मुझसे पूछा गया तो मैंने वास्तविक कहानी सुना दी और अपने पिता के साथ जाने

से इनकार कर दिया। उन लोगों के प्रयत्नों से, मेरे पति और उसके परिवार के सदस्यों ने भी विदाई देर से करने की बात मान ली, जिसे स्थगित कर दिया गया, और दंड के भय के कारण उन्होंने मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि मैं वयस्क होने तक अपने घर में रहूं। मुझे अपने रिश्तेदारों और माता–पिता द्वारा किए गए बहिष्कार का सामना करना पड़ा, किन्तु आज मैं खुश हूं कि मेरी छोटी बहनों को बाल विवाह से होने वाला वैसा ही दुख नहीं उठाना पड़ेगा।'

यह उत्तर प्रदेश के एक 21–वर्षीय लड़के का दिलचस्प मामला है, जिसने अपनी यह कहानी सुनाई कि उसके माता–पिता द्वारा उसे छोटी आयु में विवाह करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वह छोटी आयु में विवाह के जाल में फंसने से बचने में सफल हो गया। "मेरे माता–पिता ने मुझ पर भावनात्मक रूप से दबाव डाला और मेरे विवाह के लिए 14 जून 2006 की तारीख निश्चित कर दी। मैं पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं करा सका, क्योंकि मेरे माता–पिता ने कहा था कि यदि मैं विवाह से बचने के लिए भाग जाऊंगा तो वे आत्मदाह कर लेंगे। इसलिए मैंने महाराष्ट्र में अपने मित्रों के साथ संपर्क किया, जिन्होंने मुझे कुछ सामाजिक संगठनों की जानकारी दी। मैंने इनमें से एक संगठन को पत्र लिखा और यह कहा कि मैं एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के बाद अपनी पसंद की लड़की से विवाह करना चाहता हूं। मेरे माता–पिता इस साधारण सी बात को नहीं समझ सके और वे समाज में अपनी तथाकथित प्रतिष्ठा की खातिर मेरी जीवन–वृत्ति को बलि चढ़ाना चाहते थे। उस संगठन ने मेरी स्थिति को समझा और जिस तरह से मैं चाहता था, उसी तरह से मेरी सहायता की। समाचार माध्यमों और पुलिस की सहायता से वे मेरे विवाह को मनसूख कराने में सफल हो गए। मेरे परिवार के सदस्य और मैं अवांछित बाल विवाह के जाल में फंसने से बच गए।"

भोपाल में अध्ययन क्षेत्र के एक गांव की एक अन्य लड़की ने बताया कि वह 18 वर्ष की है, हालांकि वह अन्वेषणकर्ता को 15 वर्ष की प्रतीत होती थी। उसने कहा कि विवाह के समय उसकी आयु 15 वर्ष की थी और वह कक्षा 8 में पढ़ रही थी। लेकिन वह विवाह के बाद स्कूल नहीं जा सकी, क्योंकि विवाह के बाद वह जिस गांव में रहती थी, वहां पर स्कूल नहीं था। उसने बताया कि वह विवाह के बारे में कुछ नहीं जानती थी और उसकी मां ने उसे कहा था कि वह शादी के समय बहुत छोटी थी और विवाह के कर्मकांड पूरी करने के लिए उसे गोद में संभाल कर रखा गया था। उसकी बड़ी बहन के मामले में भी ऐसा ही हुआ था और उसके पिता ने कहा था कि उनकी बहनों का विवाह भी लगभग उतनी ही आयु में हुआ था।

अब उसे इस तथ्य की जानकारी है कि बाल विवाह अच्छा नहीं होता और यदि उसे पढ़ने दिया गया होता, तो वह कक्षा 10 अथवा 12 को उत्तीर्ण कर गई होती। अब वह समझती है कि यदि किसी को विवाह के लिए मजबूर किए जाने की बजाय पढ़ने दिया जाए, तो वह स्वतंत्र हो सकती है और इससे उसे बेहतर जीवन प्राप्त हो सकता है। उसने यह भी समझ लिया है कि एक पति और विवाहित जीवन खुशी वाले जीवन की गारंटी नहीं है। वह पूछती है कि यदि कल उसके पति को कुछ हो जाए, तो उसका क्या होगा।" उसने अन्वेषणकर्ता को बताया कि यह बहुत अच्छी बात है कि अब सरकार बाल विवाहों को रोकने के लिए कदम उठा रही है। इससे बहुत सी लड़कियां अनचाहे शीघ्र विवाह में फंसने से बच जाएंगी और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और एक स्वतंत्र जीवन बिताने का विकल्प चुनने का अवसर मिल जाएगा।

6.3 पंचायत सदस्यों के उत्तर

बाल विवाह की प्रथा के बने रहने के कारणों के बारे में उत्तरदाताओं ने बहुत से कारण बताएं हैं, जो चित्र 6.7 में दर्शाए गए हैं।

राजस्थान में, जो सबसे प्रमुख कारण उभर कर सामने आए हैं, वे हैं गरीबी और सामुदायिक दबाव, जिससे बाल विवाह की प्रथा को जारी रखने में समर्थन मिलता है।

चित्र 6.7

पंचायत सदस्यों के अनुसार बाल विवाह के कारण

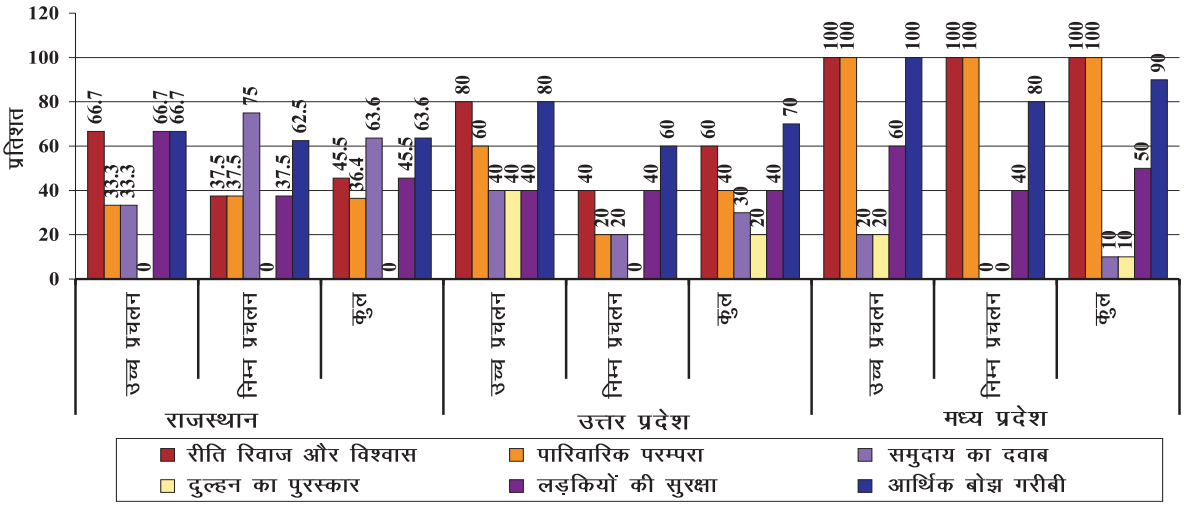

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

राजस्थान में, 45% उत्तरदाताओं के अनुसार राज्य में बाल विवाह की अधिक घटनाओं के कारण थे लड़कियों की सुरक्षा, मजबूत रीति–रिवाज़ और विश्वास। उत्तर प्रदेश में भी लड़कियों की सुरक्षा (40%), परम्परागत रीति–रिवाज और विश्वास (60%) को ही कारण बताया गया था। राजस्थान में लगभग 36%, उत्तर प्रदेश में 40% और मध्य प्रदेश में 100% उत्तरदाताओं का विश्वास था कि परिवार की परम्परा बाल विवाह की प्रथा को जारी रखने में योगदान देने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारण है। राजस्थान में किसी भी उत्तरदाता ने दुल्हन की कीमत का उल्लेख इस प्रथा में योगदान देने वाले कारक के रूप में नहीं किया, जबकि उत्तर प्रदेश में 20% उत्तरदाता दुल्हन की कीमत को बाल विवाह के एक कारण के रूप में देखते थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में और मध्य प्रदेश में क्रमशः 80% और 100% उत्तरदाताओं का विचार था कि रीति–रिवाज़ और विश्वास बाल विवाह के योगदाता कारक हैं।

6.4 गैर–सरकारी संगठनों के उत्तर

राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में, क्षेत्र में काम करने वाले गैर–सरकारी संगठनों ने सर्वसम्मति से गरीबी और लड़की की सुरक्षा को बाल विवाह की प्रथा के जारी रहने का कारण बताया है।

चित्र 6.8

गैर–सरकारी संगठनों के अनुसार बाल विवाह के कारण

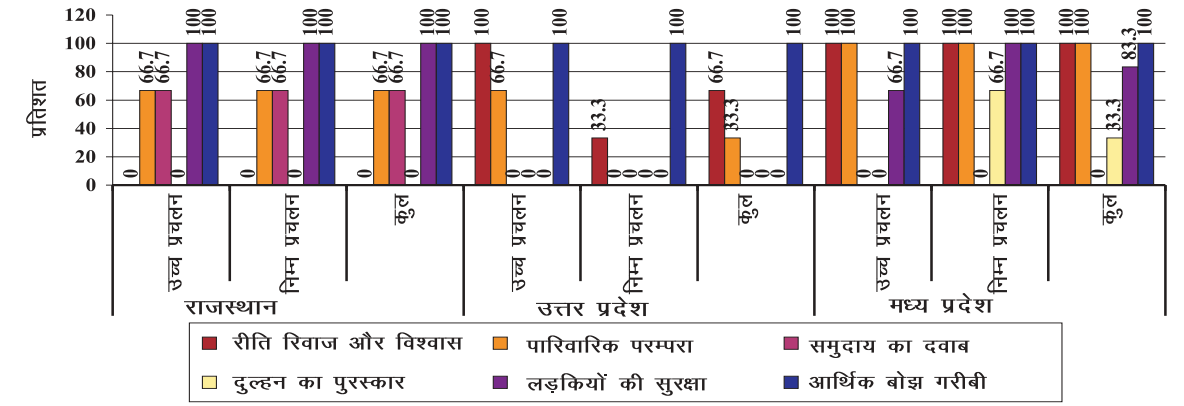

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

राजस्थान में, गैर–सरकारी संगठन रूपी उत्तरदाताओं के अनुसार सामुदायिक दबाव (66.7%) और पारिवारिक परम्परा भी बाल विवाह के कारण हैं। उत्तर प्रदेश में, 66.7% एनजीओ उत्तरदाताओं ने यह कहा कि रीति–रिवाज और विश्वास भी बाल विवाह की प्रथा के बने रहने में योगदान देते हैं।

मध्य प्रदेश में, गैर–सरकारी संगठनों से सभी उत्तरदाताओं का कहना था कि रीति–रिवाज और विश्वास, पारिवारिक परम्परा, गरीबी/आर्थिक कारक उस क्षेत्र में बाल विवाह की प्रथा के जारी रखने के प्रमुख कारण हैं। लगभग 83.3% ने यह कहा था कि लड़कियों की सुरक्षा भी एक कारण है, जबकि 33.33% ने यह कहा कि दहेज भी इस प्रथा के बने रहने में योगदान देती है (अनुबंध III, अनुसूची 3, मद तालिका 16 को देखें)। नीचे का ग्राफ (चित्र 6.8) इसी बात को उज़ागर करता है।

6.5 जिला मजिस्ट्रेटों के उत्तर

सभी राज्यों के सभी छः जिलों के जिला मजिस्ट्रेट रीति–रिवाजों, विश्वासों, पारिवारिक परम्परा और गरीबी को कानून और अनेक जागरूकता कार्यक्रम होने के बावजूद आधुनिक युग में बाल विवाह की प्रथा के होने और उसके जारी रहने के लिए जिम्मेदार समझते थे।

टोंक जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने इसके अलावा यह भी कहा कि सामुदायिक दबाव भी इस प्रथा में योगदान देता है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार रीति–रिवाज़, विश्वास, पारिवारिक परम्परा, सामुदायिक दबाव, दहेज, लड़की की सुरक्षा और गरीबी सब इकट्ठे मिलकर राज्य में बाल विवाह की प्रथा में योगदान देती हैं।

चित्र 6.9
जिला मजिस्ट्रेटों के अनुसार बाल विवाह के कारण

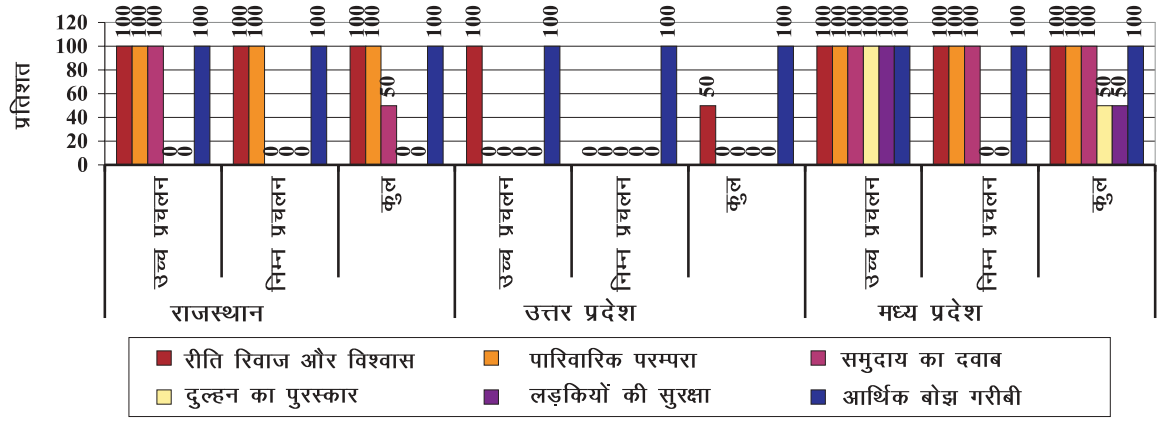

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

6.6 केंद्रित समूह चर्चाएं (एफजीडी)

इस अध्ययन का एक अधिक संतुलित एवं मुखर परिणाम प्रस्तुत करने के लिए, उन सभी छः जिलों में, जहां आंकड़े और डाटा एकत्र करने का काम किया गया था, केंद्रित समूह चर्चाएं आयोजित की गईं। स्थूल रूप से विषय से संबंधित प्रश्न निर्धारित करने के सिवाय, कोई मानकीकृत फार्मेट तैयार नहीं किया गया था। अंतर्राज्यीय विचारों में भिन्नता होने के बावजूद, अन्तर–जिला विचारों में समानता देखी गई। इसलिए, तीन राज्यों के छः जिलों के बारह गांवों में की गई चर्चाओं के आधार पर, केंद्रित समूह चर्चाओं के निष्कर्ष राज्य–वार प्रस्तुत किए गए हैं।

तीनों सभी राज्यों में, चर्चाओं के दौरान, बाल विवाह, बच्चों और युवाओं पर उसके प्रभाव और छोटी आयु के मातृत्व के परिणामों के मुद्दे को प्राथमिकता दी गई थी। राजस्थान में, अध्ययन समूह द्वारा महिलाओं से संबंधित मुद्दों के कुछ अन्य पहलुओं को उठाया गया था। इनको शामिल किया गया है और इसलिए निष्कर्षों को राज्य–वार प्रस्तुत किया गया है।

6.6.1 राजस्थान (जयपुर और टोंक) में केंद्रित समूह चर्चाओं के निष्कर्ष

दो जिलों, अर्थात जयपुर और टोंक में केंद्रित समूह चर्चाओं में उठाए गए मुद्दे और उत्तर नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:

मुद्दे	माता–पिता / सास–ससुर	युवा	महिला / गै.स.संगठन
लिंग समानता	लड़के और लड़कियों की भूमिकाएं अलग–अलग हैं और इसलिए लिंग समानता नहीं हो सकती।	व्यापक परिप्रेक्ष्य, लेकिन सामाजिक मानदंडों के आगे झुकना पड़ता है।	जयपुर में महिलाएं समाज में बड़ी भूमिका चाहती हैं, लेकिन टोंक में महिलाएं अपनी परवशता स्वीकार करती हैं। वे बड़ी भूमिका नहीं चाहतीं।
बाल विवाह अधिनियम की आवश्यकता	कानून भावनाओं को सम्मान देने के लिए स्थानी निवासियों के साथ सलाह करने के बाद बनाए जाने चाहिएं। टोंक में लोगों का विचार था कि सरकार द्वारा मूल रूप से निजी मामलों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।	जयपुर में युवा कानून से सहमत थे, किन्तु उनका कहना था कि घटिया कार्यान्वयन के कारण बाल विवाह होने जारी हैं। किन्तु टोंक में वे इस प्रथा के पक्ष में थे।	–
विवाह के लिए लड़के / लड़कियों की मंजूरी	उनका विचार था कि बच्चों के विवाह के मामले में माता–पिता सर्वोत्तम पारखी होते हैं, इसलिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। जयपुर में यह कहा गया था कि चूंकि विवाह कानूनी आयु में होते हैं, इसलिए मंजूरी लेना अच्छा होगा।	जयपुर में युवा कहते हैं कि मंजूरी लेना बहुत महत्त्वपूर्ण है।	–
विधवा पुनर्विवाह	विधवाएं नाता संबंध अपनाती हैं अथवा मृतक के भाई के साथ पुनर्विवाह करती हैं।	जयपुर में युवा पुनर्विवाह के पक्ष में हैं, लेकिन टोंक में नाता संबंध को तरजीह दी जाती है।	–
तलाक	तलाक के पक्ष में नहीं। इससे दोनों पक्षों की सामाजिक स्थिति को क्षति पहुंचती है।	कोई आपत्ति नहीं, यदि दोनों एकसाथ नहीं रह सकते। उनके विचार में समुदाय और परिवार का दबाव ऐसे कदम को रोकता है। किंतु टोंक में इस बारे में कुछ संकोच देखा गया था।	-
घरेलू हिंसा	कभी–कभार की घटनाओं को घरेलू हिंसा नहीं कहा जा सकता, जब तक कि यह बार–बार न हों। समुदाय हस्तक्षेप करता है।	घरेलू हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है।	ग्रामीण क्षेत्रों में कोई घरेलू हिंसा नहीं है। उनमें से कुछ मानते हैं कि पत्नी के पीटने को घरेलू हिंसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे पति के अधिकारों के विस्तार के रूप में देखा जाता है।

मुद्दे	माता–पिता / सास–ससुर	युवा	महिला / गै.स.संगठन
लड़की के स्वास्थ्य पर प्रभाव	जयपुर और टोंक दोनों स्थानों पर आम विचार यह था कि बड़ी आयु की तुलना में छोटी आयु में बच्चे का जन्म बेहतर और कम पेचीदा होता है। माता–पिता और सास–ससुर लड़कियों की देखभाल कर सकते हैं और करते हैं। इसलिए यह कोई मुद्दा नहीं है।	–	युवा माताओं के लिए समस्या है प्रसव की अथवा स्वास्थ्य संबंधी नहीं है, लेकिन उन्हें कम आयु में माता–पिता बनना कष्टप्रद और बोझिल लगता है।

6.6.2 उत्तर प्रदेश (वाराणसी और मेरठ) में केंद्रित समूह चर्चाओं के निष्कर्ष

वाराणसी और मेरठ दोनों जगहों पर केंद्रित समूह चर्चाओं के लिए समाज के सभी लोगों के 20–75 के आयु–वर्ग के उत्तर चुने गए थे। कुल मिलाकर, 176 व्यक्तियों को शामिल किया गया था, जिनमें से 87 वाराणसी से और 89 मेरठ से थे। समाज में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा के बने रहने के कारणों, बच्चों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के बारे में उनके विचार प्राप्त किए गए और इस बात की जानकारी भी प्राप्त की गई कि बाल विवाह के संबंध में मौजूदा कानूनों और बाल विवाह के लिए मिलने वाले दंड के बारे में उन्हें कहां तक जानकारी है।

वाराणसी और मेरठ दोनों स्थानों पर हुई केंद्रित समूह चर्चाओं के निष्कर्ष नीचे तालिका के रूप में दिए गए हैं।

मुद्दे	माता–पिता / सास–ससुर	युवा
बाल विवाह के कारण	रीति–रिवाजों, परंपराओं और विश्वास, लड़कियों की सुरक्षा और लड़कियां बोझ हैं। वे इस बारे में प्रश्न पूछने अथवा इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं देखते।	परिवार का दबाव, आर्थिक कारण, गरीबी, लैंगिक भेदभाव। युवा बाल विवाह का विरोध करते हैं। उनके अनुसार, बच्चों पर कम आयु में शादी करने के लिए माता–पिता / अभिभावकों द्वारा दबाव डाला जाता है।
बाल विवाह के प्रभाव	वे मानते हैं कि इसका लड़कियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन समूह में महिलाओं ने छोटी उम्र में विवाह करने और बच्चे के जन्म का बचाव किया और कहा कि इस अनुभव से उनका बुरा नहीं हुआ।	जनसंख्या में वृद्धि, शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जल्दी माता–पिता बनने से शिक्षा में व्यवधान आता है, बचपन समाप्त हो जाता है।
बाल विवाह का विरोध करने वाले कानूनों के बारे में जानकारी	बाल विवाह अधिनियम, विवाह की कानूनी आयु और इसका उल्लंघन करने पर मिलने वाले दंड के बारे में जानकारी न होना।	कानूनों के बारे में नाजानकार हैं; प्रवर्तन और दंड को मजबूत बनाना चाहते हैं। विवाह का पंजीकरण कराना चाहते हैं और लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर चाहते हैं।
बाल विवाह को रोकने के उपचारात्मक उपाय	सरकार को कानूनों को अधिक सुलभता से लागू करना चाहिए, गरीबी को कम करने के लिए परिवारों के वास्ते रोजगार के अवसर, और बाल विवाह के बारे में जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम।	• जागरूकता उत्पन्न करने के कार्यक्रम, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। • लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा। • पुलिस पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डालना। • लड़कियों, लड़कों और माता–पिता सहित सबके लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। • निम्न स्तर पर विवाहों का पंजीकरण। • रोज़गार के अवसर। • जो लोग बाल विवाह करते हैं, उनके दंड और कारावास में वृद्धि। • विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाना।

अध्ययन समूह ने बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में प्रशासन के विचारों का पता लगाने के लिए वाराणसी और मेरठ के जिला मजिस्ट्रेटों के साथ भी चर्चा की।

जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी के साथ हुई चर्चा से उद्धरण

वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट ने यह स्वीकार किया कि अध्ययन की अवधि में जिले में बाल विवाह की घटनाएं हुई हैं। उनके अनुसार, पुलिस और प्रशासन बाल विवाहों के खिलाफ लड़ने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें समूहों और समुदाय के समर्थन की आवश्यकता है। ये मुद्दे वैयक्तिक हैं और लोग दूसरे लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। उन परिवारों में, जहां बाल विवाह होते हैं, गवाह विरल रूप से मिलते हैं। एक घटना का उल्लेख करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले ने बाल विवाह के खिलाफ विरोध के कुछ मामले देखे हैं। पुलिस ने विरोध करने वालों को संपूर्ण समर्थन प्रदान किया था। उनका विचार था कि सरकार और गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से समाचार माध्यमों, स्कूलों और कालेजों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने से अगली पीढ़ी में बेहतर परिणाम निकल सकते हैं।

उनके अनुसार, अधिनियम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध दंड बाल विवाह के मामलों को नियंत्रित करने अथवा उनको रोकने के वास्ते पुलिस के लिए पर्याप्त हैं। वह अधिनियम के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए महिला और बाल विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें करते हैं।

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के साथ बातचीत

मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात की पुष्टि की कि पिछले आठ महीनों में कोई बाल विवाह नहीं हुआ है। वह बाल विवाह को गैर–कानूनी और अन्य अपराधों के बराबर का एक अपराध समझते हैं। जो लोग उसमें शामिल हों, उन्हें अवश्य दंड दिया जाना चाहिए। जिले में ऐसा कोई रीति–रिवाज़ अथवा ऐसा कोई खास मौसम नहीं है, जब समुदायों और समूहों में बाल विवाह संपन्न किए जाते हों। वह इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करते कि कुछ क्षेत्रों और समुदायों में बाल विवाह किए जाते हैं, लेकिन वे विवाह छद्म तरीके से किए जाते हैं, लेकिन वह उनका पता लगाने और स्थिति को संभालने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके अनुसार, अधिनियम के उपबंध बाल विवाह को रोकने के लिए पर्याप्त हैं, बशर्ते कि लोग प्रशासन की सहायता करें, क्योंकि बच्चों के खिलाफ की जाने वाली हिंसा को अकेले रोका नहीं जा सकता। उन्होंने इस बात की वकालत की कि हमारे समाज में, जिसमें वर्ग, धर्म और जाति की जटिलताएं और उलझनें हैं, यह जरूरी है कि इन घटनाओं से लड़ने में समुदाय और समूह भाग लें।

वह बाल विकास से संबंधित सरकारी अधिकारियों, जैसे डी.पी.ओ., सी.डी.पी.ओ. और बी.डी.ओ. की बैठकें आयोजित करते हैं और विभिन्न कानूनों को लागू करने के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

6.6.3 मध्य प्रदेश (भोपाल और शाजापुर) में केंद्रित समूह चर्चाओं के निष्कर्ष

केंद्रित समूह चर्चाएं मध्य प्रदेश के दो जिलों में आयोजित की गई थीं। आरसीएच–आरएचएस, 1998–99 डाटा के अनुसार, शाजापुर में बाल विवाह के प्रचलन की दर ऊंची (83.7%) है और भोपाल में प्रचलन दर नीची है। केंद्रित समूह चर्चाओं को आयोजित करने के लिए चुने गए गांवों का समूह, महिला और बाल विकास कार्यालय और उन पुलिस स्टेशनों के डाटाबेस से चुना गया था, जहां बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्टें पहले से कराई जा चुकी थीं। इस प्रकार, शाजापुर और भोपाल जिलों से कुल 10 गांव (प्रत्येक जिले से 5 गांव) चुने गए थे।

केंद्रित समूह चर्चाएं भोपाल में चन्दूखेड़ी गांव में आयोजित की गई थीं, जहां बाल विवाह का कम प्रचलन है। भाग लेने वालों को भोपाल के जनजातीय क्षेत्रों से लिया गया था। चर्चा में 15 हिन्दू जनजातीय लोग मौजूद थे, जिनमें 20–50 वर्ष के आयु–वर्ग के 9 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल थीं। पांच महिलाएं गृहणियां थीं, जबकि एक महिला श्रमिक थी और 9 पुरुष गांव में मजदूरों के रूप में काम करते थे।

शाजापुर गैर–जनजातीय लोग भी केंद्रित समूह चर्चाओं के भाग थे। एफजीडी में शाजापुर के सुनेरा और सुंदरसी गांव लक्ष्यगत थे। सुनेरा गांव में एफजीडी के लिए 15 उत्तरदाता थे, जिनमें 11 पुरुष थे और 4 महिलाएं थीं। सभी 4 महिलाएं गृहणियां थीं। एक पुरुष किसान था, एक अन्य अध्यापक था और शेष पुरुष मजदूर थे। वे 28–50 वर्ष के आयु–वर्ग के थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं ने चर्चा में भाग नहीं लिया। केंद्रित समूह चर्चा का संचालन गांव के खुले प्लेटफार्म पर किया गया था। सुंदरसी गांव में 15 ग्रामवासियों ने एफजीडी में भाग लिया, जिनमें से 10 पुरुष थे और 5 महिलाएं थीं। यह गांव एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभरा है, जिसमें बाल विवाह मामलों की ऊंची दर है। चर्चा में भाग लेने वाले लोग 25–50 वर्ष के आयु–वर्ग के थे। केंद्रित समूह चर्चा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के घर में आयोजित की गई थी।

भोपाल और शाजापुर दोनों में हुई केंद्रित समूह चर्चाओं के निष्कर्ष नीचे तालिका के रूप में दिए गए हैं।

मुद्दे	उत्तर
बाल विवाह का अर्थ	• भाग लेने वालों ने बाल विवाह की परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित की और स्वीकार किया कि इसका लड़की के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए यह बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। • सुनेरा और सुंदरसी गांवों के उत्तरदाताओं का विचार था कि यह हानिकारक नहीं है और व्यक्तिगत चुनाव का मामला है और इसमें सरकारी अथवा कानूनी हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। • बाल विवाह को सभी लड़कियों का विवाह जल्दी करने के बोझ को उतरने के रूप में देखा जाता था।
विवाह की आयु	• भोपाल में उत्तरदाताओं ने कहा कि दहेज विवाह की आयु तय करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि बड़ी लड़की की शादी का परिणाम अधिक दहेज की अदायगी होता है। कुछ उत्तरदाताओं ने कहा कि 15–16 वर्ष की आयु विवाह करने की आदर्श आयु है। • गरीबी और आर्थिक बातें लोगों को शादी जल्दी करने की ओर धकेल देती हैं। बचत करने के उद्देश्य से सहोदरों के संयुक्त विवाह का परिणाम यह होता है कि अवयस्क बच्चों का विवाह बड़े बच्चों/बेटियों के विवाह के साथ–साथ हो जाता है। • शाजापुर में कुछ भाग लेने वालों ने नोट किया कि विवाह की आदर्श आयु लड़कों और लड़कियों के लिए 18–21 वर्ष की है, क्योंकि तब तक वे परिपक्व हो जाते हैं। विवाह में विलम्ब होने से उपयुक्त और अच्छा वर ढूंढने में समस्या हो सकती है।
बाल विवाह को रोकने के लिए सुझाए गए उपाय	• दहेज का उन्मूलन • जागरूकता उत्पन्न करने के अभियान। • लोगों की शिक्षा, जिसमें लड़कों और लड़कियों की शिक्षा को सार्वजनीन बनाना शामिल है। • सरकार को वित्तीय सहायता के लिए और लड़कों और लड़कियों के लिए पर्याप्त शिक्षा के लिए कदम उठाने चाहिएं। • कानून को कड़ाई से लागू करना। • बाल विवाह के नकारात्मक प्रभाव की जानकारी देना।

मुद्दे	उत्तर
	• जो ग्रामवासी नियमों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई • पंचायतें इस प्रथा को रोक सकती हैं और इसके अलावा इस मुद्दे पर जागरूकता उत्पन्न कर सकती हैं। • जो परिवार बाल विवाह करते हैं, उन्हें सरकार द्वारा हर प्रकार की सहायता देना बंद कर दिया जाना चाहिए।
बाल विरोधी कानूनों के बारे में जानकारी	• शाजापुर में लोगों को इस बात की जानकारी है कि बाल विवाह के खिलाफ कानून बने हुए हैं। • शाजापुर में लोगों को कानूनी आयु संबंधी कानूनों की जानकारी थी।
बाल विवाह के बारे में राय	• दो उत्तरदाता बाल विवाह के पक्ष में थे, क्योंकि एक के अनुसार वे समाज के लिए हानिकारक नहीं हैं और इसलिए वे जारी रहने चाहिएं। इसके अलावा, वे जिम्मेदारियों को दूर कर सकते हैं। • मुस्लिम समाज के दो उत्तरदाता इसके विरुद्ध थे। • अधिकतर उत्तरदाता इसके खिलाफ हैं, लेकिन सामाजिक दबाव उन्हें इस प्रथा का अनुसरण करने के लिए विवश कर देता है।
बाल विवाह के कारण	• सामाजिक दबाव। • गरीबी • निरक्षरता • राजनैतिक प्रतिबद्धता का अभाव। • यह डर कि विवाह में विलंब होने से लड़की और लड़का भविष्य में अविवाहित रहेंगे। • एक उत्तरदाता ने कहा था कि रजस्वला बनने से पहले लड़की का विवाह करना एक पवित्र कार्य है। एक लड़की का अपने पिता के घर वयस्क होना और रजस्वला होना पाप समझा जाता था और इसलिए लड़कियों का विवाह जल्दी कर दिया जाता है। • एक अन्य ग्रामवासी ने यह बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह इसलिए किए जाते हैं, क्योंकि लोगों को उनके कुप्रभावों की जानकारी नहीं है।

6.7 केंद्रित समूह चर्चाओं पर चर्चा और उनका विश्लेषण

बाल विवाह करने वाले परिवारों का संबंध विभिन्न जनजातियों से है और उनमें से प्रत्येक में यह विश्वास करने की प्रवृत्ति है कि यह प्रथा उनकी अपनी जनजाति की विशिष्ट विशेषता है और एक सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिमान है। इसलिए, वे प्रायः यह महसूस करते हैं कि बाल विवाह से संबंधित किसी मामले का अन्वेषण करना उनके वैयक्तिक विश्वासों और परंपराओं में हस्तक्षेप करना है और इसलिए वे इसके बारे में बहुत सतर्क हो जाते हैं।

अधिकतर जिलों में हुई केंद्रित समूह चर्चाओं से पता चला कि गरीबी बाल विवाह का मुख्य कारण है। अधिकतर केंद्रित समूह चर्चाओं में, उत्तरदाताओं ने यह कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से यह विश्वास करते हैं कि बाल विवाह वयस्क विवाह से न केवल कम खर्चीले हैं, बल्कि उन्हें सम्पन्न करना अधिक आसान है और इसलिए वे इसे तरजीह देते हैं। कुछ केंद्रित समूह चर्चाओं से यह संकेत मिलता है कि कुछ लोग बाल विवाह को अपने बच्चे/बच्चों की जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम तरीका समझते हैं। एफजीडी से यह भी बहुत स्पष्ट हुआ कि कानूनी

आयाम इस प्रथा को रोकने के लिए न तो पर्याप्त हैं और न ही पर्याप्त मजबूत। भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों ने सुझाव दिया कि बाल विवाहों को रोकने के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वित्तीय रूप से सहायता देने के लिए और उन्हें परामर्श देने के लिए एक कानूनी फोरम/ संवैधानिक निकाय होना चाहिए। एफजीडी में भाग लेने वाले कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वे बाल विवाह को एक सुरक्षित संस्था मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यौन दुरुपयोग और समाज की दुर्भावनाओं की रोकथाम होती है।

यह पाया गया था कि भोपाल, जयपुर, मेरठ और वाराणसी में लोग बाल विवाह के बारे में तुलनात्मक रूप से अधिक जागरूक और समायोजित थे। इसके बावजूद, इन जिलों में बहुत से लोग इसे एक सामाजिक बुराई समझने की बजाय, इसे उस समाज के रीति–रिवाज़ का भाग समझते थे, जिसमें वे रहते थे। कानून और कानून लागू करने वाले अभिकरणों दोनों को नरम पाया गया था और बाल विवाह और उसकी रोकथाम के प्रति उनका रुख उदासीन था।

6
अध्ययन का विश्लेषण और परिणाम

6.1 परिवारों के मुखियाओं के उत्तर

बाल विवाह के पीछे की मुख्य पारिवारिक शक्ति का पता लगाने के प्रयास में, यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर उत्तरदाता, जिन्होंने बाल विवाह कराया था, या तो बच्चे के निकटतम परिवार के सदस्य थे अथवा उनके रिश्तेदार थे। लगभग 34.4% उत्तरदाताओं ने कहा कि बच्चे के रिश्तेदारों ने विवाह कराया है और 25.6% ने नोट किया कि आम तौर पर पुरोहित होता है जो बाल विवाह कराता है। उनमें से कुछ ने यह स्वीकार किया कि कभी–कभी परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भी यह अनुष्ठान करते हैं। मध्य प्रदेश में, अधिकतर मामलों में पुरोहित (34.8%) संबंधियों (30%) और पारिवारिक सदस्यों (28%) के साथ मिल कर ऐसे विवाह कराते हैं।

बाल विवाह की प्रथा को अभी भी आम लोगों द्वारा स्वीकृति दी जाती है, जैसाकि राजस्थान में उत्तरदाताओं की राय से प्रकट होता है। लगभग एक–तिहाई उत्तरदाता लड़कों के विवाह के निर्धारित कानूनी आयु से सहमत नहीं थे और इससे कुछ अधिक प्रतिशत उत्तरदाता लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी आयु को सही नहीं मानते थे। नमूने की कुल जनसंख्या में से लगभग 60% लोग यह स्वीकार करते थे कि विवाह के लिए कानूनी रूप से निर्धारित की गई आयु लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही आयु है।

चित्र 6.1
विवाह के लिए सही आयु (पुरुष)

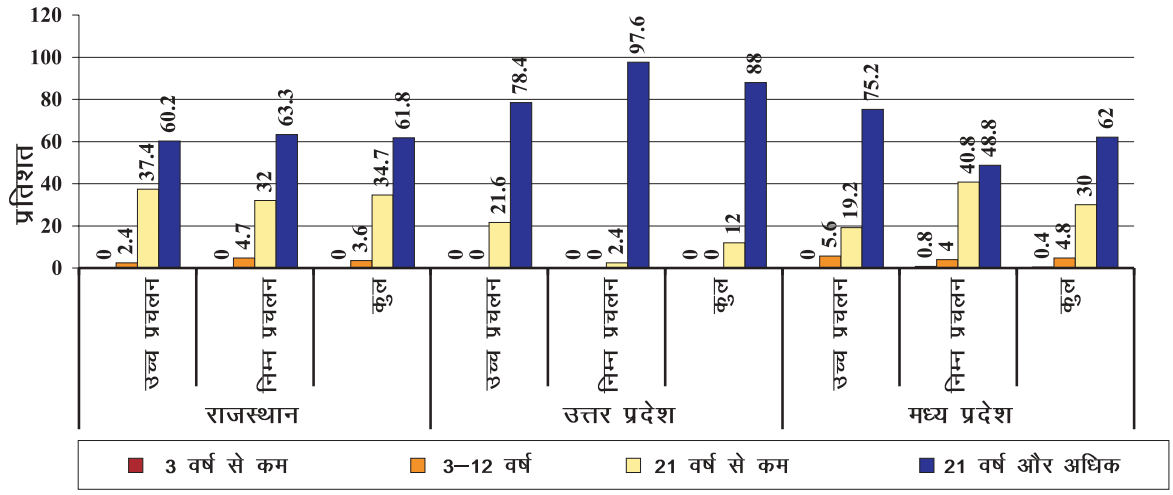

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

उत्तर प्रदेश में 88% उत्तरदाताओं (वाराणसी में 78.4% और मेरठ में 97.6%) का विश्वास था कि लड़कों को कानूनी आयु, अर्थात 21 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु में विवाह करना चाहिए। लेकिन, इसके साथ–साथ 12% (वाराणसी में 21.6%) का उत्तर था कि लड़कों को उस समय अवश्य विवाह कर लेना चाहिए, जब वे 21 वर्ष से कम के आयु के हों।

भोपाल में, केवल 48.8% उत्तरदाता यह पसंद करते थे कि लड़कों की शादी 21 वर्ष के बाद होनी चाहिए, जबकि शाजापुर में, जहां बाल विवाह का प्रचलन अधिक दिखाई देता है, 75.2% उत्तरदाता चाहते थे कि लड़कों की शादी

21 वर्ष से अधिक की आयु में हो। भोपाल में, 08% उत्तरदाता चाहते थे कि लड़कों का विवाह 3 वर्ष से कम की आयु में हो, 4% ने कहा था कि 3–12 वर्ष की आयु लड़कों के लिए सही आयु है और 40.8% यह पसंद करते थे कि लड़कों का विवाह 21 वर्ष से कम की आयु में हो। शाजापुर में, 5.6% उत्तरदाता यह पसंद करते थे कि लड़कों का विवाह 3–12 वर्षों की आयु में हो, जबकि 19.2% चाहते थे कि उनका विवाह 21 वर्ष से कम की आयु में हो। विवाह की सही आयु के बारे में लोगों के उत्तरों से यह प्रकट हुआ कि बहुत से लोग चाहते थे लड़कों और लड़कियों का विवाह उस समय हो जब वे विवाह की कानूनी आयु के हो जाएं। लेकिन वास्तव में लड़कों और विशेष रूप से लड़कियों को कम उम्र की अवस्था में विवाह करने के लिए विवश कर दिया जाता है।

चित्र 6.2
विवाह के लिए सही आयु (महिलाएं)

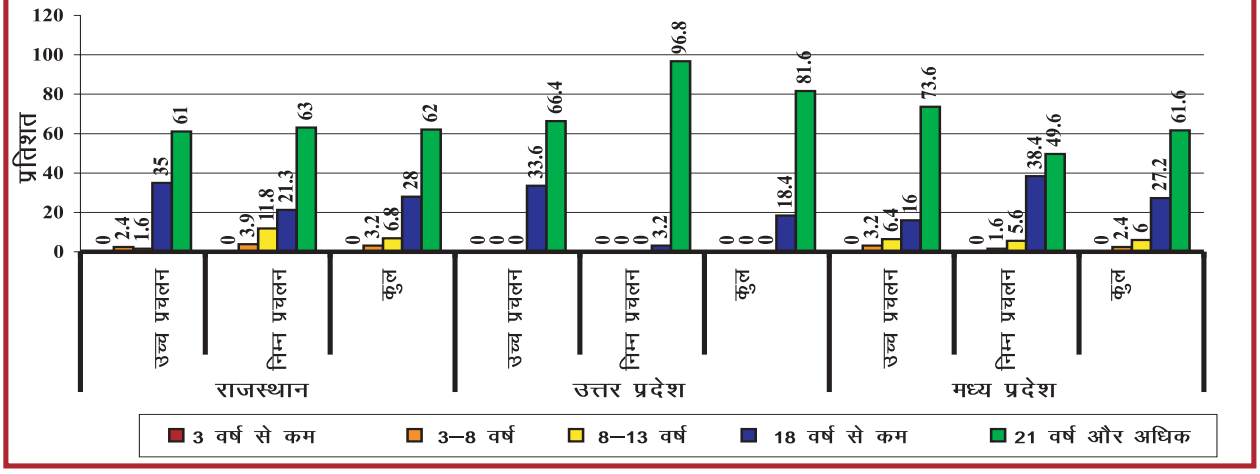

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

लड़कियों के लिए विवाह की सही आयु के बारे में दिए गए उत्तरों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 81.6% उत्तरदाता यह पसंद करते थे कि लड़कियों का विवाह 18 वर्ष और उससे अधिक आयु में हो।

भोपाल में, 38.4% ने यह कहा कि लड़कियों को 18 वर्ष से कम की आयु में विवाह करना चाहिए और शाजापुर में 16% इससे सहमत थे।

चित्र 6.3
छोटी आयु में विवाह के कारण

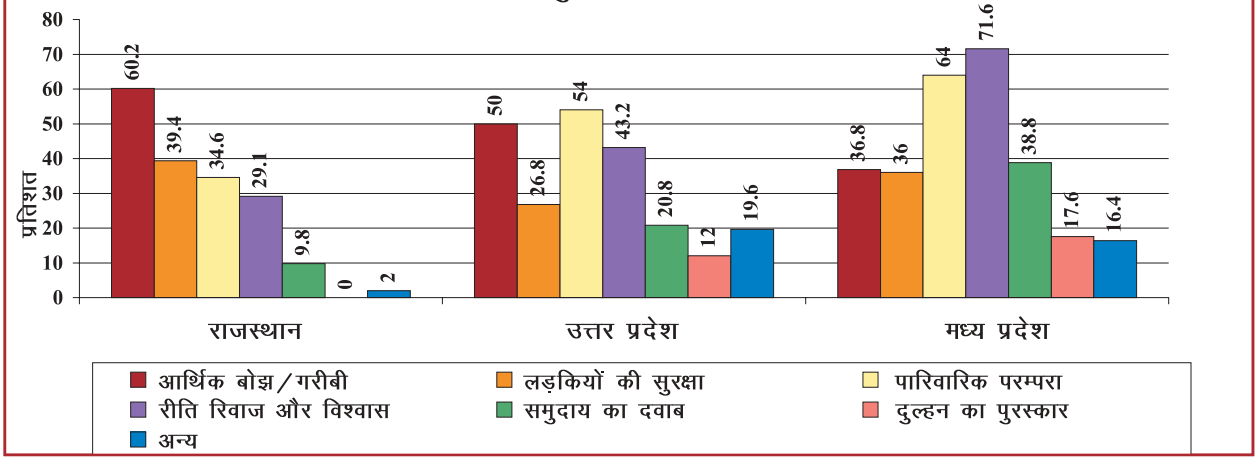

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

जैसाकि चित्र 6.3 में दिखाया गया है, गरीबी और पारिवारिक परम्पराएं सभी अध्ययन राज्यों में बाल विवाह प्रथा के जारी रहने के प्रमुख कारणों के रूप में उभर कर सामने आई हैं। राजस्थान में, आर्थिक बोझ अथवा गरीबी (60.2% उत्तरदाता) बाल विवाह की प्रथा का मुख्य कारण था। बालिका की सुरक्षा, रीति–रिवाज़, विश्वास और सामुदायिक दबाव को भी इस प्रथा के जारी रहने में योगदान देने वाले कारक समझा गया था। उत्तर प्रदेश में, परिवार की परम्परा (54%) बाल विवाह के चलन का मुख्य कारण थी और उसके बाद गरीबी (50%) का स्थान था। मध्य प्रदेश में, 71.6% उत्तरदाताओं ने राज्य में बाल विवाह की प्रथा के बने रहने का कारण प्रबल रूढ़ियों, विश्वासों और प्राचीन पारिवारिक परम्पराओं को ठहराया।

राजस्थान में, बाल विवाह की प्रथा विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में कतिपय जातियों और समुदायों की विशिष्ट विशेषता है। लगभग 40% लोगों का कहना था कि उनका संबंध जिस जाति/समुदाय से है, वह बाल विवाह प्रथा का पालन करता है। उत्तर प्रदेश में, 89.6% उत्तरदाताओं ने इस प्रथा के होने से इनकार किया, जबकि मध्य प्रदेश में 72. 2% अभी भी बाल विवाह करते हैं।

स्वयं अपने परिवारों में बाल विवाह की घटनाओं के बारे में बात करते हुए, राजस्थान में, औसत रूप से 44% उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके परिवारों में बाल विवाह की घटनाएं हुई हैं। टोंक जिले में ऐसे परिवारों की प्रतिशतता अधिक है।

उत्तर प्रदेश में, 37.2% उत्तरदाताओं ने स्वयं अपने परिवारों में बाल विवाह होने की घटनाओं की पुष्टि की। वाराणसी में इसकी प्रतिशतता अधिक थी, जहां 60.8% उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके परिवार में बाल विवाह की घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में 61.6% ने दावा किया कि उनके परिवार में बाल विवाह की घटनाएं हुई हैं।

6.2 उन लोगों के उत्तर, जिनके विवाह 18 वर्ष से कम की आयु में हुए थे

उन उत्तरदाताओं से, जो बाल विवाह की प्रथा के शिकार हुए थे, अनुरोध किया गया कि वे यह बताएं कि स्वयं अपने विवाह के समय 'विवाह' के बारे में उनकी समझ क्या थी। उनमें से लगभग दो–तिहाई ने कहा कि उनके लिए विवाह खुशियां मनाने का समय था। जब उनका विवाह हुआ था, तो उनको इस बात की समझ नहीं थी कि इसका मायने क्या है। उन्होंने विवाह के अनुष्ठान में यह समझते हुए भाग लिया कि यह एक समारोह है, आनंद मनाने का अवसर है। कुछ के लिए विवाह का अर्थ सबके आकर्षण का केन्द्र बनना था और विवाह के परिणामों को समझे बिना उस विशेष सुविधा वाली स्थिति का आनंद उठाना था।

उत्तर प्रदेश में, 18 वर्ष से कम आयु में विवाहित 66.7% के लिए विवाह का मायने 'उत्सव मनाना', जबकि 41.7% के लिए इसका अर्थ 'आकर्षण का केन्द्र बनना' और 25% के लिए यह नए कपड़े पहनने का अवसर था। जिला स्तर पर वाराणसी में, 87.5% के लिए विवाह का अर्थ 'उत्सव मनाना' और 62.5% के लिए 'आकर्षण का केंद्र बनना' था। उनके अपरिपक्वता के स्तर पर, वे इस बात को महसूस करने की स्थिति में नहीं थे कि उनके विवाह हो गए हैं, बल्कि वे इसे उत्सव और किसी अन्य अवसर के रूप में समझते थे। मध्य प्रदेश में, 58.3% उत्तरदाताओं के लिए विवाह का अर्थ नए कपड़े पहनना और 41.6% के लिए इसका अर्थ उत्सव मनाना था।

कमल किशोर (बदला हुआ नाम), जो शाजापुर जिले में अध्ययन वाले गांव का एक 12–वर्षीय अनपढ़ लड़का था, का विवाह तीन वर्ष पहले हो गया था। जैसाकि अन्वेषणकर्ता को बताया गया था, उसके विवाह का कारण यह था कि उसे नए कपड़े, बाजा और मिठाई अच्छे लगते थे और उसे अपने वे अन्य मित्र अच्छे लगते थे, जिनका उससे पिछले वर्ष अखा तीज़ को विवाह हो गया था। शुरू में, वह अन्वेषणकर्ता से बात करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बाद में, साइकिल पर घूम कर खुशी उठाने के बहाने से वह बात करने के लिए राज़ी हो गया।

उसने स्वीकार किया कि वह विवाह के बारे में कुछ नहीं जानता था और अभी तक वह अपनी पत्नी से मिला नहीं था। वह केवल यह जानता था कि उसकी पत्नी *गौने* के बाद उसके घर आएगी और *गौना* 2–3 और वर्षों के बाद होगा। उसने बताया कि उसकी मां उसकी पत्नी को घर लाना चाहती है ताकि वह उसके कामों में उसकी सहायता कर सके। यह उसके पिता और चाचा थे, जो उसे पास के कस्बे में ले गए थे और जहां से उन्होंने उसके लिए कुछ नए कपड़े, जूते और मिठाइयां खरीदी थीं। उन्होंने उसे बताया था कि कुछ दिन बाद उसका विवाह हो जाएगा और वे सब एक बारात लेकर पड़ोसी गांव में जाएंगे, जहां वे बहुत अधिक खाना खाएंगे। इस विचार से वह उत्साहित हुआ और उसने वही किया, जो उसे कहा जाता था। बाद में, वे उसे मंदिर में ले गए और उसे बताया कि यदि वह विवाह से भाग गया अथवा यदि वह उस दिन खेलने चला गया, तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तदनंतर, इससे पहले कि वह विवाह शब्द का अर्थ समझ सकता, वह एक विवाहित व्यक्ति बन गया।

जब अन्वेषणकर्ता कमल किशोर के माता–पिता से बात करना चाहता था, तो प्रारंभ में उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वे इस बात से परिचित थे कि आजकल लोग शहर से गांव में आते हैं और वे इन विवाहों की भर्त्सना करते हैं। काफी मनाए जाने के बाद, वह अन्वेषणकर्ता से बात करने के लिए राज़ी हो गए। जब छोटी आयु में किए जाने वाले विवाहों और बाल–विवाहों के दुर्गुणों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उनका विवाह भी बचपन में हो गया था। उन्होंने अन्वेषणकर्ता से पूछा कि "हमारे जीवन में क्या बुराई है? हम अपने बच्चों के साथ खुश हैं।" उन्होंने अन्वेषणकर्ता से पूछा कि वह उनके मामलों में क्यों शामिल है। उन्होंने उससे यह भी पूछा कि उसका अभी तक विवाह क्यों नहीं हुआ है।

जब और आगे खोज की गई तो अधिकतर उत्तरदाताओं ने, जिनका विवाह 18 वर्ष से कम की आयु में हो गया था, यह बताया कि वे इतनी जल्दी विवाह नहीं करना चाहते थे। राजस्थान में, 83.3% ने यह प्रकट किया कि इतनी छोटी आयु में विवाह करने में उनकी रुचि नहीं थी, जबकि वाराणसी में 50% उत्तरदाता छोटी आयु में विवाह करना चाहते थे। इसी प्रकार, मेरठ जिले में 50% उत्तरदाता कम उम्र में शादी करना चाहते थे। भोपाल में सभी उत्तरदाताओं ने बलपूर्वक कहा कि वे शीघ्र शादी नहीं करना चाहते, और शाजापुर में 71.4% इससे सहमत थे।

जिन लोगों का विवाह 18 वर्ष से कम की आयु में हो गया था, उनके उत्तरों को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए राज्य–वार और जिला–वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

सारिणी 6.1

क्या वे छोटी आयु में विवाह करना चाहते थे?

राज्य	हां		नहीं		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	2	**16.7%**	10	**83.3%**	12	100.0%
टोंक	0	0.0%	6	100.0%	6	100.0%
जयपुर	2	33.3%	4	66.7%	6	100.0%
उत्तर प्रदेश	6	**50.0%**	6	**50.0%**	12	100.0%
वाराणसी	4	50.0%	4	50.0%	8	100.0%
मेरठ	2	50.0%	2	50.0%	4	100.0%
मध्य प्रदेश	2	**16.6%**	10	**83.3%**	12	100.0%
भोपाल	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%
शाजापुर	2	28.5%	5	71.4%	7	100.0%

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

युवा और अपरिपक्व होने के कारण, उत्तरदाता अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकते थे। इन बच्चों के माता–पिता को अपने बच्चों के विवाहों के संबंध में निर्णय करने की शक्ति प्राप्त थी। ऐसी आयु में, जब बच्चों को स्कूल जाने और खेलने की आवश्यकता होती है, उन्हें पति की पदवी और पत्नी दे दी गई, जिसके परिणामस्वरूप उन बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, स्वतंत्रता और विकास का अभाव हो गया।

बाल विवाह छोटी आयु में संपन्न किए जाते हैं, जब बच्चे में सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता नहीं होती और जब वह इस अनुष्ठान के परिणामों से अपरिचित होता है। इसके अलावा, माता–पिता और बच्चे के बीच का संबंध ऐसा होता है कि बच्चा शायद ही कभी अपने जीवन के बारे में फैसला करने में अपने माता–पिता के अधिकार के बारे में प्रश्न पूछता है। भारतीय समाज व्यवस्था में यह एक सामान्य नियम अथवा मानदंड है कि जब तक बच्चा अपने माता–पिता की देख–रेख में होता है, तब तक अपने बच्चे के जीवन के बारे में महत्त्वपूर्ण फैसले करने का विशेषाधिकार माता–पिता का होता है। भारतीय संदर्भ में यह बात आम तौर पर देखी जाती है कि माता–पिता अपने बड़े हो चुके (कानूनी रूप से), शिक्षित बच्चों को अपनी (माता–पिता की) पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए दबाव डालते हैं। इसलिए, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि राजस्थान में 50% उत्तरदाताओं ने, जिनका बाल विवाह हुआ था, यह कहा कि उन्हें विवाह करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 75% उत्तरदाताओं ने जोर देकर कहा था कि उन्हें विवाह के लिए विवश नहीं किया गया था, जबकि वाराणसी में 50% उत्तरदाताओं ने इस बात की पुष्टि की थी कि उन्हें विवश किया गया था। यह बात आश्चर्यजनक है कि मध्य प्रदेश के दोनों जिलों में, सभी उत्तरदाताओं ने यह कहा था कि उन्हें विवाह करने के लिए मजबूर किया गया था।

माता–पिता में से, यह पिता था, जिसने परिवार पर अपनी मर्ज़ी थोंपी। कभी–कभी किन्हीं मामलों में माता ने भी बाल–विवाह की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में 41.7% उत्तरदाताओं ने कहा कि पिता ने विवाह में जोर–जबरदस्ती की थी, जबकि इतने ही प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह कहा था कि विवाह के लिए विवश करने में संबंधियों का भी उतना ही हाथ था। वाराणसी जिले में, सभी उत्तरदाताओं ने यह व्यक्त किया कि पिता ने शादी के लिए मजबूर किया था, जबकि मेरठ में 80% ने कहा था कि वह पिता था, लेकिन 20% का कहना यह था कि रिश्तेदारों ने विवाह के लिए विवश किया था।

राजस्थान में बाल विवाह प्रथा की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि विवाह के अनुष्ठान के पश्चात दुल्हन को आम तौर पर उसके ससुराल वालों के घर तत्काल नहीं भेजा जाता। टोंक के केवल एक उत्तरदाता ने कहा था कि दुल्हन को उसके ससुराल के घर विवाह वाले दिन ही भेज दिया गया था। अन्य उत्तरदाताओं का कहना था कि यह विवाह के कुछ समय बाद होता है – सामान्य रूप से उस समय जब यह समझा जाता है कि लड़की इतनी परिपक्व हो गई है कि वह घर के काम–काज को संभाल सकती हो, जो आम तौर पर वह समय होता है, जब लड़की वयःसंधि की अवस्था पर पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश में, वाराणसी और मेरठ दोनों जिलों के 75% उत्तरदाताओं को विवाह वाले दिन ही ससुराल भेज दिया गया था। मध्य प्रदेश में 83.3% उत्तरदाताओं ने कहा था कि उन्हें सुसराल में विवाह के कुछ दिन/महीने बाद भेज दिया गया था और 16.6% को विवाह के दिन भेज दिया गया था।

राजस्थान में 50% से अधिक उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि उनके परिवारों में बाल विवाह प्रथा का अनुसरण किया गया था। जयपुर जिले में 66.7% और टोंक जिले में 50% ने यह बात दुहराई। उत्तर प्रदेश में सभी उत्तरदाताओं ने यह कहा कि उनके परिवारों में बाल विवाह किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी उन सभी लोगों ने, जिनके साथ साक्षात्कार किया गया था, इस बात को स्वीकार किया।

उन उत्तरदाताओं का बहुत बड़ा अनुपात, जिनका बाल विवाह हुआ था, बाल विवाह के विचार के खिलाफ था। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे, जो इस विचार का समर्थन करते थे। जयपुर की तुलना में टोंक के अधिक उत्तरदाता इस विचार का समर्थन करते हैं। जो इस प्रथा के विरोधी हैं, वे यह महसूस करते थे कि छोटी आयु में विवाह

ने उनके जीवन के अवसरों को बिगाड़ दिया है। वाराणसी और मेरठ दोनों जिलों में, आधे लोगों ने, जिनके साथ साक्षात्कार किया गया था, कहा कि वे बाल विवाह का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य लोग इसका समर्थन नहीं करते थे। मध्य प्रदेश में दोनों जिलों के सभी उत्तरदाताओं (पुरुष और महिला) ने कहा था कि वे बाल विवाह का समर्थन करते हैं।

चित्र 6.4
बाल विवाह का समर्थन/विरोध करने वालों का प्रतिशत

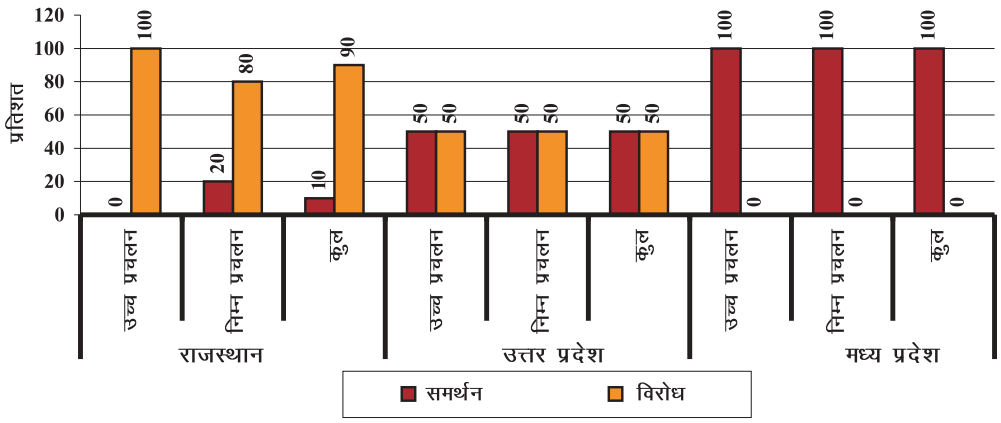

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

राजस्थान में, अधिकतर पुरुष उत्तरदाता यह स्वीकार करते थे कि किसी पुरुष के विवाह के लिए निर्धारित कानूनी आयु सही आयु है, लेकिन कुछ यह महसूस करते थे कि कम आयु में शादी करना उपयुक्त है। उनमें से लगभग एक–चौथाई पुरुष, जिनका अपना विवाह छोटी आयु में हो गया था, यह विचार रखते थे। दिलचस्प बात यह है कि सभी महिला उत्तरदाता विश्वास करती थीं कि पुरुषों को केवल तब विवाह करना चाहिए, जब वे 21 वर्ष के हो जाएं। लगभग तीन–चौथाई पुरुष उत्तरदाताओं का विचार था कि लड़कियों को कानूनी आयु का हो जाने के बाद विवाह करना चाहिए। राजस्थान के टोंक जिले से, 40% पुरुष उत्तरदाताओं का विश्वास था कि लड़कियों को जल्दी विवाह करना चाहिए। दोनों जिलों की सभी महिला उत्तरदाता मानती थीं कि लड़कियों को कानूनी आयु की हो जाने के बाद विवाह करना चाहिए। लड़कों और लड़कियों के विवाह की सही आयु के बारे में उत्तरदाताओं के बोध से संबंधित ये विशेष तालिकाएं एक विशिष्ट लैंगिक प्रवृत्ति (जैंडर ट्रेंड) का संकेत देती है। महिला उत्तरदाताओं ने विवाह की आयु के संबंध में एक प्रगतिशील रवैया प्रदर्शित किया है।

चित्र 6.5
विवाह के समय की सही आयु के बारे में उत्तर (पुरुष)

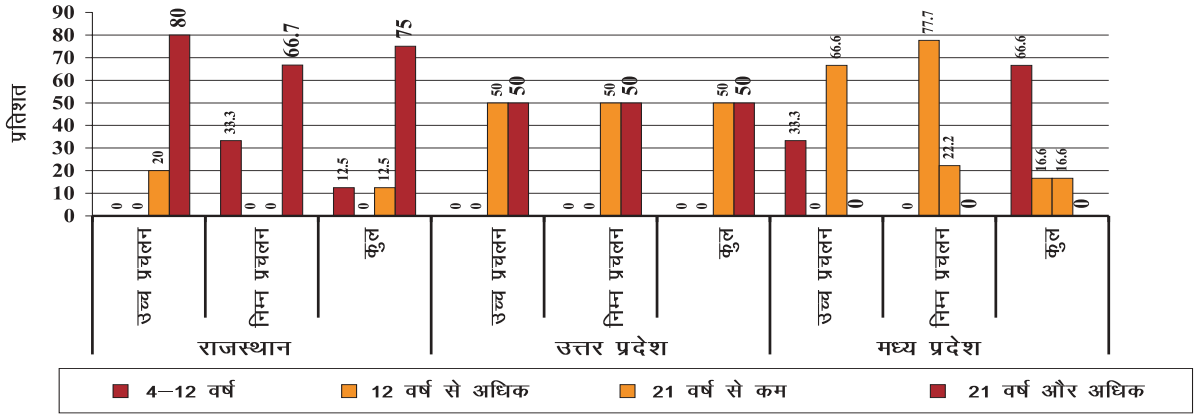

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

चित्र 6.6

विवाह के समय की सही आयु के बारे में उत्तर (महिलाएं)

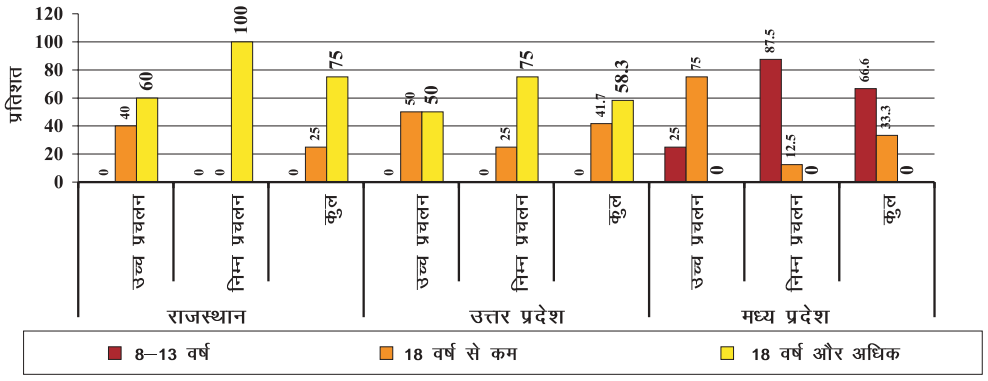

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मेरठ जिलों में, 50% उत्तरदाता इस बात को तरजीह देते हैं कि लड़कों का विवाह 21 वर्ष से पहले की आयु में हो, जबकि 50% चाहते थे कि उनका विवाह तब हो जब उनकी आयु 21 वर्ष से अधिक की हो। वाराणसी में, 50% उत्तरदाताओं ने यह कहा था कि वे यह पसंद करते हैं कि लड़कियों को 18 वर्ष से कम की आयु में विवाह करना चाहिए। जिले–वार, मेरठ में 87.5% उत्तरदाता चाहते थे कि लड़कियों का विवाह 8–13 वर्ष की आयु में हो और वाराणसी में 25% उत्तरदाता इससे सहमत थे। मेरठ में 55% यह पसंद करते थे कि लड़कियां 18 वर्ष से कम की आयु में विवाह करें। मध्य प्रदेश में उत्तरदाताओं का मत इससे भिन्न था और वे लड़कों की विवाह–योग्य आयु 4–12 वर्ष की मानते थे, जबकि 16% उत्तरदाता चाहते थे कि वे 12 वर्ष की आयु के बाद विवाह करें और 16.6% 21 वर्षों से कम की आयु को सही मानते थे। जहां तक लड़कियों के विवाह की सही आयु का संबंध है, 66.6% उनके विवाह के लिए 8–13 वर्ष की आयु को तरज़ीह देते थे।

जल्दी विवाह जरूरी नहीं : केस अध्ययन

वाराणसी के अध्ययन क्षेत्र में 16–वर्षीय संगीता की वास्तविक जीवन–कथा उन बहुत लड़कियों के रोष को उज़ागर करती है, जिन्हें छोटी आयु में विवाह करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। 'मैं उस परिवार की हूं, जिसमें पांच बेटियां हैं और मैं सबसे बड़ी बेटी हूं। इस घटना के समय, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारे एक रिश्तेदार मेरे अभिभावकों के पास मेरे विवाह का एक प्रस्ताव लेकर आए। दूल्हा 29 वर्ष का था और यह उसका दूसरा विवाह था। उसकी पहली पत्नी का देहान्त किसी गंभीर रोग के कारण दो वर्ष पहले हो गया था। चूंकि वे दहेज नहीं मांग रहे थे, इसलिए मेरी मर्जी जाने बिना यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। मैं इसका प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थी और मैं अपने आपको असहाय समझती थी, क्योंकि मेरी मां ने भी मेरा समर्थन नहीं किया। मैं दसवीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और 18–19 वर्ष की आयु में विवाह करना चाहती थी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता चाहती थी, जो मेरे माता–पिता को मेरी सोच से अवगत करा सकता हो।

सौभाग्यवश, हमारे समुदाय के एक व्यक्ति ने एक संगठन को मेरी दुर्दशा की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस की सहायता से पूछताछ की, लेकिन मेरे माता–पिता द्वारा इनकार कर दिए जाने के कारण वे मुझसे नहीं मिल पाए। मेरी शादी से एक दिन पहले, जो 2 जून 2006 को हुई थी, वे लोग आए और उन्होंने इसका विरोध किया। चूंकि यह विवाह स्थानीय मंदिर में हो रहा था, इसलिए हमारे समुदाय के लोगों ने मेरे माता–पिता का समर्थन किया और विवाह जल्दी–जल्दी संपन्न कर दिया गया।

विवाह के बाद, स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों ने पुलिस की सहायता से पूछताछ की। मेरे माता–पिता द्वारा मेरी वास्तविक आयु को छिपाया गया, लेकिन जब मुझसे पूछा गया तो मैंने वास्तविक कहानी सुना दी और अपने पिता के साथ जाने

से इनकार कर दिया। उन लोगों के प्रयत्नों से, मेरे पति और उसके परिवार के सदस्यों ने भी विदाई देर से करने की बात मान ली, जिसे स्थगित कर दिया गया, और दंड के भय के कारण उन्होंने मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि मैं वयस्क होने तक अपने घर में रहूं। मुझे अपने रिश्तेदारों और माता–पिता द्वारा किए गए बहिष्कार का सामना करना पड़ा, किन्तु आज मैं खुश हूं कि मेरी छोटी बहनों को बाल विवाह से होने वाला वैसा ही दुख नहीं उठाना पड़ेगा।'

यह उत्तर प्रदेश के एक 21–वर्षीय लड़के का दिलचस्प मामला है, जिसने अपनी यह कहानी सुनाई कि उसके माता–पिता द्वारा उसे छोटी आयु में विवाह करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वह छोटी आयु में विवाह के जाल में फंसने से बचने में सफल हो गया। "मेरे माता–पिता ने मुझ पर भावनात्मक रूप से दबाव डाला और मेरे विवाह के लिए 14 जून 2006 की तारीख निश्चित कर दी। मैं पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं करा सका, क्योंकि मेरे माता–पिता ने कहा था कि यदि मैं विवाह से बचने के लिए भाग जाऊंगा तो वे आत्मदाह कर लेंगे। इसलिए मैंने महाराष्ट्र में अपने मित्रों के साथ संपर्क किया, जिन्होंने मुझे कुछ सामाजिक संगठनों की जानकारी दी। मैंने इनमें से एक संगठन को पत्र लिखा और यह कहा कि मैं एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के बाद अपनी पसंद की लड़की से विवाह करना चाहता हूं। मेरे माता–पिता इस साधारण सी बात को नहीं समझ सके और वे समाज में अपनी तथाकथित प्रतिष्ठा की खातिर मेरी जीवन–वृत्ति को बलि चढ़ाना चाहते थे। उस संगठन ने मेरी स्थिति को समझा और जिस तरह से मैं चाहता था, उसी तरह से मेरी सहायता की। समाचार माध्यमों और पुलिस की सहायता से वे मेरे विवाह को मनसूख कराने में सफल हो गए। मेरे परिवार के सदस्य और मैं अवांछित बाल विवाह के जाल में फंसने से बच गए।"

भोपाल में अध्ययन क्षेत्र के एक गांव की एक अन्य लड़की ने बताया कि वह 18 वर्ष की है, हालांकि वह अन्वेषणकर्ता को 15 वर्ष की प्रतीत होती थी। उसने कहा कि विवाह के समय उसकी आयु 15 वर्ष की थी और वह कक्षा 8 में पढ़ रही थी। लेकिन वह विवाह के बाद स्कूल नहीं जा सकी, क्योंकि विवाह के बाद वह जिस गांव में रहती थी, वहां पर स्कूल नहीं था। उसने बताया कि वह विवाह के बारे में कुछ नहीं जानती थी और उसकी मां ने उसे कहा था कि वह शादी के समय बहुत छोटी थी और विवाह के कर्मकांड पूरी करने के लिए उसे गोद में संभाल कर रखा गया था। उसकी बड़ी बहन के मामले में भी ऐसा ही हुआ था और उसके पिता ने कहा था कि उनकी बहनों का विवाह भी लगभग उतनी ही आयु में हुआ था।

अब उसे इस तथ्य की जानकारी है कि बाल विवाह अच्छा नहीं होता और यदि उसे पढ़ने दिया गया होता, तो वह कक्षा 10 अथवा 12 को उत्तीर्ण कर गई होती। अब वह समझती है कि यदि किसी को विवाह के लिए मजबूर किए जाने की बजाय पढ़ने दिया जाए, तो वह स्वतंत्र हो सकती है और इससे उसे बेहतर जीवन प्राप्त हो सकता है। उसने यह भी समझ लिया है कि एक पति और विवाहित जीवन खुशी वाले जीवन की गारंटी नहीं है। वह पूछती है कि यदि कल उसके पति को कुछ हो जाए, तो उसका क्या होगा।" उसने अन्वेषणकर्ता को बताया कि यह बहुत अच्छी बात है कि अब सरकार बाल विवाहों को रोकने के लिए कदम उठा रही है। इससे बहुत सी लड़कियां अनचाहे शीघ्र विवाह में फंसने से बच जाएंगी और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और एक स्वतंत्र जीवन बिताने का विकल्प चुनने का अवसर मिल जाएगा।

6.3 पंचायत सदस्यों के उत्तर

बाल विवाह की प्रथा के बने रहने के कारणों के बारे में उत्तरदाताओं ने बहुत से कारण बताएं हैं, जो चित्र 6.7 में दर्शाए गए हैं।

राजस्थान में, जो सबसे प्रमुख कारण उभर कर सामने आए हैं, वे हैं गरीबी और सामुदायिक दबाव, जिससे बाल विवाह की प्रथा को जारी रखने में समर्थन मिलता है।

चित्र 6.7

पंचायत सदस्यों के अनुसार बाल विवाह के कारण

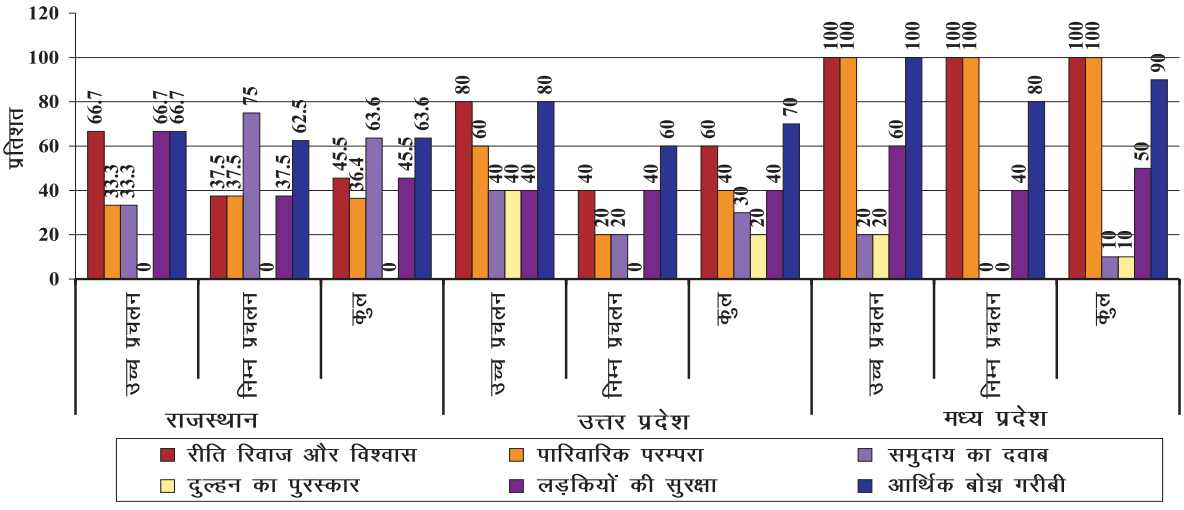

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

राजस्थान में, 45% उत्तरदाताओं के अनुसार राज्य में बाल विवाह की अधिक घटनाओं के कारण थे लड़कियों की सुरक्षा, मजबूत रीति–रिवाज़ और विश्वास। उत्तर प्रदेश में भी लड़कियों की सुरक्षा (40%), परम्परागत रीति–रिवाज और विश्वास (60%) को ही कारण बताया गया था। राजस्थान में लगभग 36%, उत्तर प्रदेश में 40% और मध्य प्रदेश में 100% उत्तरदाताओं का विश्वास था कि परिवार की परम्परा बाल विवाह की प्रथा को जारी रखने में योगदान देने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारण है। राजस्थान में किसी भी उत्तरदाता ने दुल्हन की कीमत का उल्लेख इस प्रथा में योगदान देने वाले कारक के रूप में नहीं किया, जबकि उत्तर प्रदेश में 20% उत्तरदाता दुल्हन की कीमत को बाल विवाह के एक कारण के रूप में देखते थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में और मध्य प्रदेश में क्रमशः 80% और 100% उत्तरदाताओं का विचार था कि रीति–रिवाज़ और विश्वास बाल विवाह के योगदाता कारक हैं।

6.4 गैर–सरकारी संगठनों के उत्तर

राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में, क्षेत्र में काम करने वाले गैर–सरकारी संगठनों ने सर्वसम्मति से गरीबी और लड़की की सुरक्षा को बाल विवाह की प्रथा के जारी रहने का कारण बताया है।

चित्र 6.8

गैर–सरकारी संगठनों के अनुसार बाल विवाह के कारण

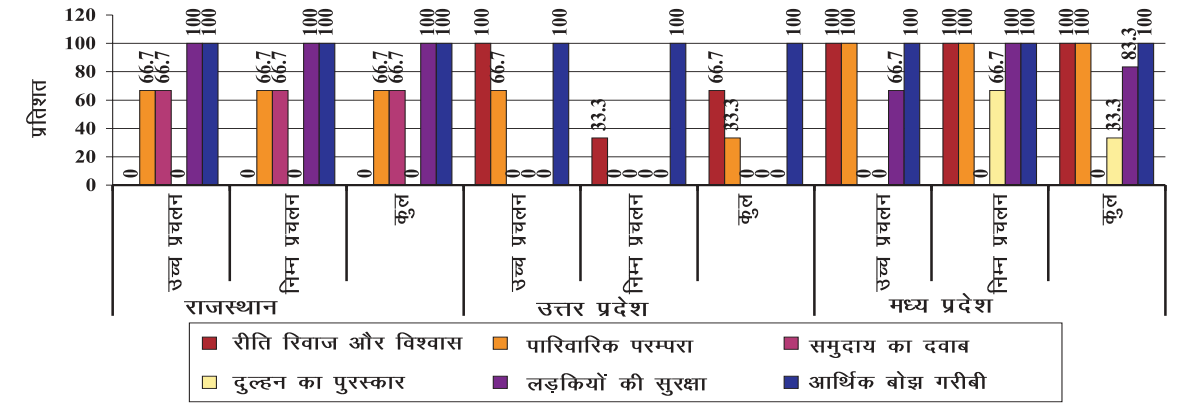

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

राजस्थान में, गैर–सरकारी संगठन रूपी उत्तरदाताओं के अनुसार सामुदायिक दबाव (66.7%) और पारिवारिक परम्परा भी बाल विवाह के कारण हैं। उत्तर प्रदेश में, 66.7% एनजीओ उत्तरदाताओं ने यह कहा कि रीति–रिवाज और विश्वास भी बाल विवाह की प्रथा के बने रहने में योगदान देते हैं।

मध्य प्रदेश में, गैर–सरकारी संगठनों से सभी उत्तरदाताओं का कहना था कि रीति–रिवाज और विश्वास, पारिवारिक परम्परा, गरीबी/आर्थिक कारक उस क्षेत्र में बाल विवाह की प्रथा के जारी रखने के प्रमुख कारण हैं। लगभग 83.3% ने यह कहा था कि लड़कियों की सुरक्षा भी एक कारण है, जबकि 33.33% ने यह कहा कि दहेज भी इस प्रथा के बने रहने में योगदान देती है (अनुबंध III, अनुसूची 3, मद तालिका 16 को देखें)। नीचे का ग्राफ (चित्र 6.8) इसी बात को उज़ागर करता है।

6.5 जिला मजिस्ट्रेटों के उत्तर

सभी राज्यों के सभी छः जिलों के जिला मजिस्ट्रेट रीति–रिवाजों, विश्वासों, पारिवारिक परम्परा और गरीबी को कानून और अनेक जागरूकता कार्यक्रम होने के बावजूद आधुनिक युग में बाल विवाह की प्रथा के होने और उसके जारी रहने के लिए जिम्मेदार समझते थे।

टोंक जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने इसके अलावा यह भी कहा कि सामुदायिक दबाव भी इस प्रथा में योगदान देता है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार रीति–रिवाज़, विश्वास, पारिवारिक परम्परा, सामुदायिक दबाव, दहेज, लड़की की सुरक्षा और गरीबी सब इकट्ठे मिलकर राज्य में बाल विवाह की प्रथा में योगदान देती हैं।

चित्र 6.9
जिला मजिस्ट्रेटों के अनुसार बाल विवाह के कारण

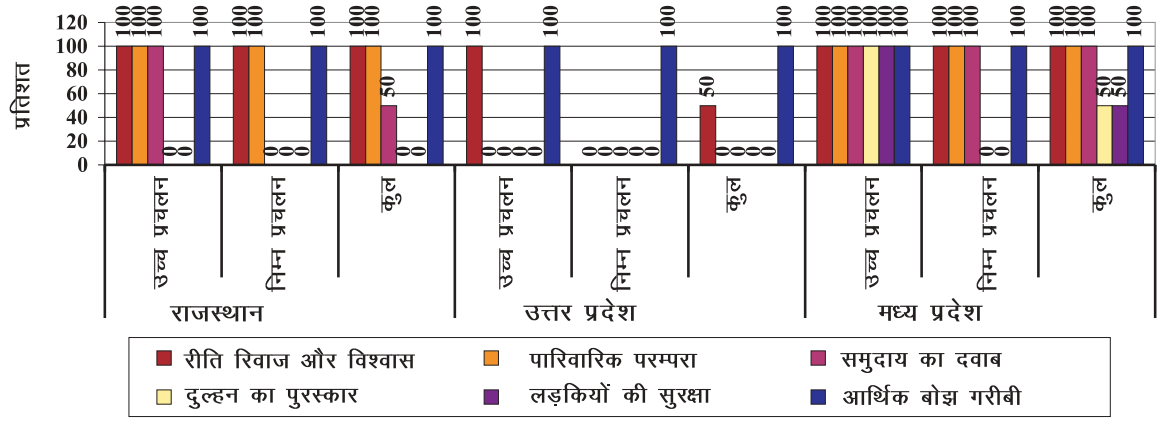

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

6.6 केंद्रित समूह चर्चाएं (एफजीडी)

इस अध्ययन का एक अधिक संतुलित एवं मुखर परिणाम प्रस्तुत करने के लिए, उन सभी छः जिलों में, जहां आंकड़े और डाटा एकत्र करने का काम किया गया था, केंद्रित समूह चर्चाएं आयोजित की गईं। स्थूल रूप से विषय से संबंधित प्रश्न निर्धारित करने के सिवाय, कोई मानकीकृत फार्मेट तैयार नहीं किया गया था। अंतर्राज्यीय विचारों में भिन्नता होने के बावजूद, अन्तर–जिला विचारों में समानता देखी गई। इसलिए, तीन राज्यों के छः जिलों के बारह गांवों में की गई चर्चाओं के आधार पर, केंद्रित समूह चर्चाओं के निष्कर्ष राज्य–वार प्रस्तुत किए गए हैं।

तीनों सभी राज्यों में, चर्चाओं के दौरान, बाल विवाह, बच्चों और युवाओं पर उसके प्रभाव और छोटी आयु के मातृत्व के परिणामों के मुद्दे को प्राथमिकता दी गई थी। राजस्थान में, अध्ययन समूह द्वारा महिलाओं से संबंधित मुद्दों के कुछ अन्य पहलुओं को उठाया गया था। इनको शामिल किया गया है और इसलिए निष्कर्षों को राज्य–वार प्रस्तुत किया गया है।

6.6.1 राजस्थान (जयपुर और टोंक) में केंद्रित समूह चर्चाओं के निष्कर्ष

दो जिलों, अर्थात जयपुर और टोंक में केंद्रित समूह चर्चाओं में उठाए गए मुद्दे और उत्तर नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:

मुद्दे	माता–पिता / सास–ससुर	युवा	महिला / गै.स.संगठन
लिंग समानता	लड़के और लड़कियों की भूमिकाएं अलग–अलग हैं और इसलिए लिंग समानता नहीं हो सकती।	व्यापक परिप्रेक्ष्य, लेकिन सामाजिक मानदंडों के आगे झुकना पड़ता है।	जयपुर में महिलाएं समाज में बड़ी भूमिका चाहती हैं, लेकिन टोंक में महिलाएं अपनी परवशता स्वीकार करती हैं। वे बड़ी भूमिका नहीं चाहतीं।
बाल विवाह अधिनियम की आवश्यकता	कानून भावनाओं को सम्मान देने के लिए स्थानी निवासियों के साथ सलाह करने के बाद बनाए जाने चाहिएं। टोंक में लोगों का विचार था कि सरकार द्वारा मूल रूप से निजी मामलों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।	जयपुर में युवा कानून से सहमत थे, किन्तु उनका कहना था कि घटिया कार्यान्वयन के कारण बाल विवाह होने जारी हैं। किन्तु टोंक में वे इस प्रथा के पक्ष में थे।	–
विवाह के लिए लड़के / लड़कियों की मंजूरी	उनका विचार था कि बच्चों के विवाह के मामले में माता–पिता सर्वोत्तम पारखी होते हैं, इसलिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। जयपुर में यह कहा गया था कि चूंकि विवाह कानूनी आयु में होते हैं, इसलिए मंजूरी लेना अच्छा होगा।	जयपुर में युवा कहते हैं कि मंजूरी लेना बहुत महत्त्वपूर्ण है।	–
विधवा पुनर्विवाह	विधवाएं नाता संबंध अपनाती हैं अथवा मृतक के भाई के साथ पुनर्विवाह करती हैं।	जयपुर में युवा पुनर्विवाह के पक्ष में हैं, लेकिन टोंक में नाता संबंध को तरजीह दी जाती है।	–
तलाक	तलाक के पक्ष में नहीं। इससे दोनों पक्षों की सामाजिक स्थिति को क्षति पहुंचती है।	कोई आपत्ति नहीं, यदि दोनों एकसाथ नहीं रह सकते। उनके विचार में समुदाय और परिवार का दबाव ऐसे कदम को रोकता है। किंतु टोंक में इस बारे में कुछ संकोच देखा गया था।	-
घरेलू हिंसा	कभी–कभार की घटनाओं को घरेलू हिंसा नहीं कहा जा सकता, जब तक कि यह बार–बार न हों। समुदाय हस्तक्षेप करता है।	घरेलू हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है।	ग्रामीण क्षेत्रों में कोई घरेलू हिंसा नहीं है। उनमें से कुछ मानते हैं कि पत्नी के पीटने को घरेलू हिंसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे पति के अधिकारों के विस्तार के रूप में देखा जाता है।

मुद्दे	माता–पिता / सास–ससुर	युवा	महिला / गै.स.संगठन
लड़की के स्वास्थ्य पर प्रभाव	जयपुर और टोंक दोनों स्थानों पर आम विचार यह था कि बड़ी आयु की तुलना में छोटी आयु में बच्चे का जन्म बेहतर और कम पेचीदा होता है। माता–पिता और सास–ससुर लड़कियों की देखभाल कर सकते हैं और करते हैं। इसलिए यह कोई मुद्दा नहीं है।	–	युवा माताओं के लिए समस्या है प्रसव की अथवा स्वास्थ्य संबंधी नहीं है, लेकिन उन्हें कम आयु में माता–पिता बनना कष्टप्रद और बोझिल लगता है।

6.6.2 उत्तर प्रदेश (वाराणसी और मेरठ) में केंद्रित समूह चर्चाओं के निष्कर्ष

वाराणसी और मेरठ दोनों जगहों पर केंद्रित समूह चर्चाओं के लिए समाज के सभी लोगों के 20–75 के आयु–वर्ग के उत्तर चुने गए थे। कुल मिलाकर, 176 व्यक्तियों को शामिल किया गया था, जिनमें से 87 वाराणसी से और 89 मेरठ से थे। समाज में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा के बने रहने के कारणों, बच्चों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के बारे में उनके विचार प्राप्त किए गए और इस बात की जानकारी भी प्राप्त की गई कि बाल विवाह के संबंध में मौजूदा कानूनों और बाल विवाह के लिए मिलने वाले दंड के बारे में उन्हें कहां तक जानकारी है।

वाराणसी और मेरठ दोनों स्थानों पर हुई केंद्रित समूह चर्चाओं के निष्कर्ष नीचे तालिका के रूप में दिए गए हैं।

मुद्दे	माता–पिता / सास–ससुर	युवा
बाल विवाह के कारण	रीति–रिवाजों, परंपराओं और विश्वास, लड़कियों की सुरक्षा और लड़कियां बोझ हैं। वे इस बारे में प्रश्न पूछने अथवा इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं देखते।	परिवार का दबाव, आर्थिक कारण, गरीबी, लैंगिक भेदभाव। युवा बाल विवाह का विरोध करते हैं। उनके अनुसार, बच्चों पर कम आयु में शादी करने के लिए माता–पिता / अभिभावकों द्वारा दबाव डाला जाता है।
बाल विवाह के प्रभाव	वे मानते हैं कि इसका लड़कियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन समूह में महिलाओं ने छोटी उम्र में विवाह करने और बच्चे के जन्म का बचाव किया और कहा कि इस अनुभव से उनका बुरा नहीं हुआ।	जनसंख्या में वृद्धि, शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जल्दी माता–पिता बनने से शिक्षा में व्यवधान आता है, बचपन समाप्त हो जाता है।
बाल विवाह का विरोध करने वाले कानूनों के बारे में जानकारी	बाल विवाह अधिनियम, विवाह की कानूनी आयु और इसका उल्लंघन करने पर मिलने वाले दंड के बारे में जानकारी न होना।	कानूनों के बारे में नाजानकार हैं; प्रवर्तन और दंड को मजबूत बनाना चाहते हैं। विवाह का पंजीकरण कराना चाहते हैं और लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर चाहते हैं।
बाल विवाह को रोकने के उपचारात्मक उपाय	सरकार को कानूनों को अधिक सुलभता से लागू करना चाहिए, गरीबी को कम करने के लिए परिवारों के वास्ते रोजगार के अवसर, और बाल विवाह के बारे में जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम।	• जागरूकता उत्पन्न करने के कार्यक्रम, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। • लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा। • पुलिस पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डालना। • लड़कियों, लड़कों और माता–पिता सहित सबके लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। • निम्न स्तर पर विवाहों का पंजीकरण। • रोज़गार के अवसर। • जो लोग बाल विवाह करते हैं, उनके दंड और कारावास में वृद्धि। • विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाना।

अध्ययन समूह ने बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में प्रशासन के विचारों का पता लगाने के लिए वाराणसी और मेरठ के जिला मजिस्ट्रेटों के साथ भी चर्चा की।

जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी के साथ हुई चर्चा से उद्धरण

वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट ने यह स्वीकार किया कि अध्ययन की अवधि में जिले में बाल विवाह की घटनाएं हुई हैं। उनके अनुसार, पुलिस और प्रशासन बाल विवाहों के खिलाफ लड़ने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें समूहों और समुदाय के समर्थन की आवश्यकता है। ये मुद्दे वैयक्तिक हैं और लोग दूसरे लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। उन परिवारों में, जहां बाल विवाह होते हैं, गवाह विरल रूप से मिलते हैं। एक घटना का उल्लेख करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले ने बाल विवाह के खिलाफ विरोध के कुछ मामले देखे हैं। पुलिस ने विरोध करने वालों को संपूर्ण समर्थन प्रदान किया था। उनका विचार था कि सरकार और गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से समाचार माध्यमों, स्कूलों और कालेजों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने से अगली पीढ़ी में बेहतर परिणाम निकल सकते हैं।

उनके अनुसार, अधिनियम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध दंड बाल विवाह के मामलों को नियंत्रित करने अथवा उनको रोकने के वास्ते पुलिस के लिए पर्याप्त हैं। वह अधिनियम के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए महिला और बाल विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें करते हैं।

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के साथ बातचीत

मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात की पुष्टि की कि पिछले आठ महीनों में कोई बाल विवाह नहीं हुआ है। वह बाल विवाह को गैर–कानूनी और अन्य अपराधों के बराबर का एक अपराध समझते हैं। जो लोग उसमें शामिल हों, उन्हें अवश्य दंड दिया जाना चाहिए। जिले में ऐसा कोई रीति–रिवाज़ अथवा ऐसा कोई खास मौसम नहीं है, जब समुदायों और समूहों में बाल विवाह संपन्न किए जाते हों। वह इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करते कि कुछ क्षेत्रों और समुदायों में बाल विवाह किए जाते हैं, लेकिन वे विवाह छद्म तरीके से किए जाते हैं, लेकिन वह उनका पता लगाने और स्थिति को संभालने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके अनुसार, अधिनियम के उपबंध बाल विवाह को रोकने के लिए पर्याप्त हैं, बशर्ते कि लोग प्रशासन की सहायता करें, क्योंकि बच्चों के खिलाफ की जाने वाली हिंसा को अकेले रोका नहीं जा सकता। उन्होंने इस बात की वकालत की कि हमारे समाज में, जिसमें वर्ग, धर्म और जाति की जटिलताएं और उलझनें हैं, यह जरूरी है कि इन घटनाओं से लड़ने में समुदाय और समूह भाग लें।

वह बाल विकास से संबंधित सरकारी अधिकारियों, जैसे डी.पी.ओ., सी.डी.पी.ओ. और बी.डी.ओ. की बैठकें आयोजित करते हैं और विभिन्न कानूनों को लागू करने के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

6.6.3 मध्य प्रदेश (भोपाल और शाजापुर) में केंद्रित समूह चर्चाओं के निष्कर्ष

केंद्रित समूह चर्चाएं मध्य प्रदेश के दो जिलों में आयोजित की गई थीं। आरसीएच–आरएचएस, 1998–99 डाटा के अनुसार, शाजापुर में बाल विवाह के प्रचलन की दर ऊंची (83.7%) है और भोपाल में प्रचलन दर नीची है। केंद्रित समूह चर्चाओं को आयोजित करने के लिए चुने गए गांवों का समूह, महिला और बाल विकास कार्यालय और उन पुलिस स्टेशनों के डाटाबेस से चुना गया था, जहां बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्टें पहले से कराई जा चुकी थीं। इस प्रकार, शाजापुर और भोपाल जिलों से कुल 10 गांव (प्रत्येक जिले से 5 गांव) चुने गए थे।

केंद्रित समूह चर्चाएं भोपाल में चन्दूखेड़ी गांव में आयोजित की गई थीं, जहां बाल विवाह का कम प्रचलन है। भाग लेने वालों को भोपाल के जनजातीय क्षेत्रों से लिया गया था। चर्चा में 15 हिन्दू जनजातीय लोग मौजूद थे, जिनमें 20–50 वर्ष के आयु–वर्ग के 9 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल थीं। पांच महिलाएं गृहणियां थीं, जबकि एक महिला श्रमिक थी और 9 पुरुष गांव में मजदूरों के रूप में काम करते थे।

शाजापुर गैर–जनजातीय लोग भी केंद्रित समूह चर्चाओं के भाग थे। एफजीडी में शाजापुर के सुनेरा और सुंदरसी गांव लक्ष्यगत थे। सुनेरा गांव में एफजीडी के लिए 15 उत्तरदाता थे, जिनमें 11 पुरुष थे और 4 महिलाएं थीं। सभी 4 महिलाएं गृहणियां थीं। एक पुरुष किसान था, एक अन्य अध्यापक था और शेष पुरुष मजदूर थे। वे 28–50 वर्ष के आयु–वर्ग के थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं ने चर्चा में भाग नहीं लिया। केंद्रित समूह चर्चा का संचालन गांव के खुले प्लेटफार्म पर किया गया था। सुंदरसी गांव में 15 ग्रामवासियों ने एफजीडी में भाग लिया, जिनमें से 10 पुरुष थे और 5 महिलाएं थीं। यह गांव एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभरा है, जिसमें बाल विवाह मामलों की ऊंची दर है। चर्चा में भाग लेने वाले लोग 25–50 वर्ष के आयु–वर्ग के थे। केंद्रित समूह चर्चा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के घर में आयोजित की गई थी।

भोपाल और शाजापुर दोनों में हुई केंद्रित समूह चर्चाओं के निष्कर्ष नीचे तालिका के रूप में दिए गए हैं।

मुद्दे	उत्तर
बाल विवाह का अर्थ	• भाग लेने वालों ने बाल विवाह की परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित की और स्वीकार किया कि इसका लड़की के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए यह बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। • सुनेरा और सुंदरसी गांवों के उत्तरदाताओं का विचार था कि यह हानिकारक नहीं है और व्यक्तिगत चुनाव का मामला है और इसमें सरकारी अथवा कानूनी हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। • बाल विवाह को सभी लड़कियों का विवाह जल्दी करने के बोझ को उतरने के रूप में देखा जाता था।
विवाह की आयु	• भोपाल में उत्तरदाताओं ने कहा कि दहेज विवाह की आयु तय करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि बड़ी लड़की की शादी का परिणाम अधिक दहेज की अदायगी होता है। कुछ उत्तरदाताओं ने कहा कि 15–16 वर्ष की आयु विवाह करने की आदर्श आयु है। • गरीबी और आर्थिक बातें लोगों को शादी जल्दी करने की ओर धकेल देती हैं। बचत करने के उद्देश्य से सहोदरों के संयुक्त विवाह का परिणाम यह होता है कि अवयस्क बच्चों का विवाह बड़े बच्चों/बेटियों के विवाह के साथ–साथ हो जाता है। • शाजापुर में कुछ भाग लेने वालों ने नोट किया कि विवाह की आदर्श आयु लड़कों और लड़कियों के लिए 18–21 वर्ष की है, क्योंकि तब तक वे परिपक्व हो जाते हैं। विवाह में विलम्ब होने से उपयुक्त और अच्छा वर ढूंढने में समस्या हो सकती है।
बाल विवाह को रोकने के लिए सुझाए गए उपाय	• दहेज का उन्मूलन • जागरूकता उत्पन्न करने के अभियान। • लोगों की शिक्षा, जिसमें लड़कों और लड़कियों की शिक्षा को सार्वजनीन बनाना शामिल है। • सरकार को वित्तीय सहायता के लिए और लड़कों और लड़कियों के लिए पर्याप्त शिक्षा के लिए कदम उठाने चाहिएं। • कानून को कड़ाई से लागू करना। • बाल विवाह के नकारात्मक प्रभाव की जानकारी देना।

मुद्दे	उत्तर
	• जो ग्रामवासी नियमों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई • पंचायतें इस प्रथा को रोक सकती हैं और इसके अलावा इस मुद्दे पर जागरूकता उत्पन्न कर सकती हैं। • जो परिवार बाल विवाह करते हैं, उन्हें सरकार द्वारा हर प्रकार की सहायता देना बंद कर दिया जाना चाहिए।
बाल विरोधी कानूनों के बारे में जानकारी	• शाजापुर में लोगों को इस बात की जानकारी है कि बाल विवाह के खिलाफ कानून बने हुए हैं। • शाजापुर में लोगों को कानूनी आयु संबंधी कानूनों की जानकारी थी।
बाल विवाह के बारे में राय	• दो उत्तरदाता बाल विवाह के पक्ष में थे, क्योंकि एक के अनुसार वे समाज के लिए हानिकारक नहीं हैं और इसलिए वे जारी रहने चाहिएं। इसके अलावा, वे जिम्मेदारियों को दूर कर सकते हैं। • मुस्लिम समाज के दो उत्तरदाता इसके विरुद्ध थे। • अधिकतर उत्तरदाता इसके खिलाफ हैं, लेकिन सामाजिक दबाव उन्हें इस प्रथा का अनुसरण करने के लिए विवश कर देता है।
बाल विवाह के कारण	• सामाजिक दबाव। • गरीबी • निरक्षरता • राजनैतिक प्रतिबद्धता का अभाव। • यह डर कि विवाह में विलंब होने से लड़की और लड़का भविष्य में अविवाहित रहेंगे। • एक उत्तरदाता ने कहा था कि रजस्वला बनने से पहले लड़की का विवाह करना एक पवित्र कार्य है। एक लड़की का अपने पिता के घर वयस्क होना और रजस्वला होना पाप समझा जाता था और इसलिए लड़कियों का विवाह जल्दी कर दिया जाता है। • एक अन्य ग्रामवासी ने यह बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह इसलिए किए जाते हैं, क्योंकि लोगों को उनके कुप्रभावों की जानकारी नहीं है।

6.7 केंद्रित समूह चर्चाओं पर चर्चा और उनका विश्लेषण

बाल विवाह करने वाले परिवारों का संबंध विभिन्न जनजातियों से है और उनमें से प्रत्येक में यह विश्वास करने की प्रवृत्ति है कि यह प्रथा उनकी अपनी जनजाति की विशिष्ट विशेषता है और एक सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिमान है। इसलिए, वे प्रायः यह महसूस करते हैं कि बाल विवाह से संबंधित किसी मामले का अन्वेषण करना उनके वैयक्तिक विश्वासों और परंपराओं में हस्तक्षेप करना है और इसलिए वे इसके बारे में बहुत सतर्क हो जाते हैं।

अधिकतर जिलों में हुई केंद्रित समूह चर्चाओं से पता चला कि गरीबी बाल विवाह का मुख्य कारण है। अधिकतर केंद्रित समूह चर्चाओं में, उत्तरदाताओं ने यह कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से यह विश्वास करते हैं कि बाल विवाह वयस्क विवाह से न केवल कम खर्चीले हैं, बल्कि उन्हें सम्पन्न करना अधिक आसान है और इसलिए वे इसे तरजीह देते हैं। कुछ केंद्रित समूह चर्चाओं से यह संकेत मिलता है कि कुछ लोग बाल विवाह को अपने बच्चे/बच्चों की जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम तरीका समझते हैं। एफजीडी से यह भी बहुत स्पष्ट हुआ कि कानूनी

आयाम इस प्रथा को रोकने के लिए न तो पर्याप्त हैं और न ही पर्याप्त मजबूत। भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों ने सुझाव दिया कि बाल विवाहों को रोकने के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वित्तीय रूप से सहायता देने के लिए और उन्हें परामर्श देने के लिए एक कानूनी फोरम/ संवैधानिक निकाय होना चाहिए। एफजीडी में भाग लेने वाले कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वे बाल विवाह को एक सुरक्षित संस्था मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यौन दुरुपयोग और समाज की दुर्भावनाओं की रोकथाम होती है।

यह पाया गया था कि भोपाल, जयपुर, मेरठ और वाराणसी में लोग बाल विवाह के बारे में तुलनात्मक रूप से अधिक जागरूक और समायोजित थे। इसके बावजूद, इन जिलों में बहुत से लोग इसे एक सामाजिक बुराई समझने की बजाय, इसे उस समाज के रीति–रिवाज़ का भाग समझते थे, जिसमें वे रहते थे। कानून और कानून लागू करने वाले अभिकरणों दोनों को नरम पाया गया था और बाल विवाह और उसकी रोकथाम के प्रति उनका रुख उदासीन था।

7
कानूनी जागरूकता और उपाय

बाल विवाह कानूनों के संबंध में लोगों की जानकारी के स्तर और इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए कानून लागू करने वाले प्राधिकरणों, जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, पंचायत और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कानूनी उपायों और की गई पहलों के विश्लेषण की जानकारी नीचे दी गई है और प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

7.1 सामुदायिक पहलें : पंचायत और परिवार का मुखिया

7.1.1 परिवारों के मुखियाओं के उत्तर

तीनों राज्यों में विवाहों के पंजीयन के बारे में उत्तरदाताओं की जानकारी का स्तर सीमित था। उत्तर प्रदेश में 83.6% (मेरठ और वाराणसी में क्रमशः 93.6% और 73.6%) उत्तरदाताओं (सामान्यतः परिवारों के मुखिया) को विवाहों के पंजीयन की कानूनी पद्धति के बारे में जानकारी नहीं थी। राजस्थान में, गांवों के लगभग तीन–चौथाई लोगों को विवाहों के पंजीयन के बारे में जानकारी थी।

इसी प्रकार, मध्य प्रदेश में 68.4% उत्तरदाता (भोपाल में 64% और शाजापुर में 72.8%) इस कानूनी आवश्यकता से अपरिचित थे और केवल 25.6% उत्तरदाताओं को इस कानूनी अपेक्षा की जानकारी थी। विवाहों के पंजीयन के बारे में लोगों में जानकारी का इस अभाव के कारण गैर–सरकारी संगठनों और सरकारी अभिकरणों के लिए बाल विवाहों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी कोई सूचना नहीं होती।

चित्र 7.1
विवाहों के पंजीकरण के बारे में जानकारी

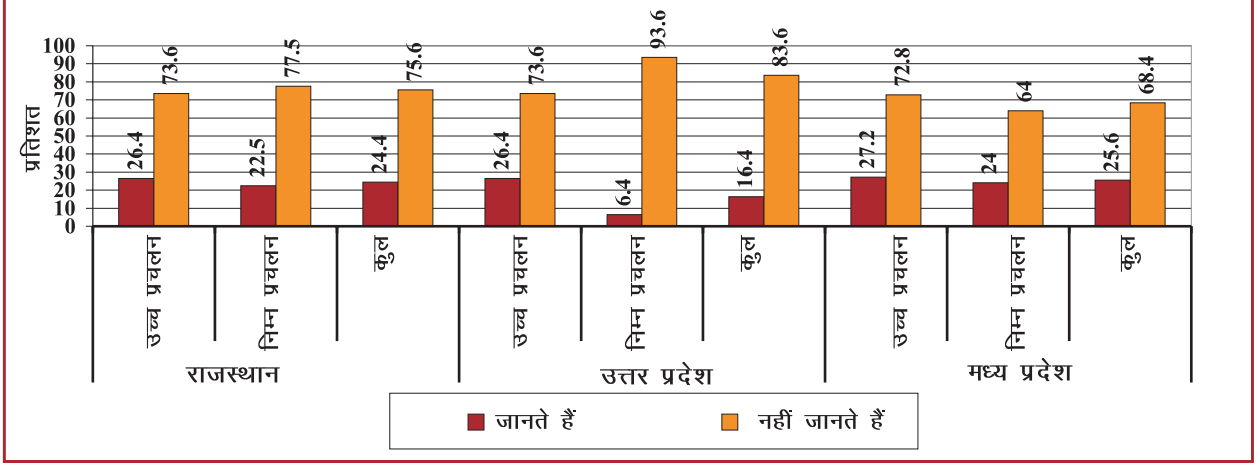

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

विवाहों के पंजीयन संबंधी कानून के बारे में बिल्कुल जानकारी न होने के कारण, उत्तर प्रदेश में 148 उत्तरदाताओं में से किसी भी उत्तरदाता ने अपने बच्चों के विवाहों का पंजीयन नहीं कराया था। लेकिन, राजस्थान में स्थिति कुछ बेहतर थी, जहां 4% उत्तरदाताओं ने अपने बच्चों के विवाहों का पंजीयन कराया था। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश

में केवल 2.8% ने अपने बच्चों के विवाहों का पंजीकरण कराया था। कम प्रचलन वाले क्षेत्र (भोपाल) में किसी ने भी पंजीकरण नहीं कराया था, जबकि शाजापुर ने 5.6% में अपने बच्चों के विवाहों का पंजीकरण कराया था।

धार्मिक विधि–विधानों द्वारा कराए गए विवाहों को परिवार और समाज द्वारा मान्यता दी जाती है और इसलिए लोग उन्हें औपचारिक रूप से पंजीकृत कराने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। यदि पंजीकरण की औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी होगा, तो वे पंजीकरण कराएंगे। मित्रों और संबंधियों की उपस्थिति में किया गया धार्मिक अनुष्ठान विवाह को वैधता प्रदान करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

जहां तक बाल विवाह अवैधता के बारे में जानकारी होने का संबंध है, उत्तर प्रदेश में उत्तरदाता इस तथ्य के बारे में पूर्ण रूप से अनजान थे। इसके विपरीत, राजस्थान में अधिकतर लोगों (टोंक में 74% और जयपुर जिले में 98%) को बाल विवाह की अवैधता के बारे में जानकारी थी। मध्य प्रदेश में, 71.2% उत्तरदाता इस प्रथा की अवैधता के बारे में जानते थे। भोपाल (62.4%) की तुलना में, शाजापुर में (80%) अधिक उत्तरदाताओं की अवैधता के बारे में जानकारी थी।

कानूनी और विवाहों के पंजीकरण के बारे में जानकारी के अभाव को अध्ययन के अंतर्गत तीनों सभी राज्यों में बाल विवाह की प्रथा को रोकने के कार्य को धक्का लगने के रूप में देखा जा सकता है।

चित्र 7.2

बाल विवाहों की अवैधता के बारे में जानकारी

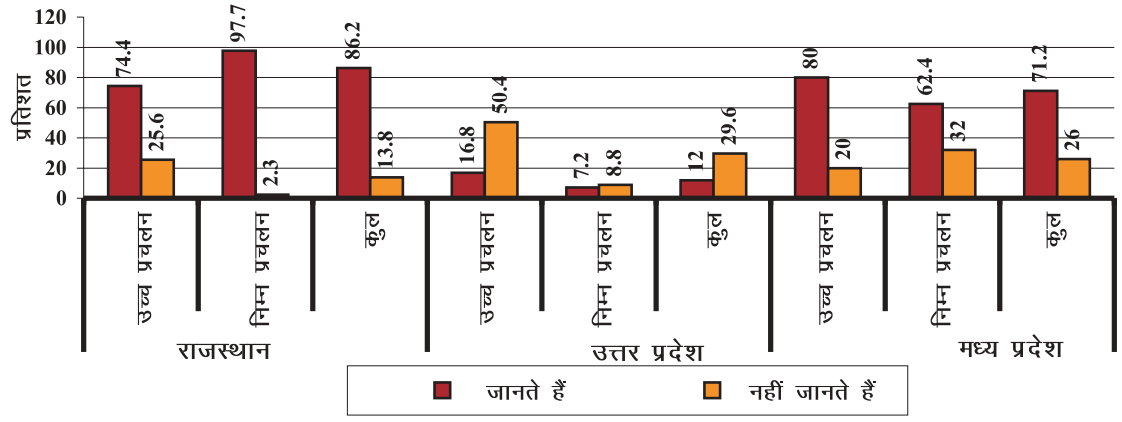

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

जब बाल विवाहों को रोकने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में पूछा गया, तो उत्तर प्रदेश में 34.8% उत्तरदाताओं ने नकारात्मक रूप में जवाब दिया। राजस्थान में, जयपुर से कुछ लोगों ने सूचित किया कि उनके गांवों में होने वाले बाल विवाहों को रोकने के लिए कुछ कोशिशें की गई थीं। टोंक जिले से लगभग 12% उत्तरदाताओं ने यह कहा कि उनके गांवों में किए जा रहे कुछ बाल विवाहों को रोकने के कुछ प्रयास किए गए थे। मध्य प्रदेश में 60.8% उत्तरदाताओं ने यह कहा कि कोई प्रयास नहीं किए गए थे। बाल विवाहों को रोकने के लिए सीमित प्रयत्न किए जाने अथवा कोई प्रयत्न नहीं किए जाने का कारण इस प्रथा को रोकने में दिलचस्पी न होना अथवा अन्य लोगों के पारिवारिक मामलों में ग्रस्त होने की इच्छा का न होना हो सकता है। इसके अलावा, कुछ वैयक्तिक रूप से इस प्रथा का समर्थन करते हैं, जबकि सार्वजनिक रूप से इससे इनकार करते हैं और इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के मार्ग में यह बाधा भी हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में बहुत कम, वास्तव में केवल 2.4% उत्तरदाताओं ने यह कहा कि समुदाय ने बाल विवाह को रोकने के लिए कार्रवाई की थी और 12% उत्तरदाताओं ने सूचित किया कि इलाके में मौजूद गैर–सरकारी संगठनों ने पहल की थी।

बाल विवाह को रोकने के लिए प्राप्त सहायता के बारे में, राजस्थान के टोंक जिले में सभी उत्तरदाताओं ने कहा था कि सरपंच ने बाल विवाहों को रोकने में उनकी सहायता की थी। पुलिस भी समर्थन देती रही है। उत्तर प्रदेश में, समुदाय और गैर–सरकारी संगठन कुछ हद तक सहायता देते रहे हैं और मध्य प्रदेश में सरपंच, पंचायत सदस्यों, गैर–सरकारी संगठनों और पुलिस ने बाल विवाहों को रोकने में छोटो–मोटे तरीकों से सहायता दी है।

राजस्थान में, टोंक से सभी उत्तरदाताओं ने यह कहा था कि उनके गांवों में बाल विवाहों को रोकने में सरपंच प्रमुख रूप से सहायता देते रहे हैं। कुछ मामलों में पुलिस ने भी सहायता दी है। लेकिन, जिला मजिस्ट्रेटों, बाल विवाह निवारण अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोशिशों से बाल विवाहों को बहुत कम संख्या में रोका गया है। जयपुर में, आधे उत्तरदाताओं ने इस बात की पुष्टि की कि गैर–सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता उनके गांवों में बाल विवाहों के होने को रोकने में सक्रिय रहे हैं। मध्य प्रदेश में, 1.2% ने कहा कि सरपंच और एक गैर–सरकारी संगठन ने बाल विवाहों के खिलाफ काम करने में सहायता दी थी।

इस बारे में जवाब देते हुए कि बाल विवाहों को किन तरीकों से रोका जा सकता है, उत्तर प्रदेश में 73.6% परिवार उत्तरदाताओं, मध्य प्रदेश में 56.4% और राजस्थान में 42% उत्तरदाताओं ने बाल विवाहों को सभी स्तरों पर नियमित जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए रोकने का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में 89.6%, मध्य प्रदेश में 61.6% और राजस्थान में 20% उत्तरदाताओं ने कहा कि कानून का उपयुक्त प्रवर्तन उन लोगों के लिए एक निवारक का काम करेगा, जो अवयस्क बच्चों के विवाहों की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में 34%, मध्य प्रदेश में 33.6% और राजस्थान में लगभग 20% उत्तरदाताओं ने इस बात पर बल दिया कि माता–पिता को कम आयु के विवाहों से संबंधित समस्याओं के बारे में शिक्षित करने और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, और उनका विचार था कि इस प्रथा का उन्मूलन किया जा सकता है। राजस्थान में लगभग 18% और मध्य प्रदेश में 35.2% उत्तरदाता महसूस करते थे कि महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रयासों से यह समस्या कम हो जाएगी।

चित्र 7.3
सरकार द्वारा बाल विवाहों को रोकने के उपाय

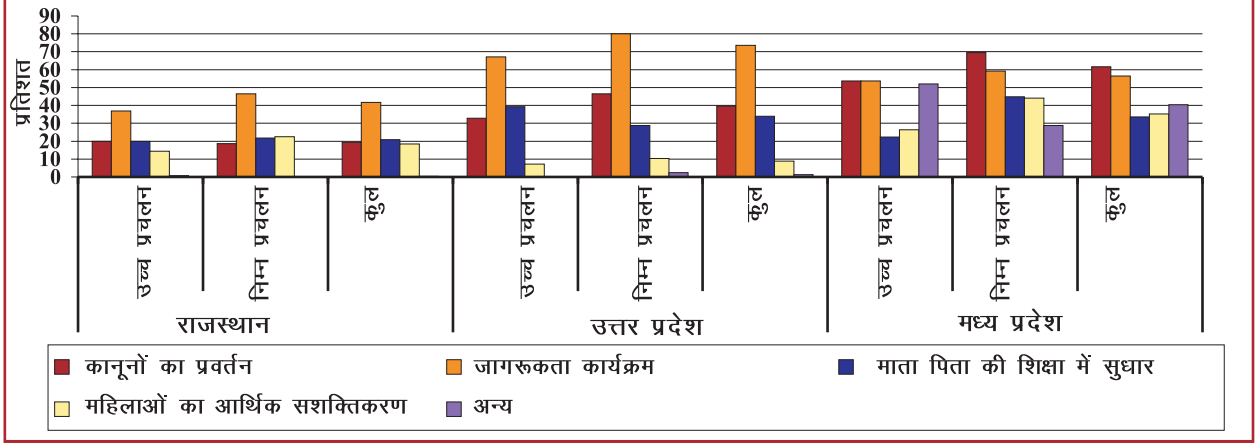

चित्र 7.4

समुदाय/जाति द्वारा बाल विवाहों को रोकने के तरीके

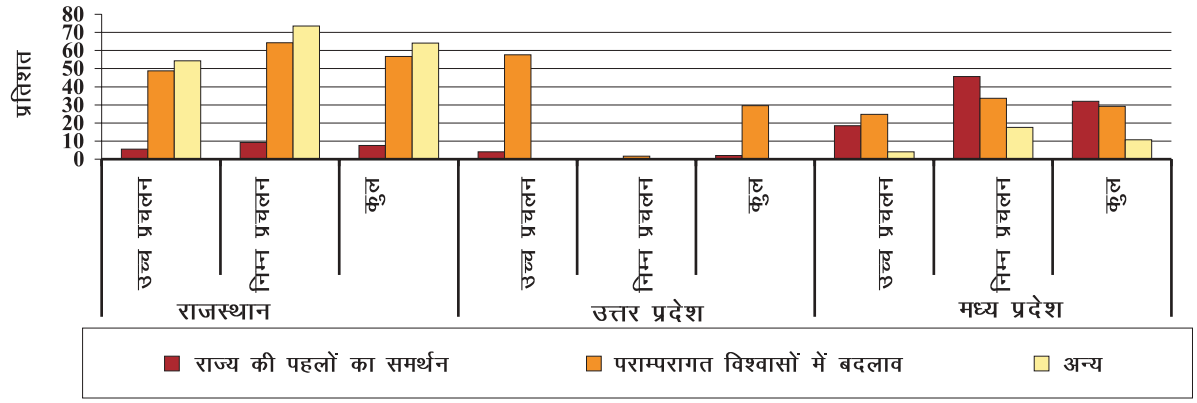

चित्र 7.5

पंचायत द्वारा बाल विवाहों को रोकने के तरीके

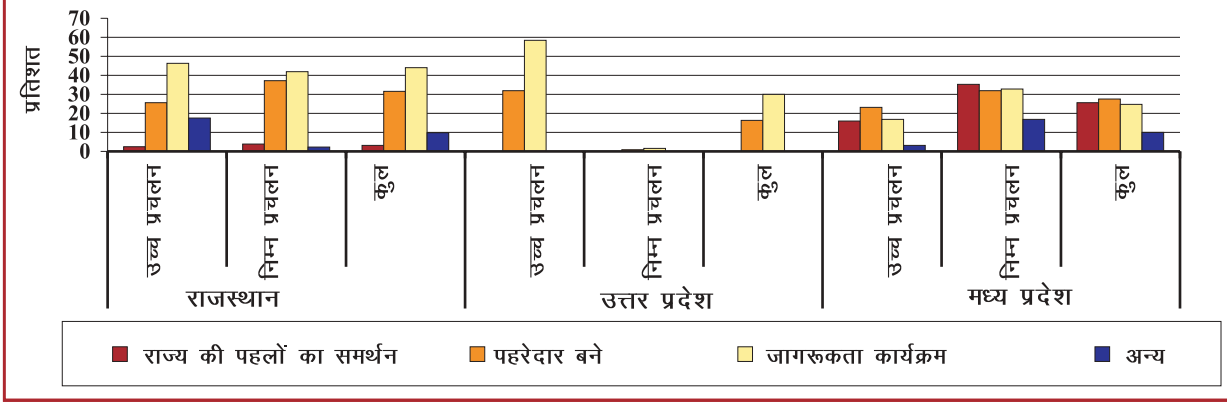

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

राजस्थान में, उत्तरदाताओं का विश्वास है कि बाल विवाह की नकारात्मक प्रथा के जारी रहने का बहुत बड़ा कारण लिंग और विवाह की संस्था से जुड़े हुए पारम्परिक विश्वास हैं। उनके अनुसार जाति/सामुदायिक समूहों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और इस संकट को रोकने के लिए प्रयत्न करने चाहिएं। जाति/सामुदायिक समूहों की अपने सदस्यों की चेतना पर बहुत मजबूत पकड़ होती है और उन्हें अपने सदस्यों की मानसिकता को बदलने के लिए इसका लाभ उठाना चाहिए। उनके पास लोगों के विचारों को बदलने की शक्ति और क्षमता है और उन्हें चाहिए कि लोगों को बाल विवाह की बुराइयों से अवगत कराएं। राजस्थान में, 44% और वाराणसी में 58.4% ग्रामवासी विश्वास करते हैं कि स्थानीय स्व–शासन की संस्थाएं (पंचायतें) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके बाल विवाह को रोकने में सहायता दे सकती हैं। राजस्थान में 31% और मध्य प्रदेश में 27.6% अन्य उत्तरदाताओं का विचार है कि पंचायतें गांव में होने वाली घटनाओं के बारे में अधिक चौकन्ना और सतर्क बन कर बाल विवाहों को होने से रोक सकती हैं।

7.1.2 पंचायत सदस्यों के उत्तर

यह जानना दिलचस्पी की बात थी कि राजस्थान में पंचायतों के जिन सदस्यों के साथ साक्षात्कार किया गया, वे सब बाल विवाह की अवैधता के बारे में जानते थे। लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रमशः केवल 80% और 50% उत्तरदाताओं को कानून के बारे में जानकारी थी।

सारिणी 7.1

बाल विवाहों का निषेध करने वाले कानून की जानकारी

राज्य	जानकारी है		जानकारी नहीं है		सभी	
राजस्थान	11	**100.0%**	0	**0.0%**	11	100.0%
टोंक	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
जयपुर	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%
उत्तर प्रदेश	8	**80%**	2	**20%**	10	100.0%
वाराणसी	4	80%	1	20%	5	100.0%
मेरठ	4	80%	1	20%	5	100.0%
मध्य प्रदेश	5	**50.0%**	5	**50.0%**	10	100.0%
भोपाल	2	40.0%	3	60.0%	5	100.0%
शाजापुर	3	60.0%	2	40.0%	5	100.0%

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में, उन सभी उत्तरदाताओं को, जिनके साथ साक्षात्कार किया गया था, विवाह की कानूनी आयु के बारे में जानकारी थी, जबकि मध्य प्रदेश में केवल 60% को जानकारी थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, जिन उत्तरदाताओं के साथ साक्षात्कार किया गया था, उन सबका और मेरठ में लगभग 80% उत्तरदाताओं का विचार था कि मौजूदा कानून बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त है। राजस्थान के पंचायत सदस्यों से भी इसी प्रकार के उत्तर प्राप्त हुए थे। मध्य प्रदेश में, 90% उत्तरदाताओं ने मौजूदा कानून की प्रभावकारिता का विश्वास दिलाया।

वाराणसी में सभी उत्तरदाताओं (100%) ने कहा कि विवाह पंजीकृत किए जाते हैं, जबकि मेरठ में 80% ने विवाहों के पंजीकरण की पुष्टि की। राजस्थान में अधिकतर निर्वाचित ग्रामीण प्रतिनिधियों ने दावा किया कि गांवों में अधिक प्रतिशत विवाहों का पंजीकरण कराया जाता है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में 60% का कहना था कि विवाहों का पंजीकरण किया जाता है और भोपाल में केवल 20% ने यह बात कही। दिलचस्पी की बात यह है कि वाराणसी और शाजापुर के अधिक प्रचलन वाले क्षेत्रों में उत्तरदाताओं ने कहा कि विवाहों का पंजीकरण होता है, जबकि मेरठ और भोपाल के कम प्रचलन वाले क्षेत्रों में बहुत कम विवाहों का पंजीकरण कराया गया था। यह अंतर लोगों की वचनबद्धता के कारण अथवा कानून के डर की वजह से अथवा केवल राजनैतिक रूप से उपयुक्त उत्तरों के कारण हो सकता है।

चित्र 7.6

जिलों में पंजीकृत विवाहों का प्रतिशत

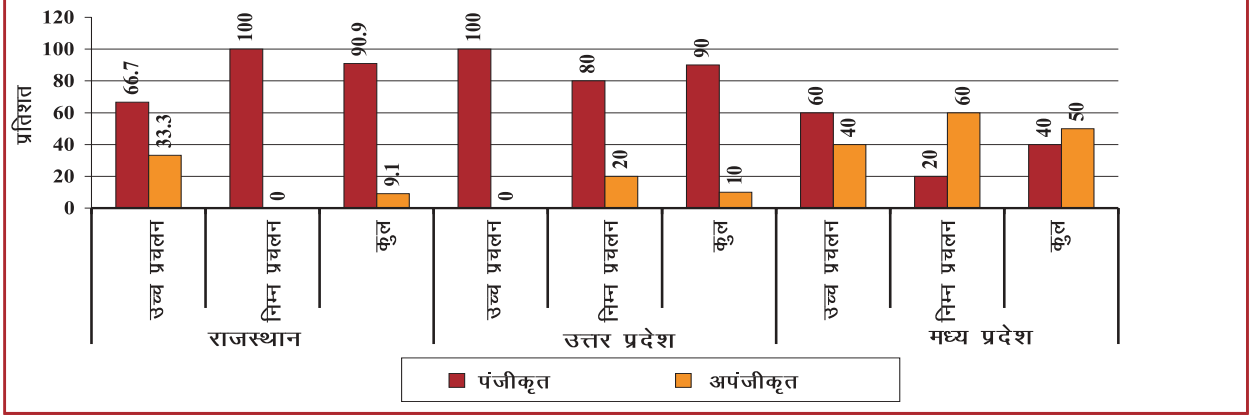

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

वाराणसी में सभी उत्तरदाताओं (100%) और मेरठ में 80% उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके जिलों में सीएमपीओ मौजूद हैं। राजस्थान में उत्तरदाताओं के बहुत बड़े अनुपात (जयपुर में 82% और टोंक में 67%) ने कहा कि जिला सीएमपीओ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में सभी उत्तरदाताओं (100%) ने कहा कि उनके जिले में सीएमपीओ मौजूद हैं, जबकि भोपाल में केवल 60% ने ऐसा कहा था। जयपुर और टोंक जिलों के अधिकतर निर्वाचित प्रतिनिधियों (73%) और उत्तर प्रदेश के भी अधिकतर निर्वाचित प्रतिनिधियों (वाराणसी से 100% और मेरठ से 80%) का विचार था कि पंचायत स्तर पर की गई बहुत सी पहलों के कारण गांवों में बाल विवाह की घटनाओं में कमी हुई है।

बाल विवाह की समस्या से निपटने के लिए उनके द्वारा की गई पहल पर, राजस्थान से उत्तरदाताओं ने बहुत बड़ी संख्या में कहा कि उन्हें ऐसे विवाहों को रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों में किसी संस्था से कोई ठोस सहायता प्राप्त नहीं हुई है। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में 80% उत्तरदाताओं ने यह कहा कि उन्हें अन्य पंचायत सदस्यों, गैर–सरकारी संगठनों और आईसीडीएस के पदाधिकारियों से सहायता मिली थी।

पंचायत सदस्य दावा करते हैं कि उनके द्वारा की गई पहलों के परिणामस्वरूप बाल विवाह की घटनाएं कम हो गई हैं। सभी तीन अध्ययन राज्य इस मत का समर्थन करते हैं।

उत्तर प्रदेश में लगभग 60% और मध्य प्रदेश में 80% ने उल्लेख किया कि उन्हें बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों के बारे में कोई दिशा–निर्देश नहीं दिया गया है। राजस्थान में, लगभग दो–तिहाई उत्तरदाताओं ने यह कहा कि उन्हें ऐसे सामाजिक मुद्दों से संबंधित दिग्विन्यास कार्यक्रम प्राप्त हुए थे। राजस्थान के दोनों जिले इस प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। वाराणसी और मेरठ में 40% ने अभिन्यास (ओरिएंटेशन) कार्यक्रमों में भाग लिया है।

7.2 उन लोगों के उत्तर, जिनका विवाह 18 वर्ष से कम की आयु में हुआ था

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक उत्तरदाता ने कहा कि एक गैर–सरकारी संगठन द्वारा बाल विवाहों को रोकने की एक कोशिश की गई थी, जबकि 87.5% उत्तरदाताओं ने इस बात से इनकार किया कि बाल विवाह की घटना को रोकने के लिए किसी पणधारी द्वारा कोई प्रयास किया गया था। राजस्थान में उन उत्तरदाताओं के विवाहों को रोकने के लिए, जिनका विवाह 18 वर्ष से कम की आयु में हुआ था, बिल्कुल कोई प्रयास नहीं किया गया था। किन्तु मध्य प्रदेश में, 83.3% ने कहा कि विवाह को रोकने के लिए कुछ निरर्थक प्रयास किए गए थे। उत्तर प्रदेश में किसी भी उत्तरदाता को बाल विवाह के अवैध होने की जानकारी नहीं है, जबकि राजस्थान में दोनों जिलों के उन उत्तरदाताओं में से, जिनका विवाह जल्दी हो गया था, दो–तिहाई उत्तरदाताओं को उसकी अवैधता की जानकारी थी। वाराणसी में, जो बाल विवाह अधिक प्रचलन वाला क्षेत्र है, सभी उत्तरदाताओं (100%) को बाल विवाह के गैर–कानूनी स्वरूप के बारे में जानकारी थी, जबकि मेरठ में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी।

स्वयं अपने बच्चों के विवाह के संबंध में वाराणसी में 50% और मेरठ में 25% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपने बच्चों का विवाह कानूनी आयु से पहले करेंगे।

जब उन उत्तरदाताओं से, जिनका विवाह जल्दी हो गया था, यह पूछा गया कि स्वयं उनके बच्चों के विवाह के बारे में उनका इरादा क्या है, तो जयपुर के केवल एक उत्तरदाता और वाराणसी के लगभग 50% उत्तरदाताओं और मेरठ के 25% उत्तरदाताओं ने कहा कि कानून होने के बाद उन्हें अपने बच्चों की शादी जल्दी करने की आवश्यकता होगी। टोंक जिले के सभी उत्तरदाताओं, मेरठ से 75% और मध्य प्रदेश से 63% उत्तरदाताओं ने कहा था कि वे बाल विवाह को पसंद नहीं करेंगे। राजस्थान में जिस उत्तरदाता ने यह कहा था कि वह अपने बच्चे का

विवाह जल्दी कर देगा, अपने विचार को इतना अधिक सही मानता था कि उसने दावा किया कि चाहे इसे कानून के विरुद्ध समझा जाता है, तो भी वह अपनी योजना के साथ आगे बढ़ेगा।

7.3 सिविल समाज का हस्तक्षेप : गैर–सरकारी संगठन

सभी तीनों राज्यों में, बाल विवाह के मुद्दे पर काम करने वाले सभी गैर–सरकारी संगठन इस बुराई के कुप्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में, इनमें से दो संगठन उन लोगों को कानूनी सहायता मुहैया करते हैं, जो बाल विवाह का विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश में पांच संगठन और मध्य प्रदेश में 6 गैर–सरकारी संगठनों में से चार संगठन बाल विवाह के मुद्दे पर परामर्श सेवा प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अधिकतर संगठन इस क्षेत्र में 5–10 वर्षों से सक्रिय हैं।

उत्तर प्रदेश में 83.3% और मध्य प्रदेश में 50% ने कहा कि विवाहों का पंजीकरण कराया जाता है।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी गैर–सरकारी संगठनों ने इस बात की पुष्टि की कि इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता जिले में होने वाले बाल विवाहों के सूचना के मुख्य स्रोत हैं। लगभग एक–तिहाई उत्तरदाताओं ने इस बात की पुष्टि की कि सामुदायिक और स्व–सहायता समूह भी कभी–कभी सूचना मुहैया करते हैं। मध्य प्रदेश में सभी एनजीओ उत्तरदाताओं ने कहा था कि सूचना माध्य की सूचना के प्रमुख स्रोत हैं।

जहां तक विवाहों के पंजीकरण का संबंध है, उत्तर प्रदेश में पांच गैर–सरकारी संगठनों ने कहा कि जिलों में विवाहों का पंजीकरण किया जाता है। इसके विपरीत, राजस्थान में, इस क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी गैर–सरकारी संगठन जिले में विवाहों के पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों के बारे में कोई सूचना नहीं दे सका। जबकि मध्य प्रदेश में तीन गैर–सरकारी संगठनों ने पुष्टि की कि विवाह पंजीकृत किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी एनजीओ उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके जिलों में सीएमपीओ मौजूद हैं। राजस्थान में, इस क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी गैर–सरकारी संगठन जिले में बाल विवाह निवारण अधिकारियों की मौजूदगी में कोई सूचना नहीं दे सका।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगभग 80–80% उत्तरदाताओं और राजस्थान में सभी गैर–सरकारी संगठनों ने यह कहा कि जब वे गांवों में बाल विवाहों को रोकने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। तीनों राज्यों में लगभग सभी गैर–सरकारी संगठन उस समय पुलिस सहायता प्राप्त करते हैं, जब वे गांवों में बाल विवाह के मामले को देखते हैं। राजस्थान में, फील्ड में काम करने वाला कोई भी गैर–सरकारी संगठन उन संस्थाओं के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं कर सका, जिन्होंने बाल विवाह की घटनाओं को रोकने में उन्हें सहायता दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में गैर–सरकारी संगठनों ने कहा कि समुदाय ने ऐसे विवाहों को रोकने में उनकी सहायता की थी। उनमें से तीन ने कहा था कि पंचायत और सूचना माध्यमों दोनों ने उनकी सहायता की है। मध्य प्रदेश में भी, चार संगठनों ने बताया था कि पुलिस ने और उतने ही अन्य संगठनों ने बताया था कि समाचार माध्यमों ने उनकी सहायता की थी। इसके अलावा, 50% ने कहा था कि सीएमपीओ ने, और अन्य 50% ने कहा था कि अन्य गैर–सरकारी संगठनों ने बाल विवाहों को रोकने में उनकी सहायता की थी। एक तीसरे संगठन ने बताया था कि पंचायत सदस्यों ने और 16.7% ने कहा था कि समुदाय ने भी उनकी सहायता की थी।

राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में 33% गैर–सरकारी संगठनों का विश्वास है कि बाल विवाह कानून सक्षम हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 50% गैर–सरकारी संगठनों ने कहा था कि मौजूदा कानून बाल विवाहों को रोकने में पर्याप्त हैं।

राजस्थान में गैर–सरकारी संगठन रूपी उत्तरदाताओं का विश्वास है कि बाल विवाहों के खिलाफ जो मौजूदा कानून है, वह ऐसे विवाहों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। राजस्थान में केवल लगभग दो और मध्य प्रदेश में दो ने इसे बाल विवाह को रोकने के लिए पर्याप्त पाया था। दिलचस्पी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में तीन संगठनों

ने कहा था कि कानून पर्याप्त है। नीचे की तालिका में गैर–ासरकारी संगठन रूपी उत्तरदाताओं के राज्य–वार और जिला–वार उत्तरों की जानकारी दी गई है:

सारिणी 7.2
क्या कानून बाल विवाह को रोकने के लिए पर्याप्त है?

राज्य	हां	नहीं
राजस्थान (6)	**2**	**4**
टोंक	**1**	**2**
जयपुर	**1**	**2**
मध्य प्रदेश (6)	**2**	**4**
भोपाल	**1**	**2**
शाजापुर	**1**	**2**
उत्तर प्रदेश (6)	**3**	**3**
वाराणसी	**1**	**2**
मेरठ	**2**	**1**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

राजस्थान में जब गैर–सरकारी संगठनों के साथ साक्षात्कार किया गया, तो उन्होंने कहा कि बाल विवाह अधिनियम में कोई कमियां नहीं हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 83.3% और मध्य प्रदेश में सभी गै.स.संगठन (100%) यह मानते हैं कि कानूनून में बचाव के रास्ते हैं।

आश्चर्य की बात है कि राजस्थान में सभी गैर–सरकारी संगठन, यहां तक कि वे भी संगठन, जो कानून को निष्प्रभावी पाते हैं, यह स्वीकार करते हैं कि कानून में बचाव के कोई मार्ग नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में पांच गैर–सरकारी संगठनों ने कहा कि कानून में कमियां हैं। मध्य प्रदेश में सभी गैर–सरकारी संगठनों ने कहा कि कानून में कमियां नहीं हैं। लेकिन, राजस्थान में, कोई भी गैर–सरकारी संगठन यह नहीं बता सका अथवा याद नहीं कर सकता कि जिले में बाल विवाह की घटनाओं को कम करने में उनके द्वारा कोई उल्लेखनीय योगदान दिया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सभी गैर–सरकारी संगठनों (100%) ने कहा कि वे बाल विवाह को रोकने के अपने प्रयत्नों में सफल रहे हैं।

गैर–सरकारी संगठन का हस्तक्षेप : एक मामला अध्ययन

मध्य प्रदेश में भोपाल जिले के एक गांव में एक 17–वर्षीय स्नातक–पूर्व छात्रा को, जो एक राजनैतिक कार्यकर्ता की बेटी थी, विवाह करने से इनकार करने पर घर में उसके बड़े भाई द्वारा बार–बार गालियां दी गईं।

इस लड़की को 'एंटी वीमेन एट्रोसिटीज़ फ्रंट' के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दो वर्ष पहले उसके भाई की कैद से मुक्त कराया गया था। मुक्त कराई गई लड़की को सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा समाचार माध्यमों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, क्योंकि यह लड़की एक प्रतिष्ठित परिवार की थी। लड़की ने स्वीकार किया कि उसके माता–पिता उसकी पढ़ाई जारी रखने की बजाय उसका विवाह करना चाहते थे और जब वह कक्षा 9 में पढ़ रही थी, उस दूल्हे के साथ उसकी शादी तय कर दी थी, जो 8वीं कक्षा में फेल हो गया था। 'मैंने विवाह करने से इनकार कर दिया और मेरे माता–पिता ने मुझे सताना शुरू कर दिया', यह लड़की ने कहा, जो अब बी.ए. द्वितीय वर्ष की छात्रा है। उसने पूछा कि 'वह भोपाल में रहते हुए अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेगी?' महिला कार्यकर्ता के अनुसार, इस लड़की की हत्या करने की भी साज़िश थी, लेकिन संगठन ने लड़की को मुक्त कराने के लिए कदम उठाए।

7.4 बाल विवाह के विरुद्ध सरकारी पहलें

7.4.1 पुलिस के उत्तर

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिन दस पुलिस कार्मिकों के साथ साक्षात्कार किया गया था, वे सब जानते थे कि बाल विवाह गैर–कानूनी है। राजस्थान में भी, क्षेत्र में काम करने वाले पुलिस के लगभग सभी कार्मिकों को इस तथ्य की जानकारी थी। बाल विवाह की अधिकतर घटनाओं में, उत्तर प्रदेश पुलिस स्थल पर जाती है और उपयुक्त कार्रवाई करती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से एक–एक उत्तरदाता ने कहा कि जब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की जाती, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में, लगभग 60% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे समुदाय (परिवारों) को, जिनका इरादा बाल विवाह करने का हो, परामर्श देते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 40% और राजस्थान में 50% उत्तरदाताओं ने दावा किया था कि वे परिवार के सदस्यों को कानूनी चेतावनी देते हैं। मध्य प्रदेश में 80% ने कहा कि जब कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो वे गिरफ्तारियां करते हैं और 80% ने कहा कि वे परामर्श देने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में 70% ने कहा कि वे चेतावनी देते हैं।, जबकि 30% ने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते थे।

दिलचस्पी की बात यह है कि राजस्थान (80%) और उत्तर प्रदेश (40%) में परिवार सदस्यों/रिश्तेदारों को बाल विवाहों के बारे में शिकायतों का मुख्य स्रोत निर्धारित किया गया है।

मध्य प्रदेश में 30% लोगों का कहना है कि बाल विवाह के मामलों पर कार्रवाई करने वाले विशेष सेल जिले में मौजूद हैं। शाजापुर जिले में 60% लोगों का कहना है कि वहां विशेष सेल मौजूद हैं।

समुदाय भी (राजस्थान में 70% और उत्तर प्रदेश में 50%) बाल विवाहों के खिलाफ मामलों की सूचना का स्रोत है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 50–50% ने कहा कि क्षेत्र में काम करने वाले गैर–सरकारी संगठन बाल विवाहों के मामलों की सूचना देते हैं। जहां तक बाल विवाहों के मामलों से निपटने वाले विशेष कक्षों के होने का संबंध है, राजस्थान में अधिकतर पुलिस कर्मियों (80%) ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए कोई विशेष कक्ष नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में भी, बाल विवाह के मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष कक्ष मौजूद नहीं हैं। मध्य प्रदेश में, 30% कहते हैं कि जिले में विशेष कक्ष मौजूद हैं।

उत्तर प्रदेश में 70% और राजस्थान में 80% पुलिस उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें बाल विवाहों के मामले दर्ज करने में कोई समस्या पेश नहीं आती। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 40% उत्तरदाताओं ने कहा कि मामलों को दर्ज करने में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वाराणसी में, 40% पुलिस उत्तरदाताओं को परिवारों के सदस्यों/रिश्तेदारों से समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जबकि 20% ने कहा था कि पंचायत सदस्यों और समुदाय के सदस्यों द्वारा उनके सामने समस्याएं पैदा की गई थीं। मध्य प्रदेश में आधे उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें मामलों को दर्ज करने में समस्याएं आई थीं, जबकि पंचातय ने भी समस्याएं पेश कर दी थीं। राजस्थान में 50% उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके लिए अन्य लोगों द्वारा समस्याएं उत्पन्न कर दी जाती हैं। जहां तक सीएमपीओ के होने का संबंध है, तीनों अध्ययन राज्यों में सभी दस उत्तरदाताओं ने कहा कि राज्य में सीएमपीओ मौजूद हैं।

7.4.2 जिला मजिस्ट्रेटों के उत्तर

सभी तीनों अध्ययन राज्यों के जिला मजिस्ट्रेटों ने कहा कि बाल विवाहों के मामलों की जांच करने के लिए सीएमपीओ मौजूद हैं। लेकिन, राजस्थान के टोंक जिले में ऐसा कोई अधिकारी नहीं था। राजस्थान में, दोनों जिला मजिस्ट्रेटों ने कहा कि जिला स्तर पर कोई सांख्यिकीय अभिलेख नहीं रखे जाते अथवा उपलब्ध नहीं हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेटों ने अभिलेखों के उपलब्ध होने की पुष्टि की। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिन–जिन अवधियों का डाटा उपलब्ध था, वे भिन्न–भिन्न थीं। उत्तर प्रदेश में, एक जिले में पिछले दो

वर्षों के आंकड़े उपलब्ध थे, जबकि दूसरे जिले में पिछले 2–5 वर्ष के अभिलेख थे। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में, एक जिले में दो वर्ष का डाटा उपलब्ध था और दूसरे जिले में 5–10 वर्ष तक का पुराना डाटा उपलब्ध था।

सभी राज्यों में, जिला मजिस्ट्रेटों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के बारे में पूरी जानकारी थी। राजस्थान में दोनों जिला मजिस्ट्रेटों का विचार था कि केवल कानून इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावकारी नहीं है। इस प्रकार कानून अपना निवारक मूल्य खो देता है और इस समस्या का वांछनीय स्तर तक निवारण करने में असफल रहता है।

8
निष्कर्ष और सिफारिशें

अध्ययन क्षेत्रों में बाल विवाह की प्रथा की विशेषता यह तथ्य है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों कम आयु के होते हैं और कई बार इतने छोटे कि 5 अथवा 6 वर्ष की आयु के होते हैं। छोटी उम्र में किए जाने वाले विवाह इस मामले में भिन्न होते हैं कि भारत और विश्व के कुछ अन्य भागों में दूल्हा और दुल्हन के बीच आयु का अंतर बहुत अधिक होता है, लड़की आम तौर पर बच्ची होती है। मौजूदा कानून और बाल विवाह की प्रथा के खिलाफ समय–समय पर किए जाने वाले जागरूकता अभियान 21वीं शताब्दी में भी समुदायों के जोश को कम करने में असफल रहे हैं। कुछ राज्यों में, विशेष रूप से राजस्थान में अखा तीज (जिसे देश के कुछ अन्य भागों में अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है) के अवसर पर, जिसे विवाह करने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है, बड़े–बड़े समूहों में खुले रूप से बाल विवाह सम्पन्न किए जाते और सामुदायिक नेताओं द्वारा इनका बहुत कम प्रतिरोध किया जाता है अथवा कोई प्रतिरोध नहीं किया जाता। इसलिए, बाल विवाह की प्रथा, कुछ मामलों में समाज के सदस्यों की निष्क्रियता, उदासीनता और कुछ हद तक उनके समर्थन के कारण जीवित है।

8.1 बाल विवाह की प्रथा के बरकरार रहने के कारण

इस बात के क्या कारण हैं कि कानूनी रुकावटें लागू करने के बाद भी यह गहरी जमी हुई प्रथा अब भी बरकरार है। इन कारणों को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अर्थात ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। क्षेत्रों के दौरों और सामुदायिक नेताओं तथा समाजविज्ञानियों के साथ की गई चर्चाओं और ऐसे बहुत कारकों का पता चला, जो बाल विवाह की प्रथा के कायम रहने में सहायता देते हैं और यहां तक कि प्रोत्साहन भी देते हैं:

- विभिन्न सामाजिक समूहों में अपने पूर्वजों के कर्मकांडों और प्रथाओं का, आज के युग और समय में उनकी प्रासंगिकता के बारे में सवाल किए बिना, अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। लोग बाल विवाह की प्रथा का पालन आंख मूंद कर करते हैं और वे यह स्वीकार नहीं करते कि इस प्रथा का त्याग करने के कारण मौजूद हैं, चाहे इसका अर्थ कानून के तहत दंड मिलना हो।

- कुछ ऐसी आर्थिक विवशताएं हैं, जो लोगों को बाल विवाह को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति और बड़े परिवार इस प्रथा को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इससे माता–पिता को अपनी बच्चियों को शीघ्र ही विदा करने में सहायता मिलती है। दूसरी ओर, लड़के के विवाह से घर के काम–काज और आर्थिक क्रियाकलापों में सहायता के लिए एक अतिरिक्त हाथ अर्थात व्यक्ति प्राप्त होता है। पारंपरिक विश्वास यह है कि लड़की के लिए उस वातावरण में पलना और बढ़ना लाभदायक है, जहां उसे अपने जीवन का अधिकतम भाग व्यतीत करना हो और घर के काम में योगदान देना हो। सामान्यतः, गरीब लोग सहोदर भाई–बहनों का विवाह एक साथ करना चाहते हैं कि ताकि वे परिवार में 'विवाह के खुशी वाले अवसर' पर समुदाय के भोजन पर होने वाले खर्च में बचत कर सकें। इस प्रकार, आर्थिक कारण इस प्रथा को स्वीकार करने और जारी रखने में योगदान देते हैं।

- बाल विवाह की प्रथा का अनुसरण करने वाले समुदाय के सदस्यों को व्यावहारिक रूप से कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती। छोटी आयु में विवाह से यह सुनिश्चित होता है कि बच्चों की देखभाल करने की 'जिम्मेदारी' पूरी हो जाती है। बच्चों का विवाह करना माता–पिता का एक कर्त्तव्य और सामाजिक दायित्व समझा जाता है और बच्चे का विवाह संपन्न हो जाने से यह कर्त्तव्य पूरा हो जाता है।

- मजबूत जागितगत संबंध और परस्पर–क्रिया के नियम दुल्हनों और दूल्हों की उपलब्धता को सीमित बना देते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब माता–पिता को कोई उपयुक्त नजर आता है, तो वे विवाह संपन्न करने में समय नहीं गंवाते, चाहे बच्चे की आयु कुछ भी हो। वे इसका कार्य समर्थन इस तर्क द्वारा करते हैं कि इस कार्य का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उनके अनुसार विवाह की निष्पत्ति उस समय होती है, जब जोड़ा 'बड़ा हो जाता है' (प्रायः विवाह की कानूनी आयु से पहले)।

- सामंतवादी पृष्ठभूमि, बच्चों और विशेष रूप से कन्याओं के लिए शिक्षा तक सीमित पहुंच और मौजूदा लैंगिक आधार लड़कियों को कोई अन्य कौशल अथवा प्रवीणता प्राप्त करने से रोक देते हैं, सिवाय उन कौशलों के, जो उनकी जैविक क्षमता की अनुपूर्ति करते हैं। ये पूर्वाग्रह और मूल्य शीघ्र विवाह का पक्षपोषण करते हैं।

- बाल विवाह इसलिए भी किया जाता है, क्योंकि उर्वरता और जननक्षमता के बारे में लोगों के अपने स्वयं के विचार हैं। शीघ्र विवाह इस क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करता है।

- उन समुदायों में, जिन पर धर्मादेशों का आधिपत्य होता है, विवाह को पवित्र अनुष्ठान समझा जाता है। उदाहरण के लिए, हिन्दू यह आशा करते हैं कि उन्हें धर्म के रूप में लाभ प्राप्त होगा। उदाहरणार्थ, हिन्दुओं में वर–वधु के माता–पिता के लिए यह समझा जाता है कि बच्चों का विवाह सफलतापूर्वक करना मोक्ष की ओर की यात्रा के मार्ग में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 'कन्या दान' को एक पावन अनुष्ठान समझा जाता है, जिससे अध्यात्म जगत में महान लाभ होता है। ये विश्वास बाल विवाह की प्रथा के जारी रहने में सहायता देते हैं।

- जैसा कि ऊपर कहा गया है, गरीबी और आर्थिक विपत्ति भी इस प्रथा की प्रमुख अंशदाता हैं। दुल्हन के माता–पिता, जिन्हें विवाह का अधिकांश खर्च वहन करना पड़ता है, सामान्यतः बार–बार खर्च से बचने के लिए अपनी सभी बेटियों का विवाह एक ही समय करना पसंद करते हैं।

- भारतीय परंपरा के अनुसार यह भी अपेक्षा की जाती है कि पुत्र–वधु अपने सास–ससुर की आज्ञाकारी हो और यह समझा जाता है कि छोटी आयु में लड़कियों की शादी करने से यह सुनिश्चित होगा कि अहम का टकराव कम से कम होगा।

- उपयुक्त लड़के की उपलब्धता आयु के विचार को काबू में कर लेती है और दुल्हन का परिवार लड़की की आयु, शिक्षा, कौशल विकास की बातों की खातिर इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता। पितृसत्तात्मक ढांचा लड़की के सतीत्व पर बहुत अधिक बल देता है। शीघ्र विवाह इस संदर्भ में अपवित्रीकरण का आश्वासन देता है।

- ग्रामीण समाज में विभिन्न समुदायों में, परंपरा के नाम से, सामुदायिक दबाव बहुत अधिक होते हैं। लोगों में जीवन की स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में हठधर्मिता की प्रवृत्ति होती है और शीघ्र विवाह करने पर जो बल दिया जाता है, वह ऐसी मानसिकता का परिणाम है। इसके अलावा कुछ समाजवैज्ञानिक तत्त्व, सांस्कृतिक क्रम–विकास और जनजातीय रीतियां होती हैं, जिनकी उपेक्षा करना समुदाय के सदस्यों के लिए कठिन होता है। सामुदायिक सोच–विचार के अनुसार बाल विवाह परिवारों के गठबंधन को मजबूत बनाते हैं, परिवारों और जातियों के बाहर विवाहों की संभावनाओं पर रोक लगाते हैं। वयःसंधि के बाद यौन क्रियाकलापों और बालिका के कौमार्य–भंग का डर मां–बाप को अपनी बेटियों का विवाह जल्दी करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यह समझा जाता है कि विवाहित लड़कियां सामाजिक रूप से अधिक

स्वीकार्य होती हैं। गरीबी और पारिवारिक परंपराएं सभी अध्ययन क्षेत्रों में इस प्रथा के जारी रहने के सबसे प्रमुख कारण के रूप में उभर कर सामने आई हैं। टोंक जिले में इस कारक को बाल विवाह का मुख्य कारण समझा जाता है, जबकि जयपुर में लोगों का कहना है कि पारिवारिक परंपरा वह मुख्य शक्ति है, जो बाल विवाह को बढ़ावा देती है। लड़की की सुरक्षा, रीति–रिवाज़ और विश्वास तथा सामुदायिक दबाव को भी वे कारक समझा जाता है, जो बाल विवाह की प्रथा के जारी रहने में योगदान देते हैं।

- राजस्थान में, बाल विवाह की प्रथा कतिपय भौगोलिक क्षेत्रों में कुछ जातियों और समुदायों की एक विशेषता है। लगभग 40% उत्तरदाता कहते हैं कि वे जिस जाति/समुदाय के हैं, वह बाल विवाह की प्रथा का पालन करती/करता है। उत्तर प्रदेश में 89.6% कहते हैं कि वे इसका पालन नहीं करते, जबकि मध्य प्रदेश में 77.2% ऐसे थे, जो बाल विवाह करते हैं। उनके अपने परिवारों में बाल विवाह की घटनाओं के बारे में बात करते हुए, राजस्थान में आम आदमियों में से औसत रूप से 44% उत्तरदाताओं ने कहा था कि उनके परिवारों में बाल विवाह की घटनाएं हुई हैं। टोंक जिले में ऐसे परिवारों की प्रतिशतता अधिक है। उत्तर प्रदेश में, 37.2% ने कहा कि उनके अपने परिवारों में बाल विवाह की घटनाएं हुई हैं। जबकि वाराणसी जिले में 76% उत्तरदाताओं (60.8%) ने कहा कि उनके परिवारों में बाल विवाह हुए हैं। मध्य प्रदेश में 61.6% ने कहा कि उनके परिवारों में बाल विवाह हुए हैं, जबकि 37.2% ने कहा कि उनके परिवारों में ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं।

- इस अध्ययन के निष्कर्ष को समझने के लिए, हमें एकत्र किए गए समेकित किए गए डाटा की जांच इस पृष्ठभूमि में करनी होगी। इस डाटा को मोटे रूप से (क) अध्ययन क्षेत्र में बाल विवाह की मौजूदा स्थिति, (ख) बाल विवाह रोकने के बारे में लोगों की जागरूकता, (ग) कानूनी पहलों की पर्याप्तता, और (घ) स्थानीय नेताओं और प्रवर्तन अभिकरणों की भूमिका के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

(क) अध्ययन क्षेत्रों में बाल विवाह की मौजूदा स्थिति

- इन राज्यों (राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश) के अध्ययन किए गए गांवों में बाल विवाह की प्रवृत्ति एक सामाजिक वास्तविकता है, लेकिन इसमें गिरावट आ रही है। इस तथ्य की पुष्टि सभी राज्यों के सभी जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा की गई है।

- तीनों सभी अध्ययन राज्यों में हुए बाल विवाहों की दो विशेषताएं हैं:

  (क) अन्यत्र होने वाले बाल विवाहों के विपरीत, जिनमें आम तौर पर केवल दुल्हन कम आयु की होती है, दुल्हन और दूल्हा दोनों कम आयु के होते हैं।

  (ख) विवाह के संपन्न होने के बाद, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में, दुल्हन को तत्काल उसके ससुराल में नहीं भेजा जाता। दुल्हन को उसके ससुराल तब भेजा जाता है, जब यह समझा जाता है कि वह घर के काम–काज को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व हो गई है, जो आम तौर पर वयःसंधि की आयु प्राप्त होने पर होता है। जबकि उत्तर प्रदेश में उनमें से अधिकतर को विवाह वाले दिन ही उनके ससुराल भेज दिया जाता था।

  (ग) बाल विवाह के अधिकतर मामले उन परिवारों में हुए बताए जाते हैं, जहां वह बृहद समाज, जिससे परिवार का संबंध होता है, बाल विवाह की प्रथा का अनुसरण करता है।

(ख) बाल विवाहों को रोकने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता की स्थिति

- राजस्थान में, अधिकतर गांवों और स्थानीय स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को बाल विवाहों के निषेध के बारे में कानूनी उपबंधों की जानकारी है। लेकिन उनमें से बहुत कम लोग बाल विवाहों को रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, अधिकतर ग्रामवासियों और पंचायत सदस्यों ने बाल विवाहों की अवैधता के बारे में जानकारी प्रदर्शित की। बहुत कम लोगों ने इस प्रथा को रोकने के लिए पहल की है।

- राजस्थान में, जैसा कि अध्ययन क्षेत्रों में पता लगाया गया है, विवाह के लिए सबसे अधिक पसंद की जाने वाली आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष ये कम और लड़कियों के लिए 18 वर्ष से कम है। दिलचस्पी की बात यह है कि ग्रामवासी इन्हें बाल विवाह के मामले नहीं समझते। उनके लिए बाल विवाह का अर्थ शिशुओं का विवाह अथवा 10–14 वर्ष के आयु–वर्ग के किशोरों का विवाह है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, यद्यपि अधिकतर ग्रामवासी दोनों लिंगों के कानूनी आयु वाले लड़के लड़कियों के विवाह को तरजीह देते हैं, लेकिन उसके साथ–साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो यह चाहते हैं कि लड़कों और लड़कियों का विवाह उस समय हो जाए, जब वे विवाह की कानूनी आयु से काफी कम आयु के हों।

- विवाहों के पंजीकरण की प्रथा एक आम बात नहीं है, बल्कि एक अपवाद है। राजस्थान में, गांवों के उन लोगों में से अधिकतर लोगों को, जिनके साथ साक्षात्कार किया गया था, विवाह पंजीकरण अधिनियम के बारे में कुछ जानकारी थी। किन्तु उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। व्यावहारिक रूप से, बहुत कम प्रतिशत लोग अपने विवाहों का पंजीकरण कराते हैं। सामान्यतः, केवल वे लोग, जो विदेश जाना चाहते हैं, जहां धार्मिक कर्मकांड द्वारा कराए गए विवाहों को मान्यता नहीं दी जाती, पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं।

(ग) कानूनी पहलों की पर्याप्तता के बारे में विचार

- अध्ययन क्षेत्रों में, स्थानीय नेता वैधानिक उपायों को बाल विवाहों को रोकने में पर्याप्त सक्षम मानते हैं। राजस्थान में, उनका दावा है कि ग्राम पंचायत द्वारा, अन्य संस्थाओं द्वारा दी गई न्यूनतम सहायता के साथ की गई पहलों के परिणामस्वरूप गत वर्षों में बाल विवाह की घटनाओं में कमी हुई है। कभी–कभी सामुदायिक समूहों, अन्य पंचायतों, गैर–सरकारी संगठनों और सीएमपीओ की सहायता मांगी गई है। उत्तर प्रदेश में, आईसीडीएस पदधारियों, एनजीओ और पंचायत सदस्यों से सहायता मांगी गई है। मध्य प्रदेश में, पुलिस, सीएमपीओ और सूचना माध्यमों से प्राप्त सहायता इस सामाजिक बुराई को रोकने में लाभदायक सिद्ध हुई है। सभी अध्ययन क्षेत्रों में उन व्यक्तियों ने, जिनका विवाह बच्चों के रूप में हुआ था, इस तथ्य को स्वीकार किया कि विवाह के समय कोई प्रतिरोध नहीं था।

- गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका अब तक बाल विवाहों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने तक रही है। सामाजिक कार्यकर्ता और गैर–सरकारी संगठन जिलों में होने वाले बाल विवाहों के बारे में सूचना के प्रमुख स्रोत हैं। गैर–सरकारी संगठनों ने उन बाधाओं के बारे में जानकारी दी, जिनका सामना उन्हें बाल विवाहों को रोकने की कोशिश करते समय करना पड़ता है। उनमें आम विचार यह है कि बाल विवाह रोधी कानून बाल विवाहों को रोकने में सक्षम नहीं है, हालांकि वे इसमें बचने के रास्तों के बारे में कुछ नहीं बता सके।

- क्षेत्र में काम करने वाले अधिकतर पुलिस कार्मिकों को बाल विवाह की अवैधता के बारे में जानकारी थी और उन्हें इनके बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राजस्थान पुलिस के अनुसार, बाल विवाहों के विरुद्ध शिकायतों के मुख्य स्रोत परिवार के सदस्य/रिश्तेदार थे। उत्तर प्रदेश में पुलिस को गैर–सरकारी

संगठनों और सामुदायिक नेताओं द्वारा सूचित किया गया था और मध्य प्रदेश में आधे उत्तरदाताओं ने कहा कि गैर–सरकारी संगठनों ने उन्हें जिलों में बाल विवाह की घटनाओं के बारे में बताया था। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिकतर पुलिस कर्मियों ने यह कहा कि बाल विवाहों के मामलों को रोकने के लिए कोई विशेष कक्ष नहीं हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 80 प्रतिशत ने कहा था कि ऐसक विशेष कक्ष विद्यमान हैं।

- राजस्थान के जयपुर जिले में और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के दोनों जिलों में बाल विवाह निवारण अधिकारी हैं, जिन्हें इस समस्या को रोकने के लिए तैनात किया गया है। राजस्थान के टोंक जिले में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है।
- राजस्थान में, बाल विवाह के संबंध में जिला स्तर पर कोई सांख्यिकीय अभिलेख नहीं रखे जाते अथवा उपलब्ध नहीं हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में जिला मजिस्ट्रेटों ने कहा कि अभिलेख उपलब्ध हैं।
- जयपुर के कलेक्टर और जिला मैजिस्ट्रेट तथा मध्य प्रदेश के एक जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिला प्रशासन को बाल विवाह के खिलाफ अधिनियम को कार्यान्वित करने में समस्याएं पेश आई थीं। उनका विचार था कि कानून में बच निकलने के कुछ रास्ते हैं, जिनसे लोगों को बाल विवाह करने अथवा उनकी अनदेखी करने और किसी दंड से बच निकलने में सहायता मिलती है। इसके विपरीत, टोंक और उत्तर प्रदेश के जिलों में मजिस्ट्रेटों ने बताया कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है और उनके अनुसार कानूनों में इस बुराई को रोकने की काफी व्यवस्था है।
- सामाजिक कार्यकर्ता, गैर–सरकारी संगठन, सीएमपीओ और समाचार माध्यम व जिला मजिस्ट्रेटों के लिए सूचना के मुख्य स्रोत हैं। राजस्थान में दोनों जिला मजिस्ट्रेटों ने कहा कि जिला प्रशासन बाल विवाहों को रोकने के लिए कदम उठाने में सहायता देने के लिए विभिन्न पणधारियों, जैसे व्यक्तियों, पंचायत राज जैसी संस्थाओं तथा गैर–सरकारी संगठनों, सूचना माध्यम और सीएमपीओ ने जिला मजिस्ट्रेटों को सहायता दी है। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेटों से कोई उत्तर नहीं मिला।
- टोंक के जिला मजिस्ट्रेट ने यह कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा महीने में दो बार की जाती है। मध्य प्रदेश में ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता और उत्तर प्रदेश में महीने में एक बार समीक्षा की जाती है। जयपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए बैठक उतनी बार नहीं की जाती, जितनी बार की जानी चाहिए। यह आम तौर पर वर्ष में एक बार की जाती है।

(घ) स्थानीय नेताओं और प्रवर्तन अभिकरणों की भूमिका

- जिन जिलों का सर्वेक्षण किया गया था, वहां बाल विवाहों के बहुत कम मामलों की रिपोर्ट दी गई थी। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर कानून का प्रवर्तन करने वाले और निर्वाचन करने वाले लोग उसी सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण की उपज हैं। वे संभवतः इस प्रथा को रोकने के लिए घिनौने तरीकों का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन कानूनों को लागू करने के लिए औपचारिक साधनों को भारी दबाव के अंतर्गत अपनाया जाता है।
- उत्तर प्रदेश में पुलिस ने बाल विवाहों के बारे में मासिक आधार पर 1–5 शिकायतें दर्ज की हैं। मध्य प्रदेश में 11–15 मामले दर्ज किए गए हैं और राजस्थान में 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि 1–5 मामले दर्ज किए गए हैं।
- राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी माता–पिता के रूप में अपनी हैसियत में बाल विवाह के मुद्दे पर चूक की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत सदस्यों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अपने बच्चों के विवाह कानूनी आयु में किए थे।

- राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में जिला मैजिस्ट्रेटों ने यह स्वीकार किया है कि कानूनों को बनाने और अन्य उपायों के बावजूद, स्थानीय लोग बाल विवाह की प्रथा को पसंद करते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। मीणा, जाट, गुर्जर, राजपूत, बेरवा, चमार और माली जैसे समुदाय अभी भी बाल विवाह करते हैं। किन्तु उत्तर प्रदेश में, जिला मैजिस्ट्रेटों के अनुसार, उनके जिलों में बाल विवाह नहीं किए जाते।

8.2 सिफारिशें

(क) मुख्य सिफारिशें

(i) **जागरूकता सृजनः** सभी पणधारियों को, जिनमें माता–पिता, संबंधी, पंचायत सदस्य, पुलिस, गैर–सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, जिला मैजिस्ट्रेट, आदि शामिल हैं, संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और मनाया जाना चाहिए कि बच्चों पर बाल विवाह का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उन्हें लड़कियों और युवा महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करने के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

(ii) **लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रमः** पुलिस बलों, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य पणधारियों के लिए समूचे जिले में लिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रसार किया जाना चाहिए। उन्हें बाल विवाहों के जोखिमों और हानियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए लड़कियों की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(iii) **कानून में मौजूद चूकों की जांच करनाः** कानून में बचाव के रास्तों को बंद करना अध्ययन क्षेत्रों में बाल विवाहों पर नियंत्रण पाने का एक महत्त्वपूर्ण तरीका है। अध्ययन में, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के उन लोगों का, जिनके साथ साक्षात्कार किया गया था, विचार है कि बाल विवाह रोधी कानूनों में बचाव के रास्ते हैं। इसलिए कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी उपबंधों को मजबूत बनाने के लिए ऐसे बचाव के रास्तों को ठीक किया जाना चाहिए।

(iv) **दंड की कड़ाईः** बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वह व्यक्ति जो बाल विवाह करता है, कड़े कारावास द्वारा, जो दो वर्षों तक का हो सकता है अथवा जुर्माने द्वारा, जो 1 लाख रुपये तक का हो सकता है, अथवा दोनों द्वारा दंडनीय है। मौजूदा परिदृश्य में, यद्यपि बहुत से लोग, जिनसे साक्षात्कार किया गया था, बाल विवाह के खिलाफ कानून से परिचित थे, प्रवर्तन और राजनैतिक इच्छा के अभाव में, वे इस प्रथा का पालन करते जा रहे हैं। केवल उस समय इस संकट से निपटा जा सकता है, जब कानून को कड़ा बनाया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो बाल विवाह की प्रथा का पालन कर रहे हैं।

(v) **बाल विवाह निवारण अधिकारी (सीएमपीओ)ः** उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिन पुलिस पदाधिकारियों के साथ साक्षात्कार किया गया था, उन्होंने कहा कि सीएमपीओ राज्य में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद बाल विवाह हो रहे हैं। प्रवर्तन के स्तर पर, थानों में काम कर रहे पुलिस कार्मिकों के पास बाल विवाह रोधी कानून को लागू करने की इच्छा होनी चाहिए। सीएमपीओ को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है, और यदि वे नियुक्त हैं, तो उन्हें सतर्क रहने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(vi) **विशेष कक्षों की स्थापना:** जिला स्तर पर विशेष कक्ष स्थापित किए जाने चाहिएं, जो विशिष्ट रूप से बाल विवाहों के मामलों के बारे में काम करें। विशेष कक्ष अध्ययन राज्यों में और इस सामाजिक बुराई के उच्च प्रचलन वाले अन्य राज्यों में स्थापित किए जाने चाहिएं। गांवों में होने वाले बाल विवाहों पर नज़र रखने से क्षेत्र में ऐसे मामलों की संख्या में कमी आ सकती है।

(vii) **विवाहों का पंजीकरण:** तीनों अध्ययन राज्यों में व्यापक रूप से फैली वास्तविकताओं पर विचार करते हुए, पंजीकरण के उपबंधों को सरल और प्रयोक्ताओं के अनुकूल तरीके से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। अध्ययन से प्रकट हुआ है कि अधिकतर परिवार विवाहों का पंजीकरण नहीं कराते। वस्तुत:, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी गन्दी बस्तियों में हमारे प्रशासनिक ढांचों में निम्नतम स्तर पर पंजीकरण की सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(viii) **गैर–सरकारी संगठनों को रिपोर्ट करनी चाहिए/हस्तक्षेप करना चाहिए:** गैर–सरकारी संगठनों को बाल विवाह के मामले में रिपोर्ट करने और जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अथवा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से हस्तक्षेप करने का प्राधिकार दिया जाना चाहिए।

(ix) **लड़कियों की रक्षा और सुरक्षा:** देह व्यापार एक गंभीर मुद्दा है और बाल विवाह से जुड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को सीमावर्ती राज्यों/क्षेत्रों से अपहरण किए जाने के बाद विवाह करने के लिए विवश किया जाता है। इन घटनाओं को रोकने के लिए, कानूनों को और अधिक कड़ा बनाए जाने और विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों/क्षेत्रों में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के साथ बाल विवाह निषेध अधिनियम को उपयुक्त रूप से लागू किए जाने की जरूरत है।

(x) **लड़कियों और लड़कों की सुरक्षा:** उन लड़कियों और युवा महिलाओं के लिए, जो मजबूरन और प्राय: हिंसक विवाह से बच निकलती हैं, एक सुरक्षा जाल (सेफ्टी नेट) का निर्माण किया जाना चाहिए। अध्ययन के अंतर्गत कुछ मामला अध्ययनों से प्रकट हुआ कि बच्चों को विवाह करने के लिए मजबूर किया गया था और एक मामले में एक लड़की मजबूरी की शादी से बच निकली थी। ऐसे मामलों में लड़कियों को और यहां तक कि लड़कों को भी सीएमपीओ और जिला पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि ऐसे बच्चों को स्वयं अपने परिवारों के सदस्यों से कोई हानि न पहुंचे।

(xi) **समाचार माध्यमों की भूमिका:** सूचना माध्यम जिला स्तर पर बाल विवाहों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने में एक सक्रिय भूमिका अदा कर सकता है। वे गांवों में हो रहे बाल विवाहों का प्रचार कर सकते हैं, ताकि गैर–सरकारी संगठनों, जिला मजिस्ट्रेटों और सीएमपीओ द्वारा कार्रवाई की जा सके। वे एक निवारक कार्रवाई के रूप में ऐसे मामलों की सूचना स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को भी दे सकते हैं।

(ख) सामान्य सिफारिशें

- **लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना:** बहुत बड़ी हद तक विश्वासों, कर्मकांडों और यथा–विहित सांस्कृतिक आचार का पालन करने की इच्छा से नियंत्रित समाज में, शिक्षा ही कदाचित ऐसा एकमेव साधन है, जो व्यवस्था में जड़बद्ध अवांछनीय प्रथाओं का सामना कर सकता है। विधान, कानून और उनका प्रवर्तन केवल इस प्रयास में सहायता दे सकता है। अध्ययन किए गए राज्यों में शिक्षा के नितांत

गिरे हुए स्तर की समस्या की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और स्कूल स्तर तक की शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। महिलाओं को जानकारी देने के लिए उन्हें कानूनी साक्षरता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि उनमें आत्म–विश्वास की भावना भरी जा सके। इसलिए यदि बाल विवाह की समस्या का उन्मूलन किया जाना है, तो शिक्षा को सार्वजनीन बनाना एक प्राथमिक आवश्यकता है।

- **आय सृजन कार्यक्रम और नीतियां:** अध्ययन क्षेत्र में, एक कारक, जिसका उल्लेख बार–बार बाल विवाहों के कारण के रूप में किया गया था, गरीबी था। हालांकि बहुत–से गरीबी उपशमन कार्यक्रम और रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, फिर भी 220 मिलियन से अधिक लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। पारंपरिक रूप से महिलाएं और बच्चे गरीबी से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए, इन प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी के मुद्दे की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की अविलंब आवश्यकता है।

- **जागरूकता सृजन कार्यक्रम:** बाल विवाह से जूझने की समस्या कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं है, जो प्रशासनकर्ताओं और प्रवर्तनकर्ताओं का वैयक्तिक ध्यान आकर्षित करता हो। इसे एक लघु अपराध समझा जाता है, जो संविधि के अंदर बहुत कम दंड आकर्षित करता है अथवा कोई दंड आकर्षित नहीं करता। यद्यपि कानून में दांडिक उपबंधों को मजबूत बनाने के लिए संशोधन किए गए हैं, जिनसे अपराधियों को पकड़ा जा सकता है और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन कानूनी प्रणाली में लाखों मामले बकाया पड़े हैं। हालांकि बाल विवाह को रोकने के लिए कानून मौजूद हैं, जैसाकि होना चाहिए, लेकिन अनुभव ने यह दिखाया है कि कानून स्वयं अपने आपमें सामाजिक बुराइयों को हल नहीं कर सकता। इसलिए, जरूरी है कि लोगों को बाल विवाह की बुराइयों के सभी पहलुओं के बारे में सुनियोजित तरीके से शिक्षा दी जाए। इसके लिए प्रशासन और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रभावित राज्यों में सामाजिक संदेश का प्रसार करने के लिए निरंतर अभियान चलाते रहने की आवश्यकता होगी। इस बारे में लोगों की राय बनाने वाले लोगों और समुदायों के धार्मिक मुखियाओं की सहायता ली जा सकती है।

- **राजनैतिक इच्छा:** लोगों के प्रतिनिधियों, जैसे संसद सदस्यों, विधान सभाओं और स्थानीय निकायों के सदस्यों की भूमिका बहुत निर्णायक और महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वे नियमित रूप से लोगों से संपर्क करते रहते हैं। उन्हें बाल विवाह के खिलाफ वकालत करने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। राजनीतिज्ञों को मानव अधिकार अभिसमयों, जैसे सीआरसी, सीईडीएडब्ल्यू और अन्य संबंधित संधियों के बारे में और इस संबंध में भी सतर्क रहना चाहिए कि क्या राज्य स्तर पर उन्हें पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है।

ग्रन्थ–सूची

अग्रवाल, दीपित और मेहरा, सुनील (2004) एडोलसेंट हेल्थ टिरमिनेंट्स फॉर प्रीगनेंसी एंड चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स अमंग दि अर्बर पूअर, *इंडिया पेडियाट्रिक्स – एनवायरनमेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट, स्पेशल आर्टिकल सर्विसेज,* वॉल्यूम 41, नई दिल्ली।

बीबीसी न्यूज आनलाइन, अक्तूबर 24, 2001 'चाइल्ड मैरिजीज टार्गेटिड इन इंडिया' http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1617759.stm

भट्ट, ए.सेन. और यू. प्रधान (2005), 'चाइल्ड मैरिज एंड दि लॉ इन इंडिया', *ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क,* नई दिल्ली

बंटिंग, एन्नी (1999) सेफ मदरहूडः हेल्थ डे 1998: डिले चाइल्ड बीयरिंग, पर्टिकुलेरिटी ऑफ राइट्स, डाइवर्सिटी ऑफ कंटेक्स्ट्स, *वूमेन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड दि केस ऑफ अर्ली मैरिज* (अप्रकाशित डाक्टरल थीसिस, 1999)।

बर्न्स जॉन एफ. (1998) दो इलीगल, चाइल्ड मैरिज इन पापुलर इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, *दि न्यू यार्क टाइम्स* सोमवार, मार्च 17, 2008

http;query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res+9E00E3DEIF31F932A25756C0A96E958260

कोएल (1974)। *अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी,* दि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, शिकागो।

दिघे, ए. राज्यालक्ष्मी और एम.के. जब्बी (2004), 'ए डायग्नोस्टिक स्ट्डी ऑफ चाइल्ड मैरिजीज इन राजस्थान एंड आंध्रा प्रदेश', *काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट* पृष्ठ 93।

हैबरलैंड, एन. और ई. चोंग (2004), 'ए वर्ल्ड अपार्टः दि डिस्एडवांटेज एंड सोशल आइसोलेशन ऑफ मैरड एडोलेसेंट गर्ल्स', *पापुलेशन काउंसिल,* न्यू यार्क।

हिन्दुस्तान टाइम्स, मार्च 28, 2006, 'एससी पुशेज फॉर सेफर लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज'।

इंफोचेंज, फरवरी, 2007, 'सीएसओज डिमांड ए मोर कम्प्रेहेंसिल चाइल्ड मैरिल बिल', रश्मि सहगल द्वारा। http://www.infochangeindia.org/features408.jsp

इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वूमेन (आईसीआरडब्ल्यू), (2006)। 'टू यंग टु वेडः एजूकेशन एंड एक्शन टुवर्ड्स एंडिंग चाइल्ड मैरिज'।

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) तथा ओआरसी मैक्रो (2000) *नैशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस–II) 1998–1999,* मुम्बई आईआईपीएस।

जेजीभॉय शिरीन (1990), 'रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन्फार्मेशन इन इंडियाः व्हट आर दि गैप्स?' *इकोनोमिक एंड पालिटिकल वीकली।*

एनएफएचएस–3 से राजस्थान के लिए मुख्य संकेतक

http://www.nfhsindia.org/pdf/RJ.pdf पर उपलब्ध

एनएफएचएस–3 से उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य संकेतक

http://www.nfhsindia.org/pdf/UP.pdf पर उपलब्ध

एनएफएचएस–3 से मध्य प्रदेश के लिए मुख्य संकेतक

http://www.nfhsindia.org/pdf/MP.pdf पर उपलब्ध

कोइंग, माइकल और मिलियन फू (1992), 'पेट्रिआर्ची' वूमेन्स स्टेटस एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन रूरल नॉर्थ इंडिया', *डेमोग्राफी इंडिया,* नई दिल्ली, पृष्ठ 145

मुख्य रिपोर्ट, अध्याय 6, *नेशनल फेमिली हैल्थ सर्वेक्षण–2 (एनएफएचएस–2),* भारत। http://www.nfhsindia.org/data/india/indch6.pdf

मासुमा ममदानी (1998), 'इम्पलीमेंटिंग एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंडा फॉर इंडियाः दि बिगनिंग', पापुलेशन काउंसिल, नई दिल्ली।

एम.ई. खान (1996) *सेक्सुअल वायालेंस विदइन मैरिज।*

मिल्लर एस. और एफ. लेस्टर (2003), 'इम्प्रूविंग दि हेल्थ एंड वेल–बीइंग ऑफ मेरिड यंग फर्स्ट टाइम मदर्स', विश्व स्वास्थ्य संगठन।

नागी, बी.एस. (1993), *चाइल्ड मैरिज इन इंडिया,* मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 120।

राष्ट्रीय महिला आयोग, अध्याय 10

http://wcd.nic.in/an/2006/Chap%2010.pdf

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–2 (एनएफएचएस–2), 1998–99, फेक्ट शीट, इंडिया

http://www.nfhsindia.org/data/india/indfctsm.pdf पर उपलब्ध

एनएफएचएस–1 मुख्य रिपोर्ट।

http://hetv.org/pdf/nfhs/india1/lachap4.pdf पर उपलब्ध

एनएफएचएस–3, फेक्ट शीट, इंडिया एंड स्टेट्स

http://www.nfhsindia.org/factsheet.html पर उपलब्ध

एनएचआरसी–यूएनआईएफईएम–आईएसएस परियोजना, 'ए रिपोर्ट ऑर ट्रैफिकिंग इन वूमेन एंड चिल्ड्रेन इन इंडिया 2002–2003', *फाइनल रिपोर्ट ऑफ एक्शन रिसर्च ऑन ट्रैफिकिंग इन वूमेन एंड चिल्ड्रेन, वॉल्यूम 1*

ओ' ब्राइन के.ओ. (2003). 'कैल्शियम एब्जोर्प्सन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन एडोलेसेंट ड्यूरिंग प्रीगनेंसी दैन इन दि अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड', *अमेरिकन जॉर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, पृष्ठ 78*

पचौरी, सरोज और ए जमशेदजी (1983), 'रिस्क्स ऑफ टीनेज प्रीगनेंसी', 37, *जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड ग्यानेकोलोजी, पृष्ठ 447*

पांडे, रोहिणी (2006), 'बिल्डिंग लाइन स्किल्स टु इम्प्रूव एडोलेसेंट गर्ल्स रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ', *फाइन रिपोर्ट ऑफ दि एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स, इंडिया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च आन वूमेन (आईसीआरडब्ल्यू)।*

पुश जॉर्नल, सिलम्बर 20, 2004, 'हॉफ ऑफ इंडियन वूमेन मैरिड बन दि एज ऑफ 15', एजेंस फ्रांस–प्रेसी।

रावत, सी.एम.एस. (2201), 'सोशियो–डेमोग्राफिक कोरिलेट्स ऑफ अनेमिया अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स इन रूरल एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेरठ (उत्तर प्रदेश)', *इंडियन जॉर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन,* अक्तूबर–दिसम्बर, XXVI (4)।

रेडिफ न्यूज, मार्च 7, 2007, 'प्रीगनेंसी क्लेम्स` वूमेन एवरी 7 मिनट्स' http://www.rediff.com/news/2007/mar/07pregnancy.htm

भारत के महापंजीयक (2001)। भारत की जनगणना, अनंतिम जनसंख्या जोड, श्रृंखला 1, दस्तावेज 1, महापंजीयक का कार्यालय, नई दिल्ली

सागेड, जया (2005)। *चाइल्ड मैरिज इन इंडियाः सोशिओ–लीगल एंड ह्यूमन राइट्स,* आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, पृष्ठ 257

संथ्या, के.जी., निकोल हैबरलैंड और अजय कुमार सिंह (2006)। *फाइंडिंग्स फ्रॉम एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन अर्ली मैरिज इन राजस्थान।* पापुलेशन काउंसिल, नई दिल्ली, पृष्ठ 31 ।

सरस्वत, रितू (2006), 'चाइल्ड मैरिलः ए सोशल इविल', *सोशल वेल्फेयर,* अप्रैल, 2006

श्रीवास्तव, के. (1983), 'सोशिओ–इकोनोमिक डिटरमिनेंट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज इन उत्तर प्रदेश', *डेमोग्राफी इंडिया,* नई दिल्ली।

श्रीवास्तव, विनय कुमार, *कल्चरल ट्रेडिशन्स एंड चाइल्ड मैरिज,* एन्थ्रोपोलोजी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2006। यह दस्तावेज 13 जुलाई 2006 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'भारत में बाल विवाहः सामाजिक–विधिक और मानव अधिकार परिदृश्य' में प्रस्तुत किया गया।

दि न्यू यार्क टाइम्स, मई 11, 1998, 'चाइल्ड मैरिजीज, दो इलीगल, पर्सिस्ट इन इंडिया', बाई जॉन एफ. बर्न्स।

दि स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2007 – साउथ एशिया एडिशनः वूमेन एंड चिल्ड्रेन, दि डबल डिविडेंड ऑफ जेंडर इक्वेलिटी, यूनिसेफ।

दि टाइम्स ऑफ इंडिया, दिसम्बर 16, 2006, 'रेणुका वांट्स प्रिस्ट्स टु चैंट फॉर दि गर्ल चाइल्ड', हिमांशु धवन द्वारा।

दि टाइम्स ऑफ इंडिया, दिसम्बर 16, 2006, 'बिल प्रोवाइड्स फॉर ऑफिसर्स टु प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजीज', हिमांशु धवन द्वारा।

दि टाइम्स ऑफ इंडिया, दिसम्बर 16, 2006, 'सून प्रिस्ट्स विल गो टु जेल फॉर चाइल्ड मैरिजीज', हिमांशु धवन द्वारा।

दि टाइम्स ऑफ इंडिया, दिसम्बर (2006), 'आर्टिकल ऑन चाइल्ड मैरिज' दिसम्बर 15, पृष्ठ 24।

द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिसम्बर (2006), 'आर्टिकल ऑन चाइल्ड मैरिज' दिसम्बर 16 ।

द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिसम्बर (2006), 'आर्टिकल ऑन चाइल्ड मैरिज' सितम्बर 15 ।

टी.के. राजालक्ष्मी (2005), 'रिलक्टेंट टु एक्ट;, *फ्रंटलाइन,* वाल्यूम 22, इश्यू 14
http://www.hinduonnet.com/fline/fl2214/stories/20050715005001200.htm

यूनिसेफ / एज एट मैरिज।

यूनिसेफ (2001) 'अर्ली मैरिज चाइल्ड स्पाउसेज', इन्नोसेंट डाइजेस्ट, सं.7, मार्च 2001।

यूनिसेफ *(2005), अर्ली मैरिजः ए हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रेक्टिसः ए स्टेटिस्टिकल एक्सप्लोरेशन।*

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। *कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्युमन राइट्स प्रेक्टिसेज (2006) रिलीजड बाई दि ब्यूरो ऑफ डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट्स, एंड लेबर,* मार्च 6, 2007
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78871.htm

ऊषा नायर (2004)। *सिट्युएशनल एनालिसिस ऑफ वूमेन इन दि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश,* राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)।
http://ncw.nic.in/pdfreports/Gender%20Profile-Uttar%20Pradesh.pdf पर उपलब्ध

वर्मा, ए. (2004), 'फेक्टर्स इनफ्लुएंसिंग अनीमिया अमंग गर्ल्स ऑफ स्कूल गोइंग एज (6–28 वर्ष) फ्रॉम दि स्लम्स ऑफ अहमदाबाद सिटी', *इंडियन जॉर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन* जनवरी–मार्च,, XXIX (1).

विश्व स्वास्थ्य संगठन (1999), *'इंटरनेशनल ह्युमन राइट्स एंड दि केस ऑफ अर्ली मैरिज',* अप्रकाशित डाक्टरल थीसिस।

यादव, के.पी. (2006), *'चाइल्ड मैरिज इन इंडिया',* अध्ययन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ 303।

परिवार के लिए अनुसूची (परिवार का मुखिया)

1. पहचान संख्या:

2. राज्य कोडः राजस्थान-1; मध्य प्रदेश-2; उत्तर प्रदेश-3

3. जिला कोड : भोपाल-1; शाजापुर-2; जयपुर-3; टोंक-4; वाराणसी-5; मेरठ-6

4. ग्राम कोड : 01; 02; 03; 04; 05

खण्ड कः व्यक्तिगत ब्योरा

5. नाम:

6. धर्म: [1- हिन्दू; 2- मुस्लिम; 3- अन्य]

7. जाति: [1- अन्य पिछड़ा वर्ग; 2- अनुसूचित जाति/जनजाति; 3- अन्य]

8. लिंग: [1- पुरुष; 2- महिला]

9. आयु (पूरे किए गए वर्षों में): [1- 30 वर्ष से कम; 2- 30-50 वर्ष ; 3- 50 वर्ष तथा इससे अधिक]

10. वैवाहिक स्थिति : [1- अविवाहित ; 2- विवाहित; 3- तलाकशुदा; 4- विवाहित–विच्छेदित]

11. शैक्षिक स्थिति (मौजूदा): [1- अनपढ़; 2- प्राथमिक (1-5); 3- मिडिल (6-8); 4- सैकण्डरी (9-12); 5- स्नातक; 6- स्नातकोत्तर; 7- अन्य]

12. परिवार की मातृभाषा: _____

13. पारिवारिक ढांचा: [1- संयुक्त परिवार; 2- एकल परिवार]

14. व्यवसाय: [1- किसान; 2- कृषि मजदूर;
3- पारिवारिक उद्योग; 4- गैर–पारिवारिक उद्योग;
5- अन्य किस्म का मजदूर; 6- पारिवारिक गैर–मजदूर]

15(क) पारिवारिक आय (हजारों में/प्रतिमास): [1. 1000 से कम;
2. 1000-3000; 3. 3000-5000; 4. 5000-10000;
5. 10000 से अधिक]

(ख) क्या परिवार गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति में है/ क्या परिवार को गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड जारी किया गया है? [1. हां; 2. नहीं]

16. आपके परिवार में कितने बच्चे हैं?
[1. 3 से कम; 2. 4 – 6; 3. 7 – 8; 4. 8 से अधिक]

17. क्या आपके किसी/किन्हीं बच्चे(चों) का विवाह हो चुका है? [1. हां; 2. नहीं]

18. यदि हां, तो विवाह के समय उसकी/उनकी आयु क्या थी?

(क) [**बालक** - 1. 3 वर्ष से कम; 2. 3 – 12 वर्ष;
3. 21 वर्ष से कम; 4. 21 वर्ष और उससे अधिक]

(ख) [**बालिका** - 1. 3 वर्ष से कम; 2. 3 – 8 वर्ष;
3. 8 – 13 वर्ष; 4. 18 वर्ष से कम; 5. 18 वर्ष और उससे अधिक]

19. अपने बच्चे का विवाह इतनी कम आयु में करने का क्या कारण था?

1. रीति–रिवाज तथा विश्वास
2. पारिवारिक परम्परा
3. समुदाय का दबाव
4. दहेज
5. बालिका की सुरक्षा
6. आर्थिक बोझ/गरीबी
7. अन्य कारण _____

20 (क) क्या आप विवाह के पंजीकरण के बारे में जानते हैं?
[1. हां; 2. नहीं]

(ख) क्या आपने अपने बच्चे के विवाह का पंजीकरण करवाया है?
[1. हां; 2. नहीं]

(ग) क्या आपके पास विवाह के प्रमाण के तौर पर पंजीकरण प्रमाणपत्र है [1. हां; 2. नहीं]

21. विवाह की रस्में किसने पूरी करवाई?

1. पादरी ने
2. मौलवी ने
3. फादर/पुरोहित ने
4. रिश्तेदारों ने
5. परिवार के सदस्यों ने
6. अन्य व्यक्ति ने_____

22. आपके विचार से शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए और क्यों?

(क) [**बालकों के लिए** - 1. 3 वर्ष से कम; 2. 3 – 12 वर्ष;
3. 21 वर्ष से कम; 4. 21 वर्ष और इससे अधिक]

(ख) [**बालिकाओं के लिए** - 1. 3 वर्ष से कम; 2. 3 – 8 वर्ष;
3. 8 – 13 वर्ष; 4. 18 वर्ष से कम; 5. 18 वर्ष और इससे अधिक]

_____

_____

खण्ड खः साक्षात्कार ब्योरे

23. क्या आपकी जाति/समुदाय में बाल विवाह की प्रथा विद्यमान है? [1. हां; 2. नहीं]

24. क्या आपके परिवार में कोई बाल विवाह हुआहै? [1. हां; 2. नहीं]

यदि आपका उत्तर हां है, तो प्रश्न 25–28 का उत्तर दीजिए? यदि आपका उत्तर न में है तो सीधे प्रश्न सं.29 का उत्तर दीजिए?

25. क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह गैर–कानूनी है? [1. हां; 2. नहीं]

26. क्या किसी ने बाल विवाह को रोकने की कोशिश की है? [1.हां; 2. नहीं]

27. यदि हां, तो किसने?

1. सरपंच ने
2. पंचायत सदस्यों ने
3. जिला मजिस्ट्रेट/क्लैक्टर ने
4. बाल विवाह रोकथाम अधिकारी ने
5. गैर–सरकारी संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता ने
6. पुलिस ने
7. समुदाय ने
8. कोई अन्य (कृपया स्पष्ट रूप से बताएं)

28. उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए क्या–क्या उपाय किए?

_____

29. बाल विवाह क्यों होते हैं?

1. रीति–रिवाजों तथा विश्वासों से
2. पारिवारिक परम्परा से
3. समुदाय/समाज के दबाव से
4. दहेज के कारण
5. बालिकाओं की सुरक्षा के कारण
6. आर्थिक बोझ/ गरीबी के कारण
7. किसी अन्य कारण से_____

30 (क) क्या आप बाल विवाह का समर्थन करते हैं? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) कारण बताएं

_____

_____

31. क्या आप समझते हैं कि बाल विवाह को रोका जा सकता है?

(क) *राज्य द्वारा*

1. कानून को लागू करके
2. इस संबंध में समाज को जागरूक बनाकर
3. माता–पिता के शैक्षिक स्तर को बढ़ा कर
4. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर
5. अन्य उपाय करके

(ख) *समुदाय/समाज/जाति द्वारा*

☐ 1. राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करके

☐ 2. पारम्परिक विश्वासों में बदलाव लाकर

☐ 3. अन्य उपाय करके

(ग) *पंचायतों के माध्यम से*

☐ 1. राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करके

☐ 2. सामाजिक पहरेदार बनकर

☐ 3. जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से

☐ 4. अन्य उपाय करके

उन बालकों के लिए अनुसूची जिनका विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो गया

1. पहचान संख्या:

2. राज्य कोड : राजस्थान-1; मध्य प्रदेश-2; उत्तर प्रदेश-3

3. जिला कोड : भोपाल-1; शाजापुर-2; जयपुर-3; टोंक-4; वाराणसी-5; मेरठ-6

4. ग्राम कोड : 1; 2; 3; 4; 5

खण्ड कः व्यक्तिगत ब्योरा

5. नाम: _____

6. लिंग: [1- बालक; 2- बालिका]

7. धर्म: [1- हिन्दु; 2- मुस्लिम; 3- ईसाई; 4- अन्य]

8. जाति: [1- अन्य पिछड़ा वर्ग; 2- अनुसूचित जाति/जनजाति; 3- अन्य]

9. आयु (पूरे किए गए वर्षों में): [1- 12 वर्ष से कम; 2- 13-18 वर्ष; 3- 19-24 वर्ष; 4- अन्य मामलों में (आयु स्पष्ट रूप से लिखें)]

10 (क) शैक्षिक स्तर: [1- अनपढ़; 2- प्राथमिक (1-5); 3- मिडल (6-8); 4- सैकण्डरी(9-12); 5- स्नातक; 6- अन्य]

(ख) विवाह के समय शैक्षिक स्थिति: _____

11. मातृभाषा: _____

12. पारिवारिक ढांचा: [1- संयुक्त परिवार; 2- एकल परिवार]

13. व्यवसाय: [1- किसान; 2- कृषि मजदूर;
3- पारिवारिक उद्योग; 4- गैर–पारिवारिक उद्योग;
5- दुकानदार; 6- विक्रेता; 7- अन्य किस्म का मजदूर;
10- गैर–मजदूर]

14. शादी के समय आपकी आयु कितनी थी? (आयु स्पष्ट रूप से लिखें)

(a) [**<u>बालक</u>**- 1. 3 वर्ष से कम; 2. 3 – 12 वर्ष;
3. 21 वर्ष से कम; 4. 21 वर्ष और इससे अधिक]

(b) [**<u>बालिका</u>**- 1. 3 वर्ष से कम; 2. 3 – 8 वर्ष;
3. 8 – 13 वर्ष; 4. 18 वर्ष से कम; 5. 18 वर्ष और इससे अधिक]

15. शादी से पहले आपने किस व्यक्ति से सलाह–मश्विरा किया था?

_____

16. आपके लिए शादी के क्या मायने थे?

1. पहनने के नए कपड़े मिलेंगे
2. सभी के लिए आकर्षण का केन्द्र बन जाऊंगा
3. त्योहार मनाने जैसा लगा था
4. अन्य, किस प्रकार लगा था, बताएं_____

17 (क) क्या आप इतनी कम आयु में शादी करना चाहते थे?
[1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो क्यों?_____

_____

(ग) यदि नहीं, तो क्या आपने शादी का विरोध किया था?

_____

18 (क) क्या आपकी शादी जबरदस्ती की गई थी? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो आपको किसने मजबूर किया था

1. पिताजी ने
2. माता जी ने
3. बहन/भाइयों ने
4. रिश्तेदारों ने
5. अन्य लोगों ने

19. आपको उस घर में कब भेजा गया, जिस घर में आपकी शादी हुई थी? [1. शादी के दिन ही; 2. कुछ दिनों/महीनों बाद (दिनों की संख्या स्पष्ट रूप से बताएं); 3. यौवन के आरम्भ होने पर; 4. अन्य किसी अवसर पर (स्पष्ट रूप से लिखें)_____]

खण्ड खः साक्षात्कार ब्योरे

20 (क) क्या आप बाल विवाह शब्द/पद का अर्थ जानते हैं?

(ख) यदि हां, तो बताएं इसका क्या अर्थ है?

_____

_____

21. क्या आपकी जाति/समुदाय में बाल विवाह करने की प्रथा आम है? (यह प्रश्न ऐसे उत्तरदाता से पूछा जाए, जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक है) [1. हां; 2. नहीं]

22. आपके परिवार में किसी और व्यक्ति की शादी को भी बाल विवाह कहा जा सकता है? [1. हां; 2. नहीं]

यदि उत्तर हां में है, तो प्रश्न 23 से 25 तक का उत्तर दें और यदि उत्तर न में है, तो प्रश्न सं. 26 का उत्तर दें

23. क्या किसी ने इस विवाह को रुकवाने की कोशिश की थी (1. हां 2. नहीं)

24. यदि हां, तो किसने?

1. सरपंच ने

2. पंचायत सदस्यों ने

3. जिला मजिस्ट्रेट/क्लैक्टर ने

4. गैर–सरकारी संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता ने

6. पुलिस ने

7. समुदाय ने

8. किसी अन्य व्यक्ति ने (कृपया स्पष्ट रूप से बताएं) _____

25. उन्होंने विवाह को रुकवाने के लिए क्या कदम उठाए?

26 (क) आप बाल विवाह का समर्थन करते हैं या इसके विरोधी हैं?
[1. समर्थक; 2. विरोधी]

(ख) कारण बताएं

_____

27. क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह गैर–कानूनी है?
[1. हां; 2. नहीं]

28. आपके विचार से शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए?
(यह प्रश्न ऐसे उत्तरदाता से पूछा जाना चाहिए जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक है))

(क) **<u>बालकों के लिए</u>** - 1. 3 वर्ष से कम; 2. 4 – 12 वर्ष;
3. 12 वर्ष से अधिक; 4. 21 वर्ष से अधिक;
5. 21 वर्ष और इससे अधिक]

(ख) **<u>बालिकाओं के लिए</u>** - [1. 3 वर्ष से कम; 2. 4 – 8 वर्ष ; 3. 9 – 13 वर्ष ; 4. 18 वर्ष से कम; 5. 18 वर्ष और इससे अधिक]

(ग) क्यों?

_____

29 (क) क्या आप अपने बच्चे/बच्चों की शादी भी कम उम्र में कर देंगे? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो क्यों?

30 (क) यदि हां, तो क्या आप यह जानते हुए भी कि बाल विवाह को रोकने के लिए कानून मौजूद है, ऐसा करेंगे? [1. हां; 2. नहीं]

गैर–सरकारी संगठनों के लिए अनुसूची

1. पहचान संख्या:

2. जिला कोड : राजस्थान-1; मध्य प्रदेश-2; उत्तर प्रदेश-3

3. राज्य कोड : भोपाल-1; शाजापुर-2; जयपुर-3; टोंक-4; वाराणसी-5; मेरठ-6

4. ग्राम कोड : 01; 02; 03; 04; 05

खण्ड क: गैर–सरकारी संगठनों का ब्योरा

5. गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता:

_____

_____

6. आपका संगठन कितना पुराना है? [1. 5 वर्ष से कम; 2. 6 – 10 वर्ष; 3. 11 वर्ष से अधिक]

7. आपके संगठन में स्वेच्छा से काम करने वाले/ कार्यकर्ता /कर्मचारी कितने हैं? ('घ' श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) [1. 5 से कम; 2. 6 - 10; 3. 10 - 20; 4. 20 से अधिक]

8. वे कौन से मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें आपका संगठन काम करता है?

   1. स्वास्थ्य मुद्दे
   2. शैक्षिक मुद्दे
   3. बाल अधिकार
   4. महिला एवं बाल विकास
   5. अन्य क्षेत्र (स्पष्ट रूप से लिखें)_____

9. बाल विवाह के मुद्दे पर गैर–सरकारी संगठन के रूप में आपकी क्या भूमिका है?

1. बाल विवाह का विरोध करने वाले व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना

2. परामर्श देना

3. बाल विवाह से संबंधित समस्या के बारे में जागरूकता फैलाना

4. संगठनात्मक सहायता देना

5. कोई अन्य कार्य_____

खण्ड खः कार्य संचालन संबंधी ब्योरे

10. कब से आप बाल विवाह अधिनियम को लागू करवाने के मुद्दे पर काम कर रहे हैं? [1. 5 वर्ष से कम समय से;
2. 5-10 वर्ष से; 3. 10-15 वर्ष से; 4. 15-20 वर्ष से
5. 20 वर्ष से अधिक समय से]

11. इस जिले में एक वर्ष के दौरान बाल विवाह के औसतन कितने मामले सामने आते हैं? [1. शून्य; 2. 1 – 10;
3. 11 – 20; 4. 21 और उससे अधिक; 5. बहुत अधिक]

12. क्या बाल विवाह किसी खास मौसम में या मौके पर सम्पन्न होते हैं?

_____

13. जिले में कहीं बाल विवाह हो रहा है, इसकी खबर आपको किस तरह से या माध्यम से मिलती है? (8. नहीं जानते /9. लागू नहीं होता)

1. समुदाय / समाज से

2. सामाजिक कार्यकर्ता से

3. रिश्तेदारों / पड़ोसियों से

4. सरकारी विभाग से

5. बाल विवाह रोकथाम अधिकारी से

6. गैर–सरकारी संगठन से

7. मीडिया से

10. स्वयं सहायता समूह से

11. अन्य किसी कारण से_____

14. आप बाल विवाह के मामले तक कैसे पहुंचते हैं?

1. विरोधी दल के नेता से बात करके रुकवाने की कोशिश करते हैं

2. माता–पिता से बात करते हैं

3. पुलिस को सूचना देकर

4. किसी अन्य माध्यम से

15. गत वर्ष आपने बाल विवाह अवरोधक कानून के तहत कितने मामले पंजीकृत करवाए हैं (मार्च 2005–अप्रैल 2006)?

16. इस क्षेत्र में बाल विवाह होने के क्या कारण हैं?

1. रीति–रिवाज तथा विश्वास

2. पारिवारिक परम्परा

3. समुदाय/सामाजिक दबाव

4. गरीबी/आर्थिक कारण

5. बालिका की सुरक्षा

6. दहेज

7. अन्य कोई कारण _____

17 (क) क्या इस जिले में शादियों का पंजीकरण होता है? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो पंजीकरण कौन करता है?

18. क्या जिले में बाल विवाह रोकथाम अधिकारी की नियुक्ति की गई है? [1. हां; 2. नहीं]

19 (क) क्या जिले में किसी खास जाति या समुदाय में बाल विवाह की प्रथा बहुतायत में प्रचलित है [1. हां; 2. नहीं]

(b) यदि हां, तो समुदाय/जाति का नाम बताएं

_____

20. गांव में आपने बाल विवाह को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है?

_____

21 (क) क्या आपको विरोध का सामना करना पड़ा है? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो विरोध किसने किया? अपने अनुभवों का विस्तार से वर्णन करें।

22. क्या गांव में हो रहे बाल विवाह की खबर आपने पुलिस को दी है? [1. हां; 2. नहीं]

23. आपको बाल विवाह को रोकने में किसने समर्थन दिया?

1. पंचायत ने
2. पुलिस ने
3. जिला मजिस्ट्रेट ने
4. बाल विवाह रोकथाम अधिकारी ने

5. अन्य गैर–सरकारी संगठनों ने

6. समुदाय ने

7. मीडिया ने

10. किसी अन्य व्यक्ति ने

24 (क) क्या आप यह समझते हैं कि जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए बने कानून इस प्रथा को मिटाने में कारगर साबित हुए हैं? [1. हां; 2. नहीं]

(कृपया कारण बताएं)

_____

25 (क) क्या आप समझते हैं कि कानून में कमियां रह गई हैं? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?

_____

26 (क) क्या आप यह समझते हैं कि बाल विवाह की घटनाओं में कमी लाने में आपने उल्लेखनीय योगदान दिया है? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो किस तरह? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

_____

_____

27. आपके विचार से बाल विवाह पर काबू पाने की प्रभावी रणनीति कौन सी है??

_____

सरपंच/पंचायत सदस्य के लिए अनुसूची

1. पहचान संख्या:

2. राज्य संकेतकीः राजस्थान-1; मध्य प्रदेश-2; उत्तर प्रदेश-3

3. शहर संकेतकी: भोपाल-1; शाजापुर-2; जयपुर-3; टोंक-4; वाराणसी-5; मेरठ-6

4. ग्राम संकेतकी: 01; 02; 03; 04; 05

खण्ड कः व्यक्तिगत ब्योरा

5. नाम: _____

6. धर्म: [1- हिन्दु; 2- मुस्लिम; 3- अन्य]

7. जाति: [1- अन्य पिछड़ा वर्ग; 2- अनुसूचित जाति/जनजाति; 3- अन्य]

8. लिंग: [1- पुरुष; 2- महिला]

9. आयु (पूरे किए गए वर्षों में): [1- 30 वर्ष से कम; 2- 30-50 वर्ष ; 3- 50 वर्ष तथा इससे अधिक]

10. वैवाहिक स्थिति : [1- अविवाहित ; 2- विवाहित; 3- तलाकशुदा; 4- विवाहित–विच्छेदित]

11. शैक्षिक स्थिति (मौजूदा): [1- अनपढ़; 2- प्राथमिक (1-5); 3- मिडिल (6-8); 4- सैकण्डरी (9-12); 5- स्नातक; 6- स्नातकोत्तर; 7- अन्य_____]

12. व्यवसाय: [1- किसान; 2- कृषि मजदूर; 3- पारिवारिक उद्योग; 4- गैर–पारिवारिक उद्योग; 5- अन्य मजदूर; 6- गैर–मजदूर]

13. क्या आपका कोई बच्चा शादीशुदा है? [1. हां; 2. नहीं]

14. यदि हां, तो किस उम्र में आपने उसकी शादी की?

(a) [**<u>बालक</u>** - 1. 3 वर्ष से कम; 2. 3 – 12 वर्ष;
3. 21 वर्ष से कम; 4. 21 वर्ष और इससे अधिक

(b) [**<u>बालक</u>** - 1. 3 वर्ष से कम; 2. 3 – 8 वर्ष;
3. 8 – 13 वर्ष; 4. 18 वर्ष से कम;
5. 18 वर्ष और इससे अधिक]

15. आपके विचार से शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए?

(a) [**<u>बालकों के लिए</u>**- 1. 3 वर्ष से कम; 2. 3 – 12 वर्ष;
3. 12 – 21 वर्ष; 4. 21 वर्ष और इससे अधिक

(b) [**<u>बालिकाओं के लिए</u>**- 1. 3 वर्ष से कम; 2. 3 – 8 वर्ष;
3. 8 – 13 वर्ष; 4. 13 – 18 वर्ष; 5. 18 वर्ष और इससे अधिक]

खण्ड खः साक्षात्कार ब्योरे

16. आपके विचार से बाल विवाह के क्या कारण हैं?

1. रीति–रिवाज तथा विश्वास
2. पारिवारिक परम्पराएं
3. सामुदायिक दबाव
4. दहेज
5. बालिकाओं की सुरक्षा
6. आर्थिक बोझ/गरीबी
7. अन्य कोई कारण_____

17. क्या आपके समुदाय में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है?
[1. हां; 2. नहीं]

18. क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह गैर–कानूनी है?
[1. हां; 2. नहीं]

19 (क) क्या आप ऐसे कानून के बारे में जानते हैं जिसमें बाल विवाह को रोकने के प्रावधान हैं? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो विवाह की कानूनी आयु के बारे में आपको जानकारी है?
[1. हां; 2. नहीं]

20 (क) क्या आपके विचार में कानून के माध्यम से बाल विवाह की प्रथा को प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) इसके पक्ष में कारण दें

_____

21 (क) क्या जिले में विवाहों का पंजीकरण किया जाता है?
[1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो पंजीकरण कौन करता है?

_____

22. क्या जिले में बाल विवाह को रोकने वाला कोई अधिकारी नियुक्त है?
[1. हां; 2. नहीं]

23 (क) क्या पंचायत ने बाल विवाह को रोकने का कोई कदम उठाया है?
[1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो उठाए गए कदम क्या थे?

_____

(ग) यदि नहीं, तो कार्रवाई क्यों नहीं की?

_____

24 (क) क्या पंचायत द्वारा की गई कार्रवाई से बाल विवाह के मामलों में कमी आई है? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो कैसे?

_____

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

_____

25. आपको अपने क्षेत्राधिकार में बाल विवाह होने की खबर कैसे मिलती है?

_____

26 (क) क्या आपको बाल विवाह रोकने में किसी संस्था से कोई मदद मिली? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो किस संस्थान ने सहायता दी और कैसे?

1. अन्य पंचायत सदस्यों ने
2. पुलिस ने
3. गैर–सरकारी संगठन ने
4. समुदाय ने
5. मीडिया ने
6. गैर–सरकारी संगठन ने
7. बाल विवाह रोकथाम अधिकारी ने
10. समेकित बाल विकास स्कीम के कार्यकर्ता ने
11. किसी अन्य व्यक्ति ने

27. बाल विवाह के बारे में आपके विचार क्या हैं (लिखें)
[1. समर्थन करते हैं; 2. विरोध करते हैं]

_____

28 (क) गांव में किस प्रकार की पंचायत मौजूद है?

1. जाति पंचायत
2. ग्राम पंचायत
3. दोनों
4. अन्य किसी प्रकार की पंचायत (स्पष्ट करें)

(ख) किस पंचायत के पास ज्यादा अधिकार हैं और कौन मुख्य निर्णय लेती है?

29 (क) क्या पंचायत के सदस्यों को बाल विवाह जैसे सामाजिक विषय के बारे में जानकारी दी जाती है? [1. हां; 2. नहीं]

(*उदाहरण के लिए क्या किसी पंचायत सदस्य ने बाल विवाह जैसी समस्या से कैसे निपटा जाए, इस विषय पर सेमिनार, कार्यशाला या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है?*)

(ख) यदि हां तो क्या आपने किसी अनुशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है?
[1. हां; 2. नहीं]

30. आपके विचार में बाल विवाह को रोकने की प्रभावी रणनीति क्या है?

_____

_____

31. क्या आपके जिले में कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना हुई है, जिसने आपकी सोच को प्रभावित किया हो?

_____

_____

पुलिस पोस्ट/पुलिस स्टेशन प्रभारी/सहायक उप–निरीक्षक/पुलिस निरीक्षक के लिए अनुसूची

1. पहचान संख्या:

2. राज्य कोड : राजस्थान-1; मध्य प्रदेश-2; उत्तर प्रदेश-3

3. जिला कोड : भोपाल-1; शाजापुर-2; जयपुर-3; टोंक-4; वाराणसी-5; मेरठ-6

4. ग्राम संकेतकी: 01; 02; 03; 04; 05

खण्ड कः व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक ब्योरा

5. पुलिस कर्मी का नाम: _____

6. पदनाम: _____

7 (क) सेवा में आने का वर्ष:

(ख) सेवा में बिताए गए वर्ष:

8. लिंग: [1- पुरुष; 2- महिला]

9. थाणा/ सेल का नाम और पता: _____

_____

10. थाणे में काम करने वाले कर्मियों की संख्या:

खण्ड खः साक्षात्कार ब्योरे

11. क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह गैर–कानूनी है?
[1. हां; 2. नहीं]

12 (क) क्या आपके समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है?
[1. हां; 2. नहीं]

(ख) (समुदाय/समाज का नाम स्पष्ट रूप से लिखें)

13. जब आपको यह पता चले कि आपके इलाके में बाल विवाह हो रहा है, तो आप क्या कदम उठाएंगे?

1. जब तक औपचारिक शिकायत दर्ज न हो, तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
2. आप विवाह स्थल पर कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाएंगे
3. कोई अन्य उपाय करेंगे_____

14. जब समाज बाल विवाह कानून का उल्लंघन करके बाल विवाह करवाता है, तब आप क्या करते हैं,

1. उन्हें गिरफ्तार करते हैं
2. चेतावनी देते हैं
3. उन्हें परामर्श देते हैं
4. कोई कदम नहीं उठाते
5. कोई अन्य उपाय करते हैं_____

15. क्या आपको अपने क्षेत्र में बाल विवाह की लिखित या जबानी शिकायत प्राप्त होती है? [1. हां; 2. नहीं]

16. जब आपको शिकायत मिलती है तो आप क्या कदम उठाते हैं? कृपया ब्योरा दें।

_____

17. पिछले तीन वर्षों में आपको किन लोगों के माध्यम से बाल विवाह की शिकायतें मिली हैं?

1. पंचायत से
2. समुदाय से
3. परिवार के सदस्य/रिश्तेदार से
4. गैर–सरकारी संगठन से
5. किसी अन्य व्यक्ति से_____

18. पिछले पांच वर्षों में बाल विवाह की पंजीकृत शिकायतों की महीने–वार संख्या बताएं? [1. 1-5; 2. 6-10; 3. 11-15;
4. 15 से अधिक (स्पष्ट करें)

_____}

19 (क) पिछले कुछ वर्षों में बाल विवाह की शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है या इनकी संख्या में कमी आई है? [1. बढ़ी है; 2. कमी आई है]

(ख) विवरण दें

_____

20 (क) क्या आपके पुलिस स्टेशन में कोई ऐसा सेल है, जो केवल बाल विवाह के मामलों को देखता हो? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो सेल के संबंध में पूरा ब्योरा दें।

_____

21 (क) क्या आपको बाल विवाह के मामले दर्ज करने में किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की?

_____

22. ऐसी समस्याओं का सामना आपको किससे करना पड़ता है?

1. पंचायत
2. समुदाय
3. परिवार के सदस्य/रिश्तेदार
4. किसी अन्य व्यक्ति से_____

23. ऐसी समस्याओं से आप किस प्रकार निपटते हैं?

24 (क) क्या आपके जिले में किसी विवाह का पंजीकरण हुआ है?
[1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो किसने पंजीकरण करवाया?

_____

25. क्या आपके जिले में बाल विवाह को रोकने वाले अधिकारी हैं?
[1. हां; 2. नहीं]

26. बाल विवाह के संबंध में आपके विचार क्या हैं? (लिखें)

_____

_____

27. आपके विचार में बाल विवाह को रोकने की प्रभावी रणनीति क्या है?

_____

_____

28. क्या आपके जिले में कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना हुई है जिसने आपकी सोच को प्रभावित किया हो?

_____

_____

जिला मजिस्ट्रेट के लिए अनुसूची

1. पहचान संख्या:

2. राज्य कोड : राजस्थान-1; मध्य प्रदेश-2; उत्तर प्रदेश-3

3. जिला कोड : भोपाल-1; शाजापुर-2; जयपुर-3; टोंक-4; वाराणसी-5; मेरठ-6

4. ग्राम कोड : 01; 02; 03; 04; 05

खण्ड कः व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक ब्योरा

5. जिला मजिस्ट्रेट का नाम:

6. कार्यालय पता:

7. जिले में सेवा के कितने साल पूरे का चुके हैं

8. आयु

खण्ड खः साक्षात्कार ब्योरे

9. क्या आपके जिले में बाल विवाह का रिवाज प्रचलित है? [1. हां; 2. नहीं]

10. बाल विवाह की घटनाओं के पीछे क्या कारण हैं?

    1. रीति–रिवाज तथा विश्वास

    2. पारिवारिक परम्परा

    3. समुदाय का दबाव

    4. दहेज

    5. लड़कियों की सुरक्षा

6. आर्थिक बोझ / गरीबी

7. कोई अन्य कारण_____

11. (क) क्या आप किसी समुदाय विशेष / जाति विशेष के बारे में जानते हैं, जिसमें बाल विवाह की प्रथा प्रचलित हो (1.हां 2.नहीं)

(ख) यदि हां, तो विवरण दीजिए?

_____

12. (क) क्या जिले में बाल विवाहों का पंजीकरण किया जाता हैं? (1. हां 2. नहीं)

(ख) यदि हां, तो कौन पंजीकृत करता हैं?

_____

13. क्या आपके जिले में बाल विवाह को रोकने वाला अधिकारी है?
[1. हां; 2. नहीं]

14. (क) क्या आपके पास बाल विवाह के जिला स्तरीय आंकड़े उपलब्ध हैं?
[1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो ब्योरा दें: [1. 2 वर्ष से कम;
2. 2 – 5 वर्ष; 3. 5 – 10 वर्ष; 4. 10 वर्ष और इससे अधिक]

15. क्या कोई ऐसा खास मौका या मौसम होता है जब बाल विवाह सम्पन्न होते हैं? (उल्लेख करें)

_____

16. आप बाल विवाह अधिनियम के बारे में अवश्य जानते होंगे?
[1. हां; 2. नहीं]

17. (क) क्या यह अधिनियम जिले में बाल विवाह को रोकने में समर्थ है?
[1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो कैसे?

_____

18. (क) क्या आपको अधिनियम को लागू करने में कठिनाइयां आ रही हैं? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो कृपया ब्योरा दें

_____

19. (क) क्या आपको अधिनियम में कुछ कमियां दिखाई देती हैं [1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?

_____

20. जिले में बाल विवाह की प्रचलित आयु क्या है?

(a) [**बालकों के लिए:** 1. 3 वर्ष से कम; 2. 3 – 12 वर्ष; 3. 21 वर्ष से कम; 4. 21 वर्ष और इससे अधिक]

(b) [**बालिकाओं के लिए:** 1. 3 वर्ष से कम; 2. 3 – 8 वर्ष; 3. 8 – 13 वर्ष; 4. 18 वर्ष से कम; 5. 18 वर्ष और इससे अधिक]

21. जिले में बाल विवाह हो रहा है – इसकी खबर आपको किस माध्यम से मिलती है?

1. समुदाय से
2. सामाजिक कार्यकर्ता से
3. रिश्तेदार/पड़ोसी से
4. गैर–सरकारी संगठन से
5. मीडिया से
6. बाल विवाह रोकने वाले अधिकारी से
7. स्वयं सहायता समूह

8. अन्य कोई व्यक्ति

22. (क) आपके जिले में बाल विवाह की घटनाएं कम हों, इसके लिए आपका कोई योगदान रहा है? [1. हां; 2. नहीं]

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

_____

23. बाल विवाह के विरुद्ध कार्रवाई करने में क्या आपको किसी गैर–सरकारी संगठन से सहायता मिली? [1. हां; 2. नहीं]

24. यदि हां, तो आपकी सबसे अधिक सहायता किसने की?

1. पंचायत
2. पुलिस
3. गैर–सरकारी संगठन
4. समुदाय
5. मीडिया
6. बाल विवाह रोकथाम अधिकारी
7. स्वयं सहायता समूह
10. अन्य कोई व्यक्ति

25. आपके इस अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा कैसे करेंगे? [1. मास में एक बार; 2. मास में दो बार;
3. वर्ष में एक बार; 4. कभी भी नहीं]

26. बाल विवाह के उल्लंघन के मुद्दे को आप कितनी अग्रता देंगे?

_____

_____

27. क्या आपको इस मुद्दे पर किसी प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला में भाग लेने का अवसर मिला है? (कृपया विस्तार से बताएं) [1. हां; 2. नहीं]

_____

_____

28. बाल विवाह के मुद्दे पर आपके विचार क्या हैं? (कृपया लिखें)

_____

_____

29. आपके विचार में बाल विवाह को रोकने की प्रभावी रणनीति क्या है?

_____

_____

30. क्या आपके जिले में कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना हुई है, जिसने आपकी सोच को प्रभावित किया हो?

_____

_____

तीन राज्यों के जिला–वार आंकड़े

मध्य प्रदेश

क्रम सं.	जिला	18 वर्ष से कम आयु में विवाह की स्थिति
1	बेतुल	27.6
2	बालाघाट	34.2
3	भोपाल	34.6
4	ग्वालियर	35.8
5	सियोनी	36.6
6	मंडला	39.1
7	जबलपुर	41.3
8	उज्जैन	42.4
9	इंदोर	42.6
10	पूर्वी निमाड़	42.7
11	रायसन	47.6
12	रतलाम	48.2
13	होशंगाबाद	48.3
14	दातला	49.0
15	नरसिंहपुर	49.3
16	सीहोर	50.4
17	देवास	53.5
18	दमोह	54.7
19	धार	56.5
20	पन्ना	58.0
21	झाबुआ	58.4
22	मंदसौर	59.7
23	सतना	60.0
24	उदीशा	60.0
25	सागर	60.4
26	भिण्ड	61.2
27	रीवा	64.0
28	शिवपुरी	68.3
29	राजगढ़	68.5
30	सीधी	68.8
31	शहडोल	69.0
32	गुना	69.6
33	टीकमगढ़	70.0
34	छतरपुर	73.0
35	मोरेना	73.9
36	शाजपुर	83.7

राजस्थान

क्रम सं.	जिला	18 वर्ष से कम आयु में विवाह की स्थिति
1	डूंगरपुर	34.4
2	सीकर	42.2
3	जयपुर	44.0
4	सिरोही	47.6
5	गंगानगर	47.8
6	जालोर	48.2
7	झुनझुनु	48.3
8	राजसमंद	49.3
9	पाली	50.6
10	जैसलमेर	50.6
11	हनुमानगढ़	51.6
12	अलवर	53.6
13	धौलपुर	56.4
14	भरतपुर	56.9
15	सवाई माधोपुर	57.0
16	जोधपुर	57.3
17	बाड़मेर	58.0
18	चित्तौड़गढ़	60.0
19	कोटा	61.0
20	अजमेर	62.5
21	बीकानेर	63.7
22	बांसवाड़	65.8
23	नागौर	67.2
24	चूरु	68.0
25	उदयपुर	69.6
26	दौसा	71.6
27	झालावाड़	74.2
28	भीलवाड़ा	76.2
29	टोंक	78.3
30	बूंदी	80.6

उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	जिला	18 वर्ष से कम आयु में विवाह की स्थिति
1	कानपुर नगर	5.6
2	मेरठ	14.4
3	बिजनौर	16.2
4	गोंडा	17.1
5	सहारनपुर	18.6
6	गाजियाबाद	19.3
7	मुजफ्फरनगर	21.2
8	बुलंदशहर	27.2
9	मुरादाबाद	29.5
10	बरेली	29.6
11	रामपुर	31.1
12	कानपुर देहात	34.5
13	लखनऊ	35.3
14	फर्रूखाबाद	37.2
15	आगरा	38.2
16	मउ	38.5
17	मथुरा	42.1
18	झांसी	42.4
19	अलीगढ़	42.6
20	हरदोई	44.2
21	इटावा	44.7
22	ऊना	45.6
23	रायबरेली	45.9
24	फतेहपुर	46.5
25	हाथरस	47.3
26	हमीरपुर	49.6
27	मैनपुरी	50.0
28	बदायूं	50.5
29	फिरोजाबाद	51.4

क्रम सं.	जिला	18 वर्ष से कम आयु में विवाह की स्थिति
30	इलाहाबाद	52.4
31	ललितपुर	53.8
32	खीरी	54.0
33	प्रतापगढ़	55.2
34	पीलभीत	55.7
35	बाराबंकी	56.2
36	जौनपुर	56.4
37	देवरिया	56.8
38	एटा	57.5
39	मिर्जापुर	58.6
40	जालौन	60.4
41	गाजीपुर	61.0
42	आजमगढ़	64.1
43	सीतापुर	64.2
44	शाहजहांबाद	64.5
45	फैजाबाद	64.9
46	महोबा	65.2
47	सुलतानपुर	65.5
48	गोरखपुर	66.2
49	सोनभद्र	67.0
50	भदोही	67.9
51	अम्बेडकर नगर	70.0
52	बांदा	71.6
53	वाराणसी	72.2
54	सिद्धार्थ नगर	72.6
55	बस्ती	77.4
56	बहराइच	78.6

तीन राज्यों की विश्लेषणात्मक तालिका

(नोटः सुविधा की दृष्टि से तालिका संख्या प्रत्येक अनुसूची की मद संख्या के अनुसार हैं)

परिवार (घर का मुखिया)

राज्य	उत्तरदाताओं की कुल संख्या		राज्य	उत्तरदाताओं की कुल संख्या		राज्य	उत्तरदाताओं की कुल संख्या	
राजस्थान (कुल)	254	100.0%	**उत्तर प्रदेश (कुल)**	250	100.0%	**मध्य प्रदेश (कुल)**	250	100.0%
टोंक	125	100%	वाराणसी	125	49.2%	भोपाल	125	100%
जयपुर	129	100%	मेरठ	125	50.8%	शाजापुर	125	100%

6. धर्म के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)

राज्य	हिन्दु		मुस्लिम		अन्य		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	252	99.2%	2	0.8%	0	0.0%	254	100.0%
टोंक	124	99.2%	1	0.8%	0	0.0%	125	100.0%
जयपुर	128	99.2%	1	0.8%	0	0.0%	129	100.0%

6. धर्म के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)

राज्य	हिन्दु		मुस्लिम		अन्य		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	218	87.2 %	32	12.8%	0	0.0%	250	100.0%
वाराणसी	107	85.6%	18	14.4%	0	0.0%	125	100.0%
मेरठ	111	88.8%	14	11.2%	0	0.0%	125	100.0%

6. धर्म के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)

राज्य	हिन्दु		मुस्लिम		अन्य		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	225	90.0%	24	9.6%	1	0.4%	250	100.0%
भोपाल	123	98.4%	2	1.6%	0	0.0%	125	100.0%
शाजपुर	102	81.6%	22	17.6%	1	0.8%	125	100.0%

7. जाति के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)

राज्य	अन्य पिछड़ा वर्ग		अनु.जा./अनु.ज.जा.		अन्य		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	57	22.4%	124	48.8%	73	28.7%	254	100.0%
टोंक	29	23.2%	68	54.4%	28	22.4%	125	100.0%
जयपुर	28	21.7%	56	43.4%	45	34.9%	129	100.0%

7. जाति के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)

राज्य	अन्य पिछड़ा वर्ग		अनु.जा./अनु.ज.जा.		अन्य		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	49	19.6%	99	39.6%	102	40.8%	250	100.0%
वाराणसी	43	34.4%	51	40.8%	31	24.8%	125	100.0%
मेरठ	6	4.8%	48	38.4%	71	56.8%	125	100.0%

7. जाति के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)								
राज्य	**अन्य पिछड़ा वर्ग**		**अनु.जा./अनु.ज.जा.**		**अन्य**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	104	41.6%	86	34.4%	60	24.0%	250	100.0%
भोपाल	71	56.8%	36	28.8%	18	14.4%	125	100.0%
शाजापुर	33	26.4%	50	40.0%	42	33.6%	125	100.0%

8. लिंग के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)						
राज्य	**महिला**		**पुरुष**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	246	96.9%	8	3.1%	254	100.0%
टोंक	121	96.8%	4	3.2%	125	100.0%
जयपुर	125	96.9%	4	3.1%	129	100.0%

8. लिंग के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**महिला**		**पुरुष**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	209	83.6%	41	16.4%	250	100.0%
वाराणसी	102	81.6%	23	18.4%	125	100.0%
मेरठ	107	85.6%	18	14.4%	125	100.0%

8. लिंग के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**महिला**		**पुरुष**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	221	88.4%	29	11.6%	250	100.0%
भोपाल	102	81.6%	23	18.4%	125	100.0%
शाजापुर	119	95.2%	6	4.8%	125	100.0%

9. आयु के अनुसार घर के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)								
राज्य	**30 वर्ष से कम**		**30-50 वर्ष**		**50 वर्ष और उससे अधिक**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	12	4.7%	143	56.3%	99	39.0%	254	100.0%
टोंक	1	0.8%	87	69.6%	37	29.6%	125	100.0%
जयपुर	11	8.5%	56	43.4%	62	48.1%	129	100.0%

9. आयु के अनुसार घर के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)								
राज्य	**30 वर्ष से कम**		**30-50 वर्ष**		**50 वर्ष और उससे अधिक**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	25	10%	127	50.8%	98	39.2%	250	100.0%
वाराणसी	19	15.2%	65	52.0%	41	32.8%	125	100.0%
मेरठ	6	4.8%	62	49.6%	57	45.6%	125	100.0%

9. आयु के अनुसार घर के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)								
राज्य	**30 वर्ष से कम**		**30-50 वर्ष**		**50 वर्ष और उससे अधिक**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	39	15.6%	135	54.0%	76	30.4%	250	100.0%
भोपाल	23	18.4%	72	57.6%	30	24.0%	125	100.0%
शाजापुर	16	12.8%	63	50.4%	46	36.8%	125	100.0%

10. वैवाहिक स्थिति के अनुसार घर के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)										
राज्य	**अविवाहित**		**विवाहित**		**तलाकशुदा**		**विवाह–विच्छेदित**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	8	3.1%	246	96.9%	0	0.0%	0	0.0%	254	100.0%
टोंक	2	1.6%	123	98.4%	0	0.0%	0	0.0%	125	100.0%
जयपुर	6	4.7%	123	95.3%	0	0.0%	0	0.0%	129	100.0%

10. वैवाहिक स्थिति के अनुसार घर के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	**अविवाहित**		**विवाहित**		**तलाकशुदा**		**विवाह–विच्छेदित**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	11	4.4%	225	90%	12	4.8%	2	0.8%	250	100.0%
वाराणसी	11	8.8%	114	91.2%	0	0.0%	0	0.0%	125	100.0%
मेरठ	0	0.0%	111	88.8%	12	9.6%	2	1.6%	125	100.0%

10. वैवाहिक स्थिति के अनुसार घर के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)										
राज्य	**अविवाहित**		**विवाहित**		**तलाकशुदा**		**विवाह–विच्छेदित**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	10	4.0%	236	94.4%	1	0.4%	1	0.4%	248	99.2%
भोपाल	6	4.8%	116	92.8%	0	0.0%	1	0.8%	123	98.4%
शाजपुर	4	3.2%	120	96.0%	1	0.8%	0	0.0%	125	100.0%

11. शैक्षिक स्तर के अनुसार घर के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)			
राज्य	राजस्थान	टोंक	जयपुर
अनपढ़ Illiterate	123	71	52
	48.4%	56.8%	40.3%
प्राथमिक (1-5)	41	17	24
	16.1%	13.6%	18.6%
मिडिल (6-8)	34	12	22
	13.4%	9.6%	17.1%
सैकेण्डरी (9-12)	42	21	21
	16.5%	16.8%	16.3%
स्नातक	6	3	3
	2.4%	2.4%	2.3%
स्नातकोत्तर	4	0	4
	1.6%	0.0%	3.1%
अन्य	4	1	3
	1.6%	0.8%	2.3%
प्राप्त उत्तर	254	125	129
	100.0%	100.0%	100.0%

11. शैक्षिक स्तर के अनुसार घर के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)			
राज्य	**उत्तर प्रदेश**	वाराणसी	मेरठ
अनपढ़	57	40	17
	22.8%	32.0%	13.6%
प्राथमिक (1-5)	60	32	28
	24%	25.6%	22.4%
मिडिल (6-8)	47	16	31
	18.8%	12.8%	24.8%
सैकेण्डरी (9-12)	67	29	38
	26.8%	23.2%	30.4%
स्नातक	14	7	7
	5.6%	5.6%	5.6%
स्नातकोत्तर	5	1	4
	2%	0.8%	3.2%
अन्य	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
प्राप्त उत्तर	250	125	125
	100.0%	100.0%	100.0%

11. शैक्षिक स्तर के अनुसार घर के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)																
राज्य	**अनपढ़**		**प्राथमिक (1-5)**		**मिडिल (6-8)**		**सैकेण्डरी (9-12)**		**स्नातक**		**स्नातकोत्तर**		**अन्य**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	83	33.2%	75	30.0%	36	14.4%	39	15.6%	10	4.0%	6	2.4%	0	0.0%	249	99.6%
भोपाल	46	36.8%	45	36.0%	18	14.4%	9	7.2%	4	3.2%	2	1.6%	0	0.0%	124	99.2%
शाजापुर	37	29.6%	30	24.0%	18	14.4%	30	24.0%	6	4.8%	4	3.2%	0	0.0%	125	100.0%

13. पारिवारिक ढांचे के अनुसार प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)						
राज्य	**संयुक्त परिवार**		**एकल परिवार**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	191	75.2%	61	24.0%	252	99.2%
टोंक	102	81.6%	21	16.8%	123	98.4%
जयपुर	89	69.0%	40	31.0%	129	100.0%

13. पारिवारिक ढांचे के अनुसार प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**संयुक्त परिवार**		**एकल परिवार**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	131	52.4%	119	47.6%	250	100.0%
वाराणसी	75	60%	50	40%	125	100.0%
मेरठ	56	44.8%	69	55.2%	125	100.0%

13. पारिवारिक ढांचे के अनुसार प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)						
राज्य	संयुक्त परिवार		एकल परिवार		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश(कुल)	118	47.2%	132	52.8%	250	100.0%
भोपाल	73	58.4%	52	41.6%	125	100.0%
शाजापुर	45	36.0%	80	64.0%	125	100.0%

14. व्यावसायिक स्थिति के अनुसार परिवार के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)			
राज्य	राजस्थान	टोंक	जयपुर
किसान	130	69	61
	51.2%	55.2%	47.3%
कृषि मजदूर	8	5	3
	3.1%	4.0%	2.3%
पारिवारिक उद्योग	7	4	3
	2.8%	3.2%	2.3%
गैर–पारिवारिक उद्योग	5	1	4
	2.0%	0.8%	3.1%
अन्य मजदूर	90	35	55
	35.4%	28.0%	42.6%
गैर–मजदूर	14	11	3
	5.5%	8.8%	2.3%
प्राप्त उत्तर	254	125	129
	100.0%	100.0%	100.0%

14. व्यावसायिक स्थिति के अनुसार परिवार के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)			
राज्य	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	मेरठ
किसान	51	28	23
	20.4%	11.2%	9.2%
कृषि मजदूर	62	26	36
	24.8%	10.4%	14.4%
पारिवारिक उद्योग	28	15	13
	11.2%	6%	5.2%
गैर–पारिवारिक उद्योग	5	3	2
	2%	1.2%	0.8%
अन्य मजदूर	77	34	43
	30.8%	27.2%	34.4%
गैर–मजदूर	27	19	8
	10.8%	15.2%	6.4%
प्राप्त उत्तर	250	125	125
	100.0%	100.0%	100.0%

14. व्यावसायिक स्थिति के अनुसार परिवार के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)														
राज्य	किसान		कृषि मजदूर		पारिवारिक उद्योग		गैर– पारिवारिक उद्योग		अन्य मजदूर		गैर– मजदूर		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	117	46.8%	49	19.6%	4	1.6%	12	4.8%	62	24.8%	6	2.4%	250	100.0%
भोपाल	64	51.2%	27	21.6%	1	0.8%	1	0.8%	29	23.2%	3	2.4%	125	100.0%
शाजापुर	53	42.4%	22	17.6%	3	2.4%	11	8.8%	33	26.4%	3	2.4%	125	100.0%

15क. आय के स्तर के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (रुपये) (राजस्थान)												
राज्य	1000 से कम		1000-3000		3000-5000		5000-10000		10001और उससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	48	18.9%	98	38.6%	81	31.9%	25	9.8%	2	0.8%	254	100.0%
टोंक	40	32.0%	58	46.4%	23	18.4%	2	1.6%	2	1.6%	125	100.0%
जयपुर	8	6.2%	40	31.0%	58	45.0%	23	17.8%	0	0.0%	129	100.0%

15 क. आय के स्तर के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (रुपये) (उत्तर प्रदेश)												
राज्य	1000 से कम		1000-3000		3000-5000		5000-10000		10001और उससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	40	16%	160	64%	39	15.6%	11	4.4%	0	0.0%	250	100.0%
वाराणसी	36	28.8%	63	50.4%	20	16%	6	4.8%	0	0.0%	125	100.0%
मेरठ	4	3.2%	97	77.6%	19	15.2%	5	4%	0	0.0%	125	100.0%

15 क. आय के स्तर के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (रुपये) (मध्य प्रदेश)												
राज्य	1000 से कम		1000-3000		3000-5000		5000-10000		10001और उससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	32	12.8%	129	51.6%	48	19.2%	31	12.4%	9	3.6%	249	99.6%
भोपाल	20	16.0%	62	49.6%	18	14.4%	16	12.8%	8	6.4%	124	99.2%
शाजापुर	12	9.6%	67	53.6%	30	24.0%	15	12.0%	1	0.8%	125	100.0%

15ख. गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा कार्डधारी व्यक्तियों का अनुपात (राजस्थान)						
राज्य	गरीबी रेखा कार्डधारक		गरीबी रेखा कार्डधारक नहीं		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	20	7.9%	234	92.1%	254	100.0%
टोंक	14	11.2%	111	88.8%	125	100.0%
जयपुर	6	4.7%	123	95.3%	129	100.0%

15 ख. गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा कार्डधारी व्यक्तियों का अनुपात (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	गरीबी रेखा कार्डधारक		गरीबी रेखा कार्डधारक नहीं		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	83	33.2%	167	66.8%	250	100.0%
वाराणसी	69	55.2%	56	44.8%	125	100.0%
मेरठ	14	11.2%	111	88.8%	125	100.0%

15 ख. गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा कार्डधारी व्यक्तियों का अनुपात (मध्य प्रदेश)						
राज्य	गरीबी रेखा कार्डधारक		गरीबी रेखा कार्डधारक नहीं		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	91	36.4%	154	61.6%	245	98.0%
भोपाल	36	28.8%	84	67.2%	120	96.0%
शाजपुर	55	44.0%	70	56.0%	125	100.0%

16. बच्चों की संख्या के हिसाब से परिवार का प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)										
राज्य	3 से कम		4-6		7-8		8 से अधिक		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	102	40.20%	124	48.80%	22	8.70%	6	2.40%	254	100.00%
टोंक	62	49.60%	54	43.20%	6	4.80%	3	2.40%	125	100.00%
जयपुर	40	31.00%	70	54.30%	16	12.40%	3	2.30%	129	100.00%

16. बच्चों की संख्या के हिसाब से परिवार का प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	3 से कम		4-6		7-8		8 से अधिक		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	82	32.8%	141	56.4%	27	10.8%	0	0.0%	250	100.00%
वाराणसी	35	28.0%	67	53.6%	23	18.4%	0	0.0%	125	100.00%
मेरठ	47	37.6%	74	59.2%	4	3.2%	0	0.0%	125	100.00%

16. बच्चों की संख्या के हिसाब से परिवार का प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)										
राज्य	3 से कम		4-6		7-8		8 से अधिक		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	111	44.4%	110	44.0%	13	5.2%	4	1.6%	238	95.2%
भोपाल	40	32.0%	68	54.4%	7	5.6%	2	1.6%	117	93.6%
शाजापुर	71	56.8%	42	33.6%	6	4.8%	2	1.6%	121	96.8%

18. विवाह के समय बच्चों की आयु (बालक) (राजस्थान)										
राज्य	3 वर्ष से कम		3-12 वर्ष		21 वर्ष से कम		21 वर्ष और उससे अधिक		सभी	
राजस्थान	0	0.0%	27	16.0%	107	63.3%	35	20.7%	169	66.5%
टोंक	0	0.0%	11	12.9%	59	69.4%	15	17.6%	85	68.0%
जयपुर	0	0.0%	16	19.0%	48	57.1%	20	23.8%	84	65.1%

18. विवाह के समय बच्चों की आयु (बालिका) (राजस्थान)												
राज्य	3 वर्ष से कम		3-8 वर्ष		8-13 वर्ष		18 वर्ष से कम		19 वर्ष और इससे अधिक		सभी आयु समूह	
राजस्थान	1	0.6%	5	3.0%	26	15.8%	94	57.0%	39	23.6%	165	65.0%
टोंक	0	0.0%	2	2.5%	10	12.3%	54	66.7%	15	18.5%	81	64.8%
जयपुर	1	1.2%	3	3.6%	16	19.0%	40	47.6%	24	28.6%	84	65.1%

18. विवाह के समय बच्चों की आयु (बालक) (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	3 वर्ष से कम		3-12 वर्ष		21 वर्ष से कम		21 वर्ष और उससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	26	10.4%	116	46.4%	142	56.8%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	21	16.8%	57	45.6%	78	62.4%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	5	4%	59	47.2%	64	51.2%

18. विवाह के समय बच्चों की आयु (बालिकां) (उत्तर प्रदेश)												
राज्य	3 वर्ष से कम		3-8 वर्ष		8-13 वर्ष		18 वर्ष से कम		19 वर्ष और इससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	18.4%	96	38.4%	142	56.8%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	30.4%	40	32%	78	62.4%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	6.4%	56	44.8%	64	51.2%

18. विवाह के समय बच्चों की आयु (बालक) (मध्य प्रदेश)										
राज्य	3 वर्ष से कम		3-12 वर्ष		21 वर्ष से कम		21 वर्ष और उससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	15	6.0%	41	16.4%	51	20.4%	107	42.8%
भोपाल	0	0.0%	7	5.6%	23	18.4%	21	16.8%	51	40.8%
शाजपुर	0	0.0%	8	6.4%	18	14.4%	30	24.0%	56	44.8%

18. विवाह के समय बच्चों की आयु (बालिकां) (मध्य प्रदेश)												
राज्य	3 वर्ष से कम		3-8 वर्ष		8-13 वर्ष		18 वर्ष से कम		19 वर्ष और इससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	1	0.4%	9	3.6%	15	6.0%	29	11.6%	49	19.6%	103	41.2%
भोपाल	1	0.8%	6	4.8%	7	5.6%	21	16.8%	15	12.0%	50	40.0%
शाजपुर	0	0.0%	3	2.4%	8	6.4%	8	6.4%	34	27.2%	53	42.4%

19. उत्तरदाता के परिवार में बाल विवाह के कारण (यह केवल बालिकाओं के संदर्भ में है, न कि बालकों के) (राजस्थान)												
राज्य	**रीति–रिवाज और विश्वास**		**पारिवारिक परम्परा**		**सामुदायिक दबाव**		**दहेज**		**बालिका की सुरक्षा**		**आर्थिक बोझ / गरीबी**	
राजस्थान	55	21.7%	55	21.7%	15	5.9%	0	0.0%	54	21.3%	92	36.2%
टोंक	35	28.0%	11	8.8%	4	3.2%	0	0.0%	41	32.8%	64	51.2%
जयपुर	20	15.5%	44	34.1%	11	8.5%	0	0.0%	13	10.1%	28	21.7%

19. उत्तरदाता के परिवार में बाल विवाह के कारण (उत्तर प्रदेश)												
राज्य	**रीति–रिवाज और विश्वास**		**पारिवारिक परम्परा**		**सामुदायिक दबाव**		**दहेज**		**बालिका की सुरक्षा**		**आर्थिक बोझ / गरीबी**	
उत्तर प्रदेश	23	9.2%	30	12%	14	5.6%	5	2%	17	6.8%	19	7.6%
वाराणसी	22	17.6%	26	20.8%	14	11.2%	5	4%	11	8.8%	17	13.6%
मेरठ	1	0.8%	4	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.8%	2	1.6%

19. उत्तरदाता के परिवार में बाल विवाह के कारण (मध्य प्रदेश)											
राज्य	**रीति–रिवाज और विश्वास**		**पारिवारिक परम्परा**		**सामुदायिक दबाव**		**दहेज**		**बालिका की सुरक्षा**		**आर्थिक बोझ / गरीबी**
मध्य प्रदेश	68	27.2%	67	26.8%	37	14.8%	14	5.6%	25	10.0%	26
भोपाल	32	25.6%	28	22.4%	21	16.8%	12	9.6%	20	16.0%	20
शाजापुर	36	28.8%	33	26.4%	16	12.8%	2	1.6%	5	4.0%	6

20 ख. विवाह के पंजीकरण के बारे में जागरूकता (राजस्थान)						
राज्य	**जागरूक है**		**जागरूक नहीं**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	62	24.4%	192	75.6%	254	100.0%
टोंक	33	26.4%	92	73.6%	125	100.0%
जयपुर	29	22.5%	100	77.5%	129	100.0%

20ख. स्वयं के बच्चे के विवाह का पंजीकरण (राजस्थान)						
राज्य	**पंजीकरण कराया है**		**पंजीकरण नहीं कराया**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	7	4.0%	167	96.0%	174	68.5%
टोंक	4	4.1%	94	95.9%	98	78.4%
जयपुर	3	3.9%	73	96.1%	76	58.9%

20 ग. विवाह के सबूत के तौर पर प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र (यह केवल उनके लिए ही नहीं जिन्होंने पंजीकृत विवाह किया है बल्कि उनके लिए भी जिन्होंने धार्मिक रीति से शादी की है)						
राज्य	**पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है**		**पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	8	4.3%	178	95.7%	186	73.2%
टोंक	5	5.0%	96	95.0%	101	80.8%
जयपुर	3	3.5%	82	96.5%	85	65.9%

20 क. विवाह के पंजीकरण के बारे में जागरूकता (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	जागरूक है		जागरूक नहीं		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	41	16.4%	209	83.6%	250	100.0%
वाराणसी	33	26.4%	92	73.6%	125	100.0%
मेरठ	8	6.4%	117	93.6%	125	100.0%

20ख. स्वयं के बच्चे के विवाह का पंजीकरण (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	पंजीकरण कराया है		पंजीकरण नहीं कराया		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	148	59.2%	148	59.2%
वाराणसी	0	0.0%	79	63.2%	79	63.2%
मेरठ	0	0.0%	69	55.2%	69	55.2%

20 ग. विवाह के सबूत के तौर पर प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र (यह केवल उनके लिए ही नहीं जिन्होंने पंजीकृत विवाह किया है बल्कि उनके लिए भी जिन्होंने धार्मिक रीति से शादी की है) (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है		पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	141	56.4%	141	56.4%
वाराणसी	0	0.0%	79	63.2%	79	63.2%
मेरठ	0	0.0%	62	49.6%	62	49.6%

20(क) विवाह के पंजीकरण के संबंध में जागरुकता (मध्य प्रदेश)						
राज्य	पंजीकरण कराया है		पंजीकरण नहीं कराया		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	64	25.6%	171	68.4%	235	94.0%
भोपाल	30	24.0%	80	64.0%	110	88.0%
शाजापुर	34	27.2%	91	72.8%	125	100.0%

20(ख) स्वयं के बच्चे का विवाह का पंजीकरण (मध्य प्रदेश)						
राज्य	पंजीकरण कराया है		पंजीकरण नहीं कराया		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	7	2.8%	199	79.6%	206	82.4%
भोपाल	0	0.0%	99	79.2%	99	79.2%
शाजापुर	7	5.6%	100	80.0%	107	85.6%

20 (ग) विवाह के सबूत के तौर पर प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र (मध्य प्रदेश)						
राज्य	पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है		पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	3	1.2%	107	42.8%	110	44.0%
भोपाल	0	0.0%	59	47.2%	59	47.2%
शाजापुर	3	2.4%	48	38.4%	51	40.8%

21. वह व्यक्ति, जिसने शादी सम्पन्न कराई (राजस्थान)												
राज्य	पादरी		मौलवी		फादर/पुरोहित		रिश्तेदार		परिवार के सदस्य		अन्य	
राजस्थान	148	58.3%	0	0.0%	1	0.4%	50	19.7%	49	19.3%	4	1.6%
टोंक	76	60.8%	0	0.0%	0	0.0%	13	10.4%	14	11.2%	3	2.4%
जयपुर	72	55.8%	0	0.0%	1	0.8%	37	28.7%	35	27.1%	1	0.8%

21. वह व्यक्ति, जिसने शादी सम्पन्न कराई (उत्तर प्रदेश)												
राज्य	पादरी		मौलवी		फादर/पुरोहित		रिश्तेदार		परिवार के सदस्य		अन्य	
उत्तर प्रदेश	17	6.8%	10	4%	0	0.0%	86	34.4%	64	25.6%	32	12.8%
वाराणसी	17	13.6%	8	6.4%	0	0.0%	57	45.6%	51	40.8%	9	7.2%
मेरठ	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	29	23.2%	13	10.4%	23	18.4%

21. वह व्यक्ति, जिसने शादी सम्पन्न कराई (मध्य प्रदेश)												
राज्य	पादरी		मौलवी		फादर/पुरोहित		रिश्तेदार		परिवार के सदस्य		अन्य	
मध्य प्रदेश	87	34.8%	10	4%	2	0.8%	75	30%	70	28.0%	6	2.4%
भोपाल	41	32.8%	1	0.8%	1	0.8%	35	28%	35	28.0%	2	1.6%
शाजापुर	46	36.8%	9	7.2%	1	0.8%	40	32%	35	28.0%	4	3.2%

22. शादी की सही उम्र के बारे में विचार: पुरुष (राजस्थान)										
राज्य	3 वर्ष से कम		3-12 वर्ष		21 वर्ष से कम		21 वर्ष और उससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	0	0.0%	9	3.6%	87	34.7%	155	61.8%	251	98.8%
टोंक	0	0.0%	3	2.4%	46	37.4%	74	60.2%	123	98.4%
जयपुर	0	0.0%	6	4.7%	41	32.0%	81	63.3%	128	99.2%

22. शादी की सही उम्र के बारे में विचार: महिला (राजस्थान)												
राज्य	3 वर्ष से कम		3-8 वर्ष		8-13 वर्ष		18 वर्ष से कम		19 वर्ष और इससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	0	0.0%	8	3.2%	17	6.8%	70	28.0%	155	62.0%	250	98.4%
टोंक	0	0.0%	3	2.4%	2	1.6%	43	35.0%	75	61.0%	123	98.4%
जयपुर	0	0.0%	5	3.9%	15	11.8%	27	21.3%	80	63.0%	127	98.4%

22. शादी की सही उम्र के बारे में विचार: पुरुष (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	3 वर्ष से कम		3-12 वर्ष		21 वर्ष से कम		21 वर्ष और उससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	30	12%	220	88%	250	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	27	21.6%	98	78.4%	125	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%	122	97.6%	125	100.0%

22. शादी की सही उम्र के बारे में विचार: महिला (उत्तर प्रदेश)												
राज्य	3 वर्ष से कम		3-8 वर्ष		8-13 वर्ष		18 वर्ष से कम		19 वर्ष और इससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	18.4%	204	81.6%	250	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	33.6%	83	66.4%	125	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.2%	121	96.8%	125	100.0%

22. शादी की सही उम्र के बारे में विचार: पुरुष (मध्य प्रदेश)										
राज्य	3 वर्ष से कम		3-12 वर्ष		21 वर्ष से कम		21 वर्ष और उससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	1	0.4%	12	4.8%	75	30.0%	155	62.0%	243	97.2%
भोपाल	1	0.8%	5	4.0%	51	40.8%	61	48.8%	118	94.4%
शाजापुर	0	0.0%	7	5.6%	24	19.2%	94	75.2%	125	100.0%

22. शादी की सही उम्र के बारे में विचार: महिला (मध्य प्रदेश)												
राज्य	3 वर्ष से कम		3-8 वर्ष		8-13 वर्ष		18 वर्ष से कम		19 वर्ष और इससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	6	2.4%	15	6.0%	68	27.2%	154	61.6%	243	97.2%
भोपाल	0	0.0%	2	1.6%	7	5.6%	48	38.4%	62	49.6%	119	95.2%
शाजापुर	0	0.0%	4	3.2%	8	6.4%	20	16.0%	92	73.6%	124	99.2%

23. बाल विवाह प्रथा की विद्यमानता से युक्त जातियों/समुदायों का प्रतिशत (राजस्थान)						
राज्य	प्रथा विद्यमान है		प्रथा विद्यमान नहीं है		उत्तर	
राजस्थान	104	40.90%	147	57.90%	251	98.80%
टोंक	60	48.00%	62	49.60%	122	97.60%
जयपुर	44	34.10%	85	65.90%	129	100.00%

23. बाल विवाह प्रथा की विद्यमानता से युक्त जातियों/समुदायों का प्रतिशत (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**प्रथा विद्यमान है**		**प्रथा विद्यमान नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	26	10.4%	224	89.6%	250	100.0%
वाराणसी	26	20.8%	99	79.2%	125	100.0%
मेरठ	0	0.0%	125	100.0%	125	100.0%

23. बाल विवाह प्रथा की विद्यमानता से युक्त जातियों/समुदायों का प्रतिशत (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**प्रथा विद्यमान है**		**प्रथा विद्यमान नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	193	77.2%	49	19.6%	242	96.8%
भोपाल	90	72.0%	27	21.6%	117	93.6%
शाजापुर	103	82.4%	22	17.6%	125	100.0%

24. उत्तरदाता के परिवार में बाल विवाह की घटना (राजस्थान)						
राज्य	**बाल विवाह की घटना घटित हुई है**		**बाल विवाह की कोई घटना नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	112	44.10%	138	54.30%	250	98.40%
टोंक	66	52.80%	55	44.00%	121	96.80%
जयपुर	46	35.70%	83	64.30%	129	100.00%

24. उत्तरदाता के परिवार में बाल विवाह की घटना (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**बाल विवाह की घटना घटित हुई है**		**बाल विवाह की कोई घटना नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	93	37.2%	157	62.8%	250	100.0%
वाराणसी	76	60.8%	49	39.2%	125	100.0%
मेरठ	17	13.6%	108	86.4%	125	100.0%

24. उत्तरदाता के परिवार में बाल विवाह की घटना (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**बाल विवाह की घटना घटित हुई है**		**बाल विवाह की कोई घटना नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	154	61.6%	93	37.2%	247	98.8%
भोपाल	72	57.6%	51	40.8%	123	98.4%
शाजापुर	82	65.6%	42	33.6%	124	99.2%

25. बाल विवाह की अवैधता संबंधी जागरूकता (राजस्थान)						
राज्य	**जागरूकता है**		**जागरूकता नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	219	86.2%	35	13.8%	254	100.0%
टोंक	93	74.4%	32	25.6%	125	100.0%
जयपुर	126	97.7%	3	2.3%	129	100.0%

25. बाल विवाह की अवैधता संबंधी जागरूकता (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**जागरूकता है**		**जागरूकता नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	30	12%	74	29.6%	104	41.6%
वाराणसी	21	16.8%	63	50.4%	84	67.2%
मेरठ	9	7.2%	11	8.8%	20	16%

25. बाल विवाह की अवैधता संबंधी जागरूकता (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**जागरूकता है**		**जागरूकता नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	178	71.2%	65	26.0%	243	97.2%
भोपाल	78	62.4%	40	32.0%	118	94.4%
शाजापुर	100	80.0%	25	20.0%	125	100.0%

26. बाल विवाह रोकने के संबंध में किए गए प्रयास (राजस्थान)						
राज्य	**किए गए प्रयास**		**प्रयास नहीं किए गए**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	13	7.4%	162	92.6%	175	68.9%
टोंक	11	12.4%	78	87.6%	89	71.2%
जयपुर	2	2.3%	84	97.7%	86	66.7%

26. बाल विवाह रोकने के संबंध में किए गए प्रयास (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**किए गए प्रयास**		**प्रयास नहीं किए गए**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	10	4%	87	34.8%	97	38.8%
वाराणसी	10	8%	69	55.2%	79	63.2%
मेरठ	0	0.0%	18	14.4%	18	14.4%

26. बाल विवाह रोकने के संबंध में किए गए प्रयास (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**किए गए प्रयास**		**प्रयास नहीं किए गए**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	6	2.4%	152	60.8%	158	63.2%
भोपाल	6	4.8%	73	58.4%	79	63.2%
शाजापुर	0	0.0%	79	63.2%	79	63.2%

27. बाल विवाह किसने रुकवाया (राजस्थान)			
राज्य	राजस्थान	टोंक	जयपुर
सरपंच	11	11	0
	84.6%	100.0%	0.0%
पंचायत के सदस्य	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
जिला मजिस्ट्रेट/ कलैक्टर	1	1	0
	7.7%	9.1%	0.0%
बाल विवाह रोकथाम अधिकारी	2	2	0
	15.4%	18.2%	0.0%
गैर–सरकारी संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता	2	1	1
	15.4%	9.1%	50.0%
पुलिस	4	4	0
	30.8%	36.4%	0.0%
समुदाय	2	2	0
	15.4%	18.2%	0.0%
अन्य	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%

27. बाल विवाह किसने रुकवाया (उत्तर प्रदेश)			
राज्य	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	मेरठ
सरपंच	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
पंचायत के सदस्य	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
जिला मजिस्ट्रेट/ कलैक्टर	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
बाल विवाह रोकथाम अधिकारी	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
गैर–सरकारी संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता	3	3	0
	1.2%	2.4%	0.0%
पुलिस	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
समुदाय	6	6	0
	2.4%	4.8%	0.0%
अन्य	3	3	0
	1.2%	2.4%	0.0%

27. बाल विवाह किसने रुकवाया (मध्य प्रदेश)			
राज्य	मध्य प्रदेश	भोपाल	शाजापुर
सरपंच	3	3	0
	1.2%	2.4%	0.0%
मध्य प्रदेश	2	2	0
	0.8%	1.6%	0.0%
जिला मजिस्ट्रेट/ कलैक्टर	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
बाल विवाह रोकथाम अधिकारी	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
गैर–सरकारी संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता	3	3	0
	1.2%	2.4%	0.0%
पुलिस	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
समुदाय	1	1	0
	0.4%	0.8%	0.0%
अन्य	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%

29. बाल विवाह के कारण (राजस्थान)			
राज्य	राजस्थान	टोंक	जयपुर
रीति–रिवाज और विश्वास	74	44	30
	29.10%	35.20%	23.30%
पारिवारिक परम्परा	88	21	67
	34.60%	16.80%	51.90%
सामुदायिक दबाव	25	10	15
	9.80%	8.00%	11.60%
दहेज	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%
बालिकाओं की सुरक्षा	100	69	31
	39.40%	55.20%	24.00%
आर्थिक बोझ/गरीबी	153	95	58
	60.20%	76.00%	45.00%
अन्य	5	1	4
	2.00%	0.80%	3.10%

29. बाल विवाह के कारण (उत्तर प्रदेश)			
राज्य	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	मेरठ
रीति–रिवाज और विश्वास	108	66	42
	43.2%	52.8%	33.6%
पारिवारिक परम्परा	135	84	51
	54%	67.2%	40.8%
सामुदायिक दबाव	52	41	11
	20.8%	32.8%	8.8%
दहेज	30	25	5
	12%	20%	4%
बालिकाओं की सुरक्षा	67	40	27
	26.8%	32%	21.6%
आर्थिक बोझ/गरीबी	125	80	45
	50%	64%	36%
अन्य	49	13	36
	19.6%	10.4%	28.8%

29. बाल विवाह के कारण (मध्य प्रदेश)			
राज्य	मध्य प्रदेश	भोपाल	शाजापुर
रीति–रिवाज और विश्वास	179	94	85
	71.6%	75.2%	68.0%
पारिवारिक परम्परा	160	89	71
	64.0%	71.2%	56.8%
सामुदायिक दबाव	97	64	33
	38.8%	51.2%	26.4%
दहेज	44	39	5
	17.6%	31.2%	4.0%
बालिकाओं की सुरक्षा	90	54	36
	36.0%	43.2%	28.8%
आर्थिक बोझ/गरीबी	92	55	37
	36.8%	44.0%	29.6%
अन्य	41	41	81
	16.4%	32.8%	64.8%

30. बाल विवाह समर्थकों का अनुपात (राजस्थान)						
राज्य	**समर्थन करते हैं**		**समर्थन नहीं करते**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	64	25.50%	187	74.50%	251	98.80%
टोंक	35	28.50%	88	71.50%	123	98.40%
जयपुर	29	22.70%	99	77.30%	128	99.20%

30. बाल विवाह समर्थकों का अनुपात (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**समर्थन करते हैं**		**समर्थन नहीं करते**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	43	17.2%	207	82.8%	250	100.0%
वाराणसी	40	32%	85	68%	125	100.0%
मेरठ	3	2.4%	122	97.6%	125	100.0%

30. बाल विवाह समर्थकों का अनुपात (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**समर्थन करते हैं**		**समर्थन नहीं करते**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	52	20.8%	184	73.6%	236	94.4%
भोपाल	22	17.6%	90	72.0%	112	89.6%
शाजापुर	30	24.0%	94	75.2%	124	99.2%

31. बाल विवाह रोके जाने के तरीके (राजस्थान)										
राज्य	**कानून का प्रवर्तन**		**जागरूकता कार्यक्रम**		**माता–पिता का शैक्षिक स्तर सुधार कर**		**महिलाओं का सशक्तीकरण**		**अन्य**	
राजस्थान	49	19.3%	106	41.7%	53	20.9%	47	18.5%	1	0.4%
टोंक	25	20.0%	46	36.8%	25	20.0%	18	14.4%	1	0.8%
जयपुर	24	18.6%	60	46.5%	28	21.7%	29	22.5%	0	0.0%

समुदाय/ जाति (राजस्थान)						
	राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन		**पारम्परिक विश्वासों में बदलाव**		**अन्य**	
राजस्थान	19	7.5%	144	56.7%	163	64.2%
टोंक	7	5.6%	61	48.8%	68	54.4%
जयपुर	12	9.3%	83	64.3%	95	73.6%

पंचायत (राजस्थान)								
	राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन		सामाजिक पहरेदार बनकर		जागरूकता कार्यक्रम		अन्य	
राजस्थान	8	3.1%	80	31.5%	112	44.1%	25	9.8%
टोंक	3	2.4%	32	25.6%	58	46.4%	22	17.6%
जयपुर	5	3.9%	48	37.2%	54	41.9%	3	2.3%

31. बाल विवाह रोके जाने के तरीके (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	कानून का प्रवर्तन		जागरूकता कार्यक्रम		माता–पिता का शैक्षिक स्तर सुधार कर		महिलाओं का सशक्तीकरण		अन्य	
उत्तर प्रदेश	99	39.6%	184	73.6%	85	34%	22	8.8%	3	1.2%
वाराणसी	41	32.8%	84	67.2%	49	39.2%	9	7.2%	0	0.0%
मेरठ	58	46.4%	100	80%	36	28.8%	13	10.4%	3	2.4%

समुदाय/ जाति (उत्तर प्रदेश)						
	राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन		पारम्परिक विश्वासों में बदलाव		अन्य	
उत्तर प्रदेश	5	2%	74	29.6%	0	0.0%
वाराणसी	5	4%	72	57.6%	0	0.0%
मेरठ	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%

पंचायत (उत्तर प्रदेश)								
	राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन		सामाजिक पहरेदार बनकर		जागरूकता कार्यक्रम		अन्य	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	41	16.4%	75	30%	0	0.0%
वाराणसी	0	0.0%	40	32%	73	58.4%	0	0.0%
मेरठ	0	0.0%	1	0.8%	2	1.6%	0	0.0%

31. बाल विवाह रोके जाने के तरीके (मध्य प्रदेश)										
राज्य	कानून का प्रवर्तन		जागरूकता कार्यक्रम		माता–पिता का शैक्षिक स्तर सुधार कर		महिलाओं का सशक्तीकरण		अन्य	
मध्य प्रदेश	154	61.6%	141	56.4%	84	33.6%	88	35.2%	101	40.4%
भोपाल	87	69.6%	74	59.2%	56	44.8%	55	44.0%	36	28.8%
शाजापुर	67	53.6%	67	53.6%	28	22.4%	33	26.4%	65	52.0%

समुदाय/ जाति (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन**		**पारम्परिक विश्वासों में बदलाव**		**अन्य**	
मध्य प्रदेश	80	32.0%	73	29.2%	27	10.8%
भोपाल	57	45.6%	42	33.6%	22	17.6%
शाजापुर	23	18.4%	31	24.8%	5	4.0%

पंचायत (मध्य प्रदेश)								
	राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन		**सामाजिक पहरेदार बनकर**		**जागरूकता कार्यक्रम**		**अन्य**	
मध्य प्रदेश	64	25.6%	69	27.6%	62	24.8%	25	10.0%
भोपाल	44	35.2%	40	32.0%	41	32.8%	21	16.8%
शाजापुर	20	16.0%	29	23.2%	21	16.8%	4	3.2%

2. उन बालकों के लिए जिनका विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो गया

राज्य	उत्तरदाताओं की कुल संख्या		राज्य	उत्तरदाताओं की कुल संख्या		राज्य	उत्तरदाताओं की कुल संख्या	
राजस्थान	12	100.0%	**उत्तर प्रदेश**	12	100.0%	**मध्य प्रदेश**	12	100.0%
टोंक	6	100%	वाराणसी	8	49.2%	भोपाल	3	100%
जयपुर	6	100%	मेरठ	4	50.8%	शाजापुर	9	100%

6. 18 वर्ष से कम आयु में विवाहितों का लिंग–वार प्रतिशत विभाजन						
राज्य	**युवक**		**युवतियां**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	8	66.7%	4	33.3%	12	100.0%
टोंक	5	83.3%	1	16.7%	6	100.0%
जयपुर	3	50.0%	3	50.0%	6	100.0%
उत्तर प्रदेश	10	83.3%	2	16.7%	12	100.0%
वाराणसी	7	87.5%	1	12.5%	8	100.0%
मेरठ	3	75.0%	1	25.0%	4	100.0%
मध्य प्रदेश	5	41.6%	7	58.3%	12	100.0%
भोपाल	1	33.3%	2	66.6%	3	100.0%
शाजापुर	4	44.4%	5	55.5%	9	100.0%

7. 18 वर्ष से कम आयु में विवाहितों का धर्म के अनुसार प्रतिशत विभाजन						
राज्य	**हिन्दु**		**मुस्लिम**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	11	91.7%	1	8.3%	12	100.0%
टोंक	5	83.3%	1	16.7%	6	100.0%
जयपुर	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%
उत्तर प्रदेश	11	91.7%	1	8.3%	12	100.0%
वाराणसी	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%
मेरठ	3	75.0%	1	25.0%	4	100.0%
मध्य प्रदेश	10	83.3%	2	16.6%	12	100.0%
भोपाल	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
शाजापुर	7	77.7%	2	22.2%	9	100.0%

8. 18 वर्ष से कम की आयु में विवाहितों का जाति–वार प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)								
राज्य	**अनु.जाति / अनु.जनजाति**		**अन्य पिछड़ा वर्ग**		**अन्य**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	6	50.0%	3	25.0%	3	25.0%	12	100.0%
टोंक	2	33.3%	2	33.3%	2	33.3%	6	100.0%
जयपुर	4	66.7%	1	16.7%	1	16.7%	6	100.0%

8. 18 वर्ष से कम की आयु में विवाहितों का जाति–वार प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)								
राज्य	**अनु.जाति / अनु.जनजाति**		**अन्य पिछड़ा वर्ग**		**अन्य**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	7	58.3%	4	33.3%	1	8.3%	12	100.0%
वाराणसी	5	62.5%	2	25.0%	1	12.5%	8	100.0%
मेरठ	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	4	100.0%

8. 18 वर्ष से कम की आयु में विवाहितों का जाति–वार प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)								
राज्य	**अनु.जाति / अनु.जनजाति**		**अन्य पिछड़ा वर्ग**		**अन्य**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	2	16.6%	5	41.6%	5	41.6%	12	100.0%
भोपाल	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
शाजापुर	2	18.1%	4	36.3%	5	45.4%	11	100.0%

9. 18 वर्ष से कम की आयु में विवाहितों का आयु के अनुसार प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)										
राज्य	**12 वर्ष से कम**		**13-18 वर्ष**		**19-24 वर्ष**		**अन्य (आयु का उल्लेख करें)**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	0	0.0%	1	8.3%	7	58.3%	4	33.3%	12	100.0%
टोंक	0	0.0%	1	16.7%	2	33.3%	3	50.0%	6	100.0%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	1	16.7%	6	100.0%

9. 18 वर्ष से कम की आयु में विवाहितों का आयु के अनुसार प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	**12 वर्ष से कम**		**13-18 वर्ष**		**19-24 वर्ष**		**अन्य (आयु का उल्लेख करें)**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	6	50.0%	6	50.0%	12	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	6	75.0%	2	25.0%	8	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%

10. 18 वर्ष से कम की आयु में विवाहितों का शैक्षिक स्थिति के अनुसार प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)			
राज्य	**राजस्थान**	टोंक	जयपुर
अनपढ़	4	1	3
	33.3%	16.7%	50.0%
प्राथमिक (1-5)	3	2	1
	25.0%	33.3%	16.7%
मिडिल (6-8)	2	1	1
	16.7%	16.7%	16.7%
सैकेण्डरी (9-12)	2	1	1
	16.7%	16.7%	16.7%
स्नातक	1	1	0
	8.3%	16.7%	0.0%
अन्य	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
प्राप्त उत्तर	12	6	6
	100.0%	100.0%	100.0%

10. 18 वर्ष से कम की आयु में विवाहितों का शैक्षिक स्थिति के अनुसार प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)			
राज्य	**उत्तर प्रदेश**	वाराणसी	मेरठ
अनपढ़	6	5	1
	50.0%	62.5%	25.0%
प्राथमिक (1-5)	5	2	3
	41.7%	25.0%	75.0%
मिडिल (6-8)	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
सैकेण्डरी (9-12)	1	1	0
	8.3%	12.5%	0.0%
स्नातक	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
अन्य	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
प्राप्त उत्तर	12	8	4
	100.0%	100.0%	100.0%

10. 18 वर्ष से कम की आयु में विवाहितों का शैक्षिक स्थिति के अनुसार प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)												
राज्य	**अनपढ़**		**प्राथमिक (1-5)**		**मिडिल (6-8)**		**सैकेण्डरी (9-12)**		**स्नातक**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	3	25%	6	50%	3	25%	0	0%	0	0%	12	100%
भोपाल	2	25%	4	50%	2	25%	0	0%	0	0%	8	100%
शाजापुर	1	25%	2	50%	1	25%	0	0%	0	0%	4	100%

12. पारिवारिक ढांचे के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन						
राज्य	**संयुक्त परिवार**		**एकल परिवार**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	11	91.7%	1	8.3%	12	100.0%
टोंक	5	83.3%	1	16.7%	6	100.0%
जयपुर	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%
उत्तर प्रदेश	11	91.7%	1	8.3%	12	100.0%
वाराणसी	7	87.5%	1	12.5%	8	100.0%
मेरठ	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
मध्य प्रदेश	10	83.3%	2	16.6%	12	100%
भोपाल	5	71.4%	2	28.5%	7	100.0%
शाजापुर	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

13. व्यावसायिक स्तर के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)			
राज्य	**राजस्थान**	टोंक	जयपुर
किसान	2	1	1
	16.7%	16.7%	16.7%
कृषि मजदूर	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
पारिवारिक उद्योग	1	1	0
	8.3%	16.7%	0.0%
गैर–पारिवारिक उद्योग	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
अन्य मजदूर	6	4	2
	50.0%	66.7%	33.3%
गैर–मजदूर	3	0	3
	25.0%	0.0%	50.0%
प्राप्त उत्तर	12	6	6
	100.0%	100.0%	100.0%

13. व्यावसायिक स्तर के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)			
राज्य	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	मेरठ
किसान	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
कृषि मजदूर	8	5	3
	66.7%	62.5%	75.0%
पारिवारिक उद्योग	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
गैर–पारिवारिक उद्योग	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
दुकानदार	2	1	1
	16.7%	12.5%	25.0%
विक्रेता	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
अन्य मजदूर	1	1	0
	8.3%	12.5%	0.0%
गैर–मजदूर	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
प्राप्त उत्तर	11	7	4
	91.6%	85.7%	100.0%

13. व्यावसायिक स्तर के अनुसार प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)														
राज्य	किसान		कृषि मजदूर		पारिवारिक उद्योग		गैर–पारिवारिक उद्योग		अन्य मजदूर		गैर–मजदूर		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	3	25%	7	58.3%	0	0%	0	0%	2	16.6%	0	0%	12	100.0%
भोपाल	0	0%	0	0.0%	0	0%	0	0%	1	100.0%	0	0%	1	100.0%
शाजापुर	3	27.2%	7	63.6%	0	0%	0	0%	1	9.0%	0	0%	11	100.0%

14. विवाह के समय आयु (बालक) (राजस्थान)										
राज्य	3 वर्ष से कम		3-12 वर्ष से कम		21 वर्ष इससे अधिक		22 वर्ष और		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	1	12.5%	3	37.5%	4	50.0%	0	0.0%	8	100.0%
टोंक	1	20.0%	2	40.0%	2	40.0%	0	0.0%	5	100.0%
जयपुर	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	3	100.0%

विवाह के समय आयु (बालिका) (राजस्थान)												
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-8 वर्ष**		**8-13 वर्ष**		**18 वर्ष से कम**		**18 वर्ष और इससे अधिक**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	4	100.0%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	3	100.0%

14. विवाह के समय आयु (बालक) (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-12 वर्ष से कम**		**21 वर्ष इससे अधिक**		**22 वर्ष और**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%	0	0.0%	12	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%

14. विवाह के समय आयु (बालिका) (उत्तर प्रदेश)												
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-8 वर्ष**		**8-13 वर्ष**		**18 वर्ष से कम**		**18 वर्ष और इससे अधिक**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	11	91.7%	0	0.0%	12	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	7	87.5%	0	0.0%	8	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%

14. विवाह के समय आयु (बालक) (मध्य प्रदेश)										
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-12 वर्ष से कम**		**21 वर्ष इससे अधिक**		**22 वर्ष और**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	5	41.6%	7	58.3%	0	0.0%	12	100%
भोपाल	0	0.0%	1	33.3%	2	66.6%	0	0.0%	3	100%
शाजापुर	0	0.0%	4	44.4%	5	55.5%	0	0.0%	9	100%

14. विवाह के समय आयु (बालिका) (मध्य प्रदेश)												
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-8 वर्ष**		**8-13 वर्ष**		**18 वर्ष से कम**		**18 वर्ष और इससे अधिक**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	0	0%	5	41.6%	4	33.3%	3	25.0%	0	0%	12	100%
भोपाल	0	0%	0	0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0%	2	100%
शाजापुर	0	0%	5	50.0%	3	30.0%	2	20.0%	0	0%	10	100%

16. शादी के मायने (राजस्थान)										
राज्य	नये कपड़े प्राप्त करने का अवसर		सभी के आकर्षण का केन्द्र बनना		त्योहार मनाने जैसा		अन्य कारण		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	0	0.0%	2	16.7%	8	66.7%	2	16.7%	12	100.0%
टोंक	0	0.0%	2	33.3%	4	66.7%	0	0.0%	6	100.0%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	2	33.3%	6	100.0%

16. शादी के मायने (उत्तर प्रदेश)								
राज्य	नये कपड़े प्राप्त करने का अवसर		सभी के आकर्षण का केन्द्र बनना		त्योहार मनाने जैसा		अन्य कारण	
उत्तर प्रदेश	3	25.0%	5	41.7%	8	66.7%	3	25.0%
वाराणसी	3	37.5%	5	62.5%	7	87.5%	0	0.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%

16. शादी के मायने (मध्य प्रदेश)								
राज्य	नये कपड़े प्राप्त करने का अवसर		सभी के आकर्षण का केन्द्र बनना		त्योहार मनाने जैसा		अन्य कारण	
मध्य प्रदेश	7	58.3%	0	0.0%	5	41.6%	12	100%
भोपाल	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	4	100%
शाजापुर	5	62.5%	0	0.0%	3	37.5%	8	100%

17क. क्या वे इतनी कम उम्र में शादी करना चाहते थे (राजस्थान)						
राज्य	हां		नहीं		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	2	16.7%	10	83.3%	12	100.0%
टोंक	0	0.0%	6	100.0%	6	100.0%
जयपुर	2	33.3%	4	66.7%	6	100.0%

17क. क्या वे इतनी कम उम्र में शादी करना चाहते थे (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	हां		नहीं		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	6	50.0%	6	50.0%	12	100.0%
वाराणसी	4	50.0%	4	50.0%	8	100.0%
मेरठ	2	50.0%	2	50.0%	4	100.0%

17क. क्या वे इतनी कम उम्र में शादी करना चाहते थे (मध्य प्रदेश)						
राज्य	हां		नहीं		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	2	16.6%	10	83.3%	12	100.0%
भोपाल	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%
शाजापुर	2	28.5%	5	71.4%	7	100.0%

18क. क्या उनकी शादी जबरदस्ती की गई थी (राजस्थान)						
राज्य	हां		नहीं		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	5	41.7%	7	58.3%	12	100.0%
टोंक	2	33.3%	4	66.7%	6	100.0%
जयपुर	3	50.0%	3	50.0%	6	100.0%

18ख. जबरदस्ती शादी कराने वाला व्यक्ति (राजस्थान)										
राज्य	पिता		माता		भाई / बहन		रिश्तेदार		अन्य	
राजस्थान	5	100.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
टोंक	2	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
जयपुर	3	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

18क. क्या उनकी शादी जबरदस्ती की गई थी (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	हां		नहीं		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	5	41.7%	7	58.3%	12	100.0%
वाराणसी	4	50.0%	4	50.0%	8	100.0%
मेरठ	1	25.0%	3	75.0%	4	100.0%

18ख. जबरदस्ती शादी कराने वाला व्यक्ति (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	पिता		माता		भाई / बहन		रिश्तेदार		अन्य	
उत्तर प्रदेश	5	41.7%	4	33.3%	0	0.0%	5	41.7%	0	0.0%
वाराणसी	4	50.0%	4	50.0%	0	0.0%	4	50.0%	0	0.0%
मेरठ	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%

18क. क्या उनकी शादी जबरदस्ती की गई थी (मध्य प्रदेश)						
राज्य	हां		नहीं		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	12	100.0%	0	0.0%	12	100.0%
भोपाल	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
शाजापुर	10	100.0%	0	0.0%	10	100.0%

18ख. जबरदस्ती शादी कराने वाला व्यक्ति (मध्य प्रदेश)										
राज्य	पिता		माता		भाई / बहन		रिश्तेदार		अन्य	
मध्य प्रदेश	10	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.6%	0	0.0%
भोपाल	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
शाजापुर	8	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%

19. पति/पत्नी को उस घर में कब भेजा गया जिस घर में शादी हुई थी										
राज्य	**शादी के दिन**		**शादी के कुछ दिनों/महीनों बाद**		**यौवन के आरंभ होने पर**		**अन्य किसी अवसर पर**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	1	8.3%	5	41.7%	5	41.7%	1	8.3%	12	100.0%
टोंक	1	16.7%	3	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	6	100.0%
जयपुर	0	0.0%	2	33.3%	3	50.0%	1	16.7%	6	100.0%
उत्तर प्रदेश	9	75.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%
वाराणसी	6	75.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%
मेरठ	3	75.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%
मध्य प्रदेश	2	16.6%	10	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%
भोपाल	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%
शाजापुर	1	12.5%	7	87.5%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%

21. उत्तरदाता की जाति/ समुदाय और उसमें बाल विवाह की प्रथा की मौजूदगी						
राज्य	**प्रथा मौजूद है**		**प्रथा मौजूद नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	8	66.7%	4	33.3%	12	100.0%
टोंक	4	66.7%	2	33.3%	6	100.0%
जयपुर	4	66.7%	2	33.3%	6	100.0%
उत्तर प्रदेश	9	75.0%	3	25.0%	12	100.0%
वाराणसी	7	87.5%	1	12.5%	8	100.0%
मेरठ	2	50.0%	2	50.0%	4	100.0%
मध्य प्रदेश	12	100.0%	0	0.0%	12	100.0%
भोपाल	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
शाजापुर	9	100.0%	0	0.0%	9	100.0%

22. उत्तरदाता के परिवार में बाल विवाह की घटना						
राज्य	**बाल विवाह की घटना हुई**		**बाल विवाह की घटना नहीं हुई**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	7	58.3%	5	41.7%	12	100.0%
टोंक	3	50.0%	3	50.0%	6	100.0%
जयपुर	4	66.7%	2	33.3%	6	100.0%
उत्तर प्रदेश	12	100.0%	0	0.0%	12	100.0%
वाराणसी	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%
मेरठ	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
मध्य प्रदेश	12	100.0%	0	0.0%	12	100.0%
भोपाल	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
शाजापुर	9	100.0%	0	0.0%	9	100.0%

23. क्या किसी ने बाल विवाह रुकवाने की कोशिश की (राजस्थान)						
राज्य	**रुकवाने की कोशिश की**		**रुकवाने की कोशिश नहीं की**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	0	0.0%	9	100.0%	9	75.0%
टोंक	0	0.0%	4	100.0%	4	66.7%
जयपुर	0	0.0%	5	100.0%	5	83.3%

23. क्या किसी ने बाल विवाह रुकवाने की कोशिश की (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**रुकवाने की कोशिश की**		**रुकवाने की कोशिश नहीं की**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	1	8.3%	11	91.7%	12	100.0%
वाराणसी	1	12.5%	7	87.5%	8	100.0%
मेरठ	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%

23. क्या किसी ने बाल विवाह रुकवाने की कोशिश की (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**रुकवाने की कोशिश की**		**रुकवाने की कोशिश नहीं की**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	10	83.3%	2	16.6%	12	100.0%
भोपाल	9	100.0%	0	0.0%	9	100.0%
शाजापुर	1	33.3%	2	66.6%	3	100.0%

26क. बाल विवाह का समर्थन करने वालों का अनुपात (राजस्थान)						
राज्य	**समर्थक**		**समर्थक नहीं**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	1	10.0%	9	90.0%	10	83.3%
टोंक	0	0.0%	5	100.0%	5	83.3%
जयपुर	1	20.0%	4	80.0%	5	83.3%

26क. बाल विवाह का समर्थन करने वालों का अनुपात (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**समर्थक**		**समर्थक नहीं**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	6	50.0%	6	50.0%	12	100.0%
वाराणसी	4	50.0%	4	50.0%	8	100.0%
मेरठ	2	50.0%	2	50.0%	4	100.0%

26क. बाल विवाह का समर्थन करने वालों का अनुपात (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**समर्थक**		**समर्थक नहीं**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	12	100.0%	0	0.0%	12	100.0%
भोपाल	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
शाजापुर	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%

27. बाल विवाह की अवैधता संबंधी जागरूकता (राजस्थान)						
राज्य	**जागरूक**		**जागरूक नहीं**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	8	66.7%	4	33.3%	12	100.0%
टोंक	4	66.7%	2	33.3%	6	100.0%
जयपुर	4	66.7%	2	33.3%	6	100.0%

27. बाल विवाह की अवैधता संबंधी जागरूकता (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**जागरूक**		**जागरूक नहीं**		**प्राप्त उत्तर**	
मेरठ	0	0.0%	12	100.0%	12	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	8	100.0%	8	100.0%

27 बाल विवाह की अवैधता संबंधी जागरूकता (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**जागरूक**		**जागरूक नहीं**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	2	16.6%	10	83.3%	12	100.0%
भोपाल	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
शाजापुर	0	0.0%	10	100.0%	10	100.0%

28. शादी की सही उम्र के बारे में विचार (पुरुष उत्तरदाता) (राजस्थान)										
पुरुष										
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-12 वर्ष**		**21 वर्ष से कम**		**22 वर्ष और उससे अधिक**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	0	0.0%	1	12.5%	1	12.5%	6	75.0%	8	100.0%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
जयपुर	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	2	66.7%	3	100.0%

28. शादी की सही उम्र के बारे में विचार (महिला उत्तरदाता) (राजस्थान)										
पुरुष										
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-12 वर्ष**		**21 वर्ष से कम**		**22 वर्ष और उससे अधिक**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%

28. शादी की सही उम्र के बारे में विचार (पुरुष उत्तरदाता) (राजस्थान)												
महिला												
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-8 वर्ष**		**8-13 वर्ष**		**18 वर्ष से कम**		**19 वर्ष और इससे अधिक**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	6	75.0%	8	100.0%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	3	60.0%	5	100.0%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%

28. शादी की सही उम्र के बारे में विचार (महिला उत्तरदाता) (राजस्थान)												
महिला												
राज्य	3 वर्ष से कम		3-8 वर्ष		8-13 वर्ष		18 वर्ष से कम		19 वर्ष और इससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%

28. शादी की सही उम्र के बारे में विचार (महिला उत्तरदाता) (राजस्थान)												
महिला												
राज्य	3 वर्ष से कम		3-8 वर्ष		8-13 वर्ष		18 वर्ष से कम		19 वर्ष और इससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	33.3%	4	33.3%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	16.7%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	3	50.0%

28. शादी की सही उम्र के बारे में विचार (उत्तर प्रदेश)												
पुरुष												
राज्य	3 वर्ष से कम		4-12 वर्ष		12 वर्ष से अधिक		21 वर्ष से कम		22 वर्ष और इससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	0	0%	0	0.0%	0	0.0%	6	50.0%	6	50.0%	12	100.0%
वाराणसी	0	0%	0	0.0%	0	0.0%	4	50.0%	4	50.0%	8	100.0%
मेरठ	0	0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	2	50.0%	4	100.0%

28. शादी की सही उम्र के बारे में विचार (उत्तर प्रदेश)												
महिला												
राज्य	3 वर्ष से कम		4-8 वर्ष		9-13 वर्ष		18 वर्ष से कम		18 वर्ष और इससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	41.7%	7	58.3%	12	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	50.0%	4	50.0%	8	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%	4	100.0%

28. शादी की सही उम्र के बारे में विचार (पुरुष) (मध्य प्रदेश)												
राज्य	3 वर्ष से कम		4-12 वर्ष		12 वर्ष से अधिक		21 वर्ष से कम		21 वर्ष और इससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	8	66.6%	2	16.6%	2	16.6%	0	0.0%	12	100.0%
भोपाल	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	2	66.6%	0	0.0%	3	100.0%
शाजापुर	0	0.0%	7	77.7%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	9	100.0%

28. शादी की सही उम्र के बारे में विचार (महिला) (मध्य प्रदेश)												
राज्य	3 वर्ष से कम		3-8 वर्ष		8-13 वर्ष		18 वर्ष से कम		18 वर्ष और इससे अधिक		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	8	66.6%	4	33.3%	0	0.0%	12	100.0%
भोपाल	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	4	100.0%
शाजापुर	0	0.0%	0	0.0%	7	87.5%	1	12.5%	0	0.0%	8	100.0%

29 क. क्या वे अपने बच्चों की शादी भी कम उम्र में करेंगे (राजस्थान)						
राज्य	हां		नहीं		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	1	8.3%	10	83.3%	11	91.7%
टोंक	0	0.0%	5	83.3%	5	83.3%
जयपुर	1	16.7%	5	83.3%	6	100.0%

29 क. क्या वे अपने बच्चों की शादी भी कम उम्र में करेंगे (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	हां		नहीं		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	5	41.7%	7	58.3%	12	100.0%
वाराणसी	4	50.0%	4	50.0%	8	100.0%
मेरठ	1	25.0%	3	75.0%	4	100.0%

29 क. क्या वे अपने बच्चों की शादी भी कम उम्र में करेंगे (मध्य प्रदेश)						
राज्य	हां		नहीं		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	2	16.6%	10	83.3%	12	100.0%
भोपाल	0	0.0%	8	100.0%	8	100.0%
शाजापुर	2	50.0%	2	50.0%	4	100.0%

30. कानून के बावजूद बाल विवाह करते हैं (राजस्थान)						
राज्य	हां		नहीं		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	1	8.3%	10	83.3%	11	91.7%
टोंक	0	0.0%	5	83.3%	5	83.3%
जयपुर	1	16.7%	5	83.3%	6	100.0%

30. कानून के बावजूद बाल विवाह करते हैं (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	हां		नहीं		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	6	50%	6	50.0%
वाराणसी	0	0.0%	5	62.5%	5	62.5%
मेरठ	0	0.0%	1	25.0%	1	25.0%

30. कानून के बावजूद बाल विवाह करते हैं (मध्य प्रदेश)						
राज्य	हां		नहीं		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	10	83.3%	2	16.6%	12	100.0%
भोपाल	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
शाजापुर	9	90.0%	1	10.0%	10	100.0%

3. गैर–सरकारी संगठन

6. संगठन कितना पुराना हैं (राजस्थान)								
राज्य	**5 वर्ष से कम**		**6-10 वर्ष**		**11 वर्ष से अधिक**		**सभी**	
राजस्थान	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	6	100.0%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%

6. संगठन कितना पुराना हैं (उत्तर प्रदेश)								
राज्य	**5 वर्ष से कम**		**6-10 वर्ष**		**11 वर्ष से अधिक**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	2	33.3%	3	50.0%	5	83.3%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%
मेरठ	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%

6. संगठन कितना पुराना हैं (मध्य प्रदेश)								
राज्य	**5 वर्ष से कम**		**6-10 वर्ष**		**11 वर्ष से अधिक**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	3	50.0%	3	50.0%	6	100.0%
भोपाल	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
शाजापुर	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	3	100.0%

7. संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या (राजस्थान)										
राज्य	**5 से कम**		**6-10**		**10-20**		**20 से अधिक**		**सभी**	
राजस्थान	2	33.3%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%
टोंक	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
जयपुर	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%

7. संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	**5 से कम**		**6 – 10**		**10 - 20**		**20 से अधिक**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	6	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%

7. संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या (मध्य प्रदेश)								
राज्य	**5 से कम**		**6 – 10**		**10 - 20**		**20 से अधिक**	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	2	33.3%	2	33.3%	2	33.3%
भोपाल	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	2	66.7%
शाजापुर	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%

8. संगठन द्वारा जिन क्षेत्रों में काम किया जाता है, उनका प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)										
राज्य	स्वास्थ्य मुद्दे		शैक्षिक मुद्दे		बाल अधिकार		महिला एवं बाल विकास		कोई अन्य	
राजस्थान	4	66.7%	6	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	2	33.3%
टोंक	2	66.7%	3	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	1	33.3%
जयपुर	2	66.7%	3	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	1	33.3%

8. संगठन द्वारा जिन क्षेत्रों में काम किया जाता है, उनका प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	स्वास्थ्य मुद्दे		शैक्षिक मुद्दे		बाल अधिकार		मलिा एवं बाल विकास		कोई अन्य	
उत्तर प्रदेश	2	33.3%	5	83.3%	4	66.7%	5	83.3%	4	66.7%
वाराणसी	0	0.0%	2	66.7%	2	66.7%	3	100.0%	3	100.0%
मेरठ	2	66.7%	3	100.0%	2	66.7%	2	66.7%	1	33.3%

8. संगठन द्वारा जिन क्षेत्रों में काम किया जाता है, उनका प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)										
राज्य	स्वास्थ्य मुद्दे		शैक्षिक मुद्दे		बाल अधिकार		मलिा एवं बाल विकास		कोई अन्य	
मध्य प्रदेश	3	50.0%	0	0.0%	2	33.3%	4	66.7%	1	16.7%
भोपाल	2	66.7%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%
शाजपुर	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	3	100.0%	1	33.3%

9. बाल विवाह के मुद्दे पर गैर–सरकारी संगठन के रूप में भूमिका (राजस्थान)										
राज्य	बाल विवाह का विरोध करने वाले व्यक्तियों को कानूनी सहायता		परामर्श देना		बाल विवाह की समस्या के बारे में जागरूकता फैलाना		संगठनात्मक सहायता देना		कोई अन्य	
राजस्थान	2	33.3%	6	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
टोंक	1	33.3%	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
जयपुर	1	33.3%	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%

9. बाल विवाह के मुद्दे पर गैर–सरकारी संगठन के रूप में भूमिका (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	बाल विवाह का विरोध करने वाले व्यक्तियों को कानूनी सहायता		परामर्श देना		बाल विवाह की समस्या के बारे में जागरूकता फैलाना		संगठनात्मक सहायता देना		कोई अन्य	
उत्तर प्रदेश	1	16.7%	5	83.3%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
वाराणसी	1	33.3%	2	66.7%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
मेरठ	0	0.0%	3	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%

9. बाल विवाह के मुद्दे पर गैर–सरकारी संगठन के रूप में भूमिका (मध्य प्रदेश)										
राज्य	बाल विवाह का विरोध करने वाले व्यक्तियों को कानूनी सहायता		परामर्श देना		बाल विवाह की समस्या के बारे में जागरूकता फैलाना		संगठनात्मक सहायता देना		कोई अन्य	
मध्य प्रदेश	2	33.3%	4	66.7%	6	100.0%	1	16.7%	0	0.0%
भोपाल	1	33.3%	2	66.7%	3	100.0%	1	33.3%	0	0.0%
शाजापुर	1	33.3%	2	66.7%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%

10. बाल विवाह अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में संगठन द्वारा किए गए वर्षों के कार्य की स्थिति के अनुसार प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)										
राज्य	5 वर्ष से कम		5-10 वर्ष		10-15 वर्ष		15-20 वर्ष		20 वर्ष से अधिक	
राजस्थान	0	0.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
टोंक	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
जयपुर	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

10. बाल विवाह अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में संगठन द्वारा किए गए वर्षों के कार्य की स्थिति के अनुसार प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	5 वर्ष से कम		5-10 वर्ष		10-15 वर्ष		15-20 वर्ष		20 वर्ष से अधिक	
उत्तर प्रदेश	1	16.7%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
वाराणसी	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
मेरठ	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

10. बाल विवाह अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में संगठन द्वारा किए गए वर्षों के कार्य की स्थिति के अनुसार प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)										
राज्य	5 वर्ष से कम		5-10 वर्ष		10-15 वर्ष		15-20 वर्ष		20 वर्ष से अधिक	
मध्य प्रदेश	2	33.3%	2	33.3%	1	16.7%	1	16.7%	0	0.0%
भोपाल	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
शाजापुर	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%

11. एक वर्ष के दौरान बाल विवाह के मामलों का प्रतिशत (राजस्थान)					
राज्य	कोई मामले नहीं	1 – 10	11 – 20	21 से अधिक	बहुत अधिक
राजस्थान	0	4	0	0	0
टोंक	0	2	0	0	0
जयपुर	0	2	0	0	0

11. एक वर्ष के दौरान बाल विवाह के मामलों का प्रतिशत (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	कोई मामले नहीं		1 – 10		11 – 20		21 से अधिक		बहुत अधिक	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	4	66.7%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
वाराणसी	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
मेरठ	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

11. एक वर्ष के दौरान बाल विवाह के मामलों का प्रतिशत (मध्य प्रदेश)										
राज्य	कोई मामले नहीं		1 – 10		11 – 20		21 से अधिक		बहुत अधिक	
मध्य प्रदेश	1	16.7%	3	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%
भोपाल	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
शाजापुर	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%

13. आपके जिले में हो रहे बाल विवाहों का सूचना स्रोत (राजस्थान)			
राज्य	राजस्थान	टोंक	जयपुर
समुदाय	2	1	1
	33.3%	33.3%	33.3%
सामाजिक कार्यकर्ता	6	3	3
	100.0%	100.0%	100.0%
रिश्तेदार/पड़ोसी	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
सरकारी विभाग	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
बाल विवाह रोकथाम अधिकारी	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
गैर–सरकारी संगठन	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
मीडिया	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
स्वयं सहायता समूह	2	1	1
	33.3%	33.3%	33.3%
कोई अन्य	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%

13. आपके जिले में हो रहे बाल विवाहों का सूचना स्रोत (उत्तर प्रदेश)			
राज्य	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	मेरठ
समुदाय	3	2	1
	50.0%	66.7%	33.3%
सामाजिक कार्यकर्ता	6	3	3
	100.0%	100.0%	100.0%
रिश्तेदार/पड़ोसी	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
सरकारी विभाग	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
बाल विवाह रोकथाम अधिकारी	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
गैर–सरकारी संगठन	1	1	0
	16.7%	33.3%	0.0%
मीडिया	3	1	2
	50.0%	33.3%	66.7%
स्वयं–सहायता समूह	1	1	0
	16.7%	33.3%	0.0%
कोई अन्य	2	1	1
	33.3%	33.3%	33.3%

13. आपके जिले में हो रहे बाल विवाहों का सूचना स्रोत (मध्य प्रदेश)			
राज्य	मध्य प्रदेश (कुल)	भोपाल	शाजापुर
समुदाय	2	1	1
	33.3%	33.3%	33.3%
सामाजिक कार्यकर्ता	4	3	1
	66.7%	100.0%	33.3%
रिश्तेदार/पड़ोसी	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
सरकारी विभाग	2	2	0
	33.3%	66.7%	0.0%
बाल विवाह रोकथाम अधिकारी	2	2	0
	33.3%	66.7%	0.0%
गैर–सरकारी संगठन	5	3	2
	83.3%	100.0%	66.7%
मीडिया	6	3	3
	100.0%	100.0%	100.0%
स्वयं सहायता समूह	5	2	3
	83.3%	66.7%	100.0%
अन्य	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%

14. बाल विवाह के मामलों पर कार्रवाई करने संबंधी प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)								
राज्य	विरोधी दल के नेता से बात करके रुकवाने की कोशिश करके		माता–पिता से बात करके		पुलिस को सूचना देकर		अन्य तरीकों से	
राजस्थान	6	100.0%	4	66.7%	6	100.0%	0	0.0%
टोंक	3	100.0%	2	66.7%	3	100.0%	0	0.0%
जयपुर	3	100.0%	2	66.7%	3	100.0%	0	0.0%

14. बाल विवाह के मामलों पर कार्रवाई करने संबंधी प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)								
राज्य	विरोधी दल के नेता से बात करके रुकवाने की कोशिश करके		माता–पिता से बात करके		पुलिस को सूचना देकर		अन्य तरीकों से	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	16.7%
वाराणसी	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	33.3%
मेरठ	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%

14. बाल विवाह के मामलों पर कार्रवाई करने संबंधी प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)								
राज्य	विरोधी दल के नेता से बात करके रुकवाने की कोशिश करके		माता–पिता से बात करके		पुलिस को सूचना देकर		अन्य तरीकों से	
मध्य प्रदेश	1	16.7%	6	100.0%	4	66.7%	2	33.3%
भोपाल	0	0.0%	3	100.0%	1	33.3%	1	33.3%
शाजापुर	1	33.3%	3	100.0%	3	100.0%	1	33.3%

16. बाल विवाह होने के कारण (राजस्थान)			
राज्य	राजस्थान	टोंक	जयपुर
रीति–रिवाज़ और विश्वास	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
पारिवारिक परम्परा	4	2	2
	66.7%	66.7%	66.7%
समुदाय/सामाजिक दबाव	4	2	2
	66.7%	66.7%	66.7%
गरीबी/आर्थिक कारण	6	3	3
	100.0%	100.0%	100.0%
बालिका की सुरक्षा	6	3	3
	100.0%	100.0%	100.0%
दहेज	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
कोई अन्य	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%

16. बाल विवाह होने के कारण (उत्तर प्रदेश)			
राज्य	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	मेरठ
रीति–रिवाज़ और विश्वास	4	3	1
	66.7%	100.0%	33.3%
पारिवारिक परम्परा	2	2	0
	33.3%	66.7%	0.0%
समुदाय/सामाजिक दबाव	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
गरीबी/आर्थिक कारण	6	3	3
	100.0%	100.0%	100.0%
बालिका की सुरक्षा	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
दहेज	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
कोई अन्य	6	3	3
	100.0%	100.0%	100.0%

16. बाल विवाह होने के कारण (मध्य प्रदेश)			
राज्य	**मध्य प्रदेश**	भोपाल	शाजापुर
रीति–रिवाज़ और विश्वास	6	3	3
	100.0%	100.0%	100.0%
पारिवारिक परम्परा	6	3	3
	100.0%	100.0%	100.0%
समुदाय/सामाजिक दबाव	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
गरीबी/आर्थिक कारण	6	3	3
	100.0%	100.0%	100.0%
बालिका की सुरक्षा	5	3	2
	83.3%	100.0%	66.7%
दहेज	2	2	0
	33.3%	66.7%	0.0%
कोई अन्य	2	0	2
	33.3%	0.0%	66.7%

17क. जिले में पंजीकृत विवाहों का अनुपात				
राज्य	**पंजीकृत**		**पंजीकृत नहीं**	
राजस्थान	0	0.0%	0	0.0%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%
उत्तर प्रदेश	5	83.3%	1	16.7%
वाराणसी	2	66.7%	1	33.3%
मेरठ	3	100.0%	0	0.0%
मध्य प्रदेश	3	50.0%	3	50.0%
भोपाल	1	33.3%	2	66.7%
शाजापुर	2	66.7%	1	33.3%

18. जिले में बाल विवाह रोकथाम अधिकारियों की उपस्थिति (राजस्थान)				
राज्य	**बाल विवाह रोकथाम अधिकारी है**		**बाल विवाह रोकथाम अधिकारी नहीं है**	
राजस्थान	0	0.0%	0	0.0%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%

18. जिले में बाल विवाह रोकथाम अधिकारियों की उपस्थिति (उत्तर प्रदेश)				
राज्य	**बाल विवाह रोकथाम अधिकारी है**		**बाल विवाह रोकथाम अधिकारी नहीं है**	
उत्तर प्रदेश	4	66.7%	2	33.3%
वाराणसी	2	66.7%	1	33.3%
मेरठ	2	66.7%	1	33.3%

18. जिले में बाल विवाह रोकथाम अधिकारियों की उपस्थिति (मध्य प्रदेश)				
राज्य	**बाल विवाह रोकथाम अधिकारी है**		**बाल विवाह रोकथाम अधिकारी नहीं है**	
मध्य प्रदेश	6	100.0%	0	0.0%
भोपाल	3	100.0%	0	0.0%
शाजापुर	3	100.0%	0	0.0%

19क. उस जाति/समुदाय का अनुपात, जिनमें बाल विवाह प्रथा मौजूद है (राजस्थान)				
राज्य	**बाल विवाह प्रथा मौजूद है**		**बाल विवाह प्रथा मौजूद नहीं है**	
राजस्थान	6	100.0%	0	0.0%
टोंक	3	100.0%	0	0.0%
जयपुर	3	100.0%	0	0.0%

19क. उस जाति/समुदाय का अनुपात, जिनमें बाल विवाह प्रथा मौजूद है (उत्तर प्रदेश)				
राज्य	**बाल विवाह प्रथा मौजूद है**		**बाल विवाह प्रथा मौजूद नहीं है**	
उत्तर प्रदेश	1	16.7%	5	83.3%
वाराणसी	0	0.0%	3	100.0%
मेरठ	1	33.3%	2	66.7%

19क. उस जाति/समुदाय का अनुपात, जिनमें बाल विवाह प्रथा मौजूद है (मध्य प्रदेश)				
राज्य	**बाल विवाह प्रथा मौजूद है**		**बाल विवाह प्रथा मौजूद नहीं है**	
मध्य प्रदेश	6	100.0%	0	0.0%
भोपाल	3	100.0%	0	0.0%
शाजापुर	3	100.0%	0	0.0%

21क. गैर–सरकारी संगठनों द्वारा गांवों में बाल विवाहों को रुकवाने की कार्रवाई में किए गए विरोध का प्रतिशत (राजस्थान)				
राज्य	**विरोध का सामना किया**		**विरोध का सामना नहीं किया**	
राजस्थान	6	100.0%	0	0.0%
टोंक	3	100.0%	0	0.0%
जयपुर	3	100.0%	0	0.0%

21क. गैर–सरकारी संगठनों द्वारा गांवों में बाल विवाहों को रुकवाने की कार्रवाई में किए गए विरोध का प्रतिशत (राजस्थान)				
राज्य	**विरोध का सामना किया**		**विरोध का सामना नहीं किया**	
उत्तर प्रदेश	5	83.3%	1	16.7%
वाराणसी	3	100.0%	0	0.0%
मेरठ	2	66.7%	0	0.0%

21क. गैर–सरकारी संगठनों द्वारा गांवों में बाल विवाहों को रुकवाने की कार्रवाई में किए गए विरोध का प्रतिशत (मध्य प्रदेश)				
राज्य	**विरोध का सामना किया**		**विरोध का सामना नहीं किया**	
मध्य प्रदेश	5	83.3%	1	16.7%
भोपाल	2	66.7%	1	33.3%
शाजापुर	3	100.0%	0	0.0%

22. गांव में हुई बाल विवाह की घटनाओं की सूचना पुलिस को देने वाले गैर–सरकारी संगठनों का अनुपात (राजस्थान)				
राज्य	**पुलिस को सूचित किया**		**पुलिस को सूचित नहीं किया**	
राजस्थान	6	100.0%	0	0.0%
टोंक	3	100.0%	0	0.0%
जयपुर	3	100.0%	0	0.0%

22. गांव में हुई बाल विवाह की घटनाओं की सूचना पुलिस को देने वाले गैर–सरकारी संगठनों का अनुपात (मध्य प्रदेश)				
राज्य	**पुलिस को सूचित किया**		**पुलिस को सूचित नहीं किया**	
मध्य प्रदेश	5	83.3%	1	16.7%
भोपाल	2	66.7%	1	33.3%
शाजापुर	3	100.0%	0	0.0%

22. गांव में हुई बाल विवाह की घटनाओं की सूचना पुलिस को देने वाले गैर–सरकारी संगठनों का अनुपात (उत्तर प्रदेश)				
राज्य	**पुलिस को सूचित किया**		**पुलिस को सूचित नहीं किया**	
उत्तर प्रदेश	3	50.0%	3	50.0%
वाराणसी	3	100.0%	0	0.0%
मेरठ	0	0.0%	3	100.0%

23. बाल विवाह रोकने में गैर–सरकारी संगठनों की मदद करने वाली संस्थाएं (राजस्थान)			
राज्य	राजस्थान	टोंक	जयपुर
पंचायत	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
पुलिस	6	3	3
	100.0%	100.0%	100.0%
जिला मजिस्ट्रेट	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
बाल विवाह रोकथाम अधिकारी	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
अन्य गैर–सरकारी संगठन	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
समुदाय	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
मीडिया	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%

23. बाल विवाह रोकने में गैर–सरकारी संगठनों की मदद करने वाली संस्थाएं (उत्तर प्रदेश)			
राज्य	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	मेरठ
पंचायत	2	2	0
	33.3%	66.7%	0.0%
पुलिस	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
जिला मजिस्ट्रेट	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
बाल विवाह रोकथाम अधिकारी	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
अन्य गैर–सरकारी संगठन	1	1	0
	16.7%	33.3%	0.0%
समुदाय	4	3	1
	66.7%	100.0%	33.3%
मीडिया	2	2	0
	33.3%	66.7%	0.0%
कोई अन्य	3	1	2
	50.0%	33.3%	66.7%

23. बाल विवाह रोकने में गैर–सरकारी संगठनों की मदद करने वाली संस्थाएं (मध्य प्रदेश)			
राज्य	**मध्य प्रदेश**	भोपाल	शाजापुर
पंचायत	2	1	1
	33.3%	33.3%	33.3%
पुलिस	4	2	2
	66.7%	66.7%	66.7%
जिला मजिस्ट्रेट	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%
बाल विवाह रोकथाम अधिकारी	3	3	0
	50.0%	100.0%	0.0%
अन्य गैर–सरकारी संगठन	3	2	1
	50.0%	66.7%	33.3%
समुदाय	1	0	1
	16.7%	0.0%	33.3%
मीडिया	4	3	1
	66.7%	100.0%	33.3%
अन्य	0	0	0
	0.0%	0.0%	0.0%

24 क. क्या बाल विवाह रोकने में कानून प्रभावी है? (राजस्थान)				
राज्य	**हां**		**नहीं**	
राजस्थान	2	33.3%	4	66.7%
टोंक	1	33.3%	2	66.7%
जयपुर	1	33.3%	2	66.7%

24 क. क्या बाल विवाह रोकने में कानून प्रभावी है? (उत्तर प्रदेश)				
राज्य	**हां**		**नहीं**	
उत्तर प्रदेश	3	50.0%	3	50.0%
वाराणसी	1	33.3%	2	66.7%
मेरठ	2	66.7%	1	33.3%

24 क. क्या बाल विवाह रोकने में कानून प्रभावी है? (मध्य प्रदेश)				
राज्य	**हां**		**नहीं**	
मध्य प्रदेश	2	33.3%	4	66.7%
भोपाल	1	33.3%	2	66.7%
शाजापुर	1	33.3%	2	66.7%

25 क. क्या कानून में कोई कमी है? (राजस्थान)				
राज्य	**इसमें कमियां हैं**		**इसमें कमियां नहीं हैं**	
राजस्थान	0	0.0%	6	100.0%
टोंक	0	0.0%	3	100.0%
जयपुर	0	0.0%	3	100.0%

25 क. क्या कानून में कोई कमी है? (उत्तर प्रदेश)				
राज्य	**इसमें कमियां हैं**		**इसमें कमियां नहीं हैं**	
उत्तर प्रदेश	5	83.3%	1	16.7%
वाराणसी	3	100.0%	0	0.0%
मेरठ	2	66.7%	1	33.3%

25 क. क्या कानून में कोई कमी है? (मध्य प्रदेश)				
राज्य	**इसमें कमियां हैं**		**इसमें कमियां नहीं हैं**	
मध्य प्रदेश	6	100.0%	0	0%
भोपाल	3	100.0%	0	0%
शाजापुर	3	100.0%	0	0%

26. बाल विवाह की घटनाओं में कमी लाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किया गया उल्लेखनीय योगदान(राजस्थान)				
राज्य	**उल्लेखनीय योगदान किया है**		**उल्लेखनीय योगदान नहीं किया है**	
राजस्थान	0	0.0%	0	0.0%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%

26. बाल विवाह की घटनाओं में कमी लाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किया गया उल्लेखनीय योगदान(उ.प्रदेश)				
राज्य	**उल्लेखनीय योगदान किया है**		**उल्लेखनीय योगदान नहीं किया है**	
उत्तर प्रदेश	6	100.0%	0	0.0%
वाराणसी	3	100.0%	0	0.0%
मेरठ	3	100.0%	0	0.0%

26. बाल विवाह की घटनाओं में कमी लाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किया गया उल्लेखनीय योगदान(म.प्रदेश)				
राज्य	**उल्लेखनीय योगदान किया है**		**उल्लेखनीय योगदान नहीं किया है**	
मध्य प्रदेश	6	100.0%	0	0%
भोपाल	3	100.0%	0	0%
शाजापुर	3	100.0%	0	0%

4. सरपंच/पंचायत सदस्य

राज्य	साक्षात्कार किए गए सरपंच/ पंचायत सदस्य		राज्य	साक्षात्कार किए गए सरपंच/ पंचायत सदस्य		राज्य	साक्षात्कार किए गए सरपंच/ पंचायत सदस्य	
राजस्थान	11	100.0%	**उत्तर प्रदेश**	10	100.0%	**मध्य प्रदेश**	10	100.0%
टोंक	3	27.3%	वाराणसी	5	100.0%	भोपाल	5	100%
जयपुर	8	72.7%	मेरठ	5	100.0%	शाजापुर	5	100%

6. धर्म के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन						
राज्य	**हिन्दू**		**मुस्लिम**		**अन्य**	
राजस्थान	11	100.0%	0	0	0	0
टोंक	3	100.0%	0	0	0	0
जयपुर	8	100.0%	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	8	80%	2	20%	0	0.0%
वाराणसी	4	80%	1	20%	0	0.0%
मेरठ	4	80%	1	20%	0	0.0%
मध्य प्रदेश	8	80.0%	2	20.0%	0	0.0%
भोपाल	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
शाजापुर	3	60.0%	2	40.0%	0	0.0%

7. जाति के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)								
राज्य	**अन्य पिछड़ा वर्ग**		**अनु.जा./अनु.ज.जा.**		**अन्य**		**सभी**	
राजस्थान	1	9.1%	5	45.5%	5	45.5%	11	100.0%
टोंक	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	3	100.0%
जयपुर	0	0.0%	4	50.0%	4	50.0%	8	100.0%

7. जाति के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)								
राज्य	**अन्य पिछड़ा वर्ग**		**अनु.जा./अनु.ज.जा.**		**अन्य**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	3	30%	6	60%	1	10%	10	100.0%
वाराणसी	2	40%	3	60%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	1	20%	3	60%	1	20%	5	100.0%

7. जाति के अनुसार परिवार का प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)								
राज्य	**अन्य पिछड़ा वर्ग**		**अनु.जा./अनु.ज.जा.**		**अन्य**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	5	50.0%	3	30.0%	2	20.0%	10	100.0%
भोपाल	3	60.0%	2	40.0%		0.0%	5	100.0%
शाजापुर	2	40.0%	1	20.0%	2	40.0%	5	100.0%

9. आयु के अनुसार परिवार के मुखिया का प्रतिशत विभाजन								
राज्य	**30 वर्ष से कम**		**30-50 वर्ष**		**50 वर्ष और उससे अधिक**		**सभी**	
राजस्थान	3	27.3%	5	45.5%	3	27.3%	11	100.0%
टोंक	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	3	100.0%
जयपुर	3	37.5%	4	50.0%	1	12.5%	8	100.0%
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	4	40%	6	60%	10	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	3	60%	2	40%	5	100.0%
मेरठ	0	0.0%	1	20%	4	80%	5	100.0%
मध्य प्रदेश	1	10.0%	8	80.0%	1	10.0%	10	100.0%
भोपाल		0.0%	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%
शाजापुर	1	20.0%	4	80.0%	0	0.0%	5	100.0%

10. वैवाहिक स्थिति के अनुसार परिवार के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)										
राज्य	**अविवाहित**		**विवाहित**		**तलाकशुदा**		**विवाह–विच्छेदित**		**सभी**	
राजस्थान	4	36.4%	7	63.6%	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%
टोंक	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
जयपुर	3	37.5%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%

10. वैवाहिक स्थिति के अनुसार परिवार के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	**अविवाहित**		**विवाहित**		**तलाकशुदा**		**विवाह–विच्छेदित**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%

10. वैवाहिक स्थिति के अनुसार परिवार के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)										
राज्य	**अविवाहित**		**विवाहित**		**तलाकशुदा**		**विवाह–विच्छेदित**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	100.0%
भोपाल	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
शाजापुर	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%

11. शैक्षिक स्तर के अनुसार परिवार के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)																
राज्य	**अनपढ़**		**प्राथमिक (1-5)**		**मिडिल (6-8)**		**सैकेण्डरी (9-12)**		**स्नातक**		**स्नातकोत्तर**		**अन्य**		**सभी**	
राजस्थान	1	9.1%	2	18.2%	2	18.2%	3	27.3%	2	18.2%	1	9.1%	0	0.0%	11	100.0%
टोंक	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
जयपुर	1	12.5%	1	12.5%	2	25.0%	1	12.5%	2	25.0%	1	12.5%	0	0.0%	8	100.0%

11. शैक्षिक स्तर के अनुसार परिवार के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)																
राज्य	अनपढ़		प्राथमिक (1-5)		मिडिल (6-8)		सैकेण्डरी (9-12)		स्नातक		स्नातकोत्तर		अन्य		सभी	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	3	30%	6	60%	1	10%	0	0.0%	0	0.0%	10	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	2	40%	2	40%	1	20%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	1	20%	4	80%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%

11. शैक्षिक स्तर के अनुसार परिवार के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)																
राज्य	अनपढ़		प्राथमिक (1-5)		मिडिल (6-8)		सैकेण्डरी (9-12)		स्नातक		स्नातकोत्तर		अन्य		सभी	
मध्य प्रदेश	3	30.0%	2	20.0%	1	10.0%	3	30.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	100.0%
भोपाल	2	40.0%	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
शाजापुर	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%

12 व्यावसायिक स्तर के अनुसार परिवार के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (राजस्थान)														
राज्य	किसान		कृषि मजदूर		पारिवारिक उद्योग		गैर– पारिवारिक उद्योग		अन्य मजदूर		गैर– मजदूर		सभी	
राजस्थान	7	63.6%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%
टोंक	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
जयपुर	5	62.5%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%

12. व्यावसायिक स्तर के अनुसार परिवार के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (उत्तर प्रदेश)														
राज्य	किसान		कृषि मजदूर		पारिवारिक उद्योग		गैर– पारिवारिक उद्योग		अन्य मजदूर		गैर– मजदूर		सभी	
उत्तर प्रदेश	8	80%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20%	0	0.0%	10	100.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	3	60%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40%	0	0.0%	5	100.0%

12. व्यावसायिक स्तर के अनुसार परिवार के मुखिया का प्रतिशत विभाजन (मध्य प्रदेश)														
राज्य	किसान		कृषि मजदूर		पारिवारिक उद्योग		गैर– पारिवारिक उद्योग		अन्य मजदूर		गैर– मजदूर		सभी	
मध्य प्रदेश	5	50.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	10	100.0%
भोपाल	3	60.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	5	100.0%
शाजपुर	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	5	100.0%

13. यदि उसका कोई बच्चा शादीशुदा है (राजस्थान)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
राजस्थान	4	36.4%	7	63.6%	11	100.0%
टोंक	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
जयपुर	2	25.0%	6	75.0%	8	100.0%

13. यदि उसका कोई बच्चा शादीशुदा है (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	9	90%	1	10%	10	100.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	4	80%	1	20%	5	100.0%

13. यदि उसका कोई बच्चा शादीशुदा है (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	3	30.0%	7	70.0%	10	100.0%
भोपाल	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
शाजापुर	2	40.0%	3	60.0%	5	100.0%

14 क. विवाह के समय बच्चों की आयु (बालक) (राजस्थान)										
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-12 वर्ष**		**21 वर्ष से कम**		**21 वर्ष और इससे अधिक**		**सभी**	
राजस्थान	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	18.2%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	12.5%

14 ख. विवाह के समय बच्चों की आयु (बालिका) (राजस्थान)												
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-8 वर्ष**		**8-13 वर्ष**		**18 वर्ष से कम**		**18 वर्ष और इससे अधिक**		**सभी**	
राजस्थान	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%	4	36.4%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	66.7%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	25.0%

14 क. विवाह के समय बच्चों की आयु (बालक) (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-12 वर्ष**		**21 वर्ष से कम**		**21 वर्ष और इससे अधिक**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	90%	9	90.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	80%	4	80.0%

14 ख. विवाह के समय बच्चों की आयु (बालिका) (उत्तर प्रदेश)												
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-8 वर्ष**		**8-13 वर्ष**		**18 वर्ष से कम**		**18 वर्ष और इससे अधिक**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	90%	9	90.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	80.0%	4	80.0%

14 क. विवाह के समय बच्चों की आयु (बालक) (मध्य प्रदेश)										
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-12 वर्ष**		**21 वर्ष से कम**		**21 वर्ष और इससे अधिक**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	1	10.0%	2	20.0%	2	20.0%	10	100.0%
भोपाल	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	5	100.0%
शाजापुर	0	0.0%	1	20.0%	1	20.0%	2	40.0%	5	100.0%

14 ख. विवाह के समय बच्चों की आयु (बालिका) (मध्य प्रदेश)												
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-8 वर्ष**		**8-13 वर्ष**		**18 वर्ष से कम**		**18 वर्ष और इससे अधिक**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	10.0%	3	30.0%	10	100.0%
भोपाल	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	5	100.0%
शाजापुर	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	3	60.0%	5	100.0%

15. विवाह के लिए सही आयु पर विचार : क. बालक (राजस्थान)										
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-12 वर्ष**		**21 वर्ष से कम**		**21 वर्ष और इससे अधिक**		**सभी**	
राजस्थान	0	0.0%	1	9.1%	1	9.1%	9	81.8%	11	100.0%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%
जयपुर	0	0.0%	1	12.5%	1	12.5%	6	75.0%	8	100.0%

ख. बालिका (राजस्थान)												
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-8 वर्ष**		**8-13 वर्ष**		**18 वर्ष से कम**		**18 वर्ष और इससे अधिक**		**सभी**	
राजस्थान	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%	11	100.0%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%	8	100.0%

15. विवाह के लिए सही आयु पर विचार : क. बालक (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-12 वर्ष**		**21 वर्ष से कम**		**21 वर्ष और इससे अधिक**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	100.0%	10	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%

ख. बालिका (उत्तर प्रदेश)												
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-8 वर्ष**		**8-13 वर्ष**		**18 वर्ष से कम**		**18 वर्ष और इससे अधिक**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	100.0%	10	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%

15. विवाह के लिए सही आयु पर विचार : क. बालक (मध्य प्रदेश)										
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-12 वर्ष**		**21 वर्ष से कम**		**21 वर्ष और इससे अधिक**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	9	90.0%	10	100.0%
भोपाल	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
शाजापुर	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%

15ख. विवाह के लिए सही आयु पर विचार (बालिका) (मध्य प्रदेश)												
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-8 वर्ष**		**8-13 वर्ष**		**18 वर्ष से कम**		**18 वर्ष और इससे अधिक**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	9	90.0%	10	100.0%
भोपाल	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
शाजापुर	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%

16. बाल विवाह के कारण (राजस्थान)												
राज्य	**रीति–रिवाज़ और विश्वास**		**पारिवारिक परम्परा**		**सामुदायिक दबाव**		**दहेज**		**बालिका की सुरक्षा**		**आर्थिक बोझ / गरीबी**	
राजस्थान	5	45.5%	4	36.4%	7	63.6%	0	0.0%	5	45.5%	7	63.6%
टोंक	2	66.7%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	2	66.7%	2	66.7%
जयपुर	3	37.5%	3	37.5%	6	75.0%	0	0.0%	3	37.5%	5	62.5%

16 बाल विवाह के कारण (उत्तर प्रदेश)												
राज्य	**रीति–रिवाज़ और विश्वास**		**पारिवारिक परम्परा**		**सामुदायिक दबाव**		**दहेज**		**बालिका की सुरक्षा**		**आर्थिक बोझ / गरीबी**	
उत्तर प्रदेश	6	60%	4	40%	3	30%	2	20%	4	40%	7	70%
वाराणसी	4	80%	3	60%	2	40%	2	40%	2	40%	4	80%
मेरठ	2	40%	1	20%	1	20%	0	0.0%	2	40%	3	60%

16. बाल विवाह के कारण (मध्य प्रदेश)												
राज्य	रीति–रिवाज़ और विश्वास		पारिवारिक परम्परा		सामुदायिक दबाव		दहेज		बालिका की सुरक्षा		आर्थिक बोझ / गरीबी	
मध्य प्रदेश	10	100.0%	10	100.0%	1	10.0%	1	10.0%	5	50.0%	9	90.0%
भोपाल	5	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	4	80.0%
शाजापुर	5	100.0%	5	100.0%	1	20.0%	1	20.0%	3	60.0%	5	100.0%

17. उस जाति/समुदाय का अनुपात, जिनमें बाल विवाह प्रथा मौजूद है (राजस्थान)						
राज्य	बाल विवाह प्रथा मौजूद है		बाल विवाह प्रथा मौजूद नहीं		सभी	
राजस्थान	5	45.5%	6	54.5%	11	100.0%
टोंक	1	33.3%	2	66.7%	3	100.0%
जयपुर	4	50.0%	4	50.0%	8	100.0%

17. उस जाति/समुदाय का अनुपात, जिनमें बाल विवाह प्रथा मौजूद है (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	बाल विवाह प्रथा मौजूद है		बाल विवाह प्रथा मौजूद नहीं		सभी	
उत्तर प्रदेश	4	40%	6	60%	10	100.0%
वाराणसी	3	60%	2	40%	5	100.0%
मेरठ	1	20%	4	80%	5	100.0%

17. उस जाति/समुदाय का अनुपात, जिनमें बाल विवाह प्रथा मौजूद है (मध्य प्रदेश)						
राज्य	बाल विवाह प्रथा मौजूद है		बाल विवाह प्रथा मौजूद नहीं		सभी	
मध्य प्रदेश	3	30.0%	7	70.0%	10	100.0%
भोपाल	2	40.0%	3	60.0%	5	100.0%
शाजापुर	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%

18. बाल विवाह की अवैधता संबंधी जागरूकता (राजस्थान)						
राज्य	जागरूक है		जागरूक नहीं है		सभी	
राजस्थान	11	100.0%	0	0.0%	11	100.0%
टोंक	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
जयपुर	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%

18. बाल विवाह की अवैधता संबंधी जागरूकता (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	जागरूक है		जागरूक नहीं है		सभी	
उत्तर प्रदेश	10	100.0%	0	0.0%	10	100.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

19. बाल विवाह की अवैधता संबंधी जागरूकता (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**जागरूक है**		**जागरूक नहीं है**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	7	70.0%	3	30.0%	10	100.0%
भोपाल	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%
शाजापुर	3	60.0%	2	40.0%	5	100.0%

19क. बाल विवाह को रोकने संबंधी कानून के बारे में जागरूकता (राजस्थान)						
राज्य	**जागरूक है**		**जागरूक नहीं है**		**सभी**	
राजस्थान	11	100.0%	0	0.0%	11	100.0%
टोंक	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
जयपुर	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%

19ख. विवाह की कानूनी आयु संबंधी जागरूकता (राजस्थान)						
राज्य	**जागरूक है**		**जागरूक नहीं है**		**सभी**	
राजस्थान	11	100.0%	0	0.0%	11	100.0%
टोंक	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
जयपुर	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%

19क. बाल विवाह को रोकने संबंधी कानून के बारे में जागरूकता (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**जागरूक है**		**जागरूक नहीं है**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	8	80%	2	20%	10	100.0%
वाराणसी	4	80%	1	20%	5	100.0%
मेरठ	4	80%	1	20%	5	100.0%

19ख. विवाह की कानूनी आयु संबंधी जागरूकता (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**जागरूक है**		**जागरूक नहीं है**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	10	100.0%	0	0.0%	10	100.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

19क. बाल विवाह को रोकने संबंधी कानून के बारे में जागरूकता (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**जागरूक है**		**जागरूक नहीं है**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	5	50.0%	5	50.0%	10	100.0%
भोपाल	2	40.0%	3	60.0%	5	100.0%
शाजापुर	3	60.0%	2	40.0%	5	100.0%

19ख. विवाह की कानूनी आयु संबंधी जागरूकता (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**जागरूक है**		**जागरूक नहीं है**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	6	60.0%	3	30.0%	9	90.0%
भोपाल	3	60.0%	1	20.0%	4	80.0%
शाजापुर	3	60.0%	2	40.0%	5	100.0%

20. क्या बाल विवाह को रोकने में कानून प्रभावी है? (राजस्थान)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
राजस्थान	10	90.9%	1	9.1%	11	100.0%
टोंक	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
जयपुर	7	87.5%	1	12.5%	8	100.0%

20. क्या बाल विवाह को रोकने में कानून प्रभावी है? (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	9	90.0%	1	10.0%	10	100.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%

20. क्या बाल विवाह को रोकने में कानून प्रभावी है? (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	9	90.0%	1	10.0%	10	100.0%
भोपाल	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%
शाजापुर	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

21क. जिले में पंजीकृत विवाहों का प्रतिशत (राजस्थान)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
राजस्थान	10	90.9%	1	9.1%	11	100.0%
टोंक	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
जयपुर	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%

21क. जिले में पंजीकृत विवाहों का प्रतिशत (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	9	90.0%	1	10.0%	10	100.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%

21 क. जिले में पंजीकृत शादियों का प्रतिशत (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	4	40.0%	5	50.0%	9	90.0%
भोपाल	1	20.0%	3	60.0%	4	80.0%
शाजापुर	3	60.0%	2	40.0%	5	100.0%

22. क्या जिले में बाल विवाह रोकथाम अधिकारी हैं (राजस्थान)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
राजस्थान	9	81.8%	2	18.2%	11	100.0%
टोंक	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
जयपुर	7	87.5%	1	12.5%	8	100.0%

22. क्या जिले में बाल विवाह रोकथाम अधिकारी हैं (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	9	90.0%	1	10.0%	10	100.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%

22. क्या जिले में बाल विवाह रोकथाम अधिकारी हैं (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	8	80.0%	2	20.0%	10	100.0%
भोपाल	3	60.0%	2	40.0%	5	100.0%
शाजापुर	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

23. क्या पंचायत ने बाल विवाहों को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं? (राजस्थान)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
राजस्थान	8	72.7%	2	18.2%	10	90.9%
टोंक	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
जयपुर	5	62.5%	2	25.0%	7	87.5%

23. क्या पंचायत ने बाल विवाहों को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं? (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	9	90.0%	1	10.0%	10	100.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%

23. क्या पंचायत ने बाल विवाहों को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं? (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	9	90.0%	1	10.0%	10	100.0%
भोपाल	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%
शाजापुर	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

24 क. पंचायत द्वारा कदम उठाने से क्या बाल विवाह के मामलों में कमी आई है? (राजस्थान)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
राजस्थान	8	72.7%	1	9.1%	9	81.8%
टोंक	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
जयपुर	5	62.5%	1	12.5%	6	75.0%

24 क. पंचायत द्वारा कदम उठाने से क्या बाल विवाह के मामलों में कमी आई है? (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	9	90.0%	0	0.0%	9	90.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	4	80.0%	0	0.0%	4	80.0%

24 क. पंचायत द्वारा कदम उठाने से क्या बाल विवाह के मामलों में कमी आई है? (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	10	100.0%	0	0.0%	10	100.0%
भोपाल	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
शाजपुर	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

26 क. क्या पंचायत को बाल विवाह रोकने में किसी संस्थान से कोई मदद मिली है? (राजस्थान)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
राजस्थान	4	36.4%	7	63.6%	11	100.0%
टोंक	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%
जयपुर	4	50.0%	4	50.0%	8	100.0%

26 क. क्या पंचायत को बाल विवाह रोकने में किसी संस्थान से कोई मदद मिली है? (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	8	80.0%	2	20.0%	10	100.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	3	60.0%	2	40.0%	5	100.0%

26 क. क्या पंचायत को बाल विवाह रोकने में किसी संस्थान से कोई मदद मिली है? (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	8	80.0%	2	20.0%	10	100.00
भोपाल	4	80.0%	1	20.0%	5	100.00
शाजापुर	4	80.0%	1	20.0%	5	100.00

26 ख. वे संस्थान जिन्होंने बाल विवाह को रोकने में मदद की (राजस्थान)																		
राज्य	अन्य पंचायत सदस्य		पुलिस		गैर–सरकारी संगठन		समुदाय		मीडिया		स्वयं सेवी समूह		राज्य विवाह रोकथाम अधिकारी		आईसी–डीएस कार्यकता		अन्य	
राजस्थान	3	27.3%	1	9.1%	2	18.2%	4	36.4%	0	0.0%	4	36.4%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
जयपुर	3	37.5%	1	12.5%	2	25.0%	4	50.0%	0	0.0%	1	12.5%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%

26 ख. वे संस्थान जिन्होंने बाल विवाह को रोकने में मदद की (उत्तर प्रदेश)																		
राज्य	अन्य पंचायत सदस्य		पुलिस		गैर–सरकारी संगठन		समुदाय		मीडिया		स्वयं सेवी समूह		राज्य विवाह रोकथाम अधिकारी		आईसी–डीएस कार्यकता		अन्य	
उत्तर प्रदेश	6	60%	1	10%	5	50%	4	40.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	7	70.0%	0	0.0%
वाराणसी	4	80%	0	0.0%	4	80%	4	80%	0	0.0%	1	20%	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%
मेरठ	2	40.0%	1	20%	1	20%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%

26 ख. वे संस्थान जिन्होंने बाल विवाह को रोकने में मदद की (मध्य प्रदेश)																		
राज्य	अन्य पंचायत सदस्य		पुलिस		गैर–सरकारी संगठन		समुदाय		मीडिया		स्वयं सेवी समूह		राज्य विवाह रोकथाम अधिकारी		आईसी–डीएस कार्यकता		अन्य	
मध्य प्रदेश	1	10%	6	60%	3	30%	2	20%	4	40%	3	30%	6	60%	1	10%	0	0%
भोपाल	1	20%	2	40%	1	20%	0	0%	1	20%	0	0%	2	40%	1	20%	0	0%
शाजापुर	0	0%	4	80%	2	40%	2	40%	3	60%	3	60%	4	80%	0	0%	0	0%

27. बाल विवाह पर विचार						
राज्य	**समर्थन करते हैं**		**समर्थन नहीं करते**		**सभी**	
राजस्थान	0	0.0%	11	100.0%	11	100.0%
टोंक	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%
जयपुर	0	0.0%	8	100.0%	8	100.0%
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	10	100%	10	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	5	100%	5	100.0%
मेरठ	0	0.0%	5	100%	5	100.0%
मध्य प्रदेश	2	20.0%	8	80.0%	10	100.0%
भोपाल	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
शाजापुर	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%

28. मौजूदा पंचायतों के प्रकार (राजस्थान)								
राज्य	जाति पंचायत		ग्राम पंचायत		दोनों		कोई अन्य	
राजस्थान	1	9.1%	9	81.8%	2	18.2%	0	0.0%
टोंक	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%
जयपुर	1	12.5%	7	87.5%	1	12.5%	0	0.0%

28. मौजूदा पंचायतों के प्रकार (उत्तर प्रदेश)								
राज्य	जाति पंचायत		ग्राम पंचायत		दोनों		कोई अन्य	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	10	100%	0	0.0%	0	0.0%
वाराणसी	0	0.0%	5	100%	0	0.0%	0	0.0%
मेरठ	0	0.0%	5	100%	0	0.0%	0	0.0%

28. मौजूदा पंचायतों के प्रकार (मध्य प्रदेश)								
राज्य	जाति पंचायत		ग्राम पंचायत		दोनों		कोई अन्य	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	10	100%	0	0.0%	0	0.0%
वाराणसी	0	0.0%	5	100%	0	0.0%	0	0.0%
मेरठ	0	0.0%	5	100%	0	0.0%	0	0.0%

29 क. पंचायत के सदस्यों को बाल विवाह जैसे सामाजिक विषयों के बारे में जानकारी दी जाती/नहीं दी जाती है (राजस्थान)						
राज्य	हां		नहीं		सभी	
राजस्थान	7	63.6%	4	36.4%	11	100.0%
टोंक	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
जयपुर	5	62.5%	3	37.5%	8	100.0%

29ख. सेमिनार/कार्यशाला या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले पंचायत सदस्यों का अनुपात (राजस्थान)						
राज्य	हां		नहीं		सभी	
राजस्थान	7	63.6%	2	18.2%	9	81.8%
टोंक	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%
जयपुर	5	62.5%	2	25.0%	7	87.5%

29 क. पंचायत के सदस्यों को बाल विवाह जैसे सामाजिक विषयों के बारे में जानकारी दी जाती/नहीं दी जाती है (राजस्थान)						
राज्य	हां		नहीं		सभी	
उत्तर प्रदेश	4	40%	6	60%	10	100.0%
वाराणसी	2	40%	3	60%	5	100.0%
मेरठ	2	40%	3	60%	5	100.0%

29ख. सेमिनार/कार्यशाला या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले पंचायत सदस्यों का अनुपात (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
उत्तर प्रदेश	4	40%	6	60%	10	100.0%
वाराणसी	2	40%	3	60%	5	100.0%
मेरठ	2	40%	3	60%	5	100.0%

29क. पंचायत के सदस्यों को बाल विवाह जैसे सामाजिक विषयों के बारे में जानकारी दी जाती/नहीं दी जाती है (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	8	80.0%	2	20.0%	10	100.0%
भोपाल	3	60.0%	2	40.0%	5	100.0%
शाजापुर	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

29ख. सेमिनार/कार्यशाला या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले पंचायत सदस्यों का अनुपात (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**हां**		**नहीं**		**सभी**	
मध्य प्रदेश	7	70.0%	2	20.0%	9	90.0%
भोपाल	3	60.0%	1	20.0%	4	80.0%
शाजापुर	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%

5. पुलिस निरीक्षक/ सहायक उप–निरीक्षक/ पुलिस स्टेशन प्रभारी/ पुलिस पोस्ट के लिए अनुसूची

8. लिंग (राजस्थान)						
राज्य	**पुरुष**		**महिला**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	10	100.0%	0	0.0%	10	100.0%
टोंक	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
जयपुर	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%

8. लिंग (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**पुरुष**		**महिला**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	10	100.0%	0	0.0%	10	100.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

8. लिंग (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**पुरुष**		**महिला**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश (कुल)	9	90%	1	10%	10	100%
भोपाल	4	80%	1	20%	5	100%
शाजापुर	5	100%	0	0%	5	100%

11. बाल विवाह की अवैधता संबंधी जागरूकता (राजस्थान)						
राज्य	**जागरूक है**		**जागरूक नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	9	100.0%	0	0.0%	9	90.0%
टोंक	3	100.0%	0	0.0%	3	75.0%
जयपुर	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%

11. बाल विवाह की अवैधता संबंधी जागरूकता (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**जागरूक है**		**जागरूक नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	10	100.0%	0	0.0%	10	100.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

11. बाल विवाह की अवैधता संबंधी जागरूकता (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**जागरूक है**		**जागरूक नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	10	100%	0	0%	10	100%
भोपाल	5	100%	0	0%	5	100%
शाजापुर	5	100%	0	0%	5	100%

12. जाति/समुदाय, जिसमें बाल विवाह की प्रथा मौजूद है (राजस्थान)						
राज्य	प्रथा मौजूद है		प्रथा मौजूद नहीं है		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	3	30.0%	6	60.0%	9	90.0%
टोंक	0	0.0%	3	75.0%	3	75.0%
जयपुर	3	50.0%	3	50.0%	6	100.0%

12. जाति/समुदाय, जिसमें बाल विवाह की प्रथा मौजूद है (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	प्रथा मौजूद है		प्रथा मौजूद नहीं है		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	10	100.0%	10	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%
मेरठ	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%

12. जाति/समुदाय, जिसमें बाल विवाह की प्रथा मौजूद है (मध्य प्रदेश)						
राज्य	प्रथा मौजूद है		प्रथा मौजूद नहीं है		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	1	10%	9	90%	10	100%
भोपाल	1	20%	4	80%	5	100%
शाजापुर	0	0%	5	100%	5	100%

13. बाल विवाह के मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का प्रकार								
राज्य	जब तक औपचारिक शिकायत दर्ज न हो,तब तक कोई कार्रवाई नहीं		स्थल पर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाएंगे		अन्य		प्राप्त प्रतिक्रिया	
राजस्थान	1	10.0%	0	0.0%	2	20.0%	3	30.0%
टोंक	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	2	50.0%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	16.7%
उत्तर प्रदेश	1	10.0%	2	20.0%	4	40.0%	7	70.0%
वाराणसी	1	20.0%	2	40.0%	2	40.0%	5	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	2	40.0%
मध्य प्रदेश	1	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	2	20.0%
भोपाल	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
शाजापुर	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	2	40.0%

14. जब समाज बाल विवाह कानून का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई (राजस्थान)										
राज्य	उन्हें गिरफ्तार करते हैं		चेतावनी देते हैं		उन्हें परामर्श देते हैं		कोई कदम नहीं उठाते		अन्य	
राजस्थान	0	0.0%	5	50.0%	6	60.0%	0	0.0%	4	40.0%
टोंक	0	0.0%	1	25.0%	1	25.0%	0	0.0%	2	50.0%
जयपुर	0	0.0%	4	66.7%	5	83.3%	0	0.0%	2	33.3%

14. जब समाज बाल विवाह कानून का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	उन्हें गिरफ्तार करते हैं		चेतावनी देते हैं		उन्हें परामर्श देते हैं		कोई कदम नहीं उठाते		अन्य	
उत्तर प्रदेश	2	20.0%	4	40.0%	6	60.0%	0	0.0%	4	40.0%
वाराणसी	2	40.0%	4	80.0%	5	100.0%	0	0.0%	2	40.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	2	40.0%

14. जब समाज बाल विवाह कानून का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई (मध्य प्रदेश)										
राज्य	उन्हें गिरफ्तार करते हैं		चेतावनी देते हैं		उन्हें परामर्श देते हैं		कोई कदम नहीं उठाते		अन्य	
मध्य प्रदेश	8	80.0%	7	70.0%	8	80.0%	3	30.0%	2	20.0%
भोपाल	5	100.0%	5	100.0%	3	60.0%	2	40.0%	1	20.0%
शाजापुर	3	60.0%	2	40.0%	5	100.0%	1	20.0%	1	20.0%

15. आपके क्षेत्र में जबानी/मौखिक बाल विवाह संबंधी शिकायतों का प्रतिशत (राजस्थान)						
राज्य	शिकायतें मिलती हैं		शिकायतें नहीं मिलती		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	9	100.0%	0	0.0%	9	90.0%
टोंक	3	100.0%	0	0.0%	3	75.0%
जयपुर	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%

15. आपके क्षेत्र में बाल विवाह संबंधी जबानी/मौखिक शिकायतों का प्रतिशत (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	शिकायतें मिलती हैं		शिकायतें नहीं मिलती		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	5	50.0%	5	50.0%	10	100.0%
वाराणसी	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%
मेरठ	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%

15. आपके क्षेत्र में बाल विवाह संबंधी जबानी/मौखिक शिकायतों का प्रतिशत (मध्य प्रदेश)						
राज्य	शिकायतें मिलती हैं		शिकायतें नहीं मिलती		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	6	60%	4	40%	10	100%
भोपाल	3	60%	2	40%	5	100%
शाजापुर	3	60%	2	40%	5	100%

17. पिछले तीन वर्षों में आपको किन लोगों के माध्यम से बाल विवाह की शिकायतें मिली हैं? (राजस्थान)										
राज्य	पंचायत से		समुदाय से		परिवार के सदस्य/ रिश्तेदारों से		गैर–सरकारी संगठनों से		किसी अन्य व्यक्ति से	
राजस्थान	0	0.0%	7	70.0%	8	80.0%	2	20.0%	0	0.0%
टोंक	0	0.0%	2	50.0%	3	75.0%	2	50.0%	0	0.0%
जयपुर	0	0.0%	5	83.3%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%

17. पिछले तीन वर्षों में आपको किन लोगों के माध्यम से बाल विवाह की शिकायतें मिली हैं? (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	पंचायत से		समुदाय से		परिवार के सदस्य/ रिश्तेदारों से		गैर–सरकारी संगठनों से		किसी अन्य व्यक्ति से	
उत्तर प्रदेश	0	0%	5	50%	4	40.0%	5	50.0%	0	0.0%
वाराणसी	0	0%	4	80%	4	80.0%	5	100.0%	0	0.0%
मेरठ	0	0%	1	20%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%

17. पिछले तीन वर्षों में आपको किन लोगों के माध्यम से बाल विवाह की शिकायतें मिली हैं? (मध्य प्रदेश)										
राज्य	पंचायत से		समुदाय से		परिवार के सदस्य/ रिश्तेदारों से		गैर–सरकारी संगठनों से		किसी अन्य व्यक्ति से	
मध्य प्रदेश	3	30%	1	10.0%	1	10.0%	5	50.0%	3	30.0%
भोपाल	3	60%	1	20.0%	1	20.0%	3	60.0%	2	40.0%
शाजापुर	0	0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	1	20.0%

18. पिछले पांच वर्षों में बाल विवाह की पंजीकृत शिकायतों की महीने–वार संख्या (राजस्थान)										
राज्य	1-5		6-10		11-15		15 से अधिक		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%
टोंक	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
जयपुर	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

18. पिछले पांच वर्षों में बाल विवाह की पंजीकृत शिकायतों की महीने–वार संख्या (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	1-5		6-10		11-15		15 से अधिक		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	9	90.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	90.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	80.0%

18. पिछले पांच वर्षों में बाल विवाह की पंजीकृत शिकायतों की महीने–वार संख्या (मध्य प्रदेश)										
राज्य	1-5		6-10		11-15		15 से अधिक		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	3	30%	1	10%	3	30%	0	0%	7	70%
भोपाल	3	60%	0	0%	1	20%	0	0%	4	80%
शाजापुर	0	0%	1	20%	2	40%	0	0%	3	60%

19 क. पिछले कुछ वर्षों में बाल विवाह की शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है या इनकी संख्या में कमी आई है (राजस्थान)						
राज्य	बढ़ी है		कमी आई है		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	7	70.0%	2	20.0%	9	90.0%
टोंक	1	33.3%	2	66.7%	3	75.0%
जयपुर	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%

19 क. पिछले कुछ वर्षों में बाल विवाह की शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है या इनकी संख्या में कमी आई है (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	बढ़ी है		कमी आई है		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	9	90.0%	9	90.0%
वाराणसी	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%
मेरठ	0	0.0%	4	80.0%	4	80.0%

19 क. पिछले कुछ वर्षों में बाल विवाह की शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है या इनकी संख्या में कमी आई है (मध्य प्रदेश)						
राज्य	बढ़ी है		कमी आई है		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	1	10%	9	90%	10	100%
भोपाल	1	20%	4	80%	5	100%
शाजापुर	0	0%	5	100%	5	100%

20 क. किसी ऐसे विशेष सेल की मौजूदगी जो केवल बाल विवाह के मामलों को देखता हो (राजस्थान)						
राज्य	मौजूद है		मौजूद नहीं है		प्राप्त उत्तर	
राजस्थान	1	12.5%	7	87.5%	8	80.0%
टोंक	0	0.0%	3	100.0%	3	75.0%
जयपुर	1	20.0%	4	80.0%	5	83.3%

20 क. किसी ऐसे विशेष सेल की मौजूदगी जो केवल बाल विवाह के मामलों को देखता हो (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	मौजूद है		मौजूद नहीं है		प्राप्त उत्तर	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	10	100.0%	10	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%
मेरठ	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%

20 क. किसी ऐसे विशेष सेल की मौजूदगी जो केवल बाल विवाह के मामलों को देखता हो (मध्य प्रदेश)						
राज्य	मौजूद है		मौजूद नहीं है		प्राप्त उत्तर	
मध्य प्रदेश	3	30%	7	70%	10	100%
भोपाल	0	0%	5	100%	5	100%
शाजापुर	3	60%	2	40%	5	100%

21 क. बाल विवाह के मामले दर्ज करने में पुलिस के सामने आने वाली दिक्कतों का अनुपात						
राज्य	**दिक्कत है**		**दिक्कत नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	1	11.1%	8	88.9%	9	90.0%
टोंक	0	0.0%	3	100.0%	3	75.0%
जयपुर	1	16.7%	5	83.3%	6	100.0%
उत्तर प्रदेश	2	20.0%	7	70.0%	9	90.0%
वाराणसी	2	40.0%	3	60.0%	5	100.0%
मेरठ	0	0.0%	4	80.0%	4	80.0%
मध्य प्रदेश	5	50%	5.00	50%	10	100%
भोपाल	2	40%	3.00	60%	5	100%
शाजापुर	3	60%	2.00	40%	5	100%

22. पुलिस को किससे समस्याओं का सामना करना पड़ता है? (राजस्थान)										
राज्य	**पंचायत**		**समुदाय**		**परिवार के सदस्य/ रिश्तेदार**		**कोई अन्य**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	50.0%	5	50.0%
टोंक	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	3	75.0%
जयपुर	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	2	33.3%

22. पुलिस को किससे समस्याओं का सामना करना पड़ता है? (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	**पंचायत**		**समुदाय**		**परिवार के सदस्य/ रिश्तेदार**		**कोई अन्य**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	1	10.0%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	4	40.0%
वाराणसी	1	20.0%	1	20.0%	2	40.0%	0	0.0%	4	80.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

22. पुलिस को किससे समस्याओं का सामना करना पड़ता है? (मध्य प्रदेश)								
राज्य	**पंचायत**		**समुदाय**		**परिवार के सदस्य/ रिश्तेदार**		**कोई अन्य**	
मध्य प्रदेश	3	30.0%	8	80.0%	8	80.0%	1	10.0%
भोपाल	3	60.0%	5	100.0%	5	100.0%	0	0.0%
शाजापुर	0	0.0%	3	60.0%	3	60.0%	1	20.0%

24क. जिले में दर्ज विवाह के पंजीकरण के मामले (राजस्थान)						
राज्य	**पंजीकरण करवाया**		**पंजीकरण नहीं करवाया**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	1	12.5%	7	87.5%	8	80.0%
टोंक	1	33.3%	2	66.7%	3	75.0%
जयपुर	0	0.0%	5	100.0%	5	83.3%

24क. जिले में दर्ज विवाह के पंजीकरण के मामले (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**पंजीकरण करवाया**		**पंजीकरण नहीं करवाया**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	10	100.0%	0	0.0%	10	100.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

24क. जिले में दर्ज विवाह के पंजीकरण के मामले (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**पंजीकरण करवाया**		**पंजीकरण नहीं करवाया**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	8	80%	2	20%	10	100%
भोपाल	4	80%	1	20%	5	100%
शाजापुर	4	80%	1	20%	5	100%

25. जिले में बाल विवाह रोकथाम अधिकारी की उपस्थिति (राजस्थान)						
राज्य	**बाल विवाह रोकथाम अधिकारी है**		**बाल विवाह रोकथाम अधिकारी नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
राजस्थान	8	100.0%	0	0.0%	8	80.0%
टोंक	3	100.0%	0	0.0%	3	75.0%
जयपुर	5	100.0%	0	0.0%	5	83.3%

25. जिले में बाल विवाह रोकथाम अधिकारी की उपस्थिति (उत्तर प्रदेश)						
राज्य	**बाल विवाह रोकथाम अधिकारी है**		**बाल विवाह रोकथाम अधिकारी नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
उत्तर प्रदेश	10	100.0%	0	0.0%	10	100.0%
वाराणसी	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
मेरठ	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

25. जिले में बाल विवाह रोकथाम अधिकारी की उपस्थिति (मध्य प्रदेश)						
राज्य	**बाल विवाह रोकथाम अधिकारी है**		**बाल विवाह रोकथाम अधिकारी नहीं है**		**प्राप्त उत्तर**	
मध्य प्रदेश	10	100%	0	0%	10	100%
भोपाल	5	100%	0	0%	5	100%
शाजापुर	5	100%	0	0%	5	100%

6. जिला मजिस्ट्रेट

9. बाल विवाह का प्रचलन और रीति–रिवाज़								
राज्य	**प्रचलन है**	**प्रचलन नहीं है**	**राज्य**	**प्रचलन है**	**प्रचलन नहीं है**	**राज्य**	**प्रचलन है**	**प्रचलन नहीं है**
राजस्थान	2	0	**उत्तर प्रदेश**	0	2	**मध्य प्रदेश**	2	0
टोंक	1	0	वाराणसी	0	1	भोपाल	1	0
जयपुर	1	0	मेरठ	0	1	शाजापुर	1	0

10. बाल विवाह के कारण (राजस्थान)							
राज्य	**रीति–रिवाज़ और विश्वास**	**पारिवारिक परम्परा**	**सामुदायिक दबाव**	**दहेज**	**बालिका की सुरक्षा**	**आर्थिक बोझ / गरीबी**	**अन्य**
राजस्थान	2	2	1	0	0	2	0
टोंक	1	1	1	0	0	1	0
जयपुर	1	1	0	0	0	1	0

10. बाल विवाह के कारण (उत्तर प्रदेश)														
राज्य	**रीति–रिवाज़ और विश्वास**		**पारिवारिक परम्परा**		**सामुदायिक दबाव**		**दहेज**		**बालिका की सुरक्षा**		**आर्थिक बोझ / गरीबी**		**अन्य**	
उत्तर प्रदेश	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	1	50%
वाराणसी	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%

10. बाल विवाह के कारण (मध्य प्रदेश)														
राज्य	**रीति–रिवाज़ और विश्वास**		**पारिवारिक परम्परा**		**सामुदायिक दबाव**		**दहेज**		**बालिका की सुरक्षा**		**आर्थिक बोझ / गरीबी**		**अन्य**	
मध्य प्रदेश	2	100.0%	2	100%	2	100%	1	50%	1	50%	2	100.0%	2	100.0%
भोपाल	1	100.0%	1	100%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
शाजापुर	1	100.0%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100.0%	1	100.0%

11क. किसी विशेष समुदाय/जाति की मौजूदगी, जिसमें बाल विवाह होते हैं									
राज्य	**हां**	**नहीं**	**राज्य**	**हां**	**नहीं**	**राज्य**	**हां**		**नहीं**	
राजस्थान	1	1	**उत्तर प्रदेश**	0	2	**मध्य प्रदेश**	1	50%	0	50%
टोंक	1	0	वाराणसी	0	1	भोपाल	0	100%	0	100%
जयपुर	0	1	मेरठ	0	1	शाजापुर	1	0%	0	0%

12. जिले में दर्ज बाल विवाहों के मामले												
राज्य	दर्ज हैं	दर्ज नहीं हैं	राज्य	दर्ज हैं		दर्ज नहीं हैं		राज्य	दर्ज हैं		दर्ज नहीं हैं	
राजस्थान	2	0	उत्तर प्रदेश	2	100%	0	0%	मध्य प्रदेश	2	100%	0	0%
टोंक	1	0	वाराणसी	1	100%	0	0%	भोपाल	1	100%	0	0%
जयपुर	1	0	मेरठ	1	100%	0	0%	शाजापुर	1	100%	0	0%

13. जिले में बल विवाह रोकथाम अधिकारी की उपस्थिति								
राज्य	बाल विवाह रोकथाम अधिकारी		राज्य	बाल विवाह रोकथाम अधिकारी		राज्य	बाल विवाह रोकथाम अधिकारी	
राजस्थान	1	50%	उत्तर प्रदेश	2	100%	मध्य प्रदेश	2	100%
टोंक	0	0%	वाराणसी	1	100%	भोपाल	1	100%
जयपुर	1	100%	मेरठ	1	100%	शाजापुर	1	100%

14 क. बाल विवाह संबंधी जिला स्तरीय आंकड़ों की उपलबधता								
राज्य	उपलब्ध हैं	उपलब्ध नहीं हैं	राज्य	उपलब्ध हैं	उपलब्ध नहीं हैं	राज्य	उपलब्ध हैं	उपलब्ध नहीं हैं
राजस्थान	0	2	उत्तर प्रदेश	2	0	मध्य प्रदेश	2	0
टोंक	0	1	वाराणसी	1	0	भोपाल	1	0
जयपुर	0	1	मेरठ	1	0	शाजापुर	1	0

14 ख. भिन्न–भिन्न समय के आंकड़ों की उपलब्धता का प्रतिशत (राजस्थान)				
राज्य	2 वर्ष से कम	2-5 वर्ष	5-10 वर्ष	10 वर्ष और इससे अधिक
राजस्थान	0	0	0	0
टोंक	9	9	9	9
जयपुर	9	9	9	9

14 ख. भिन्न–भिन्न समय के आंकड़ों की उपलब्धता का प्रतिशत (उत्तर प्रदेश)								
राज्य	2 वर्ष से कम		2-5 वर्ष		5-10 वर्ष		10 वर्ष और इससे अधिक	
उत्तर प्रदेश	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
वाराणसी	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
मेरठ	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

14 ख. भिन्न–भिन्न समय के आंकड़ों की उपलब्धता का प्रतिशत (मध्य प्रदेश)								
राज्य	2 वर्ष से कम		2-5 वर्ष		5-10 वर्ष		10 वर्ष और इससे अधिक	
मध्य प्रदेश	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
भोपाल	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
शाजापुर	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%

16. बाल विवाह संबंधी जागरूकता								
राज्य	**जागरूक हैं**	**जागरूक नहीं**	**राज्य**	**जागरूक हैं**	**जागरूक नहीं**	**राज्य**	**जागरूक हैं**	**जागरूक नहीं**
राजस्थान	2	0	**उत्तर प्रदेश**	2	0	**मध्य प्रदेश**	2	0
टोंक	1	0	वाराणसी	1	0	भोपाल	1	0
जयपुर	1	0	मेरठ	1	0	शाजापुर	1	0

17. क्या बाल विवाह रोकने में कानून प्रभावी है?								
राज्य	**हां**	**नहीं**	**राज्य**	**हां**	**नहीं**	**राज्य**	**हां**	**नहीं**
राजस्थान	0	2	**उत्तर प्रदेश**	2	0	**मध्य प्रदेश**	2	0
टोंक	0	1	वाराणसी	1	0	भोपाल	1	0
जयपुर	0	1	मेरठ	1	0	शाजापुर	1	0

18 क. अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाले विरोध का सामना करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत (राजस्थान)		
राज्य	**विरोध करते हैं**	**विरोध नहीं करते**
राजस्थान	1	1
टोंक	0	1
जयपुर	1	0

18 क. अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाले विरोध का सामना करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत (उत्तर प्रदेश)				
राज्य	**विरोध करते हैं**		**विरोध नहीं करते**	
उत्तर प्रदेश	00.0	%	2	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	1	100.0%
मेरठ	0	0.0%	1	100.0%

18 क. अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाले विरोध का सामना करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत (मध्य प्रदेश)				
राज्य	**विरोध करते हैं**		**विरोध नहीं करते**	
मध्य प्रदेश	1	50%	1	50%
भोपाल	1	100.0%	0	0.0%
शाजापुर	0	0.0%	1	100.0%

19क. अधिनियम में कमियां पाने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत (राजस्थान)		
राज्य	**कमी पाते हैं**	**कमी नहीं पाते हैं**
राजस्थान	1	1
टोंक	0	1
जयपुर	1	0

19क. अधिनियम में कमियां पाने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत (उत्तर प्रदेश)				
राज्य	**कमी पाते हैं**		**कमी नहीं पाते हैं**	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	2	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	1	100.0%
मेरठ	0	0.0%	1	100.0%

19क. अधिनियम में कमियां पाने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत (मध्य प्रदेश)				
राज्य	**कमी पाते हैं**		**कमी नहीं पाते हैं**	
मध्य प्रदेश	1	50%	1	50%
भोपाल	1	100.0%	0	0.0%
शाजापुर	0	0.0%	1	100.0%

20. जिले में बाल विवाह का प्रचलित आयु–समूह (राजस्थान)				
पुरुष				
राज्य	**3 वर्ष से कम**	**3-12 वर्ष**	**21 वर्ष से अधिक**	**21 वर्ष और इससे अधिक**
राजस्थान	0	0	1	0
टोंक	0	0	1	0
जयपुर	0	0	0	0

महिला (राजस्थान)					
राज्य	**3 वर्ष से कम**	**3-8 वर्ष**	**8-13 वर्ष**	**18 वर्ष से कम**	**18 वर्ष और इससे अधिक**
राजस्थान	0	0	0	1	0
टोंक	0	0	0	1	0
जयपुर	0	0	0	0	0

20. जिले में बाल विवाह का प्रचलित आयु–समूह (उत्तर प्रदेश)								
पुरुष								
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-12 वर्ष**		**21 वर्ष से अधिक**		**21 वर्ष और इससे अधिक**	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

महिला (उत्तर प्रदेश)										
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-8 वर्ष**		**8-13 वर्ष**		**18 वर्ष से कम**		**18 और इससे अधिक**	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

20. जिले में प्रचलित बाल विवाह आयु–समूह (मध्य प्रदेश)								
पुरुष								
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-12 वर्ष**		**21 वर्ष से कम**		**21 वर्ष और इससे अधिक**	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
भोपाल	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
शाजापुर	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%

महिला (मध्य प्रदेश)										
राज्य	**3 वर्ष से कम**		**3-8 वर्ष**		**8-13 वर्ष**		**18 वर्ष से कम**		**18 वर्ष और इससे अधिक**	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
भोपाल	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
शाजापुर	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%

21. आपके जिले में हो रहे बाल विवाहों का सूचना स्रोत (राजस्थान)								
राज्य	**समुदाय**	**सामाजिक कार्यकर्ता**	**रिश्तेदार**	**गै.स.सं./सामा–जिक कार्यकर्ता**	**सीपीओ**	**मीडिया**	**स्वयं–सेवी समूह**	**अन्य**
राजस्थान	1	2	1	2	2	2	0	0
टोंक	0	1	0	1	1	1	0	0
जयपुर	1	1	1	1	1	1	0	0

21. आपके जिले में हो रहे बाल विवाहों का सूचना स्रोत (राजस्थान)																
राज्य	**समुदाय**		**सामाजिक कार्यकर्ता**		**रिश्तेदार**		**गै.स.सं./सा. कार्यकर्ता**		**सीपीओ**		**मीडिया**		**स्वयं–सेवी समूह**		**अन्य**	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%

21. आपके जिले में हो रहे बाल विवाहों का सूचना स्रोत (मध्य प्रदेश)																
राज्य	**समुदाय**		**सामाजिक कार्यकर्ता**		**रिश्तेदार**		**गै.स.सं./सा. कार्यकर्ता**		**सीपीओ**		**मीडिया**		**स्वयं–सेवी समूह**		**अन्य**	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
भोपाल	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
शाजापुर	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%

22 बाल विवाह की घटनाओं में कमी लाने हेतु योगदान का अनुपात (राजस्थान)							
राज्य	**हां**	**नहीं**	**राज्य**	**हां**	**नहीं**	**राज्य**	**हां**	**नहीं**
राजस्थान	2	0	**उत्तर प्रदेश**	2	0	**मध्य प्रदेश**	2	0
टोंक	1	0	वाराणसी	1	0	भोपाल	1	0
जयपुर	1	0	मेरठ	1	0	शाजापुर	1	0

23. बाल विवाह रोकने के कदम उठाने में गै.स.सं.,संस्थानों और अन्य व्यक्तियों द्वारा डी.एम. को दिए गए सहयोग का अनुपात								
राज्य	सहायता	सहायता नहीं	राज्य	सहायता	सहायता नहीं	राज्य	सहायता	सहायता नहीं
राजस्थान	2	0	उ.प्रदेश	0	2	म. प्रदेश	2	0
टोंक	1	0	वाराणसी	0	1	भोपाल	1	0
जयपुर	1	0	मेरठ	0	1	शाजापुर	1	0

24. आपकी पहल पर जिला मजिस्ट्रेट को मिली सहायता का अनुपात (राजस्थान)								
राज्य	पंचायत	पुलिस	गै.स.सं.	समुदाय	मीडिया	सीपीओ	स्वयं–सेवी समूह	अन्य
राजस्थान	0	2	1	1	1	1	0	0
टोंक	0	1	0	0	0	0	0	0
जयपुर	0	1	1	1	1	1	0	0

24. आपकी पहल पर जिला मजिस्ट्रेट को मिली सहायता का अनुपात (उत्तर प्रदेश)																
राज्य	पंचायत		पुलिस		गै.स.सं.		समुदाय		मीडिया		सीपीओ		स्वं–से.स.		अन्य	
उत्तर प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
वाराणसी	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

24. आपकी पहल पर जिला मजिस्ट्रेट को मिली सहायता का अनुपात (मध्य प्रदेश)																
राज्य	पंचायत		पुलिस		गै.स.सं.		समुदाय		मीडिया		सीपीओ		स्वं–से.स.		अन्य	
मध्य प्रदेश	1	50%	2	100%	2	100%	0	0.0%	2	100%	2	100%	1	50%	0	0.0%
भोपाल	1	100%	1	100%	1	100%	0	0.0%	1	100%	1	100%	0	0%	0	0.0%
शाजापुर	0	0.0%	1	100%	1	100%	0	0.0%	1	100%	1	100%	1	100%	0	0.0%

25. इस अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा जिला मजिस्ट्रेट कब करता है (राजस्थान)				
राज्य	मास में एक बार	मास में दो बार	साल में एक बार	कभी भी नहीं
राजस्थान	0	1	1	0
टोंक	0	1	0	0
जयपुर	0	0	1	0

25. इस अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा जिला मजिस्ट्रेट कब करता है (उत्तर प्रदेश)								
राज्य	मास में एक बार		मास में दो बार		साल में एक बार		कभी भी नहीं	
उत्तर प्रदेश	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
वाराणसी	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
मेरठ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

225. इस अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा जिला मजिस्ट्रेट कब करता है (मध्य प्रदेश)								
राज्य	मास में एक बार		मास में दो बार		साल में एक बार		कभी भी नहीं	
मध्य प्रदेश	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100%
भोपाल	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
शाजापुर	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%

27. उन उत्तरदाताओं का प्रतिशत जिन्होंने इस विषय पर किसी प्रशिक्षण/ कार्यशाला में भाग लिया है								
राज्य	भाग लिया	भाग नहीं लिया	राज्य	भाग लिया	भाग नहीं लिया	राज्य	भाग लिया	भाग नहीं लिया
राजस्थान	1	1	**उत्तर प्रदेश**	0	2	**मध्य प्रदेश**	2	0
टोंक	1	0	वाराणसी	0	1	भोपाल	1	0
जयपुर	0	1	मेरठ	0	1	शाजापुर	1	0

केंद्रित समूह चर्चा के लिए मार्ग–निर्देश

1. केंद्रित समूह चर्चा की तारीख

2. केंद्रित समूह चर्चा का स्थान

3. स्थान के चयन का औचित्य

4. केंद्रित समूह चर्चा का उद्देश्य

5. केंद्रित समूह में सूचना एकत्र करने में इस्तेमाल की गइ पद्धति

6. लोगों की संख्याः 30; बाल विवाह वाले बच्चे के परिवार सेः 15 पुरुष और 15 वयस्क लड़कियां; प्रत्येक गांव में एक केंदित समूह चर्चा केंद होगा (राज्य में कुल 10)। पुरुषों और महिलाओं के अलग समूह बनाए जाएंगे। समूह में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

- माता/पिता
- सास/ससुर
- बड़े भाई/बहन
- दादा/दादी
- चाचा/चाची (या अन्य रिश्तेदार)
- समुदाय से प्राप्त उत्तरों की विशिष्टताएं – निम्नलिखित परिवार के मुखिया, पिता या दादा–दादी और बड़े भाई या बहन के विचारों में बेमेलता, यदि कोई हो, को उजागर करेंगें।
- बाल विवाह की परिभाषा (अवधारणा)
- बाल विवाह के कारण
- जिला/गांव में बाल विवाह के मामले
- बाल विवाह के संबंध में समुदाय का रवैया
- समुदाय के लोगों में बाल विवाह अधिनियम, विशेष रूप से बाल विवाह अवरोध अधिनियम के प्रति कानूनी जागरूकता
- अधिनियम पर विचार
- उस लड़की के प्रति समुदाय का रवैया, जो बाल विवाह से प्रभावित होती है

बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929

बाल–विवाह के अनुष्ठान का अवरोध करने के लिए अधिनियम

बाल–विवाहों के अनुष्ठान का अवरोध करना समीचीन है, अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) यह अधिनियम, बाल–विवाह अवरोध अधिनियम (1929) कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार (जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय) संपूर्ण भारत पर है और यह भारत से बाहर तथा परे, भारत के सभी नागरिकों को लागू है।

(3) यह अप्रैल, 1930 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो–

(क) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और, यदि नारी है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

(ख) "बाल विवाह" से ऐसा विवाह अभिप्रेत है, जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक हो;

(ग) विवाह के "बंधन में आने वाले पक्षकार" से पक्षकारों में से कोई भी जिसके विवाह का एतद्द्वारा अनुष्ठान किया जाए या (किया जाने वाला हो) अभिप्रेत है' तथा

(घ) "अवयस्क" से किसी भी लिंग का व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम आयु का हो, अभिप्रेत है।

(ड.) "यूनियन परिषद" से केंद्रीय परिषद या स्थानीय शासन में उस समय लागू नगर समिति के गठन से तात्पर्य है।

अनुभाग 2 में पंजाब संशोधन : (i) खंड © के अंत में एंड (and) जोड़ा जाए (ii) खंड डी के अंत में अर्धविराम (,) के स्थान पर पूर्ण विराम रहेगा (iii) खंड ई को हटा दिया जाए। (पंजाब अध्यादेश 1971 का 23)

3. बाल–विवाह करने वाले इक्कीस वर्ष से कम आयु के पुरुष वयस्क के लिए दण्ड–

जो कोई, इक्कीस वर्ष से अधिक आयु का पुरुष होते हुए, बाल–विवाह करेगा, वह (सारा कारावास से, जिसकी अवधि तीस मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्मान से भी दण्डनीय होगा।

4. बाल–विवाह करने वाले इक्कीस वर्ष से अधिक आयु के पुरुष वयस्क के लिए दण्ड–

जो कोई, इक्कीस वर्ष से अधिक आयु का पुरुष होते हुए, बाल–विवाह करेगा, वह {सादा कारावास से, जिसकी अवधि पन्द्रह दिन तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा}।

5. बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दण्ड

जो कोई, किसी बाल–विवाह को सम्पन्न करेगा, संचालित करेगा, या निर्दिष्ट करेगा, वह, जब यह साबित न कर दे कि उसके पास विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल–विवाह नहीं था (सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा)।

6. बाल विवाह से संबद्ध माता–पिता या संरक्षक के लिए दण्ड

(1) जहां कोई अवयस्क बाल–विवाह के बंधन में आता है, वहां चाहे माता–पिता अथवा संरक्षक अन्य किसी विधिपूर्ण या विधिविरुद्ध हैसियत से, अवयस्क की देखरेख करने वाला कोई भी व्यक्ति जो विवाह को अभिप्रेरित करने के लिए कोई कार्य करेगा या उसका अनुष्ठान किया जाना अनुज्ञात करेगा या उसके अनुष्ठान का निवारण करने में अपेक्षापूर्वक असफल रहेगा, वह (सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा;

परन्तु कोई स्त्री कारावास से दण्डनीय न होगी।

(2) जहां कोई अवयस्क बाल–विवाह के बंधन में आता है, वहां, यदि और जब तक प्रतिकूल बात साबित न कर दी जाए, इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे अवयस्क की देखरेख करने वाला व्यक्ति विवाह का अनुष्ठान निवारित करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहा है।

7. अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना

इस अधिनियम के अधीन अपराधों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) ऐसे लागू होगी मानो वे निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए संज्ञेय अपराध हों–

(क) ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए; और

(ख) ऐसे विषयों के प्रयोजन के लिए जो (i) उस संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट विषयों में भिन्न हों, और (ii) वारन्ट के बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से भिन्न हों;

8. इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता – {दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)} की धारा 190 में किसी बात के होते हुए भी, {महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट} के न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान या विचारण नहीं करेगा।

9. अपराधों का संज्ञान करने का ढंग

कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान उस तारीख से, जिसको ऐसे अपराध का किया जाना अभिकथित हो, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं करेगा।

10. अपराधों की प्रारंभिकता जांच

कोई न्यायालय ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त होने पर, जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत हो, यदि वह {दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) की धारा 203 के अधीन परिवाद खारिज कर न दे तो, उस

संहिता की धारा 202 के अधीन स्वयं जांच करेगा, या अपने अधीनस्थ किसी मैजिस्ट्रेट को ऐसी जांच करने का निदेश देगा।}।

11. परिवादी से प्रतिभूति लेने की शक्ति

बाल–विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1949 (1949 का 41) की धारा 7 द्वारा निरसित।

12. इस अधिनियम के उल्लंघन में किए जाने वाले विवाह का प्रतिषेध करने वाला व्यादेश निकालने की शक्ति

(1) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, न्यायालय, यदि उसके समक्ष परिवाद द्वारा या अन्यथा लाई गई जानकारी से उसका समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी बाल–विवाह का टहराव हो गया है या उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है, तो इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के भी विरुद्ध ऐसे विवाह का प्रतिषेध करने वाला वयादेश निकाल सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई व्यादेश किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति को पूर्वतन सूचना न दे दी हो, और उसे व्यादेश के निकाले जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर न दे दिया हो।

(3) न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश, या तो स्वप्रेरणा पर या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, विखंडित या परिवर्तित कर सकेगा।

(4) जहां कोई ऐसा आवेदन प्राप्त होता है, वहां न्यायालय अपने समक्ष आवेदक को, या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा, उपस्थित होने का शीघ्र अवसर देगा; और यदि न्यायालय आवेदन को पूर्णतः या अंशतः करता है तो वह एसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(5) जो कोई यह जानते हुए उसके विरुद्ध इस धारा की उपधारा के अधीन व्यादेश निकाला गया है, उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा;

परन्तु कोई स्त्री कारावास से दण्डनीय न होगी।

बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
[10 जनवरी, 2007]

बाल–विवाहों के अनुष्ठान के प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 है;

   (2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है; और यह भारत से बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों को भी लागू होता है;

   परंतु इस अधिनियम की कोई बात पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के रेनोसाओं को लागू नहीं होगी।

   (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न–भिन्न राज्यों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यता अपेक्षित न हो-

   (क) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

   (ख) "बाल–विवाह" से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है;

   (ग) "विवाह के संबंध में" बंध में आने वाले पक्षकार" से पक्षकारों में से कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है;

   (घ) "बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी" के अंतर्गत धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है;

   (ड.) "जिला न्यायालय" से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र में, जहां कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय विद्यमान है, ऐसा कुटुंब न्यायालय और किसी ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है, किंतु कोई नगर सिविल न्यायालय विद्यमान है और वह नयायालय और किसी अन्य क्षेत्र में, आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय और उसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य सिविल न्यायालय भी है जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करे जिसे ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारिता है, जिनके बारे में इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है;

(च) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम, 1875 के उपबंधों के अधीन यह माना जाना है कि उसने, वयस्कता प्राप्त नहीं की है।

3. (1) प्रत्येक बाल–विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात् अनुष्ठापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के, जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्यकरणीय होगाः

परंतु किसी बाल–विवाह को अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल करने के लिए, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही, जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी।

(2) यदि अर्जी फाइल किए जाने के समय, अर्जीदार अवयस्क है तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद–मित्र के साथ–साथ बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मार्फत की जा सकेगी।

(3) इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय किंतु अर्जी फाइल करने वाले बालक में वयस्कता प्राप्त करने के दो वर्ष पूरे करने से पूर्व फाइल की जा सकेगी।

(4) इस धारा के अधीन अकृतता की डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय, विवाह के दोनों पक्षकारों और उनके माता–पिता या या उनके संरक्षकों को यह निदेश देते हुए आदेश करेगा कि वे, यथास्थिति, दूसरे पक्षकार, उसके माता–पिता या संरक्षक को विवाह के अवसर पर उसको दूसरे पक्षकार से प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण और अन्य उपहार या ऐसी मूल्यवान वस्तुओं, आभूषणों, अन्य उपहारों के मूल्य के बराबर रकम और धन लौटा देः

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध पक्षकारों को जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा आदेश क्यों नहीं पारित किया जाए, सूचनाएं न दे दी गई हों।

4. (1) धारा 3 के अधीन डिक्री प्रदान करते समय, जिला न्यायालय बाल–विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को और यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार अवयस्क है, तो उसके माता–पिता या संरक्षक को, विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को, उसके पुनर्विवाह तक, भरण–पोषण का संदाय करने के लिए निदेश देते हुए अंतरिम या अंतिम आदेश भी कर सकेगा।

(2) संदेय भरण–पोषण की मात्रा का अवधारण जिला न्यायालय द्वारा, बालक की आवश्यकताओं, अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली और संदाय करने वाले पक्षकार की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(3) भरण–पोषण की रकम का मासिक या एकमुश्त राशि के रूप में संदाय करने का निर्देश दिया जा सकेगा।

(4) यदि धारा 3 के अधीन अर्जी देने वाला पक्षकार विवाह के बंधन में आने वाली स्त्री पक्षकार है तो जिला न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास के लिए उपयुक्त आदेश भी कर सकेगा।

5. (1) जहां बाल–विवाह से जन्मे बालक हैं, वहां जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश देगा।

(2) इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय, बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हितों पर जिला न्यायालय द्वारा, सर्वोपरि ध्यान दिया जाएगा।

(3) बाल की अभिरक्षा के लिए किसी आदेश में, दूसरे पक्षकार की, ऐसे बालक तक ऐसी रीति से, जो बालक के हितों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करती हो, पहुंच के लिए समुचित निर्देश, और ऐसे अन्य आदेश, जो जिला न्यायालय बालक के हित में उचित समझे, सम्मिलित हो सकेंगे।

(4) जिला न्यायालय विवाह के किसी पक्षकार या उनके माता–पिता या संरक्षक द्वारा बालक के भरण–पोषण का उपबंध करने के लिए समुचित आदेश भी कर सकेगा।

6. इस बात के होते हुए भी कि बाल–विवाह धारा 3 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल कर दिया गया है, डिक्री किए जाने के पूर्व ऐसे विवाह से जन्मा या गर्भाहित प्रत्येक बालक, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् पैदा हुआ हो, सभी प्रयोजनों के लिए धर्मज बालक समझा जाएगा।

7. जिला न्यायालय की धारा 4 या धा 5 के अधीन और यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है जो अर्जी के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय और अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात् भी किसी आदेश में जोड़ने, उसे उपांतरित या प्रतिसंहृत करने की शक्ति होगी।

8. धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां प्रतिवादी या बालक निवास करता है या जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया था या जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था या जहां अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है, अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय सम्मिलित होगा।

9. जो कोई, अठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए, बाल–विवाह करेगा, वह, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

10. जो कोई किसी बाल–विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, या निदिष्ट करेगा, या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि विवाह बाल–विवाह नहीं था, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्मान से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

11. (1) जहां कोई बालक बाल–विवाह करेगा, वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भारसाधन में चाहे माता–पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधिविरुद्ध हैसियत में, बालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहता है, जिसमें बाल–विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्मान से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है या उपधारणा की जाएगी कि जहां किसी अवयस्क बालक ने विवाह किया है वहां ऐसे अवयस्क बालक का भारसाधान रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुष्ठापित किए जाने से निवारित करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहा है।

12. जहां कोई बालक, जो अवयस्क है, विवाह के प्रयोजन के लिए-

(क) विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है; या

(ख) किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है. या

(ग) विक्रय किया जाता है, और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है या यदि अवयस्क है और उसके पश्चात् उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है; वहां ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा।

13. (1) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवदन पर, या किसी व्यक्ति के परिवाद के माध्यम से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल–विवाह तय किया गया है या उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसके अंतर्गत किसी संगठन का सदस्य या कोई व्यक्ति संगम भी है, विरुद्ध ऐसे विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश निकालेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई परिवाद, बाल–विवाह या बाल–विवाहों का अनुष्ठापन होने की संभाव्यता से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी या विश्वास का कारण रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा और युक्तियक्त जानकारी रखने वाले किसी गैर–सरकारी संगठन द्वारा, किया जा सकेगा।

(3) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान कर सकेगा।

(4) अक्षय तृतीया जैसे कतिपय दिनों पर, सामूहिक बाल–विवाहों के अनुष्ठापन का निवारण करने के प्रयोजन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों के साथ, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी को प्रदत्त हैं, बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट का बाल–विवाहों के अनुष्ठापन को रोकने या उनका निवारण करने की अतिरिक्त शक्तियां भी होंगी और इस प्रयोजन के लिए, वह सभी समुचित उपाय कर सकेगा और अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई व्यादेश किसी व्यक्ति या किसी संगठन के सदस्य या व्यक्ति संगम के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ने, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति, संगठन के सदस्यों या व्यक्ति संगम को पूर्व सूचना न दे दी हो और उसे/ या उनको व्यादेश निकाले जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर न दे दिया हो;

परंतु किसी अत्यावश्यकता की दशा में, न्यायालय को, इस धारा के अधीन कोई सूचना दिए बिना, अंतरिम आदेश निकाालने की शक्ति होगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश को या तो स्वप्रेरणा पर या कसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखण्डित या परिवर्तित कर सकेगा।

(8) न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश को या तो स्वप्रेरणा पर या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखण्डित या परिवर्तित कर सकेगा।

(9) जहां कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन प्राप्त होता है, वहां न्यायालय आवेदक को, या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा, अपने समक्ष उपस्थित होने का शीघ्र अवसर देगा, और यदि न्यायालय आवेदक को सुनने के पश्चात् आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर करता है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(10)जो कोई, यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश जारी किया गया है, उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्मान से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगाः

परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी।

14. उपधारा 13 के अधीन जारी किए गए व्यादेशों के उल्लंघन में, चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम, अनुष्ठापित किया गया कोई बाल–विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा।

15. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

16. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संपूर्ण राज्य या उसके ऐसे भाग के लिए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी के नाम से ज्ञात, किसी अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, जिसकी अधिकारिता, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर होगी।

(2) राज्य सरकार, किसी समाज सेवा में विख्यात किसी स्थानीय सम्मानीय सदस्य या ग्राम पंचायत या नगरपालिका के किसी अधिकारी के अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के किसी अधिकारी से या किसी गैर–सरकारी संगठन के किसी पदाधिकारी से बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकेगी और, यथास्थिति, ऐसा सदस्य, अधिकारी या पदाधिकारी तदनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

(3) बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

(क) बाल–विवाहों के अनुष्ठापन का ऐसी कार्रवाई करके, जो वह उचित समझे, निवारण करे;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य संग्रह करे;

(ग) बाल–विवाह के परिणामस्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागृति पैदा करे;

(घ) बाल–विवाह के परिणामस्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागृति पैदा करे;

(ड.) बाल–विवाहों के मुद्दे पर समाज को सुग्राही बनाए;

(च) ऐसी नियतकालिक विवरणियां और आंकड़ें दें, जो राज्य सरकार निर्देशित करे; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्यों और कर्त्तव्यों का निर्वहन करे, जो राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं।

(4) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां विनिहित कर सकेंगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं और बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी ऐसी शक्तियों का, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रयोग करेगा।

(5) बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी को धारा 4, धारा 5 और धारा 13 के अधीन और धारा 3 के अधीन बालक के साथ आदेश के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति होगी।

17. बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी को धारा 4, धारा 5 और धारा 13 के अधीन और धारा 3 के अधीन बालक के साथ आदेश के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति होगी।

18. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

19. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

20. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 18 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्–

"(क)धारा 5 के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से"!

21. (1) बाल–विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ पर उक्त अधिनियम के अधीन लंबित या जारी सभी मामले और अन्य कार्यवाहियां, जारी रहेंगी और निरसित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार निपटाई जाएंगी मानो वह अधिनियम पारित न हुआ हो।

jk"Vªh; tu lg;ksx ,oa cky fodkl laLFkku
5] lhjh bULVhV;w'kuy ,fj;k] gkSt [kkl] ubZ fnYyh&110016